राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] चतुर्थ विधान सभा के अष्टम् सत्र का तृतीय दिवस [संख्या 3

बुधवार,

दिनांक 13 मई, 1970

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, गृह, विद्युत्, उद्योग, कारावास, स्वायत्त शासन, विधि, जन-स्वास्थ्य विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : On a point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष : Ordinarily no point of order can be raised in question hour.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : But this is very significant.

श्री अध्यक्ष : It may be significant or not.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : Whether we are sitting in a constitutional and valid sitting of the House, this has to be adjudicated upon by the Chair first of all.

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले अंग्रेजी बोलकर गलती कर दी थी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आपने स्वयं ने व्यवस्था दी थी कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : वह दे रहा हूं मैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : दे रहे हैं क्या ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं यह निवेदन कर रहा था कि....

श्री अध्यक्ष : कल से तो कुछ परिवर्तन है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कल इस चेयर के द्वारा....

श्री अध्यक्ष : मैं आपका मन्तव्य समझ गया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अगर प्रश्नों का विषय प्रारम्भ हो जाता है और सदन में इस प्रकार की चर्चा होती है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय जो हमारे सामने आता है वह यह है कि हम लिगली कांस्टीट्युटेड सिटिंग में काम कर रहे हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, मैं आपका मन्तव्य समझ गया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उस पर रूलिंग . .

श्री अध्यक्ष : रूलिंग का प्रश्न नहीं है। मैं दे रहा हूं। चूंकि यह प्रश्नोत्तर काल है, इसलिये वेलिडली कांस्टीट्यूटेड है या नहीं इस बात का प्रश्नों पर असर नहीं पड़ता। प्रश्नोत्तर काल के समाप्त होने के बाद वह व्यवस्था दी जायेगी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रश्न भी तो सदन में ही पूछे जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामसिंह कुड़ी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा नम्र निवेदन यह है कि प्रश्न पूछने का अधिकार भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अन्तर्गत ही है, और अगर सदन ही वेलिडली कांस्टीट्यूटेड नहीं है तो प्रश्न किस बात का ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। मैंने कह दिया।

श्री कुड़ी।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 40 का उत्तर दिलवाया जाये। मुझे अथॉरिटी दे गये हैं, मैंने आपको दे दी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 40।

नागौर जिले में अधिशासी अभियन्ता का पद

40. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) की अनुपस्थिति में **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) द्वारा पूछा गया : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में फमिन अधिशासी अभियंता का पद इस साल के अकाल राहत कार्यों के लिए मजदूरों की संख्या के हिसाब से किस तारीख से सृजन होना चाहिए था एवं कब से सृजन हुआ ?

(2) क्या नागौर जिले में कोई व्यक्ति फैमिन का अधिशासी अभियन्ता बी० एण्ड आर० का लग गया है ? यदि हां, तो कब से एवं उसने अपने पद का कार्यभार किस तारीख से संभाल लिया है ?

(3) यदि कार्यभार नहीं संभाला है तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता के अभाव से ही सड़कों पर मुरड़ नहीं बिछी एवं स्वीकृत शुदा काम शुरू नहीं हुए ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) श्रमिकों की संख्या 20,000 पर, दिनांक 10-2-1970 से, लेकिन 28-3-1970 से सृजन हुआ।

(2) जी हां, दिनांक 4-4-70 से कार्यभार नहीं सम्भाला है।

(3) क्योंकि अधिशासी अभियन्ता जिनको लगाया गया है वे प्रिविलेज लीव पर हैं।

(4) अधिशासी अभियन्ता के अभाव से काम में किसी प्रकार की देरी नहीं हुई है। कुछ कामों पर मुरड बिछाया जा रहा है और अन्य काम जो चालू नहीं हुए हैं, चालू कर दिये जावेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रश्न संख्या (4) के उत्तर में आपने बताया कि देरी हुई है लेकिन आपने उसका कारण नहीं

(श्री हरजीराम बुरड़क)

बताया। क्या इन्जीनियर के नहीं होने से देरी हुई ?

श्री माधोसिंह : मैंने कहा देरी नहीं हुई है।

श्री हरजीराम बुरड़क : कार्य शुरू ही नहीं हुआ, तो देरी तो हुई ही।

श्री माधोसिंह : मैंने निवेदन किया कि जो कार्य 1970 में सैंक्शन हो गये थे वे चालू कर दिये गये, और उसके बाद में जो सैंक्शन हुए हैं वे शुरू किये जा रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : जिस समय इन अधिशासी अभियन्ता का पोस्टिंग हुआ था, उस वक्त वे छुट्टी पर थे या पोस्टिंग होने के बाद में वे छुट्टी पर गये ?

श्री माधोसिंह : इसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। जहां तक मेरा ख्याल है वे पहले ही छुट्टी पर थे और छुट्टी के खत्म होने पर उनको वहां जोइन करना था, लेकिन उन्होंने छुट्टी और बढ़वा ली।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने जान-बूझकर उस पोस्ट को खाली रखा और इन्जीनियर को लाभ पहुंचाया। जब वे छुट्टी पर थे तो उनको वहां पर क्यों लगाया ? और किसी को क्यों नहीं भेजा ? दूसरे को भी लगा सकते थे।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं किया। नैक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

जयपुर जिले में भूमि आवंटन

41. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की किस किस तहसील में 1 अप्रेल, सन् 1967 से लेकर अब तक किस किस व्यक्ति को कहां कहां कितनी कितनी भूमि का आबंटन किया गया है ? इन आवंटितों के आवेदन-पत्र कब कब संबंधित पंजिका में दर्ज किये गये ? आवेदन-पत्रों के अनुसार नामों का विवरण पतों सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) इस आवंटन के लिए आवंटन समिति की कब कब कहां कहां बैठकें हुई हैं और इन बैठकों की सूचना सदस्यों को कब कब दी गई ?

(3) भूमि आवंटन नियमों के अनुसार आवंटन योग्य भूमि की सूचना प्रत्येक वर्ष के सितम्बर मास में दी गई या नहीं ? यदि हां, तो उन सूचियों की प्रतियां प्रस्तुत करें।

(4) उपरोक्त भूमियों में कब कब क्या क्या परिवर्तन हुआ ? क्या इन सूचियों में दर्ज भूमि के अतिरिक्त भूमि का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों, कब और किसको ?

(5) 1 अप्रेल, सन् 1967 को कृषि भूमि आवंटन नियमों के अन्तर्गत किस किस पंचायत समिति को कितनी भूमि किस किस प्रयोजन हेतु तहसील द्वारा आवंटित की हुई थी ? कृपया तालिका प्रस्तुत करें।

(6) क्या किन्हीं पंचायतों अथवा पंचायत समिति ने आवंटित भूमि को वापिस तहसील को दे दिया ? यदि हां, तो किस पंचायत ने किस ग्राम की कितनी कितनी भूमि कब कब वापिस की ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से संबंधित सूचना अभी प्राप्त नहीं हो पाई है, इसलिए इसको स्थगित किया जाये।

श्री भरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना कोई अलग अलग जगहों से नहीं पूछनी थी, हरेक तहसील में रजिस्टर में जो इन्द्राज होते हैं, उनका कम्पाइलेशन करके, कन्सोलीडेट करके, यहां भेजना था।

श्री अध्यक्ष : वह कम्पाइलेशन किस हद तक हुआ है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर बहुत लम्ब है। तीन साल में जो आवंटन हो चुके हैं वे कब कब हुए और एडवाइजरी कमेटी कब कब बैठी, उसका नोटिस कब कब दिया गया, किन किनको नोटिस दिया गया, ये सारी बातें पूछी गई हैं।

श्री भैरोंसिह : यह सारी जानकारी प्रत्येक तहसील में एक चार्ट बना हुआ है उससे मिल सकती है। कोई तहसील ऐसी नहीं है जिसमें रजिस्टर मेन्टेन नहीं किया जाता हो। सारी बातें उसमें लिखी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : परसों तक जानकारी आ जायेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं हो सकती।

श्री भैरोंसिह : अगर परसों तक नहीं दे सकते, तो पांच दस दिन में मेरे पास इसका उत्तर भेज दें।

श्री अध्यक्ष : यह उचित है। इस प्रश्न का उत्तर माननीय सदस्य के पास भेज दिया जाय।

श्री लादूराम सुलानियां (फागी) : उत्तर के अलावा एक बात यह है कि इसमें जो अनियमितताएं हुई हैं उनकी भी जांच होन चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, वह प्रश्न नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया।

पीपलोद में गिरफ्तारियां

42. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील अटरू के ग्राम पीपलोद में कुछ माह पूर्व ईसाइयों द्वारा किये गये आक्रमण की रिपोर्ट पुलिस में हुई थी और पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारियां भी की गई थीं ?

(2) यदि हां, तो किस तारीख को किन किन धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तारियां की गई और क्या उनका चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां।

(2) इस सम्बन्ध में कुल 38 अपराधी हस्ब दफा 148/149/427/436/295 गिरफ्तार किये गये थे। और दिनांक 13-3-70 को अदालत में चालान पेश कर दिया गया है व यह मामला सब-जूडिस है। अपराध घटित होने बाबत ठोस शहादत एकत्रित हो जाने पर चालान प्रस्तुत करना आवश्यक था।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कौनसी तारीख को चालान पेश किया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 13 मार्च, 1970 को।

श्री अध्यक्ष : 13 मार्च, 1970 को।

Page No. 5

श्री देवीदत्त गाड़िया : गिरफ्तारी होने के कितने दिनों बाद चालान पेश किया गया ? इतनी देरी क्यों हुई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : तफ्तीश हो रही थी और जब तक तफ्तीश मुकम्मिल न हो जाये तब तक चालान कैसे पेश करें ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह तफतीश कब समाप्त हुई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, यह सबजूडिस मामला है और.....

श्री अध्यक्ष : तफ्तीश कब खत्म हुई यह बता दें ।

श्री हीरालाल देवपुरा : 13 मार्च, 1970 को चालान पेश किये गये, इसका मतलब यह मानना चाहियें कि 13 मार्च के आसपास ही तफ्तीश समाप्त हुई ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायालय में जो आपने चालान 13 मार्च को पेश किये उससे डेढ़ महीना पहले तफ्तीश समाप्त हो गई थी । लेकिन डेढ़ महीने के बाद ही चालान न्यायालय में पेश किये गये ।

श्री हीरालाल देवपुरा : डेढ़ महीने पहले समाप्त नहीं हुई थी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कितने मुलजिम थे ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरिवल्लभ शर्मा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह तो बता दें कि कितने मुलजिम थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 38 मुलजिम थे, मैंने साफ बताया ।

श्री अध्यक्ष : नक्स्ट ।

सवाई माधोपर में विद्युत विस्तार की योजना

43. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(2) क्या यह सही है कि गत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों की राय से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उत्पादन हेतु विद्युत् विस्तार की योजना बनाई थी ?

(2) यदि हां, तो गत वित्तीय वर्ष के लिये सवाई माधोपुर जिले में किस किस पंचायत समिति की किस किस योजना को प्राथमिकता दी गई और प्रत्येक योजना के लिये कितने कितने रुपयों की राशि स्वीकृत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) उक्त स्वीकृत योजनाओं म से कौन कौन सा कार्य गत वित्तीय वर्ष में चालू किया गया और प्रत्येक पर अब तक कितना कितना रुपया व्यय किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने गत वर्ष प्रत्येक तहसील हैड-क्वार्टर तक विद्युत् लाइन डालने की योजना बनाई थी ? यदि हां, तो कस्बे खण्डार तक जो कि तहसील का हैड क्वार्टर है, अब तक विद्युत् लाइन क्यों नहीं डाली गई तथा सवाई माधोपुर रेवेन्यू सब-डिवीजन में

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतिकरण का कोई कार्य क्यों नहीं अपनाया गया ?

उप-मंत्रा, विद्युत् (श्री खेतसिंह): जी हां । गत वित्तीय वर्ष की ग्रामीण विद्युतिकरण योजना जिला कृषि उत्पादन समितियों की राय को ध्यान में रखते हुये बनाई गई थी ।

(2) गत वर्ष सवाई माधोपुर जिले में जिन जिन ग्रामों की योजना स्वीकृत की गई उसकी सूची 'ए' मय स्वीकृत राशि के सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) 24 ग्रामों में से 13 ग्रामों का कार्य शुरू किया गया है जिसमें से बारह ग्रामों का विद्युतिकरण हो चुका है, सूची 'बी' सदन की मेज पर रख दी गई है । ग्रामवार खर्चे का ब्योरा अलग से नहीं रखा जाता ।

(4) जी नहीं । कस्बा खण्डार की योजना बनाने पर लाभप्रद नहीं होने के कारण उसका विद्युतिकरण अब तक नहीं हो सका । सवाई माधोपुर रेवेन्यू सब डिवीजन में गत वर्ष छः ग्रामों का विद्युतिकरण किया गया जिनकी सूची 'सी' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उप-मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि खंडार पंचायत समिति के लिये कौन सी योजना में प्राथमिकता दी गई थी ?

श्री खेतसिंह : खण्डार पंचायत समिति के लिए अलग से न तो सवाल पूछा है और न मैं बता सकता है । खण्डार के लिये पूछा है इसलिए उसके लिये बता दिया है । वहां डिस्टेन्स पर पड़ता है इसलिये वहां पर विद्युतिकरण इकोनोमिकल नहीं पड़ता है ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्रम संख्या 2 में पंचायत समिति या जिला कृषि उत्पादन समिति के माध्यम से जो योजनाएं राज्य सरकार को पेश कर रखी थीं उनके बारे में पूछा था ? यह बताने की कृपा करें कि खण्डार पंचायत समिति ने कौनसी योजना बना कर दी थी ?

श्री खेतसिंह : जिला प्रोडक्शन कमेटी ने जो योजना बना कर दी थी वह उसने दो कैटेगरी में भेजी थी । 'ए' और 'बी' दो केटेगरी थीं । 'ए' कैटेगरी योजना में से कुछ गांवों का विद्युतिकरण किया गया है । यह जरुरी नहीं है कि प्रोडक्शन कमेटी ने जितने भी नाम भेजे हैं वे सारे के सारे ही कर दिये जायें और न सरकार के पास में तने फण्ड्स ही हैं ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : 'ए' क्लास में प्राथमिकता की दृष्टि से कौन से गांव हैं ? जो योजना आपको भेजी गई थी उसमें से सब से पहले प्राथमिकता की दृष्टि से खण्डार तहसील की योजना कौन सी थी ?

श्री खेतसिंह : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि खण्डार पंचायत समिति का हैड-क्वार्टर है वहां पर ही अभी विद्युतिकरण नहीं हुआ है । अब फिर सर्वे करा कर देख लेंगे और गुंजाइश हुई और लाभप्रद हुआ तो विद्युतिकरण करा दिया जायेगा । जब खण्डार का नहीं हुआ है तो दूसरे गांवों का करने का प्रश्न ही नहीं आता है ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : खण्डार पंचायत के एक भी गांव को कृषि उत्पादन के लिये

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया है। आज तक कोई वेल कनेक्शन दिया हो तो उसकी कोई मिसाल बता दीजिये ।

श्री खेतसिंह : कई पंचायत समितियां हैं और कई गांव हैं जिनमें कि विद्युतिकरण नहीं हुआ है, उनमें खण्डार भी एक है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : फिर 22 साल की आजादी में आपने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह ।

श्री खेतसिंह : आपको बोलना सिखाया, सबसे बड़ी बात तो यह की ।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या मंत्रीमहोदय यह बताने की कृपा करग कि सरकार की यह नीति हैं कि 5,000 की आबादी वाले हर गांव का वद्युतिकरण कर दिया जाये ?

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया है। फिर यह कोई बंदिश नहीं है। कोशिश की जायेगी यह बात है। बड़े गांव जिनकी कि आबादी 5,000 से ऊपर है और वहां यह योजना लाभप्रद होगी तो निश्चित तौर पर उन गांवों का विद्युतिकरण प्रायोरिटी प कर दिया जायेगा। परन्तु यह बंदिश नहीं है। यह पंचायत समिति का हैडक्वार्टर थोड़े ही बनाना है। इसमें पसा खर्च होता है और हमारे साधन सीमित हैं।

श्री अध्यक्ष : वगैरह वगैरह...।

श्री दिग्विजय सिंह : शेरगढ़ की 21। हजार की आबादी है और वहां पर विद्युतिकरण कर दिया गया है क्योंकि वह आपके खुद का क्षेत्र है और जो 5,000 की आबादी वाले गांव हैं उनकी ओर आपने ध्यान नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

उद्योग मंत्री ।

धौलपुर हाईटेक प्रेसीशन फैक्ट्री

44. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार-शहर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) धौलपुर हाईटेक प्रेसीशन ग्लास लिमिटेड में सरकारी पूंजी कितनी लगाई गई है और सरकारी पूंजी लगाने का निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि फैक्ट्री घाटे में चलती रही हैं। इस फैक्ट्री को कितने रुपयों का नुकसान हुआ है ?

उप-मंत्री, राजकीय उपक्रम विभाग (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) 7,60,000 रुपये की पूंजी लगाई गई है।

धौलपुर में कांच बनाने वाले काफी तकनीकी उपलब्ध हैं। इन बेरोजगारों को इस क्षेत्र में रोजगार मिलता था। अतः इस उद्योग में सरकारी पूंजी लगाने का निर्णय लिया गया ।

(2) जी हां। अब तक इस कम्पनी को 15,46,075 रुपये का घाटा रहा है।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : इसमें प्राइवेट पूंजी कितनी लगी हुई है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है। सरकारी

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

पूंजी के बारे में सवाल किया गया था जिसका कि यहां पर उत्तर दे दिया गया है। इसलिए इस प्रश्न को अलग से पूछ लिया जाये, उत्तर दे दिया जायेगा ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : नुकसान के क्या कारण थे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह प्रश्न पहले भी इस विधान सभा में पूछा गया है और उसका जवाब भी दिया जा चुका है। कुछ ऐसे कारण थे–जैसे बिजली का न होना, पानी की कमी थी, पूंजी की अपने आप में कमी थी इस कारण से इस कम्पनी को शुरु शुरू में घाटा हुआ ।

श्री दौलतराम सारण: राज्य सरकार ने घाटे के इन कारणों का पूंजी नियोजन से पहले क्या कोई ध्यान नहीं रखा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह: ध्यान रखा है। बिजली का पावर हाउस यकायक खराब हो गया। अब अपना जेनेरेटिंग सेट्स लगा दिया गया है। कई दिनों तक काम सुचारु रूप से नहीं चल सका यह घाटे का मेन कारण था।

श्री दौलतराम सारण : बहुत बड़ी तनख्वाह के लोगों को जो कि अनुभवहीन थे उनको रखा गया है। इस वजह से इस कम्पनी को घाटा हुआ है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जिन लोगों की आवश्यकता थी उन लोगों को ही रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : जिन परिस्थितियों में यह फैक्टरी चल रही थी उनको मद्देनजर रखते हुए क्या यह सरकार उचित नहीं समझती है कि इस फैक्टरी को क्लोज डाउन, बंद कर दिया जाये ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने निवेदन किया है, कुछ समय से फैक्टरी बंद थी। 68 में इसको चालू किया गया है किन्तु पिछले साल बदकिस्मती से धौलपुर में ऐसा तूफान आया कि यह सारी फैक्टरी अस्त व्यस्त हो गई और काफी नुकसान हो गया और बंद कर दी गई। अब इस फैक्टरी को पुनः चलाने का प्रस्ताव है और मरम्मत आदि का कार्य चल रहा है। अब ऐसी परिस्थिति नहीं है कि जिसकी वजह से घाटा हो। घाटे के कारणों को अब दूर कर दिया गया है और अब भविष्य में मुनाफा होने की सम्भावना है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या राज्य सरकार इसके चलने न चलने के संबंध में कोई आदेश दे सकती है, या कोई निर्णय ले सकती है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : गंगानगर शुगर मिल्स से बात की गई है। आप पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और आप को सब मालूम है और उसके बावजूद प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : सरकार जबरदस्ती कम्पनी लॉ में एनक्रोचमेंट कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर ।

बाड़मेर जिले में औसत परिवार के पास कृषि योग्य भूमि

45. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने विभिन्न

Page No. 9

(श्रीमती मदनकौर)

जिलों में औसत परिवार (पांच सदस्यीय) के पास कृषि योग्य कितनी भूमि है, इसका अध्ययन किया है ?

(2) यदि हां, तो बाड़मेर जिले के आंकड़े बताने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त जिले में औसत परिवार के पास 30 स्टैन्डर्ड एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार यहां के भूमिहीन काश्तकारों को राजस्थान नहर अथवा अन्यत्र कहीं भूमि आवंटन करने या अन्य कोई रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व विभाग (श्री गंगाराम चौधरी) : प्रश्न की सूचना एकत्रित नहीं हो पाई है इसलिए इसको स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। नैक्स्ट।

जयपुर जेल में रखे गये सत्याग्रही

46. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नौहर) : क्या कारावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर जिला किसान आन्दोलन में जयपुर स्टेशन पर 25 व्यक्तियों को सत्याग्रह करते हुए पकड़ा गया था ? यदि हां, तो उन्हें जयपुर जेल में कितने दिन तक रखा गया ?

(2) क्या उन्हें जेल में छोड़े जाने पर उनको अपने निवास स्थानों तक जाने का किराया व भोजन व्यय दिया गया था ? यदि हां, तो कितना-कितना और नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री, कारावास (श्री खेतसिंह) : (1) जयपुर रेल्वे स्टेशन पर दिनांक 14-3-70 को गंगानगर से बिना टिकट आ रहे 26 व्यक्तियों को पकड़ा गया जिनमें से 24 व्यक्ति तो रेल्वे एक्ट की धारा 113 के अन्तर्गत जुर्माना न अदा करने पर एक माह की जेल की सजा भुगतने जेल पर भेजे गये व 2 व्यक्ति अन्डर ट्रायल की हैसियत से आये। यह लोग कितने दिन जेल में रहे वह संलग्न सूची में अंकित है।

(2) इनमें से सात व्यक्ति जुर्माना देकर चले गये, 2 व्यक्ति बरी हो गये और शेष 17 को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 3-4-70 के अन्तर्गत छोड़ा गया। जेल मैन्युअल के तहत रेल्वे एक्ट में दंडित अपराधियों को किराया नहीं दिया जाता और न इन लोगों ने इस प्रकार की मांग ही की थी।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही था कि वे सत्याग्रही थे ?

श्री खेतसिंह : जो बिना टिकट सफर कर रहे थे वे अपराधी थे।

श्री रामचन्द्र आर्य : सत्याग्रही को टिकिट लेने के बाद क्या वह सत्याग्रही मान लिया जायेगा।

श्री खेतसिंह : टिकट लेकर सफर करे तो वह सत्याग्रही माना जायेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या इसी तरह से कई आदमियों को जो सत्याग्रही थे और उनको छोड़ दिया गया और उनको कोई खर्चा नहीं दिया गया ?

[redacted]

श्री खेतसिंह : अलग से प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अलग से प्रश्न नहीं है। उनको अवधि से पहले ही छोड़ दिया गया और चंदा कर के उनको भेजने की व्यवस्था की गई, क्या यह उचित है ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह उचित है ?

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मंत्री महोदय यह बता देने की कृपा करें कि किन-किन परिस्थितियों में वे किन किन को सत्याग्रही मानते हैं ? अपनी मांग के लिये संघर्ष करना और राज्य सरकार से असहयोग करना और कानून का उल्लंघन कर के उनको जेल भेजा जाये तो क्या राज्य सरकार उनको सत्याग्रही नहीं मानती है ?

कारावास मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : यह मैटर आफ ओपीनियन है।

श्री अध्यक्ष : कोई कैटेगोराइजेशन है ?

श्री दौलतराम सारण : हम यह जानना चाहते हैं कि आप किन को सत्याग्रही मानते हैं ताकि ध्यान रहे।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : गंगानगर से फिर सत्याग्रही आयेंगे इसलिए आपको आगाह कर देना चाहता हूं।

महारावल **श्री लक्ष्मणसिंह** : कम से कम मैं यह कहना चाहूंगा कि सत्याग्रही और अपराधी में क्या अन्तर है यह तो स्पष्ट करें।

श्री खेतसिंह : मैं तो जेल का उप-मंत्री हूं। जेल में जो आता है हम तो उसे कैदी मानते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह आपका कसूर नहीं है। आप तो जब पहले भी राष्ट्रीय आन्दोलन चलता था तो उसमें भाग लेने वाले देशभक्तों को भी आप तो कैदी ही मानते थे। यह तो आपके गिरोह का कसूर है।

लूनी नदी पर पुल

47. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बाड़मेर तहसील के सिणधरी ग्राम के पास लूनी नदी पर कोई पुल बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पुल के निर्माण के बिना बाड़मेर जिले को राजधानी जयपुर तथा जोधपुर से जोड़ने वाली एक मात्र सड़क अधिक वर्षा में और लूनी नदी का पानी आने पर बन्द हो जाती है और आवागमन अवरुद्ध हो जाता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सीमा स्थित बाड़मेर नगर को जोड़ने और बिना किसी रुकावट के यातायात चालू रखने के लिये यह पुल आवश्यक है और इस कारण इसका सामरिक महत्व भी है ?

(4) यदि हां, तो राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण पुल को कब तक बनाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह, मेंसवाड़ा) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(श्री माधोसिंह)

(4) पुल का डिजाइन बनाया जा रहा है। इसकी एप्रवल भारत सरकार से लेने के बाद में इस पुल का निर्माण चालू किया जायगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : पुल की डिजाइन जल्दी से जल्दी एप्रूव होकर आवे इसका क्या प्रयास सरकार कर रही है ?

श्री माधोसिंह : जल्दी की जावेगी।

श्री वृद्धिचन्द जैन : पुल का निर्माण कब से शुरू कर दिया जावेगा ?

श्री माधोसिंह : भारत सरकार से एप्रूवल आते ही।

रिक्शा मालिकों द्वारा रिक्शा चालकों से वसूल किया जाने वाला किराया

48. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की किस किस नगर परिष, नगरपालिका क्षेत्र में कितने कितने रिक्शाओं के लाइसेन्स हैं और कितने रिक्शा अनधिकृत बिना लाइसेन्स के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या रिक्शा चालक को भी लाइसेन्स लेना पड़ता है ?

(3) दो से अधिक रिक्शा एक ही व्यक्ति के नाम से लाइसेन्स वाले मालिकों की सूची मय रिक्शा संख्या के प्रत्येक पालिका की दी जाय ?

(4) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रिक्शा चालकों से रिक्शा मालिक भारी किराया वसूल करके उनका शोषण करते हैं ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज थिंद) : सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित करने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री दौलतराम सारण : ऐसी कोई बात तो नहीं है अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका के डाइरेक्टोरेट में यह सारी सूचना उपलब्ध है।

श्री मुल्कराज थिंद : ऐसा नहीं है, अध्यक्ष महोदय, सभी नगरपालिकाओं को लिखा गया है, काफी विस्तृत जानकारी चाही गई है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री केशरीसिंह हाड़ा।

नागौर में हड़ताल

49. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नागौर में गुण्डागर्दी को जिला प्रशासन द्वारा रोके जाने पर असमर्थ पाने पर वारह नागरिकों द्वारा 13 और 14 अप्रेल, 1970 को भूख-हड़ताल की गई थी ?

(2) क्या यह सत्य है कि गुण्डों द्वारा 8 अप्रेल को गणगौर के जुलूस में महिलाओं पर अभद्र हमला किया गया, और उनके जेवर छीनने की कोशिश की गई ?

(श्री केशरीसिंह हाडा)

(3) क्या उक्त घटना की शिकायत जनता द्वारा पुलिस और नागौर के जिलाधीश को की गई तो पुलिस ने न तो मामला दर्ज किया और न ही जिलाधीश शिकायतकर्त्ताओं से मिले तथा इसी घटना के विरोध में नागौर में 11 तथा 12 अप्रेल, 1970 को पूर्ण हड़ताल रही थी ?

(4) क्या यह सत्य है कि हड़ताल के दौरान गुण्डों ने एक 13 साल की लड़की को वस्त्रहीन कर दिया और दो दुकानों को लूट लिया था ?

(5) जिलाधीश और पुलिस के अधिकारियों ने इन वारदातों पर क्या कार्यवाही की और गुण्डों के खिलाफ कोई मुकद्दमा दर्ज किया गया अथवा नहीं ?

उप-मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) गणगौर मेले के अवसर पर कथित गुण्डागर्दी के सिलसिले में ता० 13-4-70 को पांच व्यक्तियों द्वारा भूखहड़ताल प्रारम्भ की गई थी और दि० 14-5-70 को सात व्यक्ति और भूखहड़ताल पर बैठे थे।

(2) इस आशय की एक रिपोर्ट दिनांक 8-4-70 को पुलिस थाना, नागौर पर दर्ज कराई गई थी।

(3) उक्त घटना की शिकायत दिनांक 8-4-70 को जनता द्वारा पहले जिलाधीश को की गई थी जिन्होंने शिकायतकर्त्ताओं को पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा था। शिकायतकर्त्ताओं ने उसी दिन पुलिस थाने में जाकर भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह सही है कि पुलिस ने दिनांक 8-4-70 को इस घटना का कोई मुकद्दमा दर्ज नहीं किया। यह भी सही है कि इस घटना के विरोध में नागौर में 11-4-70 व 12-4-70 को हड़ताल रखी थी।

(4) जी नहीं, यह गलत है।

(5) पुलिस ने दिनांक 8-4-70 को घटना का मुकद्दमा नं० 25, धारा 147/354/393/511, भा० द० स० में दिनांक 12-4-70 को दर्ज किया जो दिनांक 16-4-70 को वास्ते आइन्दा तफतीश राज्य अपराध शाखा, जयपुर में तबदील किया गया जिसकी अभी तक तफतीश जारी है। पुलिस द्वारा कार्यवाही करने में देरी आदि के कारणों की जांच डीवाई०, आई० जी० पी०, जोधपुर रेन्ज द्वारा की जा रही है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या नाम थे उन गुण्डों के जिन्होंने इस प्रकार का घृणित काम किया ?

श्री हीरालाल देवपुरा: एक नाम एफ० आई० आर० में पुखाराम का आया है। इसके अलावा नाम जाहिर नहीं हो पाये हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि कांग्रेस के आदमी होने के कारण थाने वालों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ये कांग्रेस के थे या बी० के० डी० के थे, मुझे पता नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : रिपोर्ट दर्ज न करने का क्या कारण था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : लोगों ने स्पष्ट कहा था कि हमारे वकील साहब से सलाह लेकर रिपोर्ट और मुकद्दमा दर्ज कराने की बात की होगी। रिपोर्ट तो रोजनामचे

(श्री हीरालाल देवपुरा)

दर्ज कर ली थी। पर वे 12/4 को पुनः आये।

श्री केशरीसिंह हाडा : रोजनामचे में यह रिपोर्ट कब दर्ज की गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 8-4-70 की रात को।

श्री केशरीसिंह हाडा : इन गुण्डों के पीछे किसका वरदहस्त है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : तफतीश जारी है।

श्री केशरीसिंह हाडा : क्या यह सत्य नहीं है कि पी० सी० सी० के प्रेसीडेण्ट का हाथ है इसमें ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह असत्य है। आपको जानकारी हो तो दे दीजिये।

श्री केशरीसिंह हाडा : आपने प्रश्न के खण्ड 4 में कहा कि यह असत्य है तो क्या जो भी अखबार में सूचना आई है वह असत्य है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पुलिस की जांच के आधार पर जो तथ्य सामने आये हैं अब तक उनके आधार पर कहा है।

श्री केशरीसिंह हाडा : यह तफतीश कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : गवाह नहीं मिल रहे हैं। लोग आकर बता नहीं रहे हैं। जिन्होंने इत्तला की है वे भी पूरी तरह नहीं बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

भूतपूर्व नरेशों से लगान की वसूली

50. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान के भूतपूर्व नरेशों की उनकी निजी सम्पत्ति में दर्ज कृषि योग्य भूमि का लगान असेस किया है ? यदि हां, तो प्रत्येक भूतपूर्व नरेश के असेस्ड लगान का सालाना मतालबा कितना कितना बनता है सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या भूतपूर्व नरेशों से इस प्रकार की जमीनों के लगान की वसूली की जाती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) प्रत्येक भूतपूर्व नरेश की तरफ कितने कितने कितने लगान की राशि बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) (1) :जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। वसूली की जाती है। राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड लैंड ओनर्स स्टेट एक्ट, 1963 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार सन् 1963 से ऐसी कृषि भूमि के लगान की वसूली का प्रावधान है।

(3) नरेशों की ओर बकाया लगान की स्थिति की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो सूची रखी है इसमें केवल 18 का है । बांसवाड़ा, सिरोही और बूंदी के बारे में नहीं है । बूंदी के बारे में कहा गया कि सूचना नहीं है । बाकी बांसवाड़ा और सिरोही। सिरोही के बारे में क्या कहना है आपका ?

श्री गंगाराम चौधरी : बांसवाड़ा के बारे में उच्च न्यायालय में रिट हो गई है । इस पर स्थगन आदेश जारी हो जाने से स्थगित है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वसूली स्थगित है या असेसमेन्ट भी स्थगित है ?

श्री गंगाराम चौधरी : वसूली ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तो असेसमेन्ट की पूछ रहा हूं ।

श्री गंगाराम चौधरी : जिलाधीश की सूचना के अनुसार असेसमेन्ट भी पूरा नहीं हुआ है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और सिरोही का ?

श्री गंगाराम चौधरी : यहां की भी सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो एरियर की सूचना दी है आपने जयपुर नरेश की तरफ 86,295)37 बकाया है, क्या यह सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी हां, सही है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कितने वर्षों की बकाया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : 1963 से अब तक की ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब से असैसमेन्ट हुआ है तब से कोई वसूली हुई है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): इन मामलों में रिट पिटीशन्स कुछ नरेशों की तरफ से हो रही हैं उनमें स्टे ऑर्डर जारी हो गया है । 8 नरेशों ने यह किया है । बाकी जो दे देते हैं अपनी मरजी से उनसे ले लेते हैं । फैसला उनके माफिक भी हो गया है । हम अपील में हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह फैसला हो गया है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री कृष्णकुमार गोयल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें कितना बाकी है ? इसमें डूंगरपुर का 407 रुपया 65 पैसा है । यह कोटा, प्रतापगढ़, टोंक.....

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने जवाब दे दिया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितनी रिट पिटीशन हुई हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने यह कहा है, 8 पिटीशन दायर हुई हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रिट पिटीशन कब दायर हुई हैं ? अध्यक्ष महोदय, यह एरियर्स बकाया हैं। हाई कोर्ट से स्टे कब मिला ?

Page No. 15

श्री रामकिशोर व्यास : फिगर्स दे दिये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें वह रकम भी शामिल है, जो हाई कोर्ट द्वारा दी गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब दे दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या भूतपूर्व नरेशों के लिए आपने लगान वसूल नहीं किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ का वसूल हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं हुआ है वह इसमें लिखा है ? उनसे वसूल नहीं करने के क्या कारण हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप जानना क्या चाहते हैं ? मैं समझ नहीं पाया हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजाओं की तरफ हजारों रुपये बकाया हैं। जबकि किसी गरीब आदमी पर 5 रुपये भी बकाया हो तो आप उसकी कुर्की कर देते हैं। एक वर्ग विशेष के लिए आप ने रियायत क्यों दिखाई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई रियायत नहीं की गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं चैलेंज करता हूं अध्यक्ष महोदय, जिन राजाओं ने कोई रिट पिटीशन नहीं की उनके बारे में कोई उत्तर नहीं है। यह सरकार इतना गोलमाल करती है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने एक जैसा ही कानून लगाया है। रिट पिटीशन हुई। स्टे आ गया। बेजा क्या हुआ है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहता हूं कि कई सालों का फर्क रहता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : सिर्फ सात रोज का फर्क है।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, 75 हजार है, इसका मतलब है कि 12 साल का हो गया है। आप 63 के बताते हैं। इससे पहले का भी बताया है। 75 है तो सन् 63 तक का नहीं हो सकता है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं सदस्य महोदय को कुर्क अमीन बनाकर भेज दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुर्की जनता की लेकर आएंगे। आप लोग मिल कर समाज-वाद की पीठ में छुरा घुसाते हैं।

श्री विजयसिंह : जनता धोखे में आने वाली नहीं है।

श्री माईदानसिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, पहले वहां जाकर बैठ जाते थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 6,359 रु० हैं। यह 630 मान लें तो 8 वर्ष होते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसे ही बनता है, किबला बुजुर्गवार। पहले यह था कि 49 से वसूल किया जाये। बाद में यह कानून बना है। तो यह हुआ।

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्रीजी। कृष्ण कुमार गोयल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 17 राजाओं का बताया है। बाकी का पास नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री।

मुकदमों के श्रवणाधिकार

51. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के पुलिस स्टेशन खातोली व इटावा के मुकदमात के श्रवणाधिकार पूर्व में कोटा के मुंसिफ मजिस्ट्रेट में निहित था? अगर हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पुलिस स्टेशन के मुकदमात का श्रवणाधिकारी अब बारां मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों व कब से ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्रों के राजस्व के मामलों का श्रवणाधिकार कोटा, एस० डी० ओ० कोर्ट ा में निहित है ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त पुलिस स्टेशन के मुकदमात का श्रवणाधिकार बारां सौंप देने से लोगों की कठिनाइयां बढ़ गई हैं ?

(5) क्या यह सही कि पंचायत समिति इटावा जिसमें दोनों पुलिस स्टेशन स्थित हैं, ने प्रस्ताव द्वारा श्रवणाधिकार वापस कोटा मजिस्ट्रेट को देने की मांग की है ?

(6) अगर हां, तो राज्य सरकार क्या इस संबंध में राहत देने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, विधि (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) जी हां, इन पुलिस स्टेशनों के क्रिमिनल मुकदमों का क्षेत्राधिकार 1 अक्टूबर, 1969 तक कोटा में था।

(2) अधि सूचना संख्या.....

श्री विजयसिंह : यह भूतपूर्व राजाओं और कम्युनिस्टों में इतना ही फर्क है कि यह मानते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : दुबारा रिपीट करदें।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : (1) जी हां, इन पुलिस स्टेशनों के क्रिमिनल मुकदमों का क्षेत्राधिकार 1 अक्टूबर, 1969 तक कोटा में था।

(2) अधि सूचना एफ० 1(1) जुडी 68-5, दि० 23-9-69 द्वारा इन पुलिस स्टेशनों के क्रिमिनल मुकदमों का श्रवणाधिकार मुंसिफ मजिस्ट्रेट, बारां को दि० 2 अक्टूबर, 1969 से दिया गया। यह इसलिये किया गया था क्योंकि मुंसिफ, बारां का उक्त तिथि से पहले से ही सिविल क्षेत्राधिकार पिपलदा व इटावा तहसील पर था जिनके क्षेत्र में ये पुलिस स्टेशन स्थित हैं। क्रिमिनल क्षेत्राधिकार सिविल क्षेत्राधिकार के समान रखा गया था।

(3) जी हां।

(4) दूरी के लिहाज से इटावा व खातोली, कोटा के बनिस्पत बारां के पास पड़ते हैं।

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(5) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त होना नहीं पाया जाता।

(6) यदि इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ तो उच्च न्यायालय से परामर्श किया जायगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस दिक्कत को समझा कर बार एसोसिएशन कोटा ने भी एक प्रस्ताव जिलाधीश कोटा को भेजा है कि यह जो बारां भजा गया है, इससे लोगों की दिक्कत बढ़ी है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस प्रकार की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा, जिसके अन्दर ये दोनों थाने निहित हैं, उन्होंने यह मांग की है कि यह कोटा ही रखा जाये बारां नहीं?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इत्तला नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि विधि विभाग ने अन्य सूत्रों से जानकारी प्राप्त की है?

विधि मंत्री (श्री बरकतउल्ला खां) : इसका नोटिस लेते हुए मैं हाइकोर्ट को मूव कर रहा हूं, वहां से फैसला हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री दौलतराम सारण।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि बरसात के मौसम में यह थानों का रास्ता बन्द हो जाता है। कोटा का ही रास्ता खुला रहता है?

श्री बरकतउल्ला खां : यह जानकारी नहीं है। जो जानकारी माननीय सदस्य ने दी है, वह हाईकोर्ट को रेफर कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। उद्योग मंत्री।

हैण्डीक्राफ्ट एम्पोरियम से खरीदा जाने वाला सामान

52. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि हेण्डीक्राफ्ट एम्पोरियम जो लघु उद्योग निगम द्वारा चलाये जाते हैं उनसे सरकारी विभागों को दरियें आदि सामान बिना टेण्डर मांगे ही खरीदने का आदेश सरकार ने दे रखा है? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त एम्पोरियमों में सामान किस प्रकार खरीदा जाता है? वापिस यह किस प्रकार सरकारी विभागों को बेचा जाता है?

(3) क्या उक्त एम्पोरियमों में हाथ से बना हुआ सामान ही खरीदा व बेचा जाता है?

(4) उक्त एम्पोरियमों को चलाने का क्या उद्देश्य है तथा उक्त उद्देश्यों की कहां तक पूर्ति हुई है?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन) : (1) जी हां, आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'अ')

(2) एम्पोरियमों के लिए सामान खरीदने हेतु निगम के संचालक मण्डल द्वारा एक समिति बनी हुई है, जिसमें संचालकगण तथा निगम के अधिकारी सदस्य हैं।

(श्री भीमसेन)

क्रय समिति की बैठक सामान्यतः मास में दो बार होती है । माल की कलात्मकता, दरें, क्वालिटि इत्याली का यथोचित अवलोकन कर, आवश्यकतानुसार खरीद की जाती है । एम्पोरियम द्वारा सामान निर्धारित विक्रय मूल्य पर सभी को बेचा जाता है। इसी विक्रय मूल्य पर सरकारी विभागों आदि को उनके आदेशानुसार माल की सप्लाई नियोजित की जाती है ।

(3) एम्पोरियमों द्वारा सामान्यतः हस्तकला वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री की जाती है। इसके अलावा उद्योग इकाइयों के उत्पादनों का क्रय भी होता है ।

(4) उक्त एम्पोरियमों का उद्देश्य हस्तशिल्प का विकास व कलाकारों को प्रोत्साहन प्रदान करना है । हस्तकला अन्य वस्तुओं का सुनियोजित ढंग से क्रय विक्रय तथा निर्यात नियोजन किया जाता है । कलाकारों को सहयोग, मार्गदर्शन, व्यापक प्रचार, प्रसार एवं प्रदर्शन आदि निगम करता है ।

विक्रय व निर्यात में वृद्धि के अलावा प्रदेश की हस्तकलाओं को काफी बढ़ावा मिला है, तथा लाखों रुपयों के मूल्य का सामान देश विदेशों में जाने लगा है । एम्पोरियमों का संचालन निगम द्वारा हाथ में लेने से पूर्व जो विक्रय लगभग सवा लाख रुपये का था, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, तथा इस वर्ष 1969-70 में कोई 37 लाख रुपयों से भी अधिक के मूल्य का विक्रय हुआ है । एम्पोरियम निगम को राज्य के उद्योग विभाग द्वारा 1962 में सौंपे गए थे ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)

श्री दौलतराम सारण : नियमों में जब उद्योग विभाग को बिना टेन्डर के माल खरीदने का अधिकार है तो ऐसी सूरत में क्या यह उचित है कि वह माल खरीद कर, वह माल उन मिलों के उत्पादनशुदा को खरीद कर उस माल को ऊंचे भाव पर बेचें ?

श्री भीमसेन : यह जानकारी नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : आपने उत्तर में कहा है, सामान्यतः हस्तकला वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री की जाती है । इसके अलावा उद्योग इकाइयों के उत्पादनों का क्रय विक्रय भी होता है । यह आपने स्वयं कहा है प्रश्नांश 3 के उत्तर में, अब आप कहते हैं कि जानकारी नहीं है । यह सही नहीं है । मेरा प्रश्न है इसका उद्देश्य यह है कि यह एम्पोरियम कम कीमत पर माल लेकर भारी मुनाफा कमाते हैं और हस्तकलाओं का माल नहीं खरीद कर बड़ी बड़ी मिलों का माल खरीदते हैं और उसको निर्धारित मूल्य पर नहीं बेच कर उसको मुनाफे के साथ में बेचते हैं ।

श्री भीमसेन : आमतौर पर निगम द्वारा माल खरीदा जाता है वह हस्तकला के कलाकारों से खरीदा जाता है । उसके अलावा कभी नजर आती है तो अन्य उद्योग इकाइयों से खरीदता है ।

श्री दौलतराम सारण : हस्तकला का माल नहीं होने का सवाल नहीं है । माल उपलब्ध है, बाजार में उपलब्ध है लेकिन एम्पोरियम खरीदता नहीं है और सांठ-गांठ करके दूसरे दूसरे लोगों से माल खरीदा जाता है, जबकि नियमानुसार दूसरों से खरीदने का अधिकार नहीं है । यही आपत्ति है । यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं ।

श्री भीमसेन : ऐसी विशेष शिकायत राज्य सरकार के ध्यान में लायेंगे तो उस पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री दौलतराम सारण : मैं ध्यान में ला रहा हूं, आपके उत्तर से स्पष्ट है कि दूसरा माल खरीदा जाता है। आप अपने विभाग से पूछिये कि पिछले वर्ष कितना माल खरीदा गया ? यह मालूम करना तो आपका काम है, मेरा काम तो सरकार के ध्यान में लाना है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त कर ली जाय ।

श्री दौलतराम सारण : आप जानकारी प्राप्त कीजिये कि कितना माल खरीदा गया, गये साल जो नहीं खरीदना चाहिए था और उसको ऊंची रेट पर बेच कर लाभ कमाया गया है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री नथमल चौहला !

ग्राम कुमास में बाड़ों का नियमन

53. **श्री नथमल चौहला** (लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिला अन्तर्गत तहसील लक्ष्मणगढ़ के ग्राम कुमास में लैंड रेवेन्यू एक्ट की दफा 91 के तहत किन किन व्यक्तियों पर 1967 व 68 में केस चल रहा था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा कई वाड़ों को पुराना मान कर रेगुलेराइज करने का फैसला दिनांक 11-11-68 को कर दिया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार द्वारा जिनको रेगुलेराइज करने का फैसला दिनांक 11-11-68 को किया था उसे बदल कर सात बाड़ों को हटाने का फैसला दिनांक 19-6-69 को किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि तहसीलदार द्वारा जिन वाडों को हटाने का फैसला किया गया था उन वाडों को 25 साल पुराना मान कर रेगुलेराइज करने का फैसला किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :

(1) सूची संलग्न है ।

(2) यह सही नहीं है ।

(3) यह सही नहीं है ।

(4) यह सही नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री नथमल चौहला : अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू मिनिस्टर से जवाब तलब किया गया है, मेरे पास सर्टीफाइड कॉपी है, वह मैं पेश करता हूं । उस पर जांच करवा कर क्या कार्यवाही करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

श्री नथमल चौहला : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : आप पेश करेंगे, फिर जानकारी कर लेंगे ।

श्री नथमल चौहला : इसको तीन साल तो हो गये हैं....

[redacted]

श्री अध्यक्ष : इसकी जल्दी जानकारी कर लेना आप।

नैक्स्ट !

जयपुर नगर में यातायात व्यवस्था

54. **श्री दुर्गालाल बाढ़वार** (हवामहल, जयपुर) : इसमें नम्बर नहीं है। इसलिए नाम बोल देता हूं : क्या गृह मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में जयपुर नगर में एस० पी० पुलिस कौन है और कितने समय से कार्य कर रहे हैं ?

(2) वर्तमान एस० पी० ने यातायात की व्यवस्था के लिए कितनी प्रकार के क्या क्या प्रयोग किये और इन प्रयोगों को क्रियान्वित करने में कितना रुपया व्यय हुआ है ?

(3) क्या यातायात की व्यवस्था के लिये विचार विमर्श व सुझाव हेतु कोई कमेटी का निर्माण हुआ था ? यदि हां, तो उसके कौन कौन सदस्य हैं ? इस कमेटी द्वारा समय समय पर क्या क्या सुझाव दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यातायात की व्यवस्था के लिए भारी वाहनों तथा साइकिल व रिक्शा आदि के परिचालन हेतु कोई प्रयोग किये गये ? यदि हां, तो ये कितने दिन चले और इसका क्या परिणाम निकला ?

(5) गत दो वर्ष में कितने एक्सीडेन्ट्स हुए और उनमें कितनों का चालान हुआ तथा एक्सीडेंट के परिणास्वरुप मृत्यु कितने व्यक्तियों की हुई ?

(6) वर्तमान में गणगौरी बाजार में ट्रेफिक की क्या व्यवस्था है तथा सब्जी आदि बेचने वालों को बैठने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है।

(7) नगर में बढ़ती हुई अव्यवस्था व गुण्डागर्दी को रोकने के लिये पुलिस ने क्या व्यवस्था की है ? धारा 109 जा० फौ० में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है व उनका क्या परिणाम निकला है ?

(8) क्या यह सच है कि छात्राओं के साथ नगर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ गत दो वर्षों से बढ़ी है और राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है ?

राज्य-मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जिला जयपुर में श्री गोविन्दसिंह, पुलिस अधीक्षक के पद पर दिनांक 30-9-67 से नियुक्त हैं।

(2) यातायात व्यवस्था सुधारने में ढाई तीन साल से लगातार कोशिश की जा रही हैं जिनका व्यौरा निम्न है:–

(क) समस्त बाजारों में भारी वाहनों पर आने-जाने की समयानुसार रोक लगा रखी है।

(ख) शहर के खास खास बाजारों में सवेरे 9 से 11 बजे तक सायंकाल 4 से 7 बजे तक बैल गाड़ी, बैल ठेला की आमद रफ्त पर रोक लगा रखी है।

(ग) जौहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, एम० आई० रोड पर पुलिस लाइन से स्पेशल स्टाफ सड़क पर लगा कर आमद रफ्त लोगों को पटरी पर चलने एवं साइकिल रिक्श आदि वाहनों को एक के पीछे एक चलने की ट्रेनिंग दी गई।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(घ) चांदपोल गेट के ट्राफिक सिगनल को ठीक करवाया गया।

(ड़) कुछ बाजारों में आने-जाने के लिए वाहनों की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग ट्रेक निर्धारित करने की दृष्टि से पहले रस्सियां खिंचवा कर व बाद में छोटी-छोटी पट्टियां फिक्स करवा कर.....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : बीच में कील गड़वा कर।

श्री हीरालाल देवपुरा : व मध्य में सड़क पर लाइनें डलवाने की कार्यवाही की गई थी। अन्तिम व्यवस्था अभी चालू है। इन प्रयोगों में विभाग का कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं हुआ।

जयपुर नगर के लिए ट्रेफिक एड-वाइजरी कमेटी पहले नियुक्त की गई थी उसकी नई सदस्यता का मामला सरकार के विचाराधीन है।

(4) शहर के मुख्य बाजारों में भारी वाहनों के लिए समय नियत किया हुआ है। साइकिल व रिक्शा आदि सड़क के बाई ओर लेज में परिचालित किये जाते हैं। यह प्रयोग अभी चालू है, परिणाम संतोषजनक रहे हैं।

(5) गत दो वर्षों में एक्सीडेंटों के कुल 408 अभियोग अंकित हुए हैं, 256 का चालान पेश किया गया एवं एक्सीडेंट के परिणामस्वरूप 62 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

(6) गणगौरी बाजार में ट्रेफिक व्यवस्था हेतु कॉन्स्टेबल्स तैनात रहते हैं जो हर समय ट्रेफिक के नियमों के अनुसार ट्रेफिक संचालित करते हैं। सब्जी बेचने वालों को बैठने की अनुमति नगर परिषद् द्वारा दी जाती है।

(7) नगर में अव्यवस्था व गुण्डागर्दी की रोकथाम के लिए पुलिस हमेशा सतर्क रहती है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार गुण्डागर्दी करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है। नगर जयपुर में ऐसे सम्बन्धित क्षेत्रों में पुलिस द्वारा गश्त-आदि का माकूल प्रबन्ध किया है....

श्री दयीवत्त पाड़िया (बारां): सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : 109 जा०फौ० में 1,156 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई जिनमें से 445 व्यक्तियों को पाबन्द किया गया, 156 को रिहा व बरी में छोड़ा गया. एवं 515 के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(8) गत दो वर्षों में छात्राओं के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ बढ़ना नहीं कहा जा सकता है। सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैंने, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले यह पूछा था कि कितना व्यय हुआ, उसके बारे में मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया....

श्री अध्यक्ष : व्यय नहीं हुआ। आ गया उत्तर।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बिल्कुल व्यय नहीं हुआ। यह कहते हैं, साधारण व्यय भी नहीं हुआ....

Page No. 22

[redacted]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कीजिये । कितनी मात्रा में व्यय हुआ ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सूची मांगी है वह सूची भी नहीं दी है । जो मांगते हैं वह तो कम से कम मिलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये । फिर किसी सूची की आवश्यकता नहीं होती है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जयपुर नगर में यातायात को नियंत्रित करने के लिए, जैसा आपने बताया कि बत्तियां लगा रखी हैं तो उन बत्तियों पर कितने सन्तरी तैनात करने पड़ते हैं, एक बत्ती पर कितने तैनात कर देने पड़ते हैं, और उनकी ड्यूटी कितने समय लगती है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह प्रश्न नहीं पूछा गया है कि कितनी बत्ती.....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैंने यातायात की व्यवस्था के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी चाही है ।

श्री अध्यक्ष : कितनी बत्ती है, यह नहीं है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आज स्थिति यह है कि जयपुर नगर में चले जाइये, आपको कोई बत्ती वर्किंग ऑर्डर में नहीं मिलेगी, जबकि एक पर तीन चार सन्तरी रखने पड़ते हैं, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं होती है । आपने यातायात व्यवस्था के लिए कह दिया कि वह संतोषजनक है.......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं । मैंने पूछा है, गणगौरी बाजार में क्या व्यवस्था की है ?

श्री अध्यक्ष : क्या व्यवस्था की है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यहां पर मंत्री महोदय बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर बैठे हैं आप गये हैं कभी उधर ?

श्री अध्यक्ष : गये हैं क्या कभी ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप मेरे साथ में चलें.... .

श्री अध्यक्ष : अभी चलने को क्या तैयार हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार अभी चलने का क्या सवाल है । अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का जयपुर नगर के साथ में सौतेला व्यवहार चल रहा है, और जिस प्रकार की स्थिति है उस स्थिति को और बदतर करती जा रही है राज्य सरकार ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न करिये ।

एक माननीय सदस्य : सौतेला व्यवहार कर दिया है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर देने को तैयार नहीं होते हैं.....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह सही है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, यह टूरिस्ट सेन्टर है, यहां पर रस्सियां बांध कर लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो विदेशियों के सामने आप क्या नमूना पेश

(श्री विजयसिंह)

करते हैं ? हिन्दुस्तान अभी भी पचास साल पीछे–इस बात का असर उन पर पड़ता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : राजस्थान, की राजधानी जयपुर है यह बात सही है लेकिन यह बात कहना कि रस्सियों को बांध कर ट्रेफिक कंट्रोल किया जा रहा है यह ठीक नहीं है। ट्रेफिक को कंट्रोल करने के लिए जो आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ती है वह की जाती है। जब सड़क को दो हिस्सों में बांटने की आवश्यकता थी.....

श्री अध्यक्ष : यह प्रिमिटिव तरीका ठीक है।

श्री विजयसिंह : इसका इम्पेक्ट विदेशियों पर क्या पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु०) : मैं जानना चाहता हूं, आपने कहा है कि मुख्य मुख्य बाजारों में समय निर्धारित कर रखा है-ऐसे कौन कौन से बाजार है जिनमें समय निर्धारित कर रखा है ? मैं यह कहूंगा, कुछ बाजार ऐसे हैं जहां कि यातायात ज्यादा नहीं होना चाहिए, बड़े वाहन नहीं जाने चाहिये। लेकिन उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। जैसे घाट गेट से रामगंज बाजार, जहां पर कि अनाज की मंडी है, ट्रक आते हैं, ट्रक दिल्ली से आते हैं, बम्बई से आते हैं और उन्होंने आम रास्ता बना रखा है, जबकि आपने नेशनल हाई वे बना रखा है, घाट गेट से तो मैं कहना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। कौन सा समय निर्धारित कर रखा है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कौन कौन से बाजार ऐसे हैं जहां पर.........

श्री हीरालाल देवपुरा : कुछ समझ में नहीं आया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जिन बाजारों में व्यवस्था निश्चित की गई है, उनके नाम बता दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : जवाब में मैंने कह दिया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपके उत्तर में डिटेल्स नहीं हैं। आपने बाजारों के नाम नहीं बताए। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जयपुर नगर में कौन 2 से बाजारों में यह विशेष रूप से व्यवस्था का आपने प्रावधान रखा है, उनके नाम बतायें।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने स्पष्ट बता दिया कि जौहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, एम० आई० रोड पर विशेष व्यवस्था की गई है। गणगौरी बाजार में भी ट्रेफिक पुलिस तैनात की गई है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि चांदपोल बाजार में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक इतनी भीड़ होती है कि 15 मिनिट तक कोई आदमी अपना व्हीकल नहीं निकाल सकता ?

श्री हीरालाल देवपुरा : व्यवस्था कर दी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या व्यवस्था की है ?

श्री दौलतराम सारण : सिपाही खड़े रहते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : ट्रैफिक कान्सटेबल खड़े रहते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सुनाई नहीं दे रहा है, क्या व्यवस्था की है।

श्री अध्यक्ष : माइक में डिफेक्ट है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : माइक की आवाज से कान फट रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : जयपुर की यातायात व्यवस्था गुजरात की राजधानी अहमदाबाद व मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से भी कई गुना बदतर है और इतना कन्जेस्टेड है ट्रैफिक कि जिसकी हद नहीं। अगर आप सिविलाइज्ड और इफिश्येंट सरकार के नाते इस संबंध में कोई बंदोबस्त नहीं कर सकते तो क्या यह दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा नहीं कही जायगी ? क्या मंत्री महोदय इस संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करके वर्तमान में जो जयपुर नगर के अंदर कन्जेस्शन है उसको कम कराने के लिए, यातायात व्यवस्था को ठीक तरह से कराने के लिए प्रश्नकर्त्ता को कान्फीडेन्स में लेकर विचार नहीं करेंगे ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जहां तक कन्जेशन का सवाल है, अभी जवाब दिया गया है कि कन्जेशन को रोकने के लिए कुछ बड़े वाहनों पर रोक लगा दी गई है कि अमुक समय में जब ज्यादा भीड़ रहती है उस समय इस प्रकार के वाहन उधर न जावें। रहा सवाल गंगौरी बाजार का जिसके लिए माननीय सदस्य को ज्यादा शिकायत है, उनसे सलाह करके गंगौरी बाजार में कैसे यातायात की व्यवस्था कायम कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपके सामने लिखित में कई शिकायतें आ चुकी हैं। आपको सुझाव दिये गये हैं। लेकिन आपने तो ऐसे एस० पी० को लाकर थोप दिया है जो सुनने की कोशिश नहीं करता। बाजारों के अंदर रस्से लगाए जाते हैं, साइकल वाले उलट कर गिरते हैं, छोटे बच्चे ठोकर खाकर गिरते हैं। मैं आश्वासन चाहता हूं। क्या मंत्री महोदय स्वयं सारे मसले पर विचार करने के लिए तैयार हैं ? आज कई वर्ष हो गए। सुनने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय ने कहा आपको कान्फीडेन्स में लेकर जो सुझाव देंगे उन पर विचार करेंगे।

श्री दौलतराम सारण : केवल गंगौरी बाजार ही क्यों ? हवा महल और किशनपोल बाजार के लिए नहीं कहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी जल्दी ही कान्सटीट्यूट कर देंगे, उस समय इस पर विचार कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : मैं यही पूछने वाला था। क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी कान्सटीट्यूट कर रखी है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर सिंह मेहता।

बिजोलिया क्षेत्र में भूमि आवंटन

55. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार के निर्णय के बावजूद मांडलगढ़ तहसील के

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

बिजोलिया क्षेत्र में पिछड़ी हुई जातियों तथा आदिवासियों को भूमि लॉट होना प्रारंभ नहीं हुआ है ?

(2) क्या इस वर्ष एलॉटमेंट करने का विचार है ? यदि हां, तो कब से ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी हां, इस तहसील में भू-प्रबंध का कार्य चालू होने तथा जिला नाम भूमि की सूचियां प्राप्त न होने से आवंटन कार्य में विलम्ब हुआ है।

(2) इस वर्ष माह अप्रेल से आवंटन किया जाना निश्चित किया गया था।

श्री मनोहर सिंह मेहता : सुन नहीं सका।

श्री गंगाराम चौधरी : आवंटन कार्य चालू है।

प्रश्न संख्या 56

श्री अध्यक्ष : श्री जय नारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री विजय सिंह : इसका उत्तर दिलाया जाय। पाड़ों के काटने का सवाल जरूरी है। यह गांधी शताब्दि के अंदर पाड़े काटे जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचंद डागा।

पाली के कलेक्टर कार्यालय में शाखा सहायक पद पर नियुक्तियां

57. **श्री मूल चन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार के आदेश हैं कि दिनांक 1-4-66 से कर्मचारी वर्ग में योग्य व्यक्तियों को शाखा सहायक नियुक्त कर शाखा सहायक की वेतन श्रृंखला में उनका फिक्सेशन किया जाय ? अगर हां तो कृपया ऐसे आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आदेश की अनुपालना में कलेक्टर कार्यालय, पाली द्वारा अपने जिले में योग्य व्यक्तियों को शाखा सहायक नियुक्त किया गया है ? अगर हां, तो किन-किन को और किस-किस तारीख से ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार की उपरोक्त आज्ञा की अनुपालना नहीं होने से कौन अधिकारी दोषी ठहराया जा सकता है ?

(4) क्या अब भी योग्य व्यक्तियों को शाखा सहायक दिनांक 1-4-66 से नियुक्त करने का इरादा कलेक्टर पाली का है ? अगर हां, तो कब तक ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ० 8 (63) एफ० (बी०) 66 दिनांक 2-12-66 के अंतर्गत वरिष्ठ लिपिकों, लेखा लिपिकों आदि के पदों के 10 प्रतिशत पद सहायक की वेतन श्रृंखला में परिवर्तित किए जायेंगे।

(2) पाली जिले में अभी नियुक्तियां नहीं हो पायी हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि इस प्रकार के पद सम्बन्धित पदोन्नति के मामले राजस्थान हाई कोर्ट में विचाराधीन थे जो करीब फरवरी के महीने में तय हो पाये हैं। वस्तुस्थिति को देखते हुए यह उचित पाया गया कि मार्च 1970 तक के गोपनीय पत्रों को भी ध्यान में रखते हुए यह पदोन्-

(श्री गंगाराम चौधरी)

तियां की जायं। आशा है मई के अंत तक यह कार्य पूर्ण हो जायगा।

(3) सरकार की आज्ञा की अनुपालना नहीं करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता इसमें विलंब उचित कारणवश अवश्य हुई है।

(4) योग्य व्यक्तियों को सहायक के पद पर इस माह के अंत तक नियुक्त कर दिया जायगा। पर ऐसी नियुक्तियां उक्त परिपत्र के अनुसार अधिकारी द्वारा कार्य भार संभालने की तिथि से ही लागू होगी।

श्री मूलचन्द डागा : आपने आज्ञा 2-12-66 को निकाली। हाई कोर्ट में वे लोग कब गए ?

श्री गंगाराम चौधरी : मेरे पास तारीख नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : हाई कोर्ट का फैसला कब हुआ ?

श्री गंगाराम चौधरी : फरवरी में हुआ।

श्री मूलचन्द डागा : 2-12-66 को जो आज्ञा प्रसारित हुई उसका अनुपालन न करने के लिए कौनसे अधिकारी दोषी ह ?

श्री गंगाराम चौधरी : हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण और फरवरी तक फैसला न होने के कारण पदोन्नतियां नहीं हो सकीं।

श्री मूलचन्द डागा : कौनसी तारीख को स्टे ऑर्डर मिला और इतने दिनों तक अधिकारियों ने अनुपालना क्यों नहीं की ?

श्री गंगाराम चौधरी : तिथि की तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण नियुक्तियां नहीं हो सकीं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत।

अकाल राहत कार्यों में धन के दुरुपयोग आदि के मुकद्दमें

58. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 68-69 व 69-70 में राज्य के किस किस थाने में अकाल राहत कार्यों में धन के दुरुपयोग, गबन एवं जाली कागजात बनाने के संबंध में कब कब मुकद्दमें रजिस्टर किए गए हैं और इनमें प्रत्येक में कितनी-कितनी धनराशि की गड़बड़ है ?

(2) किस किस मुकदमें का कब-कब किस-किस के विरुद्ध अदालत में चालान हो चुका है और अब उनमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

(3) किन-किन मुकदमों में किस-किस तरह की फाइनल रिपोर्ट कब कब दी गई है और किन कारणों से ?

(4) किन किन की तफ्तीश जारी है और उनके अब तक चालान न करने का क्या कारण है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) वांछित जानकारी देते हुए सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) यह जानकारी तालिका के कालम नं० 6 में दर्ज है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(3) यह जानकारी संलग्न तालिका के कालम नं० 7 में दर्ज है।

(4) यह जानकारी तालिका के कालम नं० 8 में दर्ज है।

(कृपयां परिशिष्ट 7 देखिये)

(12 मध्यान्ह)

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इन्वेस्टीगेशन की प्रगति से सन्तोष अनभव करती है ? यह जो सूची दी है अब तक प्रोसीक्यूशन के लिए चालान नहीं पेश किया जा सका इसका क्या कारण है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह मामला एकाउण्ट्स से सम्बन्धित है इसका ऑडिट कराना पड़ता है, इसलिए तफतीश में देरी हो सकती है। बहुत से मामलों की तफतीश कम्पलीट की जाकर चालान पेश किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 99 को ले लीजिये।

श्री विजयसिंह : मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

(विराम)

श्री दौलतराम सारण : उत्तर नहीं दिया जा रहा है आपने अनुमति दी उसके बाद क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : अनुमति वियड्रा कर ली थी।

श्री सारण : आप तो रोज ही ऐसा करते हैं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में पाड़ों के मांस की बिक्री

56. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि राज्य के बड़े बड़े शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर आदि में बिना स्वीकृति के व बिना लाइसेन्स के खुले आम पाड़ों को काटकर उनका मांस बेचा जाता है ? यदि हां, तो सरकार के पास कहां कहां की शिकायतें हैं ?

(2) क्या यह सच है कि पाड़े का मांस एक रुपया किलो बिकता है जबकि बकरे का मांस चार रुपया किलो और इसलिये बेचने वाले बकरे के मांस में पाड़े का बेच देते हैं जिससे खरीददार को पूरे पैसे देने पर भी खराब चीज मिलती है ?

(3) क्या यह भी सच है कि होटलों में जहां पके गोश्त की प्लेट तीन रुपये में देते हैं वहां भी बकरे के गोश्त में पाड़े का मिला कर पका लेते हैं जिसमें खाने वालों को पूरे पैसे देने पर भी खराब चीज मिलती है और ईमान खराब हो जाता है ?

(4) क्या सरकार पाड़े काटना गैर-कानूनी करार देकर बन्द कराने या पाड़ों के लिये अलग कमले व बिक्री केन्द्र कायम करने का विचार रखती है जिससे जो जैसा लेना चाहे उसे वही सही भाव में मिल सके ?

(स्वायत शासन मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, केवल जयपुर में गैरकानूनी पाड़े काटने के संबंध में नगरपरिषद को शिकायत मिली है ।

अन्य नगरों की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) मांस के भावों पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

(3) गोश्त की प्लेट कितने रुपयों में मिलती है जानकारी नहीं है । ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(4) पाड़ का मांस बिक्री करना नियमों के खिलाफ है ।

जी नहीं ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रामगंज मंडी की पत्थर की खानें

41. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रामगंज मण्डी में पत्थर की खानों से कुल कितना पत्थर उपलब्ध किया जाता है और उससे कितनी रॉयल्टी व सरफेस रेन्ट की रकम सालाना प्राप्त होती है ?

(2) रामगंज मंडी में खानों के अलग अलग कितने ठेकेदार हैं और उनको कितनी कितनी भूमि कितने-कितने सालों से लीज पर दी हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) लीज पर रखी हुई जमीन के कितने कितने भाग पर लीज होल्डर काम कर रहे हैं और कितनी अनऑक्यूपाइड छोड़ी हुई है ? अलग अलग व्यक्तियों सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) रामगंज मंडी से 3,87,51,550 वर्ग फुट लाइम स्टोन तथा 12,52,636 वर्ग फुट फर्शी, एवं 17,998 घन फुट मुक्तसर सैन्ड स्टोन एक वर्ष में उपलब्ध होता है इससे लाइम स्टोन के मृत भाटक के 6,42,244.50 तथा अधिशुल्क के 5,05,362.88 सालाना तथा सैन्ड स्टोन के मृत भाटक के 48,180.00 सालाना प्राप्त होता है ।

सरफेस रेन्ट की रकम खनिज विभाग द्वारा वसूल नहीं की जाती है ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

सब-जेलों में कैदियों को परेशानी

42. श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि सब- जेलों में जेलर कैदियों को परेशान करते हैं, इस आशय की शिकायतें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए उसी कस्बे की जन प्रतिनिधियों की कोई समिति बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

(कारागृह मंत्री)

उत्तर

(1) यह कहना सही नहीं होगा कि सब जेलों में जेलर कैदियों को तंग करते हैं। यदि किसी जगह की कोई शिकायत हो तो उसकी फौरन जांच कराई जाती है।

जेल नियमों में Non-official Visitors लगाने का प्रावधान है और इस प्रकार की व्यवस्था भी कितनी ही जेलों पर मौजूद है।

विद्युत् उपभोक्ताओं में बकाया

43. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य में विद्युत् उपभोक्ताओं, औद्योगिक संस्थाओं और सरकारी विभागों की ओर गत 5 वर्षों से कितनी बकाया है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची संलग्न है। सूचना जिलेवार नहीं है अपितु सर्किल व डिविजन के आधार पर उपलब्ध है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

कार्यालय खोलने का आधार

44. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ए० ई० एन० विद्युत् का कार्यालय किस आधार पर अथवा कितना कार्यभार किस प्रकार होने पर खोला जाता है? क्या इसमें उपभोक्ताओं की सुविधा का ध्यान रखा जाता है?

(2) सरदारशहर कस्बे में कुल कितने विद्युत उपभोक्ता किस-किस प्रकार के हैं? वहां से मासिक या वार्षिक आय कितनी है?

(3) क्या यह सही है कि विभागीय निर्धारित आधारों के अनुसार सरदारशहर में ए० ई० एन० का कार्यालय खोला जाना चाहिए? यदि हां, तो कब तक खोल दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? क्या यह सही है कि विद्युत् मंत्री ने सदन में ए० ई० एन० कार्यालय सरदारशहर में खोलने पर विचार करने का आश्वासन दिया था।

(4) क्या यह सही है कि सरदार शहर के विद्युत् उपभोक्ताओं की ओर से विभागीय वर्तमान व्यवस्था से अनेक प्रकार की असुविधा और अव्यवस्था की शिकायतें लगातार की जाती रही हैं? क्या यह भी सही है कि विभागीय आय पर भी वर्तमान व्यवस्था से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न (संबंधित पैटर्न की प्रति सूची 'ए' संलग्न है) के अनुसार कार्यभार होने पर किसी भी स्थान पर सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोलने के लिए कार्यवाही की जाती है। जी हां, स्टाफिंग पैटर्न बनाते समय उपभोक्ताओं की सुविधायें एवं अन्य बातों को ध्यान में रखा गया है।

(2) सरदार शहर कस्बे में कुल उपभोक्ताओं की संख्या [illegible],434 है। कैटेगरी.

(विद्युत् मंत्री)

वाइज उपभोक्ता निम्न प्रकार हैं :—

डोमेस्टिक लाइट व फैन्स	1,789
डोमेस्टिक पॉवर	99
कॉमर्शियल लाइट व फैन्स	360
कॉमर्शियल पॉवर	32
इण्डस्ट्रियल पॉवर (लो वोल्टेज)	59
पब्लिक वाटर वर्क्स	27
एग्रीकल्चर	8
स्ट्रीट लाइट	3
अन्य	57

वर्ष 1969-70 में रु० 3,97,942.48 के बिल विभिन्न उपभोक्ताओं को भेजे गये।

(3) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि निर्धारित पैटर्न के अनुसार कार्यभार नहीं है। चूंकि सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोलने के लिये अपेक्षित कार्यभार नहीं है, अतः नया उप-खण्ड सरदार शहर में खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी नहीं। जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

चित्तौड़गढ़ जिले के गांवों का विद्युतिकरण

45. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला उत्पादन कमेटी द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में जहां जहां जिन गांवों को बिजली इस वर्ष दिलाए जाने की मांग की है उस पर विद्युत् मण्डल क्या विचार रखता है और बिजली कब तक कितने गांवों को मिल सकेगी ?

(2) दिनांक 30-6-69 को विद्युत् मंत्री जी द्वारा जो पत्र श्री रामकुमार नन्दवाना एम० एल० ए० को लिखा गया है उन गांवों को कब तक बिजली देने का विचार है ? क्या यह भी सही है कि उत्पादन कमेटी ने उन गांवों को पुनः बिजली दिए जाने की मांग की है ? क्या विद्युत् बोर्ड उस पर जल्दी विचार कर निर्णय लेगा ? क्या वर्षा प्रारम्भ होने तक उन गांवों को बिजली पहुंचाने का प्रयास किया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1970-71 की योजना अभी तक नहीं बनी है। अतः अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(2) जिन 11 ग्रामों का उक्त पत्र में उल्लेख है, तथा जिनके लिए जिला उत्पादन कमेटी द्वारा मांग की गई है, उनमें से 5 की स्वीकृति दी जाकर विद्युतिकरण किया जा चुका है, तीन की सर्वेक्षण रिपोर्ट अलाभान्वित है एवं शेष 3 के बारे में अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

तहसील पचपदरा के गांवों का विद्युतिकरण

46. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष मार्च के अन्त तक और अगले वर्ष में तहसील पचपदरा (जिला बाड़मेर) में कितने गांवों का विद्युतिकरण करने का कार्यक्रम है ?

(2) क्या कुछ गांवों के विद्युतिकरण के आदेश हो चुके हैं ? यदि हां, तो किस किस गांव के और क्या जिनके आदेश हो चुके वहां कार्य आरम्भ कर दिया गया है ?

(श्री विद्युत् मंत्री)

उत्तर

(1) वर्ष 1970-71 की योजनाएं अभी तक नहीं बनाई गई हैं।

(2) वर्ष 1970-71 में कोई आदेश नहीं हुए हैं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

सड़कों की मरम्मत व मेन्टीनेंन्स हेतु राशि दिये जाने के नियम

47. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कितने कितने एस०ई० सर्किल्स हैं और उनमें अलग कितने कितने मील की सब प्रकार की सड़कें बनी हुई हैं ?

(2) सड़कों की मरम्मत व मेन्टीनेन्स हेतु फी मील कितनी राशि दी जाने का नियम है और अलग अलग सर्किलों में किस किस अनुपात से दी गई है ? कृपया तीन साल की तालिका मय टोटल मन्जूरी व सर्किल वाइज ग्रान्ट के आंकड़ों के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पिछले तीन सालों में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से भी स्पेशल रिपेयर हेतु राशि मन्जूर की गई है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी, और उसका वितरण किस किस प्रकार से किया गया है ?

(4) कोटा एस० ई० सर्किल को रोड माइलेज के अनुपात में रिपेयर व मेन्टीनेन्स ग्रान्ट नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र की पिछली कमियों को देखते हुए विशेष धनराशि उपलब्ध कराने का विचार करेगी ?

उत्तर

(1) सात। सड़कों की सूची 'क' संलग्न है।

(2) मरम्मत के लिए मरम्मत हेतु रकम की सूची (ख) भी संलग्न है। अलग अलग सर्किल्स में पिछले सालों में मरम्मत हेतु ग्रान्ट की सूची (घ) भी संलग्न है।

(3) जी हां। अलग 2 डिविजन में बांटी गई ग्राम की सूची (ग) संलग्न है।

(4) कोटा एस० ई० सर्किल को अनुपात से ही रिपेयर ग्रान्ट दी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

सड़कों पर मुरड बिछौने हेतु टेन्डर

48. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में अकाल राहत कार्यों में स्वीकृत सड़कों पर मुरड़ बिछाने के टेन्डर अधिशासी अभियन्ता ने मास नवम्बर 1969 से ता० 30-4-70 तक किस-किस सड़क के कब-कब मांगे एवं किस-किस तारीख को किस किस ठेकेदार ने ये ठेके किस-किस रेट से लेने के टेन्डर प्रत्येक काम के दिये ?

(2) किस किस सड़क पर नागौर जिले में ता० 1-11-69 से ता० 30-4-70 तक मुरड़ बिछाने का काम किस किस ठेकेदार ने कब कब शुरु किया एवं किस किस रेट से ये टेन्डर स्वीकार किये गये थे ?

(श्री रामसिंह कुड़ी)

(3) किसी व्यक्ति को अकाल राहत की सड़कों पर मुरड़ बिछाने का ठेका लेने के लिए क्या क्या योग्यताएं व शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं ?

(4) नागौर जिले में इस अकाल में स्वीकृत सड़कों पर मुरड़ बिछाने के टेन्डर दुबारा या तिबारा या इससे भी अधिक बार किस किस सड़क के मांगे गये ? एवं क्या ऐसी सड़कों के टेन्डर पहली बार में या दूसरी बार में या तीसरी बार में आये थे ? यदि हां, तो टेन्डर मंजूर क्यों नहीं किये एवं यदि टेन्डर मंजूर कर लिये तो फिर ठेकेदार से काम क्यों नहीं कराया ? एवं यदि ठेकेदार ने टेण्डर मंजूर हो जाने पर भी काम नहीं किया तो उन्हें किस किस प्रकार से दंडित किया गया या उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

बालाजी की थाक पुलिया की मरम्मत

49. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सांगोद में स्थित 'बालाजी की थाक' की पुलिया की मरम्मत कब की गई थी ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा सड़कों से अलहदा बनी कोटा स्टेट के समय की पुलियाओं व कॉजवे की मरम्मत हेतु प्रावधान किया गया था ? यदि हां, तो इनमें से कितनी पर कितना-कितना व्यय किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि बारां मन्डी तहसील रामगंज मंडी की पुलिया को पिछली बरसात में नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत हेतु क्या प्रावधान किया गया है ?

(4) राज्य सरकार द्वारा ऐसी पुलियाओं की मेन्टीनेन्स हेतु क्या व्यवस्था की गई है ? 'बालाजी की थाक' पुलिया की मरम्मत कब तक करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) बालाजी की थाक की पुलिया इस विभाग से संधारण करने वाली सड़क पर स्थित नहीं है। इसलिये इस विभाग द्वारा मरम्मत नहीं कराई गई।

(2) जी हां। सूची संलग्न है।

1968-69	1969-70
रु० 58,058	रु० 1,22,557

(3) जी हां। क्योंकि यह पुलिया इस विभाग द्वारा संधारण के अन्तर्गत किसी सड़क पर स्थित नहीं है। इसकी मरम्मत हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(4) धन के अभाव के कारण ऐसी पुलियाओं की जो इस विभाग के संधारण में नहीं हैं। मेन्टीनेन्स हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई है,। 'बालाजी की थाक' की पुलिया की मरम्मत धनराशि उपलब्ध होने पर ही की जा सकेगी।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

टोंक जिले में गृह निर्माण योजना हेतु स्वीकृत धनराशि

50. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या नगर आयोजना मंत्री यह

(श्री जयनारायण सालोदिया)

बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार द्वारा टोंक जिले के लिये गत 5 सालों में कितनी धनराशि अल्प आय और मध्यम आय गृह निर्माण योजना के लिये जिलाधीश को दी गई ? जिलाधीश, टोंक ने यह राशि किस आधार पर वितरित की ? इस राशि में से किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना ऋण दिया गया ? तालिका मय नाम व पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) राज्य के हर जिलों में अल्प आय और मध्यम वर्ग के अन्तर्गत गत 5 सालों में कितनी कितनी धनराशि दी गई है ? हर साल की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 64-65 से 68-69 तक 5 सालों में दिये गये ऋण की तालिका मय नाम पते के सदन की मेज पर रख दी गई है । वह ऋण राशि अल्प आय गृह निर्माण योजना के नियमों के अन्तर्गत दी गई है ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

ग्राम वीठूजा के नल-कूप

51. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या तहसील पचपदरा के वीठूजा गांव में दो नलकूप तैयार किये गये हैं ? यदि हां, तो कब और प्रत्येक में पानी की कितनी क्षमता है ?

(2) सरकार इन नल-कूपों के पानी को अन्य गांवों में उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, एक नल–कूप राजस्थान भू-जल मण्डल जोधपुर द्वारा तैयार किया गया है जिसकी पानी की क्षमता 8,000 गैलन प्रतिघंटा है यह नल-कूप गत वर्ष अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत तैयार किया गया था । द्वितीय नल-कूप भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया गया है जिस की पानी की क्षमता करीब 8,000 गैलन प्रति घंटा है यह नल-कूप गत वर्ष अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत गत वर्ष तैयार किया गया था ।

(2) इन नल-कूपों द्वारा पचपदरा एवं पचपदरा साल्ट योजना को पानी दिया जावेगा तथा इसके साथ गोपरी माण्डियावास, जानियाना ग्रामों को पानी देने के लिए काम में लिया जावेगा । गोपरी माण्डियावास, जानियाना की क्षेत्रीय योजना इस वर्ष 70-71 में लिये जाने की संभावना है । योजना तैयार की जा रही है ।

जयपुर नगर विकास मंडल द्वारा भू-खडों का आवंटन

52. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर नगर विकास मण्डल में 1 अप्रेल, सन् 1967 से लेकर अब तक किस-किस व्यक्ति से इस बात का हल्फनामा लिया है कि उसने भू-खण्ड आवंटन के लिये

(श्री भैरोंसिह)

आवेदन-पत्र दिया था जो नगर विकास मण्डल में उपलब्ध नहीं है ? कृपया तालिका प्रस्तुत करें ।

(2) किन–किन व्यक्तियों ने अपने शपथ-पत्र में कब–कब आवेदन-पत्र देने का उल्लेख किया है ?

(3) यह आवेदन-पत्र नगर विकास मण्डल के कार्यालय में उपलब्ध क्यों नहीं है और उनके लिये कौन दोषी है ?

(4) शपथ-पत्र देने वालों में किस–किस को कब–कब, किस–किस दर से किस किस स्कीम में कितने-कितने क्षेत्रफल का भू-खण्ड आवंटन किया गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । अब तक ऐसा कोई भी हल्फनामा नहीं प्राप्त किया गया है उसमें भू–आवन्टन के लिये नगर विकास मण्डल में आवेदन-पत्र दिया था जो उपलब्ध नहीं है ? अतः तालिका प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(2) प्रश्नोत्तर को दृष्टि में रखते हुये, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्नोत्तर 1 को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उटता ।

(4) प्रश्नोत्तर 1 को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता । नाहरी का नाका के संबंध में जो हल्फनामे मांगे गये थे और जिन्हे भू-आवंटन किया गया है उसकी सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

उदयपुर नगर परिषद् के स्वास्थ्य अधिकारी

53. श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही कि है उदयपुर नगर-परिषद् में स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर अवकाश प्राप्त डा० श्री शर्मा कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से और किन शर्तों पर ?

(2) डा० शर्मा की क्या उम्र है और उनकी सेवा-निवृत्ति किस वर्ष किस उम्र में हुई थी ?

(3) क्या यह सही है कि डा० शर्मा कैंसर की बिमारी से पीड़ित हैं । यदि हां, तो ऐसे रोगी को किन कारणों से स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 12-5-66 से पार्ट टाइम के रूप में 200) रुपये मासिक एलाउन्स 75) रुपये मासिक सवारी खर्च ।

(2) 62 वर्ष उम्र है । सन् 1967 में सेवा-निवृत्ति हुई थी ।

(3) जी नहीं । ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

रिजर्व प्राइस पर भू-खण्डों का आवंटन

54. श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 1 अप्रेल सन् 1967 को रिजर्व प्राइस पर भू-खण्डों का आवंटन करने के

(श्री भैरोंसिंह)

संबंध में राज्य सरकार द्वारा क्या पाबंदियां लगाई हुई थी ? कृपया ऐसे आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ख) इस आदेश में कब-कब, क्या-क्या संशोधन किये गये और क्यों ?

(ग) इस संशोधन के पश्चात् रिजर्व प्राइस पर किन-किन व्यक्तियों को किस-किस मूल्य पर कितने-कितने क्षेत्रफल का कितना कितना भू-खण्ड आवंटित किया गया है ? कृपया नाम पते एवं अन्य विवरण सहित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(क) 1 अप्रेल, सन् 1969 को रिजर्व प्राइस पर भू-खण्डों का आवंटन करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा न तो नियम ही बनाये गये थे और न ही कोई पावन्दियां लगाई गई थी ।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

(ग) रिजर्व प्राइस पर किसी व्यक्ति को कोई भू-खंड आवंटित नहीं किया गया है ।

कस्बा निवाई को जल वितरण योजना

55. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) कस्बा निवाई में जल वितरण योजना की स्वीकृति कब हुई थी और उस पर अब तक किन-किन कामों पर कितना-कितना खर्चा किया गया है ?

(2) क्या यह सच है कि बड़ी मात्रा में पाईप डाल दिये गये हैं और पानी खोजने का काम किया जा रहा है ? यदि हां, तो कहां कहां पर व उस पर कितना खर्चा किया गया है ?

(3) अब कब तक इस योजना को पूरा करने का सरकार का इरादा है ?

उत्तर

(1) दिनांक 28-10-68 को कार्य व खर्चा निम्न प्रकार है :—

कार्य का नाम		खर्च
पाइप	रु०	1,19,530.00
बोरिंग का कार्य	रु०	18,496.00
अन्य कार्यों पर	रु०	10,504.00
योग ..	रु०	1,40,530.00

(2) जी नहीं, जी हां, निम्न स्थानों पर :— 2 बोर मेन रोड के पास रेल्वे स्टेशन के सामने, 2 बोर पहाड़ी के सामने, 1 बोर नाले पर पूर्व की ओर । कुल खर्चा रुपये 18,496.00 अब तक ।

(3) पानी के उचित श्रोत के प्राप्त होने पर तथा धन व सामग्री की उपलब्धि पर योजना का कार्य अब 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण किये जाने की संभावना है ।

कार की चोरी

56. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदारशहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जो अम्बेसेडर गाड़ी उद्योग मंत्री के बंगला नम्बर बी-4 से चोरी गई थी क्या वह मद्रास में बरामद हो चुकी तथा कार को चुराने वाले आदमियों का भी पता लग गया है ?

(श्री राजवी रूपसिंह)

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी चलाने की कार्यवाही की है ?

(ग) इस कार की क्या कीमत थी जब वह चोरी की गई थी ?

उत्तर

(क) जी हां। कार मद्रास में बरामद हो चुकी है। यह कार मद्रास में मुलजिम श्री टी० सी० जैन, सा० दिल्ली ने बेची थी।

(ख) इस कार चोरी के बाबत एक केस नं० 497।67 ह०द० 379 आई०पी० सी० दर्ज हुआ, था। इस मुलजिम के खिलाफ दिल्ली में कई मुकद्दमें चल रहे हैं। इस मुलजिम को जयपुर लाने के बारे में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट दिल्ली नार्थ से लिखा पढ़ी चल रही है लेकिन वहां सैशन कोर्ट में मुकदमात जैर तजवीज होने के कारण, अभी उन्होंने मुलजिमान को राजस्थान पुलिस को सौंपने में असमर्थता प्रकट की है। अत: अपराधी के विरुद्ध चालान पेश नहीं हो सका है।

(ग) इस कार की कीमत जिस वक्त चोरी गई थी, 17,000) रुपये के लगभग थी।

रेलमगरा पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को शिकायत

57. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि घासीराम ड्राईवर जियोलॉजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया ने थाना पुलिस रेलमगरा, जिला उदयपुर में एक रिपोर्ट इब्तदाई दिनांक 19-1-1969 को दर्ज कराई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त इब्तदाई रिपोर्ट के साथ श्री घासीराम ने मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की थी ?

(3) क्या इस रिपोर्ट के संबंध में मारपीट करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि घासीराम ने उक्त मामले को स्थानीय पुलिस द्वारा दबा देने की शिकायत इन्सपेक्टर जनरल पुलिस को भी दिनांक 9-7-69 को एवं 25-2-70 को की है ? इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) श्री घासीराम की रिपोर्ट पर मु० नं० 1 दिनांक 19-1-69 धारा 147। 323 ता० हि० में दर्ज किया जाकर तफतीश शुरू की गई। तफतीश से मामला केवल 323 भा० द० सं० का नाकाबिल दस्तन्दाजी पुलिस पाया गया। अत: पुलिस द्वारा आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई व मुस्तगीस को अदालत में चाराजोही करने की हिदायत की गई।

(4) जी हां। इन शिकायतों पर वृत अधिकारी राजसमंद द्वारा मजीद तफतीश कराई गई, लेकिन इनकी तफतीश से भी मामला 323 भा०द० सं० की हद तक ही पहुंचना पाया गया जो नाकाबिल दस्तन्दाजी पुलिस है।

ग्राम बदनौर में जनसंघ कार्यालय पर हमला

58. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (वारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा के ग्राम बदनौर में जनसंघ कार्यालय एवं एक व्यक्ति की दुकान पर श्री लक्ष्मी नारायण व्यास आदि द्वारा करीब सौ दो सौ व्यक्तियों को साथ लेकर हमला करने से संबंधित रिपोर्ट कुछ माह पूर्व पुलिस स्टेशन पर दर्ज हुई है ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति की दुकान को लूटा गया उस दुकान के मालिक व उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो किस किस धारा में किन कारणों को लेकर ?

उत्तर

(1) दिनांक 7-12-69 को जनसंघ के कार्यालय पर हमले की घटना की रिपोर्ट पर अ० सं० 95 ह० द० 147/324 आई० पी० सी० तथा दिनांक 9-12-69 को दुकान पर हमले की घटना की रिपोर्ट पर अ० सं० 98 धारा 148, 457 आई० पी० सी० में दर्ज कराये गये थे। दोनों अभियोगों की तफतीश की जा रही है।

(2) जी हां, दिनांक 14-11-69 को श्री वंशीलाल व अन्य तीन व्यक्तियों को धारा 107, 151 सी० आर० पी० सी० में गिरफ्तार किया गया था।

समाज कल्याण विभाग द्वारा मकान सहायता हेतु ऋण

59. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् 69-70 में मकान सहायता के लिये किस किस जिले में कितना कितना रुपया दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर जिले में किस किस गांव में कितना कितना रुपया वितरित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1969-70 में मकान सहायता के लिये दिये गये अनुदान की सूची संलग्न है।

(2) मकान सहायता इस वर्ष में केवल नगरपालिका क्षेत्रों में ही वितरित की गई है। अधूरे मकानों को पूरा करने हेतु पंचायत समिति क्षेत्रों के प्रावधान में से जयपुर जिले में दौसा में 550 रुपये दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

दयानन्द बाल सदन, अजमेर

60. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दयानन्द बाल सदन, अजमेर कब से क्या क्या कार्य कर रहा है ? इसके संचालक कौन है, संचालक मण्डल का गठन कैसे किया जाता है और पदाधिकारी कौन कौन हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस संस्था के संचालक मण्डल में अनुसूचित जातियों या विभाग क

(श्री जयनारायण सालोदिया)

कोई प्रतिनिधि है ? यदि हां, तो कौन ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इस संस्था को सरकार से पांच सालों में किन किन कामों के लिये कितना कर्जा व सहायता दी गई ? तालिका सदन की मेज पर रखेंगे ।

(4) क्या संस्था को जिन कामों के लिये राशि दी गई थी उसे उन्हीं कामों में समय पर खर्च करके विभाग को प्रमाण-पत्र भेजा गया है ।

(5) इस संस्था का नियमानुसार ऑडिट होता है ?

(6) इस संस्था द्वारा आडिट शुदा हिसाब विभाग को भेजे जाते हैं ? यदि हां, तो व्यवस्था पर हर साल कितना खर्चा किया जाता है ?

उत्तर

(1) दयानन्द बाल सदन, अजमेर, सन् 1895 से अनाथ बच्चों का लालन-पालन व शिक्षा का कार्य कर रहा है। इसके संचालक (प्रधान) श्री दत्तात्रय वावले हैं । इसके संचालक मण्डल: (प्रबन्ध कारणी) का गठन साधारण सभा द्वारा चुना जाकर प्रतिवर्ष किया जाता है। इसके अधिक से अधिक 25 और कम से कम 12 सदस्य होते है ।

पदाधिकारी निम्न हैं :-

1. श्री दत्तात्रेय वावले प्रधान
2. श्री सोमदत भार्गव उप-प्रधान
3. श्री ठाकुर प्रेमसिंह उप-प्रधान
4. श्री रमेशचन्द जी भार्गव मंत्री
5. श्री नंदकिशोर जी मेहरा उप-मंत्री
6. श्री सुदर्शनलाल व्यवस्थापक
7. श्रीमती ए० कृष्ण दत्ता उपव्यवस्थापिका
8. श्री घीसालालजी जोशी कोषाध्यक्ष

(2) विभाग के प्रतिनिधि जिला परिवीक्षा अधिकारी, अजमेर हैं तथा अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि श्री जसराज उप-मंत्री, राजस्थान हैं ।

(3) संस्था के अनाथ बच्चों के लालन-पालन हेतु गत 5 वर्षों में जो सहायता दी गई उसकी सूची संलग्न है ।

(4) जी हां ।

(5) जी हां ।

(6) जी हां । व्यवस्था पर कुल खर्च लगभग 8000 रुपया प्रति वर्ष होता है ।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

राजस्थान सेवक संघ, डूंगरपुर

61. **श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान सेवक संघ, डूंगरपुर कब से काम कर रहा है व इसके संचालक मण्डल के सदस्यों की नियुक्ति व नामजदगी या चुनाव कैसे और किसके द्वारा किया जाता है ? पदाधिकारियों की नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ?

Page No. 39

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(2) क्या संस्था के संचालक मण्डल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति या विभाग का कोई प्रतिनिधि है ? यदि हां, तो कौन कौन, यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इस संस्था को गत पांच सालों में समाज कल्याण विभाग द्वारा किन कामों के लिये कितना कर्जा व सहायता दी गई ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या संस्था को जिन कामों के लिये धन दिया गया था उसे समय पर उन्हीं कामों में खर्च करके प्रमाण-पत्र विभाग को दिया है ?

(5) क्या संस्था का नियमानुसार ऑडिट होता है ?

उत्तर

(1) राजस्थान सेवक संघ, डूंगरपुर को विभाग द्वारा वर्ष 1950-51 से अनुदान दिया जा रहा है। संघ के अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष अपने कार्य-कारिणी का मनोनयन सदस्यों में से करता है। पदाधिकारी निम्न हैं :

1. श्री मांगीलाल पण्ड्या	अध्यक्ष
2. श्री भैंरवलाल वर्मा	उपाध्यक्ष
3. श्री चन्दुलाल गुप्त	मंन्त्री

(2) जी हां, कार्यकारिणी में अनुसूचित जन-जाति के निम्न सदस्य हैं :–

1. श्री भीखा भाई	भील
2. श्री दीन बन्धु परमार	भील
3. श्री प्रताप भाई	भील
4. श्री रतनलाल रोत	भील
5. श्री महेन्द्र कुमार	भील
6. श्री बुद्ध देव सुरात	भील
7. श्री नाथूराम	भील
8. श्री लक्ष्मणजी रोत	भील
9. श्री जयकृष्ण	भील

(3) संस्था को गत पांच सालों में दिये गये अनुदान की सूचना संलग्न तालिका में अंकित की गई है।

(4) केवल 32,400 रुपये के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो भवन निर्माण हेतु दिया गया था अवशेष हैं। अन्य अनुदान जिन कार्यों के लिए स्वीकृत हुआ वह उसमें उपयोग कर संस्था ने प्रमाण–पत्र भेज दिये है।

(5) जी हां। चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

उदयपुर आदिम-जाति शोध-संस्थान

62. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या समाज कल्याण विभाग द्वारा उदयपुर में जो आदिम-जाति शोध-संस्थान चालू कर रखा है उस पर हर साल कुल कितना खर्चा होता है ? यह संस्थान कब से चालू है और इस पर अब तक कितना खर्चा किया जा चुका है ? और अब तक किस किस प्रकार का शोध-कार्य किया गया है ? अब तक के किये गये कुल खर्चे व प्राप्तियों की तालिका सदन की मेज पर रखें।

(समाज कल्याण मन्त्री)

उत्तर

समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे आदिम-जाति शोध-संस्थान, उदयपुर पर हुये हर साल के खर्चे की तालिका संलग्न है।

यह संस्थान वर्ष 1959-60 से चालू है। अब तक किया गया खर्च संलग्न तालिका में दिया गया है।

अब तक कई प्रकार के आर्थिक व सामाजिक तथा सांस्कृतिक सर्वेक्षण, सागड़ी प्रथा का सर्वेक्षण विकास कार्यों के प्रभाव का सर्वेक्षण, भीलों, वनजारों, सेहरियों, कथाडियों, डामोर जातियों के सर्वेक्षण आदि कई कार्य किये गये हैं। अब तक किये गये कुल खर्च व प्राप्तियों की सूचना संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों के लिये सुरक्षित स्थान

63. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य में कहां कहां औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जाते हैं और उनमें कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है ? हर केन्द्र के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन केन्द्रों में शिक्षा पाने वालों को छात्रवृत्ति दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी माहवार ?

(3) क्या अन्य विभागों के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में भी अनुसूचित जातियों व जन-जातियों के लोगों के लिये स्थान सुरक्षित हैं ? यदि हां, तो किन किन केन्द्रों में कितने और कहां पर, सुरक्षित स्थान पर काम करने वालों को क्या छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ?

(4) औद्योगिक केन्द्रों का कोर्स पूरा कर लेने के बाद उन लोगों को आगे काम चालू करने के लिये विभाग से किस किस प्रकार की सहायता या कर्ज दिया जाता है ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा जहां जहां औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जाते हैं उनकी सूची संलग्न है। इनमें प्रत्येक में 15 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां। जयपुर में जहां केन्द्र के साथ छात्रावास की व्यवस्था भी है वहां 40 रुपये माहवार है, अन्य स्थानों पर केवल 15 रुपये माहवार छात्रवृत्ति दी जाती है।

(3) जी हां, 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक। वर्तमान प्रत्येक केन्द्र के सुरक्षित स्थानों की छात्रवृत्ति की सही सूचना विभाग के पास इस समय उपलब्ध नहीं है।

(4) सफल प्रशिक्षणार्थियों को 200 रुपये अनुदान : और कुछ केन्द्रों में एक हजार रुपये तक निर्व्याज कर्ज दिये जाने का प्रावधान है।

(कृपया परिशिष्ट 16 देखिये);

साहित्य सदावर्त संस्था, जयपुर

64. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) साहित्य सदावर्त, जयपुर कब से क्या क्या कार्य कर रहा है ? इसके संचालक कौन हैं ? संचालक मण्डल का गठन कैसे किया जाता है और पदाधिकारी कौन हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इस संस्था के संचालक मण्डल में अनुसूचित जातियों या विभाग का कोई प्रतिनिधि है ? यदि हां, तो कौन और यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इस संस्था को समाज कल्याण विभाग से पांच सालों में किन किन कामों के लिये कितना कर्जा व सहायता दी गई ? तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या इस संस्था को जिन कामों के लिये राशि दी गई थी उसे उन्हीं कामों में समय पर खर्च करके विभाग को प्रमाण-पत्र भेज दिया गया है ?

(5) क्या इस संस्था का नियमानुसार ऑडिट होता है ?

(6) क्या इस संस्था द्वारा ऑडिट शुदा हिसाब विभाग को भेजे जाते हैं ? यदि हां, तो इस व्यवस्था पर हर साल कितना खर्चा किया जाता है ?

उत्तर

(1) साहित्य सदावृत 1939 से राष्ट्र भाषा हिन्दी की सेवा कर रहा है । 1958 से इस संस्था ने पूर्व प्रवेशिका शाला व एक रात्रि महाविद्यालय प्रारम्भ किये थे । 1959 में संस्था ने एक पिछड़ी जाति छात्रावास प्रारम्भ किया । संचालक मण्डल का चुनाव प्रति तीसरे वर्ष साधारण सभा द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य निम्न प्रकार हो सकते हैं:—

1. स्थायी सदस्यों में से अधिक से अधिक 5 सदस्य ।

2. सहयोगी सदस्यों में से 6 सदस्य निम्न प्रकार :—

1. दानदाता	1
2. चन्दादाता	1
3. हितैषी	1
4. अभिभावक	1
5. छात्र	1
6. उक्त 5 सदस्यों द्वारा मनोनीत	1

संचालक मण्डल के निम्न सदस्य हैं जो पदाधिकारी हैं

1. श्री दामोदर लाल व्यास	अध्यक्ष
2. श्री पुरोहित स्वरूपनारा-नारायण	कार्यकारिणी अध्यक्ष
3. श्री कृष्णचन्द्र माथुर	मंन्त्री
4. श्री पुरूषोत्तम उत्तम	संयुक्त मंत्री
5. श्री रमेशचन्द्र स्वामी	सदस्य
6. श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी	,,
7. श्री सेठ कस्तूरमल शाह	,,
8. श्री चन्द्रकुमार सकुमार	,,

(2) जी नहीं । चुनाव द्वारा जो सदस्य संचालक मण्डल में आ जाय वही उसका सदस्य हो सकता है ।

(समाज कल्याण मन्त्री)

(3) संस्था को गत 5 वर्षों में पिछड़ी जातियों के छात्रावास संचालक हेतु 86,074.76 पैसे का अनुदान दिया गया।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(6) जी हां। इस पर 50 रुपया प्रति वर्ष खर्च होता है।

सिलाई प्रशिक्षण केन्द्रों की सुविधाएं

65. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा कहां कहां पर सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जाते हैं और उन पर हर साल कितना खर्चा किया जाता है? हर केन्द्र के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें कितने लड़कों को भर्ती किया जाता है और क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं? क्या भर्ती के लिये कोई कमेटी या कोई नियम बने हुए हैं? यदि नहीं, तो किसके द्वारा भर्ती की जाती है?

(3) क्या जो लड़के इसमें काम सीखते हैं उनको छात्र-वृत्तियां या छात्रावासों की सुविधा दी जाती है? यदि हां, तो कितनी और कहां कहां?

(4) क्या कोर्स पूरा हो जाने के बाद कुछ सहायता दी जाती है? यदि हां, तो अब तक कितने लड़कों ने इन केन्द्रों से कोर्स पूरा किया और कितनों को सहायता व ऋण आगे काम चालू रखने को दिया गया?

(स्थगित किया गया)

सामाजिक नैतिक संगठन

66. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सामाजिक नैतिक संगठन कब से क्या कार्य कर रहा है? इसके संचालक कौन हैं, संचालक मण्डल का गठन कैसे किया जाता है और पदाधिकारी कौन कौन हैं? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस संस्था के संचालक मण्डल में अनुसूचित जातियों या विभाग का कोई प्रतिनिधि है? यदि हां, तो कौन और यदि नहीं तो क्यों?

(3) इस संस्था को समाज कल्याण विभाग से पांच सालों में किन किन कामों के लिये कितना कर्जा व सहायता दी गई? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस संस्था को जिन कामों के लिये राशि दी गई थी उसे उन्हीं कामों में समय पर खर्च करके विभाग को प्रमाण-पत्र भेज दिया गया है?

(5) क्या इस संस्था का नियमानुसार आडिट होता है?

(6) क्या इस संस्था द्वारा ऑडिट शुदा हिसाब विभाग को भेजे जाते हैं? यदि हैं, तो व्यवस्था पर हर साल कितना खर्चा किया जाता है?

(समाज कल्याण मन्त्री)

उत्तर

(1) भारतीय नैतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य संघ, की राजस्थान शाखा वर्ष 1961 से कार्य कर रही है जिसकी अध्यक्षा रानी उर्मिला देवी मसूदा हैं इसके संचालक मण्डल का गठन इस प्रकार किया जाता है :—

10 सदस्य : साधारण सदस्यों द्वारा निर्वाचित
3 सदस्य : निर्वाचित सदस्यों द्वारा मनोनीत
2 सदस्य : जिला शाखाओं के प्रतिनिधि

एक एक सम्बन्धित संस्थाओं का प्रतिनिधि तथा एक एक निम्न विभागों के प्रतिनिधि होते हैं :—

1. शिक्षा विभाग
2. स्वास्थ्य विभाग
3. जल प्रदाय विभाग
4. आरक्षी विभाग
5. समाज कल्याण विभाग
6. समाज कल्याण बोर्ड

(2) पदाधिकारी निम्न है :—

अध्यक्ष : श्रीमती उर्मिला देवी, मसूदा
उपाध्यक्ष : श्रीमती सुशीला माथुर
श्री यू० एस० लेखी०
मंत्री : श्रीमती आशा रानी शर्मा
संयुक्त मंत्री : श्री के० एस० पंवार
कोषाध्यक्ष : श्री परमानन्द शर्मा

इस संस्था की कार्यकारिणी में विभाग के प्रतिनिधि श्री एस० सी० वर्मा, मुख्य निरीक्षा अधिकारी है।

(3) इस संस्था को गत 5 वर्षों में निम्न प्रकार से कर्ज व सहायता दी गई :–

वर्ष	कर्ज	सहायता	कार्य
65-66	-	2500	कार्यालय व्यव व प्रचार
66-67	-	2500	कार्यालय व्यय व प्रचार
67-68	-	7500	कार्यालय व्यय व प्रचार
68-69	-	7454.96	कार्यालय व्यय व प्रचार
69-70	-	5000	बालिका सदन हेतु
69-70	-	5000	अन्तराष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने हेतु
69-70	-	7222	कार्यालय व्यय एवं प्रचार

(4) जी हां।

(5) जी हां, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा।

(6) जी हां। व्यवस्था का खर्च प्रश्न के भाग (3) के उत्तर के अनुसार है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा नगर-पालिकाओं को ऋण

67. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में बिजली, पानी व सड़कों के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा किस किस नगरपालिकाओं को गत पांच सालों में कितनी धन राशि सहायतार्थ दी गई ? आंकड़ों की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) जिन नगरपालिकाओं को जिन कार्यों के लिये जो धन राशि दी गई थी क्या उन्हीं में वह खर्च करके उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर भेज दिये गये ? यदि नहीं, तो किस किस के कब से बाकी हैं ?

(3) क्या यह भी सच है कि सहायता की धन राशि को नगरपालिकाओं ने वाजिब

Page No. 44

(श्री जयनारायण सालोदिया)

कार्यों में खर्च नहीं करके अन्य कार्यों में खर्च कर दिया ? यदि हां, तो किस किस पालिका ने कितनी धन राशि अन्य कार्यों में खर्च की ?

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में बिजली, पानी व सड़कों के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा नगरपालिकाओं को कोई धनराशि सहायतार्थ नहीं दी गई। सन् 1969–70 में बिजली के लिये दी गई धनराशि राज्य विद्युत् मण्डल तथा नल के लिये दी गई धनराशि जल प्रदाय विभाग के माध्यम से उपयोग की जाती है। सूची संलग्न है :

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

भूमि का आवंटन

68. श्री रामसिंह कड़ी (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अपील नं० 10–62 जीवणराम वगैरह बनाम धनाराम वगैरह के दो फैसले दिनांक 14-7-65 व दिनांक 14-7-67 को कलेक्टर, नागौर ने जारी किये हैं ?

(2) जो भूमि दिनांक 3-7-62 को मौजा बूडसू, तहसील परबतसर, जिला नागौर के केम्प में तहसील परबतसर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा मौजा जूसरिया की अलॉट की गई थी, वे भूमियां किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी भूमियां किस किस खसरा नम्बर की अलाट की गई थी एवं अब ये भूमियां किस किस व्यक्ति के कब्जा काश्त में किस किस कारण से हैं ?

(स्थगित किया गया)

नरेशों की भूमि पर भू-राजस्व की वसूली

69. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में जिन नरेशों की भूमि उनकी निजी सम्पत्ति की सूची में दर्ज नहीं है उस पर भू राजस्व की वसूली लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार करता रहना चाहिये था परन्तु ऐसा नहीं किया गया ?

(2) यदि हां, तो कौन कौन से ऐसे नरेश हैं जिनकी तरफ इस तरह की बकाया है ? पूर्ण जानकारी देते हुए तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जिन नरेशों के पास निजि सम्पति की सूची में अंकित भूमि के अतिरिक्त जो भूमि हैं उसका लगान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार वसूल किया जाता रहा हैं।

(2) निम्नांकित नरेशों से लगान बकाया हैं।

1. चीफ ऑफ लावा
2. किशनगढ़
3. जोधपुर।

Page No. 45

चम्बल के बीहड़ों में कृषि हेतु मुफ्त भूमि

70. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सत्य है कि सरकार ने यह घोषणा की थी कि चम्बल के बीहडों में उन व्यक्तियों को कृषि के लिये मुफ्त भूमि दी जायेगी जो इस भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनायेंगे ? यदि हां, तो अब तक इस योजना के अन्तर्गत किन किन व्यक्तियों को कब कब कितनी कितनी भूमि पर किन किन शर्तों पर दी गई। जिलेवार सूची मय पूरे पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान (बीहड़ भूमि आवंटन) नियम, 1967 के अन्तर्गत भरतपुर, सवाईमाधोपुर, बून्दी व कोटा जिले में बीहड़ भूमि का आवंटन किया जाता है। इन नियमो के अन्तर्गत कोटा व बून्दी जिले में कोई आवंटन नहीं हुआ है भरतपुर व सवाईमाधोपुर जिले के आवंटन की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। आवंटन नियमो में दी गई शर्तों पर किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

भूमि पर नाजायज कब्जों के दर्ज मामले

71. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर व शहर के 10 माईल के क्षेत्र में गत तीन वर्षों में कितने मामले नाजायज कब्जों के कौन कौन से दर्ज हुये और उनमें क्या क्या फैसले कब कब हुये तथा कौन कौन से अभी तक अनिर्णीत है ?

(2) उपरोक्त अवधि में उक्त क्षेत्र में कृषि भूमि को अन्य कार्य में लेने के कौन कौन से मामले सरकार के ध्यान में आये और उनमें क्या क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त क्षेत्र में भूमि को अन्य कार्य में लेने के सम्बन्ध में सरकार की नीति का पालन नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो कब से और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये और भविष्य में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

(स्थगित किया गया)

नलकूप लगानें हेतु मुफ्त कृषि भूमि

72. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नल-कूप लगाने के लिए सरकार ने जो मुफ्त कृषि भूमि देने की घोषणा की थी उसके अनुसार किस किस जिले में किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी भूमि कब कब दी गई ? सूची मय पूरे पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त भूमि प्राप्त करने वालों के साथ क्या क्या शर्तें निर्धारित की गई तथा नल-कूप किन किन ने बना लिये ?

(3) उक्त भूमि प्राप्त करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हो तो जिलेवाईज सूची सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) राजस्थान के पश्चिमी जिलों (बीकानेर, बाड़मेर व जैसलमेर जिलों)

(राजस्व मन्त्री)

में नल कूप लगाने के लिये सरकार ने जो मुफ्त कृषि भूमि देने की घोषणा की थी, उसके अनुसार केवल बाड़मेर जिले में निम्न लिखित 2 व्यक्तियों को मुफ्त जमीन दी गई है जिसकी सूची 1 सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त भूमि प्राप्त करने वालों के साथ राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ नलकूप खुदवाने हेतु) भूमि आवंटन नियम, 1969 में जो शर्त दी गई हैं वही निर्धारित की गई है। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों ने अभी तक नल कूप नहीं खुदवाये हैं।

(3) उक्त भूमि प्राप्त करने हेतु बाड़मेर जिले में कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश के कार्यालय में विचाराधीन नहीं है, जिन व्यक्तियों ने निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे उन्हे पुनः निर्धारित फार्म में आवेदन-पत्र देने हेतु जिलाधीश, बाड़मेर ने वापिस लौटा दिये हैं।

उक्त भूमि प्राप्त करने हेतु जिलाधीश, बीकानेर व जैसलमेर के पास क्रमशः 24 व 19 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं, जिनकी सूची (2) व (3) संलग्न है। जैसलमेर जिले में प्राप्त प्रार्थना-पत्र में भूमि संबंधित पूर्ण विवरण अंकित नहीं होने से आवश्यक सूचनायें जिलाधीश द्वारा उनसे मांगी गई हैं, जो प्राप्त होते ही भूमि आवंटित कर दी जायेगी।

(कृपया परिशिष्ट 17 देखिये)

आबू म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र में भूमि की खरीद

73. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

आबू म्युनिसिपैलिटी की सरहद में या सरहद से 5/5 मील के अन्दर किन किन मंत्रियों व राज्य कर्मचारियों ने कितनी कितनी सरकारी या निजी भूमि कब कब खरीदी या प्राप्त की है? इस भूमि का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है?

(स्थगित किया गया)

ग्राम सालोतिया में अनधिकृत रूप से भूमि को नियमन

74. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सालोतिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ के पटेल श्री कन्हैयालाल व उसके संबंधियों ने श्री कान्हा वल्द मगना भील, ग्राम सलोतिया की भूमि को अपने नाम अनधिकृत रूप से रेगूलेराइज करवाया था? यदि हां, तो कब और कितनी भूमि को?

(2) क्या यह सही है कि सलोतिया के किसी गरीब भील की जमीन पर कब्जा कर लेने के खिलाफ श्री कन्हैयालाल पटेल, सालोतिया के विरुद्ध रेवेन्यू बोर्ड में केस चला था व भील कृषक को उसकी जमीन वापिस कर देने के आदेश हुए थे? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि जो अब भी पटेल ही काश्त करता आ रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्री कान्हा, वल्द भवाना भील, सालोतिया की भूमि का श्री कन्हैयालाल पटेल व उसके संबंधियों ने अपने नाम अनाधिकृत रूप से रेगूलराईज नहीं कराया।

(श्री राजस्व मन्त्री)

(2) रेवेन्यू बोर्ड में चलने वाले केस की विस्तृत ब्यौरा के अभाव के कारण जानकारी नहीं है।

(3) जब भूमि को अनाधिकृत रेग्युलराईज ही नहीं कराया तो कब्जे व काश्त का प्रश्न ही नहीं उठता है। सुनेल टप्पा के गांवों में भील जाति को अनुसूचित जाति व जन-जाति में राज्य सरकार ने नहीं माना है।

कस्बा फतेहपुर के तन में भूमि आवंटन

75. **श्री नथमल चोहला** (लक्ष्मणगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिला अन्तर्गत तहसील फतहपुर के कस्बा फतहपुर के तन में खसरा नम्बर 1627 की भूमि सन् 1963 में निम्न दो हरिजन परिवारों के नाम आवंटित हुई थीं:—

(1) घडसीराम, पुत्र मनवाराम (2) केसाराम, पुत्र मंगलाराम बलाई, निवासी फतेहपुर।

(2) क्या यह सही है कि खेजडियों की रकम प्रति खेजडी 5) रु० के हिसाब से श्री घडसीराम के द्वारा 90) रुपया व केसाराम के द्वारा 70) रुपया रसीद नंबर 46576 पेज संख्या 1060 की 26 मई, 1963 को जमा हुई थी और यह अब भी जमा है।

(3) क्या यह सही है कि खसरा नम्बर 1627 क्षेत्रफल 211) 4 बीघा में से हेबारा अलोटमेन्ट दिनांक 28-12-67 को (1) ईसर राम, पुत्र सुखाराम ब्राह्मण के नाम 10 बीघा मुसफातसुरजी बेवा म.गुराम के नाम 11.1) 4 बीघा पुख्ता अलॉट हुई? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि जो भूमि ईसरराम, पुत्र सुरजाराम के नाम 10 बीघा अलॉट हुई यह भूमि तीसरी बार दिनांक 15-5-68 को दोडमल, पुत्र जगना राम नाई के नाम अलॉट हुई? यदि हां, तो क्यों?

(5) इस बाबत कई बार शिकायत होने के बाद भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की और भूमि का अलोटमेन्ट केन्सिल क्यों नहीं किया गया?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री केशाराम, पुत्र मंगला राम से 70) रु० तथा श्री घडसीराम, पुत्र नवाराम द्वारा 95) रु० जमा करवाये गये।

(3) तहसीलदार फतेहपुर का आवंटन आदेश दिनांक 21-5-63 अपील होने पर न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश, सीकर द्वारा दिनांक 16-1-64 को निरस्त किया गया अतः खसरा नं० 1627 कुल रकवा 21 बीघा 9 विस्वा में से 11 बीघा 9 बीस्वा भूमि श्रीमति सूरजी, बेवा मागुराम के नाम दिनांक 28-12-67 को सलाहकार समिति की राय से आवंटित की गई। श्री ईसरराम के नाम कोई भूमि आवंटित किया जाना नहीं पाया जाता।

(4) प्रश्न नहीं उठता क्यों कि ईसरराम के नाम कोई भूमि ही आवंटित करना नहीं पाया जाता है। शेष 10 बीघा भूमि श्री दोडमल, पुत्र जगन राम नाई के नाम

(राजस्व मन्त्री)

सलाहकार समिति की राय से दिनांक 15-5-68 को आवंटित की गई।

(5) आवंटन आदेश दिनांक 21-5-63 अपील में दिनांक 17-1-64 को निरस्त हो चुके थे। बाद में हुये आवंटन के विरुद्ध कोई शिकायत वैधानिक रूप में प्रस्तुत न होने के कारण कार्यवाही नहीं की गई।

हथुना के तालाब पर नाजायज काश्त

76. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील टोंक के पंचायत क्षेत्र हथुना के तालाब की गैर मुमकिन जमीन पेटा तालाब पर सन् 1969 में कितने लोगों ने जबरन काश्त की है और उनके खातों में पहले से कितनी कितनी जमीनें दर्ज हैं?

(2) पटवारी हल्का ने कितनों के खिलाफ अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसील टोंक में की और कब?

(3) क्या अतिक्रमण पर की गई खेती को नीलाम करने के आदेश हुए थे? यदि हां, तो कब किसके द्वारा व किन किन के खिलाफ आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) नीलामी आदेश के अनुसार किस किस की कितनी फसलें किसके द्वारा कितने रुपयों में नीलाम की गई?

उत्तर

(1) तहसील टोंक के पंचायत क्षेत्र हथूना में निम्न चार तालाबों पर सन् 1969 में 73 काश्तकारों ने अतिक्रमण कर पेटा तालाब काश्त किया उनके खाते में जो भूमि पहले से दर्ज है उसकी सूची 'क' संलग्न है।

क्र० सं०	नाम तालाब	अतिक्रमणकारियों की संख्या
1	बड़ाबंध हथोना	37
2	झीलवाला बंधा	17
3	तालाब शुकलपुरा	18
4	तालाब वारानी	1
	योग ..	73

(2) पटवारी हल्का ने उक्त 73 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर पेटा तालाब काश्त करने की तारीख 13-3-69 को 37 व्यक्तियों की और 36 अतिक्रमणियों की रिपोर्ट 24-3-69 को की।

(3) जी हां, दिनांक 16-5-69 को बड़ा बंध हथोना की पेटा तालाब की काश्त की पैदावार को नीलाम करने के आदेश श्री भंवरलाल, नायब तहसीलदार द्वारा दिये गये। यह आदेश 37 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध दिया गया था जिसकी सूची 'ख' संलग्न है। आदेश की प्रति भी संलग्न है।

(4) नीलामी आदेश के अनुसार 24 अतिक्रमणकारियों का 977, 112 किलो गल्ला कुर्क किया गया। श्री बंजरंगलाल इन्सपेक्टर, लेण्ड रिकार्ड ने दिनांक 21-8-69 को बोली निलाम प्रति क्वी लगवाई और 950 किलो पैदावार की आखरी बोली 63) रु० प्रति क्वी० से श्री नारायण सरपंच की लगी और 950 किलो माल के 598-50 पैसे उसी दिन वसूल कर लिये गये।

(सूची एवं आदेश की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है,

ग्राम खेड़ादेव की गोचर भूमि को सिवाय चक में परिवर्तित

77. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खेड़ादेव, तहसील अलवर में खसरा नं० 10212।।) 4, 10315, 10612।)।, 12512) 3, 1331 ।।), 137141) 3 गोचर भूमि रुप में रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है ?

(2) क्या यह सही है कि इस ग्राम में केवल यही जमीन मवेशियों के चरने के लिए और यह जमीन गोचर भूमि के रूप में ही काम में आ रही है ?

(3) क्या यह सही है कि इस जमीन की किस्म बदलवाने के लिये अर्थात गोचर भूमि के सिवाय चक में परिवर्तित कराने के लिए किसी व्यक्ति ने दरख्वास्त दी है ? यदि हां, तो किसने और कब ?

(4) क्या यह सही है कि ग्रामवासियों ने लिखित रुप में इस जमीन की किस्म बदलने का विरोध किया है और एक दरख्वास्त इसी आशय की 15-8-69 को उप-राजस्व मंत्रीजी को दी है ? यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया ?

(स्थगित किया गया)

तहसीलदार सांगानेर द्वारा भूमि का आवंटन

78. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अप्रेल, 1968 से लेकर अब तक तहसीलदार सांगानेर द्वारा किस किस तारीख को किस किस स्थान पर भूमि आंवटन करने के संबंध में मीटिंग बुलाई गई और इन मीटिंग में कौन कौन सदस्य उपस्थित थे ?

(2) किस किस मीटिंग में कितनी कितनी भूमि किस किस व्यक्ति को आवंटित की गई ? कृपया तालिका मय नाम, पता व विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। और यह भी बतावें कि किस किस स्थान की मीटिंग में हरिजनों को कितनी कितनी भूमि आवंटित की गई ?

(3) किस किस मीटिंग में कितने कितने आवेदन-पत्र विचारार्थ प्रस्तुत हुए थे और उनमें स्थानीय लोगों के कितने कितने थे ?

(4) क्या किसी मीटिंग में स्थानीय लोगों को भूमि आवंटन नहीं किया जाकर अन्य लोगों को किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किन किन को ?

उत्तर

(1) सूची (क) संलग्न है।

(2) सूची (ख) संलग्न है।

(3) सूची (ग) संलग्न है।

(4) ऐसा नहीं है कि मीटिंग में स्थानीय लोगों को भूमि आवंटन नहीं की जाकर अन्य लोगों को की गई है। प्रथम तो स्थानीय लोगों को ही भूमि आवंटन किया गया दोयम किसी किसी पंचायत में स्थानीय लोगों की दरख्वास्तें थीं वे या तो भूमिहीन नहीं थे या जो रकवा अन्य लोगों को दिया गया है उस रकवे को चाहते नहीं थे या उस रकवे की स्थानीय लोगों की दरख्वास्त नहीं की।

(राजस्व मंत्री)

जो आवंटन हुआ उसकी सूची मीटिंग वाईज संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

तहसीलदार जयपुर द्वारा भूमि आवंटन

79. **श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अप्रेल, 1968 से लेकर अब तक तहसीलदार, जयपुर द्वारा किस किस तारीख को किस किस स्थान पर भूमि आवंटन करने के संबंध में मीटिंग बुलाई गई और इन मीटिंगों में कौन कौन सदस्य उपस्थित थे ?

(2) किस किस मीटिंग में कितनी कितनी भूमि किस किस व्यक्ति को आवंटित की गई ? कृपया तालिका मय नाम, पते व विवरण सहित सदन की मेज पर रखें तथा उसमें यह बताए कि किस किस स्थान की मीटिंग में हरिजनों को कितनी कितनी भूमि आवंटित की गई ?

(3) किन किन मीटिंगों में कितने कितने आवेदन-पत्र विचारार्थ प्रस्तुत हुए थे और उनमें स्थानीय लोगों के कितने कितने थे ?

(4) क्या किसी मीटिंग में स्थानीय लोगों को भूमि आंवटन नहीं किया जाकर अन्य व्यक्तियों को किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किन किन को ?

उत्तर

(1) अप्रेल 1968 से अब तक तहसीलदार, जयपुर द्वारा भूमि आवंटन हेतु दिनांक 19-6-68 को ग्राम कालवा व धर्मपुरा में आवंटन सलाहकार समिति की मीटिंग बुलाई जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित थे :–

1. तहसीलदार, जयपुर।

2. प्रधान, पंचायत समिति, झोटवाड़ा।

3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झोटवाड़ा।

4. सम्बन्धित पंचायत के सरपंच।

(2) मीटिंग दिनांक 29-6-68 में जिन जिन व्यवितयों को आवंटन किया गया, उनका नाम, पता और कितनी भूमि उनको आवंटन की गई, उसकी सूची के संलग्न है जिसमें हरिजनों को किये गये आवंटन भी दर्ज है।

(3) दिनांक 19-6-68 को कालवाड़ व धर्मपुरा की बैठक में 33 प्रार्थना–पत्र विचारार्थ प्रस्तुत हुए थे, जिनमें से 14 स्थानीय लोगों के थे।

(4) जी हां, ग्राम धर्मपुरा में दिनांक 19-6-68 को स्थानीय लोगों को भूमि आवंटन न किया जाकर आवंटन सलाहकार समिति की परामर्श से अन्य व्यक्तियों को किया गया क्यों कि इसके लिये स्थानीय व्यक्तियों के आवेदन-पत्र नहीं थे। जिन व्यक्तियों को इस प्रकार भूमि आवंटन की गई उनकी सूची 'स' संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 18 देखिये)

तहसीलदार, आमेर द्वारा भूमि आवंटन

80. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अप्रेल, 1968 से लेकर अब तक तहसीलदार, आमेर द्वारा किस किस तारीख को किस किस स्थान पर भूमि आवंटन करने के संबंध में मीटिंग बुलाई गई और उन मीटिंगों में कौन कौन सदस्य उपस्थित थे ?

(2) किस किस मीटिंग में कितनी कितनी भूमि किस किस व्यक्ति को आवंटित की गई ? कृपया तालिका मय नाम, पते व विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और यह भी बतायें कि किस किस स्थान की मीटिंग में हरिजनों को कितनी कितनी भूमि आवंटित की गई ?

(3) किस किस मीटिंग में कितने कितने आवेदन-पत्र विचारार्थ प्रस्तुत हुए थे और उनमें स्थानीय लोगों के कितने थे ?

(4) क्या किसी मीटिंग में स्थानीय लोगों को भूमि आवंटन नहीं किया जाकर अन्य व्यक्तियों को किया गया है ? यदि हां, क्यों और किन किन को ?

उत्तर

(1) अप्रेल, 1968 से लेकर अब तक तहसीलदार, आमेर द्वारा जिन जिन तारीखों को जिन जिन स्थानों पर भूमि आवंटन के लिए बैठक बुलाई गई और उनमें जो सदस्य उपस्थित थे, सूची परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है ।

(2) सूचना संलग्न है परिशिष्ट (क) में ।

(3) सूचना संलग्न है परिशिष्ट (ख) में ।

(4) आम तौर से स्थानीय लोगों को ही भूमि का आवंटन किया गया है अन्य व्यक्तियों जिनको आवंटन किया गया था उसका उल्लेख सूची परिशिष्ट (द) में है । स्थानीय लोगों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं होने की दशा में अन्य लोगों को आवंटित किया गया प्रतीत होता है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

भूमि आवंटन हेतु आवेदन-पत्र

81. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील, जयपुर में राजस्थान भूमि आवंटन, 1957 की धारा 7 के अनुसार सन् 67, 68 एवं 69 में कब कब, किस किस ग्राम की किस किस खसरे की कितनी कितनी भूमि के संबंध में उद्घोषणा की जाकर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे ?

(2) इस उद्घोषणा के पश्चात् किस किस माह में किस किस ग्राम की भूमि के संबंध में कब कब किस किस व्यक्ति के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए है ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कष्ट करें ।

(3) इन आवेदन-पत्रों में किस किस को कब कब किस किस खसरा नम्बर की किस किस गांव में कितनी कितनी भूमि आवंटित की गई ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) तहसील, जयपुर में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1957 के नियम 7 के अधीन सन् 1967-68 में दिनांक 17-4 68 को ग्राम कालवाड़ स्थित खसरा नम्बर 541 क्षेत्रफल 25 बीघा 12 बिस्वा, नम्बर 544 क्षेत्रफल 32 बीघा 11 बिस्वा, नम्बर 542 क्षेत्रफल 59 बीघा 19 बिस्वा, नम्बर 553 क्षेत्रफल 13 बीघा व नम्बर 1030 क्षेत्रफल 72 बीघा 8 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 203 बीघा 10 बिस्वा भूमि की और दिनांक 18-4-68 को ग्राम धर्मपुरा स्थित खसरा नम्बर 1 क्षेत्रफल 72 बीघा 7 बिस्वा व नम्बर 70 क्षेत्रफल 5 बीघा कुल क्षेत्रफल 77 बीघा 7 बिस्वा की उद्घोषणा की जाकर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे। सन् 1969 में कोई भी उद्घोषणा नहीं की गई।

(2) उद्घोषणा के पश्चात् जिस जिस माह में जिस जिस ग्राम के संबंध में जब जब जिस जिस व्यक्ति के आवेदन प्त हुए उसकी सूची 'क' संलग्न है।

(3) प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों में जिस जिस गांव में जिस जिस खसरा नम्बर की जितनी जितनी भूमि जिस जिस व्यक्ति को आवंटित की गई, उसकी सूची (ख) संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 19 देखिये)

भीलवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में आवंटित भूमि

82. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में किस किस व्यक्ति के नाम कब कब से कितनी कितनी कृषि भूमि है ? कृपया नाम व पतेवार तालिका प्रस्तुत करें।

(2) सन् 1967 से लेकर अब तक किस किस को कितनी कितनी कृषि भूमि को आवादी में कब कब परिणित करने की अनुमति मिली है और किस आधार पर ?

(3) किन किन व्यक्तियों ने कृषि भूमि से आबादी भूमि में परिवर्तन कराये बिना और नगरपालिका की इजाजत लिये बिना भवन निर्माण कराये हैं ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्तियों में कुछ मंत्रियों के रिश्तेदार हैं और इस कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं ? कृपया नाम बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में 2573 व्यक्तियों के नाम कृषि भूमि है। नाम व पतेवार तालिका (क) बहुत बड़ी होने के कारण प्रतियां नहीं बनाई जा सकी अतः राजस्व (ख) विभाग में देखी जा सकती है।

(2) सन् 1967 से लेकर अब तक 9 व्यक्तियों की 31 बीघा 13 बिस्वा भूमि खातेदारों द्वारा आपसी समझोते के कारण नगरपालिका एवं नगर विकास न्यास भीलवाड़ा को समर्पित की गई तद्पश्चात् आवादी में परिवर्तित होकर नगरपालिका और नगर विकास न्यास के अधिकार में आई है। सूची (ख) संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जिन जिन व्यक्तियों ने बिना इजाजत भवन निर्माण कराये हैं उनकी संख्या 296 में है सूची विभाग में देखी जा सकती है। कार्यवाही के संबंध में विवरण उसी सूची 'क' में उपलब्ध है।

(4) यह सही नहीं है नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 20 देखिये)

(12.5 म० प०)

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जान वाले पत्र। विधेयकों का विवरण।

राज्यपाल महोदय या राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव (श्री बी० के० डी० बैजल): मैं गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्रा त हो चुकी है :

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, 1970।

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1969।

(2) राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1970।

(3) राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, 1970।

(4) राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक, 1970।

(5) राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1970।

(6) राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1970।

(7) राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1970।

(8) राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1970।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र-अधिसूचनाएं आदि

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनायें।

श्री भीमसेन (उप-मंत्री, उद्योग) : अध्यक्ष महोदय, उद्योग (क) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनको सदन की मेज पर रखी हुई मान लिया जाय।

(निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखी गई)

1. अधिसूचना संख्या एफ० 29(33) इण्ड(ए)64, दिनांक 14 जून, 1965।

2. अधिसूचना संख्या एफ० 29(5) इण्ड (ए) 63, दिनांक 30 अप्रेल, 1966।

3. अधिसूचना संख्या एफ० 28(11) इण्ड (ए) 66, दिनांक 5 जुलाई, 1966।

(श्री भीमसेन)

4. अधिसूचना संख्या एफ० 28(31) इण्ड(ए) 67, दिनांक 22 दिसम्बर, 1968।

5. अधिसूचना संख्या एफ० 28(6) इण्ड (ए) 68, दिनांक 20 मई, 1968।

6. अधिसूचना संख्या एफ० 28(12) इण्ड(ए) 66, दिनांक 24 अगस्त, 1968।

7. अधिसूचना संख्या एफ० 28(24) इण्ड (ए) 65, दिनांक 8 नवम्बर, 1968।

8. अधिसूचना संख्या एफ० 28(58) इण्ड (ए) 58, दिनांक 8 नवम्बर, 1968।

9. अधिसूचना संख्या एफ० 28(59) इण्ड (ए) 68, दिनांक 19 नवम्बर, 1968।

10. अधिसूचना संख्या एफ० 28(24) इण्ड (ए) 65, दिनांक 2 जनवरी, 1969।

11. अधिसूचना संख्या एफ० 28(29) इण्ड (ए) 69, दिनांक 12 मार्च, 1970।

(उपरोक्त अधिसूचनाएं गत सत्र में सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं परन्तु संबंधित अधिनियम राजस्थान उद्योगों के लिए राजकीय सहायता अधिनियम, 1961 में उल्लेखित कालावधि पूरी न होने के कारण इन्हें प्रक्रिया के नियम 169(2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखा गया है।)

अध्यक्ष महोदय,

मैं, उद्योग (क) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० 27(41) इण्ड (ए) 67 दिनांक 6 अगस्त, 1969 को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि इन अधिसूचनाओं को सदन की मेज पर रखा हुआ मान लिया जाय।

(स्वीकृत)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं गांव एटा, तहसील, सूरतगढ़ के लिए राजस्थान केनाल से एक माइनर निकाल कर पीने के पानी की व्यवस्था कराने संबंधी हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं। (विराम)

(2) मैं पंचायत समिति नोहर में सामान की खरीद में घोटाले की जांच कराने, संबंधी तीन याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं। (विराम)

(3) मैं राजस्थान कैनाल की पीपेरन माइनर पर पुलिया बनवाने संबंधी याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित उपस्थापित करता हूं।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : मैं, जैसलमेर जिले के गांवों में पेयजल समस्या के निराकरण से संबंधित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। प्रवर समिति के प्रतिवेदनों के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि।

विधायी कार्य

प्रवर समिति के गठन एवं उसके प्रतिवेदन के उपस्थापन सम्बन्धी औचित्य प्रश्न

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री श्री रामकिशोर व्यास राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970

Page No. 55

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के संबंध में प्रवर समिति का जो प्रतिवेदन 7 मई तक प्रस्तुत होना चाहिए था उस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय 13 मई, 1970 तक वढाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मेरी इस प्रस्ताव पर वैधानिक आपत्ति है, इसके साथ ही साथ सदन का अधिक समय जाया न हो इसलिये मैं उन दोनों प्रस्तावों पर एक तो अवधि बढाने और दूसरा प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने संबंधी प्रस्तावों पर एक साथ बोलना चाहूंगा। एक साथ दो प्रकार के प्रतिवेदन को एक साथ लिये जाने के संबंध में भी मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। इसलिये मैं सदन का समय बचाने की दृष्टि से दोनों प्रस्तावों पर जो मेरी वैधानिक आपत्तियां हैं मैं उनको एक साथ ही रख देता हूं ताकि सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ न जाय।

अध्यक्ष महोदय, सीलिंग के संबंध में जो राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 में विशेषतौर से अमेण्डमेन्ट किया गया है, मैं इसको सदन द्वारा पारित किये जाने के बारे में यहां पर अभी इस समय कुछ नहीं कहना चाहूंगा । इस बिल को पारित किया जाय इससे मैं कोई असहमत नहीं हूं। मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं, मेरी वैधानिक आपत्ति इसको पास न करने के संबंध में नहीं है । मैं ईमानदारी के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं यह सदन, संवैधानिक मर्यादाओं के अन्तर्गत कानून बनाने का जो कर्त्तव्य है, उसका निर्वहन करे जैसी कि हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है । मुझे जिस प्रकार की अनुभूति हुई है उन तथ्यों की पृष्ठभूमि में इसको पास किया जाय चाहे, भावावेश में यह कानून पास किया जाय तो यह न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा । बड़ी गंभीरता के साथ इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं इस पृष्ठभूमि में मेरी इन भावनाओं के संदर्भ में आपत्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं आप उस पर विचार करें और संविधान के अन्तर्गत हमारा सबसे बड़ा भारी कर्त्तव्य है इस पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करूं उससे पहले मैं चाहता तो यह था कि मेरा पोइण्ट ऑफ ऑर्डर जो है उसको टाइप कराकर उसकी प्रति हरेक माननीय सदस्यों को दूं, विधि मंत्रीजी को दूं, और जो कुछ कांग्रेसी मेरे मित्र हैं जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं उनको भी एक एक प्रति देना चाहता था लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कल रात्रि से लगातार परिश्रम करने के बाद जो ड्राफ्ट मैंने बनाया है उसको मैंने क्वेश्चन आवर में फेयर किया हैं इसलिए वह टाइप नहीं हो सका और इसलिए मैं आपको उपलब्ध नहीं करा सका इसलिए क्षमा चाहता हूं । अब मैं भूमिका में ज्यादा समय न लेता हुआ सीधा पोइण्ट ऑफ आर्डर पर आ जाता हूं । इसके साथ वैधानिक प्रश्न जुड़ा हुआ है इसलिए मैं इसको अंग्रेजी में लिखकर लाया हूं और वही मैं सदन में पढ़ना चाहूंगा। इसके लिए माननीय सदस्यों से माफी चाहता हूं । यह कान्स्टीट्यूशनल पोइण्ट है इसलिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है :

Mr. Speaker Sir,

The Rajasthan Tenancy (Second Amendment), 1970 was

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

referred to a Select Committee on 14th April, 1970. No specific motion was put to vote. The motion to refer the Bill to a Select Committee was moved by Smt. Lakshmi Kumari Chundawat. This motion was never put to vote. Another motion moved by Shri Shivnath Singh for eliciting public opinion on this bill was never put to vote which was essential.

श्री अध्यक्ष : Which motion ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : For eliciting public opinion by Shri Shivnath Singh. This motrion was not put to vote. A motion to refer to Select Committee was moved by Smt. Lakshmi Kumari Chundawat. This was also not put to vote.

श्री अध्यक्ष : One for eliciting public opinion and....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : And the other for reference to Select Committee.

No specific motion was put to vote.

The alleged motion did not contain the names of the members who were to serve....

श्री रामानन्द अग्रवाल : On a point of Order, Sir.

श्री अध्यक्ष : एक पाइन्ट ऑफ ऑर्डर चल रहा है उसके बीच में दूसरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर अलग से कैसे चल सकता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अपने पाइंट ऑफ ऑर्डर को रखते हुए सदन के जो मान्य नियम हैं उनका उल्लंघन वे कर रहे हैं तो उसे नोटिस में लाना आवश्यक है ,वरना......

श्री अध्यक्ष : नहीं । पहला पॉइंट ऑफ ऑर्डर चलेगा । अगर वह कोई गलत हैं तो उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर खत्म होने के बाद आपको मौका दे दूंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अपनी स्पीच को नहीं पढ़ सकते हैं । रेफर कर सकते हैं या कोटेशन दे सकते हैं ।...

श्री अध्यक्ष : एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर के मध्य में दूसरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं चल सकता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अपनी स्पीच को कोई माननीय सदस्य यहां पर नहीं पढ़ सकता । वे केवल रेफरेंस के लिए कोटेशन को पढ़ सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : He has sought the permission.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : He has narrated the facts. There can be no point of order.

श्री अध्यक्ष : वह मैंने कह दिया है रूल आउट कर दिया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The alleged motion did not con in the names of the members, who were to serve on this Committee. Neither any motion appointing members to the said Committee was ever passed by the House

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

nor any motion, authorising the Speaker to appoint members to the said Committee was ever moved or passed by the House till today. Powers of appointing members to the Select Committee cannot be delegated to anyone. There are essential legislative functions which can only be discharged by the House. Any such delegation is bad and unconstitutional. The House adjourned on 14-7-70 after passing the motion for reference of the Rajasthan Tenancy (Second Amendment) Bill, 1970 to a Select Committee, without appointing members to serve upon the said Committee and without authorising the Speaker to appoint such members which authority could not have been delegated as stated earlier.

The Speaker, under a mistaken belief illegally appointed members to the said Select Committee with Shri Ram Kishore Vyas as the Chairman thereof vide his order. Thereafter the Committee held four sittings and adopted the report on 5-5-1970. The time to present the report to the House was 7-5-1970. No report was submitted within this period. The Committee became *Functio officio* after 7-5-1970 and now this report cannot be presented to this House. Time cannot be extended for the presentation of this report as sought by the Chairman. Moreover, the House has no competence to extend the time of the illegally constituted committee.

Serious questions that arise from these facts are that—

(i) the constitution of the Select Committee on Rajasthan (Second Amendment) Bill, 1970 was contrary to the provisions of Rule 219 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly and was without jurisdiction, unconstitutional, null and void.

(ii) That in view of this all the proceedings of this Committee including the preparation and adoption of the report by the Committee were *ab initio* void.

(iii) that the presentation of the report of the Select Committee is thus unconstitutional, without authority, and beyond jurisdiction.

(iv) that the consideration of such a report would be a serious breach of privilege, a flagrant violation of the constitutional obligations and essential legislative functions and encroachment on the powers of the members to legislate.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रारम्भ में तथ्यों का उल्लेख करते हुए 4 पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो इन तथ्यों से मेल खाते हैं, रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ कहा है उसकी पुष्टि में मैं यह 14 अप्रेल, 70 की कार्यवाही प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, 14 अप्रेल, 70 की कार्यवाही में, अंतिम समय में जिस समय अध्यक्ष महोदय ने श्री भैरोंसिंह का नाम पुकारा था, वे अनुपस्थित थे, फिर वृद्धि चंदजी ने कहा, "अध्यक्ष महोदय, आपने मौका नहीं दिया है।" फिर अध्यक्ष महोदय ने कहा—मुख्य मंत्री महोदय—मुख्य मंत्री महोदय का यह इतना सा पोर्शन मैं पढ़ देता हूं:—

"अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और जिस पर सदन में चर्चा हो रही है और जो विभिन्न विचार इस विधेयक के सम्बन्ध में यहां पर प्रस्तुत हुए हैं और इसके साथ साथ इसमें कई संशोधन भी यहां पर प्रस्तुत किये गये हैं। सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने की बात भी यहां पर कही गई है। हम यह समझते हैं कि इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाये और फर्स्ट वीक के एण्ड तक याने मई के फर्स्ट वीक के एण्ड तक सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट दे दे जिससे जल्दी से जल्दी सदन को बुला कर इसके बारे में विधेयक पारित किया जा सके और आगे की कार्यवाही की जा सके। सिलेक्ट कमेटी के नाम बाद में घोषित कर दें। इनके नाम पेश कर दिये जायेंगे या अध्यक्षजी इसकी घोषणा कर दें इसके लिये यह सदन अध्यक्ष महोदय को अधिकृत कर दे और वे बाद में उसकी घोषणा कर दें। मैं समझता हूं कि इस बात के लिये शायद आज वाद-विवाद की आवश्यकता न रहे इस दृष्टि से मैंने यह कहा है"।

"**श्री अध्यक्ष** : सदन की........"

"**श्री रामचन्द्र आर्य** : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था और आपने आश्वासन दिया था।"

"**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर माननीय सदस्य।"

"**श्री रामचन्द्र आचार्य**: नापासर के हरिजनों के साथ अन्याय हुआ है। इसका स्टेटमेन्ट दिलाया जाये। इसके आगे है........."

"**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाये।"

(स्वीकृत)

विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यहां पर बिन्दु उठाया है वह यह कि जो स्पेसिफिक मोशन श्री शिवनाथसिंह का था वह वोट पर नहीं रखा गया है। उसको भी छोड़िये दूसरा जो प्रवर समिति को भेजने का था, उस पर वोट लेना चाहिये था, वह भी नहीं लिया गया और मुख्य मंत्री महोदय के सुझाव मात्र पर ही यह प्रश्न रख दिया गया कि इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाये और जो सिलेक्ट कमेटी का मोशन था उस पर वोट नहीं हुआ। मोशन पर वोट नहीं हुआ। केवल सजेशन पर ही वोट हो गया लेकिन यह हो गया कोई बात नहीं। आगे चलें। अध्यक्ष महोदय, इसमें कार्यवाही में आगे यहां पर यह है— "अध्यक्ष महोदय नामों की घोषणा कर दें। इसके लिये यह सदन अध्यक्ष महोदय को अधिकृत

Page No. 59

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कर दे"। यह एक सुझाव था। यह आप कार्यवाही में देख लीजिये। मुख्य सचेतक ने कोई नाम प्रस्तुत नहीं किये और न कोई प्रस्ताव ही पेश किया गया और न हाउस ने इस बारे में कोई मोशन ही एडॉप्ट किया है। मैं यह मान कर चलता हूं कि हाउस कमेटी के अपॉइन्टमेंट के पावर अध्यक्ष को डेलीगेट नहीं कर सकता हैं। यह मैं तथ्यों के साथ कहूंगा। इसके बारे में हाउस का कोई मोशन नहीं है जिसमें कि अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार दिया गया हो कि वे सिलेक्ट कमेटी के नामों की घोषणा कर सकते हैं। देअर इज नो मोशन एट आॅल। जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने आपने सजेशन में संकेत किया नाम बाद में पेश कर दें या इसकी घोषणा कर दें और इसके लिये यह सदन अध्यक्ष महोदय को अधिकृत कर दे और बाद में वे इसकी घोषणा कर दें। परन्तु अध्यक्ष महोदय ने इस प्रकार का कोई संकल्प, प्रस्ताव या मोशन इस हाउस में इस सम्बन्ध म पेश नहीं किया है और न आपको अधिकृत करने के बारे में कोई मोशन या प्रस्ताव है। मेरी मान्यता है कि यह Appointment of the members of the Select Committee is an essential function of the Legislature which cannot be delegated to anyone.

अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही मैंने सदन के माननीय सदस्यों को इसलिये पढ़कर सुनाई है कि जिससे माननीय सदस्यों को यह अनुमान हो सके कि उस दिन क्या हुआ था। अध्यक्ष महोदय....

इसके बाद यह कार्यवाही का बुलेटिन 14 अप्रेल को हमें मिला। मैंने जो कुछ कहा उसकी पुष्टि इस विधान सभा के बुलेटिन से भी होती है। इसमें अध्यक्ष महोदय, 14 अप्रेल में लिखा है :

"(2) **राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक**, 1970।

प्रभारी मंत्री श्री रामकिशोर व्यास के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय श्री शिवनाथसिंह एवं श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ने विधेयक को क्रमशः जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने एवं एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(1) महारावल श्री लक्ष्मणसिंह, (2) श्री रामकिशन, (3) श्री रामचन्द्र आर्य, (4) श्री जुझारसिंह, (5) श्री वृद्धिचन्द जैन, (6) श्री रामानन्द अग्रवाल, (7) प्रो० श्री केदारनाथ, (8) श्री यशवन्त सिंह नाहर, (9) श्री मनोहरसिंह मेहता, (10) श्री पृथ्वीसिंह, (11) श्री मदन सिंह दांता।

मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया के सुझाव पर विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया जो अपना प्रतिवेदन मई के प्रथम सप्ताहान्त में प्रस्तुत करेगी।"

फिर आगे लिख दिया :

"समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा बाद में की जावेगी।"

अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान नियम 219 की ओर दिलाना चाहता हूं :

"The members of a Select Committee on a Bill shall be appointed

Page No. 60

[redacted]

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

by the House when a motion that the Bill be referred to a Select Committee is made."

Other than this, the relevant rules that I am going to refer are 66, 67, 68, 180, 282, 283 and Articles 107 and 100 and authorities of the Supreme Court and Allahabad High Court.

अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी विधि मंत्री महोदय से ली है। मैं नियम 66 को रेफर करता हूं। नियम 66 इस प्रकार है :

Motions after introduction of Bills—When a Bill is introduced or in some subsequent occasion, the member-in-charge may make one of the following motions in regard to his Bill namely—

(a) that it be taken into considerational, or

(b) that it be referred to a Select Committee of the House, or

(c) that it be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon.

यह 66 में दिया हुआ है। इसके बाद नियम 68 में लिखा है :

Persons by whom motions in respect of Bills may be made—

यह मोशन मूव कौन कर सकता है ? लिखा है।

No motion that a Bill be taken into consideration or be passed shall be made by any member other than the member-in-charge of the Bill and no motion that a Bill be referred to a Select Committee of the House or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon shall be made by any member other than the member-in-charge except by way of amendment to a motion made by the member-in-charge."

श्री अध्यक्ष : कौनसा रूल बताया आपने?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 68। यह केवल एक अमेण्डमेन्ट के माध्यम से कोई भी सदस्य कर सकता है और प्रवर समिति को भेजने का जो इस सदन में प्रस्ताव था वह दो थे एक शिवनाथजी का और दूसरा श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत का। यह मोशन कभी वोट पर पुट नहीं किया गया। इसके अलावा किसी दूसरे के सुझाव पर केवल सुझावमात्र पर रेफर नहीं किया जा सकता है। यह नियम में व्यवस्था है। पर इससे भी ज्यादा गम्भीर बात आगे है।

अब 219 है। अध्यक्ष महोदय, मैं रेफर कर रहा हूं। हमारे रूल्स के चेप्टर 24 में जो कमेटी से डील करता है इस 24 में नियम 219 से सिलेक्ट कमेटी गाइड होती है :

"Constitution of Select Committee—The members of a Select Committee on a Bill shall be appointed by the House when a motion that the Bill be referred to a Select Committee is made.

Page No. 61

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Thus the power of appointment of the members of the Select Committee has been given only to the House.

Here the word 'shall' has been used.

इसलिये अध्यक्ष महोदय, यह ला-प्रोसीडिंग्स है। इन प्रोसीडिंग्स में सदन में विधेयक इन्ट्रोड्यूस करना, कन्सीडर करना, पेश करना, पास करना, संशोधन पेश करना और अपनी मोहर लगाना, सिलेक्ट कमेटी को भेजना, इसके नामों की घोषणा करना, उनके अपोइन्टमेन्ट के पावर नियम 219 में केवल हाउस को दी गई है।

The members of a Select Committee on a Bill shall be appointed by the House when a motion that the Bill be referred to a Select Committee is made.

इसमें 'शैल' क्यों यूज किया गया ? हाउस का डिसीजन कैसे होगा ? यह दिया 283 में :

Procedure for obtaining decision of House—A matter requiring the decision of the House shall be decided by means of a question put by the Speaker on a motion made by a member."

हाउस का निर्णय लेने का एक तरीका है इसलिए यह एक इसेन्सिशल लेजिस्लेटिव फंक्शन है जिसका संविधान में अधिकार हमको दिया गया है। हम यहां पर कानून बना सकते हैं पास कर सकते है और इसलिये, अध्यक्ष महोदय, 219 मेन्डेटरी है। हाउस को अधिकार है और जो तथ्य मैंने सदन में रखे है उनसे स्पष्ट है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस सदन में नहीं आया कि जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया हो कि इसकी प्रवर समिति में ये सदस्य अपोइन्ट किये जाते हैं। उन व्यक्तियों की नियुक्ति सदन ने नहीं की और मेरी मान्यता है और तथ्य भी यही है कि आपके भी ऐतराज करने के बारे में कोई मोशन पार्टी की तरफ से नहीं आया है। तो जब सदन में प्रस्तुत नहीं, स्वीकार नहीं और मुख्य मंत्री ने केवल संकेत दिया कि आप बाद में घोषणा कर दें, सदन आपको अधिकृत कर दे, चीफ व्हिप को चाहिये था कि सदन में प्रस्ताव लाया जाता। हाल कि मेरी मान्यता है कि इस इसेन्शियल लेजिस्लेटिव फक्शन को करने का पावर किसी को डेलीगेट नहीं किये जा सकते। जिस प्रकार से कानून के पास होने के बाद आपको सर्टीफाई करना पड़ता है तब राज्यपाल या राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देते हैं। क्या आप इसके लिये अपने सेक्रेटरी को अपने किसी चपरासी को जिसे आप करना चाहें उसे ओथोराइज कर सकते हैं कि तुम मेरी तरफ से दस्तखत कर दो। बड़े से बड़े को आप ओथोराइज करना चाहें तो नहीं कर सकते। जो इंसेन्शियल लेजिस्लेचर फंक्शन स्पीकर का है उसको डेलीगेट दूसरे को नहीं कर सकते। उनकी एबसेन्स मे डिप्टी स्पीकर कर सकता है। जैसा पंजाब के और अन्य जगहों के केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने किया।

मैं इस सन्दर्भ में आपके सामने यह भी निवेदन करना चाहता हूं। आप 224/225 भी देखें।

"As soon as may be after a Bill has been referred to a Select Committee, the Select

Page No. 62

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

> Committee shall meet from time to time in accordance with rule 189 to consider the Bill and shall make a report thereon within the time fixed by the House."

सात मई, 70 का टाइम उसका फिक्स्ड माना है। उसको बढ़ाने का प्रस्ताव आया और इसलिये 13 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव हमारे सामने है, विधान सभा के बुलेटिन में 7 मई तक का है। तो इसको सात मई से पूर्व प्रस्तुत करना चाहिये था। सदन की बैठक जल्दी बुलाते। अब यह कहा जावेगा कि हम इस टाइम को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एक्सटेन्ड कर सकते हैं। यह आरगूमेंट आ सकता है। उससे निकलने के लिये हम एक बार इस तथ्य को स्वीकार करें कि नियम 225 यह कहता है :

> "Presentation of report-The report of the Select Committee on a Bill together with the minutes of dissent, if any, shall be presented to the House by the Chairman or in his absence by any member of the Committee."

यह उसके रेफरेन्स में पढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब यह कहा जा रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टाइम बढ़ा दीजिये। मैं इस संबंध में जब 7 मई के बाद सिलेक्ट कमेटी सीज हो गई तो उसको अधिकार नहीं हैं उसके बाद रिपोर्ट को तैयार करने का, स्वीकार करने का और किसी बात के करने का। यह सदन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ा सकता है मैं इस सन्दर्भ में....

श्री मूलचन्द डागा : आपकी मान्यता है। जितना पहले वाले पर जोर दे रहे हैं इस पर उतना नहीं दे रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जितना पहले वाले पर जोर दे रहा हूं उतना इस पर नहीं दे रहा हूं। यह सही है।

अध्यक्ष महोदय, यह सुप्रीम कोर्ट में एक मसला गया। यह दोनों इसमें मामले हैं :

> On 17-8-50 the appellant Company preferred an appeal against the award to the Labour Appellate Tribunal contending *inter alia* as follows

इसमें डिस्प्यूट में केस गया था। इसमें टाइम फिक्स कर दिया था।

> That the award dated 14-3-50 is vitiated having been given after the expiry of the time limit.

यह मामला था। राज्य सरकार ने ऑर्डर देकर-In its order dated 18-2-1950 Government directed the Adjudicator to conclude the proceedings and submit his award not later than 5-4-1950. The award is dated 13-7-1950. The Government however tried to remedy the defect by the issue of G. O. No. 1247 (57)/50, dated 26-4-1950 but under law this is of no avail. To be on the alid- explanation of dato granted to the Adjudicator, Government order should have been issued

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

before 5-4-1950 to keep the authority of the Adjudicatar made the award i. e. 13-4-50 he had no power to make an award.

अध्यक्ष महोदय, यह 1953-54 में Supreme Court ने कहा था।

श्री अध्यक्ष : मैं आप से कहूं कि आप वापिस पढ़ दें। मैं कुछ देखने में लग गया था। I was indifferent....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा था, इसमें क्वेश्चन यह था, अवार्ड दिया गया था।

श्री रामकिशोर व्यास : असेम्बली के बारे में है क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न यह...

श्री अध्यक्षः आप इसको कह दीजिए।

सतीशचन्द्र अग्रवाल : That the award is vitiated having been given after the expiry of the time limit. The Government tried to remedy under the law but this is of no avail.

श्री अध्यक्ष : समझ गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कह दिया है। असेम्बली के बारे में नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,......

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने यह कहा था...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Main point is about the constitution of the committee.

इसके अलावा, यह उचित था कि कोई असेम्बली या पार्लियामेंट की रूलिंग पेश की जाये। इसके अलावा यह सुरीम कोर्ट की भी रूलिंग मानने वाले नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय,

This is 1966 Calcutta.

Proceedings inside the Legislative Chamber. Extent of powers, Legislative functions and proceedings not merely irregular but illegally or unconstitutional. High court is competent to issue mendate upon the Legislature. The patent law of jurisdiction मेरा क्वेश्चन यह है—That the appointment of the members to the Select Committee was illegal and unconstitutional without jurisdiction and this is liable to be challenged. और इसलिए इस कमेटी को पीरियड बार कह सकते हैं। इसलिए यह जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का है। इसमें यह रेमेडी करनी चाहिये। यही मेरी मन्शा है। (विराम)

अध्यक्ष महोदय, स्पीकर की पावर, उनकी ड्यूटी पार्लियामेन्ट्री प्रोसिजर में दी है।

Powers and duties and parliamentary procedure and meet.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ings of Legislative bodies......
मैं इस प्रकार ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। लेकिन इसमें टाइम की जो पावर डेलीगेट करना, किसी नियम में कहीं प्रावधान नहीं है। इसलिये मैं कहूंगा कि यह एसेंशियल फंक्शन हाउस का या मेम्बर्स का है। किसी यूनिट को डेलीगेट करने का नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सारा क़ानून अवैधानिक है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह अब तक ऐसे ही चला है तो यह तैयार नहीं है कि रैगुलराइज कर दिया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह नहीं चल सकता है। 18 सदस्य बैठेंगे। डिबेट होगी या नहीं, लेकिन यह प्रिविलेज समिति के अन्तर्गत, विधान सभा के सदस्यों को...

श्री अध्यक्ष : I have taken a note of this.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस तरह से अध्यक्ष महोदय (विराम)

तो अध्यक्ष महोदय, मेरा कल वाला प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर एक ही जगह स्टैंड करता है। मेरा यह नम्र निवेदन है कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक हम पेश करने जा रहे हैं, वह इल्लीगल होने के कारण, मैं समझता हूं, कि मैं सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूं और निवेदन करूं कि इसकी पहली कार्यवाही गलत हुई है। गैर कानूनी और असंवैधानिक है। यह हाउस में पेश नहीं हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि न समय बढ़ाया जाय और न इसकी रिपोर्ट को सदन में रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूं कि मैं राजस्व मंत्री को समय दूंगा उसके बाद व्यवस्था दूंगा। उधर से स्पष्टीकरण हो जाय तो समय बचेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : बोलिये श्री रामानन्दजी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है, मैं उसे दुरुस्त नहीं मानता और इसलिये उसका विरोध करने के लिए कुछ शब्द मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने अपने पाइन्ट ऑफ आर्डर में तीन आधार दिये हैं, जिनमें इस रिपोर्ट के समय को नहीं बढ़ाने की बात कही गई है, नम्बर एक कि इस कमेटी के मेम्बर इस हाउस के द्वारा नियुक्त नहीं किये गये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा किये गये हैं, नम्बर दो, इसका टाइम सात मई तक हाउस ने नियत किया था टाइम गुजर चुका है, अब रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से उस टाइम को बढ़ाया नहीं जा सकता, नम्बर तीन, सलेक्ट कमेटी का रिजोल्यूशन वोट के लिए रखा नहीं गया और माननीय मुख्य मंत्री जी के कहने पर उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया वह अवैधानिक है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष : नम्बर चार, पावर केन नाट बी डेलीगेटटेड टू दी स्पीकर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नम्बर नियुक्त करने के संबंध में इन्होंने अपनी दलील देते हुए यह कहा है कि जो हाउस का अधिकार है वह स्पीकर को नहीं दिया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इस पाइन्ट को लेता हूं, जो नियम 219 पढ़ा है,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जिसमें यह कहा है कि हाउस द्वारा उनके नाम, सलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स के नाम मुकर्रर किये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो प्रासीडिंग्स पढ़ी गई हैं, उसमें कौन कौन मेम्बर होंगे वह अधिकार अध्यक्ष महोदय को दिया गया है, कि अध्यक्ष महोदय बाद में कन्सलटेशन करके सलेक्ट कमेटी के नामों की घोषणा कर दें। माननीय सदस्य की पार्टी के लोगों ने हिस्सा लिया है इस सलेक्ट कमेटी में, सलेक्ट कमेटी के अन्दर उनके द्वारा कोई आपत्ति इस प्रकार की नहीं उठाई गई है यह तथ्य सामने है। अब यह सवाल है कि अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार दिया जा सकता है या नहीं। मेरा निवेदन है कि इन नियमों पर इस प्रकार की कहीं कोई पाबन्दी नहीं है और हमारी परम्परा के अनुसार जितनी भी सलेक्ट कमेटी बनी हैं उन सलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स की नामावली नहीं दी जाती है, सलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव पास होने के बाद में आप कन्सलटेशन के जरिये नामों की घोषणा करते हैं। मैं समझता हूं, इसके अनुसार, इस आधार पर इसके अन्दर कोई कानूनी गलती नहीं है।

दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो उन्होंने उठाया है सलेक्ट कमेटी के रिजोल्यूशन का, तो सलेक्ट कमेटी का रिजोल्यूशन न केवल माननीय सदस्या श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत का था, बल्कि उनके साथ साथ और भी कई माननीय सदस्यों का था, जिनमें मैं भी था और सलेक्ट कमेटी के प्रस्तावकों में सबसे पहला नाम श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत का था इसलिये...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनका प्रस्ताव पब्लिक ओपिनियन के लिए था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दोनों तरह के अलग अलग रिजोल्यूशन थे, दोनों तरह के रिजोल्यूशन मूव हुए थे, एक साथ मूव हुए थे। एक मोशन बोल दिया और किसी ने उसका समर्थन कर दिया। दूसरे माननीय सदस्यों के प्रस्ताव थे तो किसी का सात दिन के लिए था, किसी का दस दिन के लिए था, किसी का पन्द्रह दिन के लिये था। सब एक साथ मूव हुए थे इसलिए यह कहना सही नहीं है कि सलेक्ट कमेटी का रिजोल्यूशन नहीं था। सलेक्ट कमेटी का रिजोल्यूशन मूव हुआ था और जो लीडर आफ हाउस ने जो प्रपोजल रखा था कि सलेक्ट कमेटी का मोशन मंजूर कर लिया जाय, तो इसका मतलब यह है कि जो आलरेडी मूव्ड रिजोल्यूशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाय और इसका इन्फरेन्स यह है कि दूसरा जो रिजोल्यूशन पब्लिक ओपिनियन जानने के लिये था वह वापिस ले लिया जाय। और उस समय उसे किसी ने उसको प्रेस नहीं किया था, यह हाउस की प्रासीडिंग्स हैं उसमें साफ है, कि किसी ने जनमत जानने के प्रस्ताव को प्रेस नहीं किया..

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप नियम भी रैफर कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बाद में बोल लें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : नियम बता दीजिये साथ साथ। इस पर लम्बा चौड़ा डिस्कशन नहीं करना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसी ने प्रेस नहीं किया वरना सलेक्ट कमेटी के रिजोल्यूशन से पहले जनमत जानने के प्रस्ताव पर वोट होना चाहिये था। लेकिन उसको किसी ने प्रेस नहीं किया और मुख्य मंत्री जी के कहने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के ऊपर दूसरा प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार हो गया। इसलिये पहला प्रस्ताव विथड्रा हो गया और दूसरा प्रस्ताव जो मेम्बरान के जरिये मूव्ड था वह मंजूर हुआ यानि आपको अधिकार दिया गया सदस्यों के नाम घोषित करने का, जो परफेक्टली वेलिड है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिये यह सही नहीं है कि पावर डेलीगेट नहीं की जा सकती क्योंकि जो अध्यक्ष का पद है, हाउस की तरफ से उनको बराबर अधिकार देने के कितने ही प्रोवीजन हैं और जिनके अन्तर्गत अध्यक्ष हाउस की तरफ से काम करता है। और इसमें कान्क्रीट पावर दी गई है कि सलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स के नामों की वह घोषणा करें।

तीसरा मुद्दा जो है, माननीय सदस्य का कहना है कि सात मई मुकर्रर की गई थी मेरा निवेदन है कि जो भी प्रोसिडिंग्स अभी पढ़ कर सुनाई गई उसमें यह कहना दुरुस्त नहीं है। 7 मई मुकर्रर हो गई लेकिन हाउस का जो डिसीज़न है उसमें यह कहीं नोटेड नहीं है कि 7 मई मुकर्रर की जाती है। मुख्य मंत्री जी का प्रपोजल था कि सात मई तक दे दें, लेकिन हाउस को दे दे ऐसा नहीं है। सात मई तक सलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ले और बाद में इस पर डिस्कशन कर लिया जाय। हाउस का जो डिसीजन नोट किया हुआ है उसमें सात मई नियत की हुई है ऐसा प्रासीडिंग्स में नहीं है। बाद में जो बुलेटिन निकली उसमें यह कह देना काफी नहीं है। जो रूल 224 है, इसमें प्राविजो है उसके अनुसार कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है, कोई टाइम मुकर्रर नहीं किया गया है, तो तीन महीने का समय माना जायगा। यह प्राविजो 224 का है:

"Provided that where the house has not fixed any time for the presentation of the report by a Select Committee, the report shall be presented before the expiry of three months from the date on which the House adopted the motion for the reference of the Bill to the Select Committee;

Provided further that the House may at any time, on a motion being made, direct that the time for the presentation of the report by the Select Committee be extended to a date specified in the motion".

तो मेरा कन्टेन्शन यह है, अध्यक्ष महोदय, इसका प्राविजो ज्यादा लागू होता है क्योंकि कोई तारीख हाउस में रिपोर्ट पेश करने की मुकर्रर नहीं की गई है। जो मुख्य मंत्री जी ने सुझाव दिया था, वह जहां तक मैं समझता हूं, जैसा कि मिनिट्स में लिखा हुआ है, वह प्रपोजल यह था कि सात दिन के अन्दर सलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ले। सलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट हाउस के सामने कब प्रजेन्ट करे इसके बारे में नहीं कहा है। फर्स्ट प्राविजो के बारे में हाउस का डिसीजन चुप है, खामोश है इसलिए यह कहना सही नहीं है कि सात तारीख तक रिपोर्ट प्रजेन्ट करने की मुकर्रर की गई थी। इसमें कोई तारीख रिपोर्ट को पेश करने की मुकर्रर नहीं की गई इसलिए प्राविजो पहला लागू होता है, जिसके अनुसार तीन महीने के अन्दर अन्दर रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। आज यह रिपोर्ट तीन महिने के अन्दर अन्दर पेश हो रही है, इसलिए इसका समय बढ़ाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, और अननैसेसरी है समय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बढ़ाने की बात कहना भी चूंकि कोई टाईम मुकर्रर नहीं है और तीन महीने की लिमिट होने की वजह से रूल 224 के प्रॉविजो के तहत यह परफेक्टली टाइम के अन्दर है। लेकिन दलील के तौर पर माननीय सदस्य की इस बात को मान लिया जाय कि संता मई मुकर्रर हुई थी तो दूसरा प्राविजो है जिसके अन्दर टाइम बढ़ाया जा सकता है। इसमें यह दलील दें कि रेट्रोस्पेक्टिव से नहीं बढ़ाया जा सकता है तो यह रूल में नहीं है केवल माननीय सदस्य का यह इन्नोवेशन है। इसके संबंध में माननीय सदस्य ने दो रूलिंग पेश की हैं, एक तो 1953 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का रेफरेन्स दिया है, जो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के एवार्ड के संबंध में है एवार्ड कब तक दिया जाय, उसके लिए गवर्नमेंट तारीख मुकर्रर करती है, उस तारीख को एवार्ड नहीं दिया जाय तो एवार्ड की सारी पावर समाप्त हो जाती है। लेकिन हमारे रूल्स हैं। हमारे रूल्स के अन्दर दूसरी स्थिति है। उस एक्ट के एवार्ड की तारीख बढ़ाने की कोई प्राविजन नहीं है, जिस तरह कि रूल 224 के अन्दर है। इसलिए यह जो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की है यह लागू नहीं होती है। हमारा जो रूल 224 है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इस रूल के अन्दर तारीख बढ़ाने का अधिकार है, जो इस पर लागू होता है। दूसरे 1966 की कलकत्ता हाई कोर्ट की रूलिंग का रेफरेन्स दिया गया है, इसमें यह माना है कि कोर्ट को कानूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का जुरिस्डिक्शन है। जहां यह बहस हो कि कोर्ट को लेजिस्लेचर के मामलों में इन्टरवीन करने का अधिकार नहीं है वहां इस रूलिंग के जरिये हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा मामला जो मेनीफेस्टली इल्लिगल, या वायोलेशन आफ कान्स्टीट्यूशन हो ऐसे मामेलों में हाई कोर्ट इन्टरवीन कर सकता है। इसमें रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट वाला माननीय सदस्य का अपना इन्फरेन्स है। रिट्रोपेक्टिव अफेक्ट से बढ़ाना एबनीशियो इल्लिगल, अनकान्स्टीट्यूशनल हो ऐसा मालूम हो जाय तो उसमें हाई कोर्ट इन्टरवीन कर सकता है। तो जहां तक हाई कोर्ट की रूलिंग का सवाल है वह इस पर लागू नहीं होती है। इसलिये जो माननीय सदस्य ने पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है वह बिल्कुल आधारहीन है, इसलिए सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शब्द कहना चाहता हूं अगर आपकी आज्ञा हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में विशेष निवेदन नहीं करना चाहूंगा मेरा लक्ष्य यह कभी नहीं है कि इस मेजर को रिलोक करने के लिये बहानेबाजी करके सदन का समय व्यर्थ नष्ट किया जाय, लेकिन साथ साथ इस सदन के लिए शोभाजनक यह व्यवस्था होगी कि कानूनी दृष्टिकोण से इस संबंध में गम्भीरता पूर्वक विचार कर लिया जाय, आया इस मेजर को पास करने के पश्चात् कोई ऐसा विवाद तो नहीं रहता है जिससे हाई कोर्ट में जाकर इस सदन की सब परिश्रम है, वह निरर्थक हो जाय मैं सदन के अंदर उपस्थित नहीं था जब यह सिलेक्ट कमेटी की नियुक्ति होने की सूब इस सदन के द्वारा किया गया। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रोसीडिंग्स पढ़ीं, वह भी मैंने ध्यानपूर्वक सुनी। मैं दूसरे नियमों के संबंध में कोई रेफरेन्स नहीं देना

Page No. 68

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

चाहता लेकिन जो मुझे लगा-नियम 219 यह, मैं समझता हूं, एक मैन्डेटरी प्रावधान है। उसके रिक्वायरमेंट्स को सदन के द्वारा कम्पलीटली फुलफिल नहीं किया गया है तो, मैं समझता हूं तो अवश्य यह ऐसा लेकुना है जिस पर विवाद ही उत्पन्न नहीं हो सकता किन्तु यह मेजर स्ट्राइक डाउन भी हो सकता है। मैं कदापि स्वप्न में भी यह निवेदन नहीं करना चाहता कि मेरे दल की या मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि एक मिनट के लिए भी इस मेजर को पास करने में कोई रुकावट डाली जाय लेकिन इस नियम 219 को एक बार फिर मैं पढ़कर सुना दूंगा। अगर इसके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हुए हैं तो सिलेक्ट कमेटी लीगली कान्सटीट्यूटेड कमेटी नहीं है। ऐसी हालत में उसके पश्चात् जो कुछ मेजर के, एन्एक्टमेंट के संबंध में प्रोसीडिंग्स हैं वह भी इक्वली इप्सो फैक्टो नल एण्ड वाइड है। दूसरे विवादास्पद इसके अंदर प्रोवीजन्स हैं। उनके संबंध में कोई निवेदन नहीं करना चाहूंगा लेकिन 219 की वर्डिंग ये हैं जिनको मुलाहिजा फरमायें:

The members of a Select Committee on a Bill shall be appointed by the House when a motion that the Bill be referred to a Select Committee is made.

यह बिल्कुल मेन्डेटरी फंक्शन आफ दी हाउस, प्रिरॉगेटिव आफ दी हाउस प्रिविलेज आफ दी हाउस, राइट आफ दी हाउस है। अगर इस राइट आफ दी हाउस को विश्येट किया गया है तो इस पर प्रोसीडिंग्स, आपकी रूलिंग और विधि मंत्री कुछ प्रकाश डालेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 219 के मैन्डेटरी प्रोवीजन्स को अगर फालो नहीं किया गया है तो आप कल इस विधेयक को ला सकते हैं। शासनारूढ दल बहुमत के द्वारा कल इस मेजर को पास करा सकता है। लेकिन इसमें लेकुना रखना, मेरे खयाल से ऐसी संभावना उत्पन्न अगर होती है तो यह लेकुना नहीं रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री।

श्री राम किशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सीलिंग बिल पर जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के लिए मैं टाइम मांगने का प्रतिवेदन सदन में पेश करता, उससे पहले ही कुछ आपत्ति उठाई गई। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य अग्रवाल साहब ने और महारावल साहब ने यह बात कही कि आज इस बिल को न लिया जाय, इसमें कोई कानूनी कोताही न रह जाय जिससे हाई कोर्ट में सेट असाइड हो जाय, गलत करार दिया जाय, अवैध घोषित किया जाय और उससे इस सदन की और बिल के अमल में काफी कठिनाई होगी। उन्होंने जो उद्देश्य जाहिर किया है उससे तो मैं सहमत हूं कि कोई कानूनी कोताही नहीं रहनी चाहिए, कानून के अनुसार काम होना चाहिए, और यह जो बिल आपके सामने आया है, वह नियमानुकूल है या नहीं, कायदे अनुसार है या नहीं, किन्हीं नियमों का वायोलेशन है क्या, यह मुद्दा सामने है। माननीय अग्रवाल साहब ने कुछ दलीलें दी हैं कुछ पोइंट्स रेज कीं है, उनसे मैं नाइत्तफाक रखता हूं। मेरी मान्यता है कि जो सिलेक्ट कमेटी का निर्माण हुआ है वह बिल्कुल कायदे के अनुसार हुआ है, कोई कोताही नहीं है और जो आपने कहा है कि सिलेक्ट कमेटी प्रॉपरली कान्सटीट्यूटेड

(श्री रामकिशोर व्यास)

नहीं है, स्पेसिफिक वोट नहीं हुआ, स्पेसिफिकली वोट पर पुट अप नहीं हुआ है, इनके मेम्बर्स के नाम अनाऊंस नहीं हुए हों, ऐसी कमेटी के बारे में स्पीकर महोदय को अधिकार भी नहीं दिया गया हो, वह कमेटी बनी वह बिल्कुल गैरकानूनी है । आपको यह भी एतराज है कि थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय वह सही भी हो, तो रिपोर्ट जो समय पर आनी चाहिये थी वह समय पर नहीं आई, रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से समय नहीं बढाया जा सकता । आपका कहना है कि सिलेक्ट कमेटी इल्लीगल है, अन्कान्सटीट्यूशनल है, अन्वारंटेड है और डिसीजन ऑफ दी हाउस से सपोर्टेड नहीं है । उन्होंने उस दिन की कार्यवाही पढी । मेरा निवेदन है कि 14 तारीख को सीलिंग बिल पर बहस हो रही थी उस समय मुख्य मंत्रीजी ने बीच में एक प्रस्ताव रखा था कि इस मामले को सीलिंग बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय, मई के पहले सप्ताह तक उसकी रिपोर्ट तैयार हो जाय और विधेयक सदन में आ जाय, उसके सदस्य बाद में घोषित किए जायेंगे या स्पीकर महोदय घोषित करेंगे । उस समय निश्चित रूप से जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इस प्रश्न को सदन के सामने रखा है और सदन ने उसको एग्री किया है, किसी ने नहीं कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्ताव रखा था कि सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय, 7 मई तक रिपोर्ट आ जाय, उसके बाद सदन बुला लिया जाय और उस पर विचार करके तय किया जाय । यह जो सुझाव था, इस पर स्पीकर महोदय ने प्रोसीडिंग्स पढ़ ली हैं, मैंने देखी नहीं लेकिन जो आपने सुनाई है, उससे कहता कि स्पीकर ने प्रस्ताव रखा है, सदन ने एप्रूव किया है और पास किया है । अब सवाल आता है कि ऐसा डेलीगेशन मेम्बर्स के बारे में वह कर सकते थे या नहीं और 219 का जो कुछ हवाला दिया गया है रूल्स ऑफ बिजनेस का, इसमें लिखा है :

The House shall appoint the members of the committee.

लेकिन यह रोज होता है । स्पीकर महोदय इस सदन की विशेज को कैरी आउट करते हैं और जो निर्णय सदन देता है उसको कई बार इम्पलीमेंट करते हैं । सिलेक्ट कमेटी के बीसों मिसाल मिलेंगे जहां सदन ने तय किया है कि स्पीकर उसके नामों को अनाऊंस करेंगे । आम तौर से देखने में आता है कि सिलेक्ट कमेटी या और कमेटियों के सदस्यों के नाम स्पीकर आपस में बातचीत करके बाद में घोषणा करते हैं । तो यह कहना कि स्पीकर को यह अधिकार नहीं था कि सिलेक्ट कमेटी के नामों की घोषणा करते, ये पावर्स डेलीगेट नहीं की जा सकती थी, यह सही नहीं है । सदन की जो परम्परा रही है, आप प्रोसीडिंग्स निकालें, जो सिलेक्ट कमेटी या दूसरी कमेटीज के मेम्बर्स हैं उनको बाद में स्पीकर ने अनाऊंस किया है और आपने उसको माना है ।

(1 म० प०)

यह परम्परा के अनुसार है । जब इस हाउस में स्पेसिफिक क्वेश्चन के रूप में चीफ मिनिस्टर साहब ने मोशन को रखा है उसको हाउस ने एप्रूव किया है उस समय किसी ने विरोध नहीं किया । इसलिए कोई वजह नहीं कि हाउस की कन्सेन्ट न मानी जाय ।

इसके अलावा सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर वाली जो बात कही गई है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वह स्पीकर महोदय द्वारा नियुक्त की गई है और स्पीकर

(श्री रामकिशोर व्यास)

महोदय को इसका पूरा अधिकार है। इस बारे में आप प्रोसीडिंग को पढ़ सकते हैं। इस बुनियाद पर जो बातें कही जाती हैं कि कमेटी का फैसला जो है वह गैरकानूनी है, वह गलत है। जो कमेटी बनी हुई है वह कानूनी तरीके से बनी हुई और इसका फैसला भी कानूनी है। गैरकानूनी कमेटी का फैसला गैरकानूनी हो सकता है उसके लिए कहे तो वाजिब है। मैंने जो फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं वह सब उस दिन कार्यवाही से आपको जाहिर हो जायेंगे। यह मोशन हाउस के सामने आया है हाउस ने उस पर निर्णय लिया है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और वह उसी के अनुसार किया गया है।

दूसरा पोइण्ट जो रखा गया है वह यह है कि कमेटी की मियाद 7 मई थी उस वक्त तक रिपोर्ट नहीं आई. सदन में पेश नहीं हुई इसलिए इसकी समय अवधि में वृद्धि न की जाय। इसके दो पहलू हैं उनको मैं अर्ज करूंगा। पहला तो वाकेआत के बारे में अर्ज करूंगा और जो इसका कानूनी पहलू है, वह बाद में अर्ज करूंगा। 14 अप्रेल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात तय हुई थी। मैंने सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग 30 अप्रेल को बुलाई। बीच में बुलाना चाहता था लेकिन नसीराबाद, टोंक के उपचुनाव में सभी सदस्य व्यस्त थे इसलिए पहले बुलाना उचित नहीं समझा। सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग 30 को हुई. 1 को हुई, 2 को हुई और 3 तारीख को भी हुई और 5 को भी मीटिंग हुई इसकी फाइनल रिपोर्ट 5 को तैयार हो गई। उसके बाद नोट ऑफ डिसेण्ट के लिए समय दिया गया। 8 तारीख उसके लिये नियत की गई। उस दिन तक जो देना चाहे दे सकते हैं। 8 तारीख को नोट ऑफ डिसेण्ट आ गये। उसके बाद 9 व 10 तारीख को अवकाश था और जिस दिन हमारे इस सदन की बैठक हुई। 11 तारीख को उसके पहले उसको सरकुलेट कर दिया गया और इस तरह से यह 11 के हाउस के बिजीनेस में आ गया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से देरी हुई ? सिर्फ आपका एतराज यह है कि 7 तारीख तक इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिये थी जो नहीं आयी इसमें कानूनी क्या कठिनाई है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : आपने स्पीकर साहब को दे दी थी क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपने जो मुद्दा उठाया है स्पीकर साहब को दे देनी चाहिये आप रूल्स को उठाकर देख लीजिए। सिलेक्ट कमिटी के मीटिंग के रूल्स हैं उसमें कहीं इस प्रकार का प्रावधान नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हाउस नहीं चल रहा है तो आप किसको देंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जहां तक इस रिपोर्ट का ताल्लुक है जिस दिन तैयार हुई उसी दिन असेम्बली सचिवालय को भेज दी गई है। 5 तारीख तक रिपोर्ट तैयार हो गई थी इसलिए इसको न भेजने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री रामानन्दजी ने एक बात रखी मियाद मुकर्रर थी या नहीं। दोनों बातों को मान लिया जाय मुकर्रर नहीं थी या मुकर्रर थी उससे क्या फर्क पड़ता है। समय की अवधि किसी भी समय बढ़ायी जा सकती है। इसमें जो लिखा विदिन टाइम इसमें वह आ जाता है। सात तारीख की मियाद

Page No. 71

(श्री रामकिशोर व्यास)

थी 11 तारीख को हाउस मीट हुआ उसी रोज वह बिजनेस में आगया। टाइम किस हद तक बढ़ाया जाय इसका जो रिलेवेण्ट प्रोवीजन है वह मैं पढ़ देता हूं। सिलेक्ट कमिटी के मुत्तालिक जो क्लाजेज हैं वह 219 से लेकर 226 तक के हैं। यह प्रेजेन्टेशन आफ रिपोर्ट के बारे में हैं। इसका सब से रिलेवेण्ट सेक्शन 224 है जिसमें बहुत साफ कहा है जब भी चाहे हाउस की इजाजत से टाइम बढ़ा सकते हैं :

"Provided further that the house may at any time, on a motion being made, direct that the time for the presentation of the report by the Sellect Commitee be exten-ded to a date specified in the motion" इसमें रिट्रोस्पैक्टिव बेसिस का सवाल नहीं है आम तौर पर जब भी जरूरत होती है टाइम की अवधि बढ़ायी जा सकती है। और रिपोर्ट के सबमिशन का जहां तक सवाल है उसके लिए भी साफ लिखा है उसके लिए भी कोई कण्डीशन नहीं है। "Provided further that the house may at any time, ou a motion being made, direct that the time for the presentation of the report by Select Committee be extended to a date specified in the motion" हाउस द्वारा जब भी चाहे समय बढ़ाया जा सकता है और वह भी चाहे जितना जितना चाहे, जैसा चाहे टाइम बढ़ाया जा सकता है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं थी इसलिए यह प्रोवीजन यहां लागू होता है।

कुछ हाई कोर्टस की रूलिंग का भी हवाला दिया। आरबीट्रेशन एक्ट का भी हवाला दिया गया। अवार्ड जिस टाइम तक मुकर्रर की जाती है उसके लिए आरबीट्रेशन एक्ट में प्रोवीजन है उसके बाद में देंगे तो वह इन वेलिड हो जायगा।

दूसरा रूलिंग ओफ दी हाई कोर्ट का सवाल है। उसके लिए मेरा निवेदन है कि सर्टेन अफेयर्स में हाईकोर्ट इन्टरफीयर कर सकता है। हां, इस बारे में हमें इन्कारी नहीं है। असेम्बली और पालियामेण्ट के मामले में हाई कोर्ट अपना दखल दे सकता है। आपकी इस संबंधी दोनों दलीलें ठीक नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सिलेक्ट कमेटी प्रोपरली, लीगली और कोन्स्टीट्यूशनली सही तौर से बनाई गई है। स्पीकर क पावर्स थे। उनके अधिकार में यह है कि हाउस में जो तय हो उसके माफिक कार्य करें। सिलेक्ट कमेटी ने टाइम पर रिपोर्ट दी है। 7 तारीख के बाद असेम्बली शुरू होने के पहले ही दिन हमने इसको बिजीनेस में रख दिया था।

श्री भेरोंसिंह : मैं आपसे एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। आप बारबार मुख्य मंत्री जी का नाम लेकर कहते हैं कि उन्होंने प्रस्ताव रखा था उस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया और वह मन्जूर हो गया और उसी आधार पर स्पीकर महोदय ने समिति की नियुक्ति कर दी। मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि जो प्रोपोजल या प्रस्ताव रखा गया था क्या वह नियम 67 के अन्तर्गत जिस प्रकार से मोशन मूव किया जाना चाहिए उसी प्रकार से किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले से ही प्रोपोजल मौजूद था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैंने कहा मोशन आलरेडी था उस मोशन को गवर्नमेण्ट की तरफ से मूव किया हो यह बात नहीं थी ।

श्री भैरोंसिंह : आपका इण्डिपेन्डेण्ट मोशन नहीं था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो मोशन हाउस में था उसी पर मेरा अमेण्डमेण्ट है ।

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण समाप्त हुआ ।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के संबंध में व्यवस्था ।

विशेषाधिकार प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : अभी एक व्यवस्था का प्रश्न श्री सतीशचन्द्र जी अग्रवाल ने उठाया उससे पहले कल एक अन्य व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था जिससे इस सदन में डिसआर्डर हुआ था उस संदर्भ में....

श्री भैरोंसिंह : अव्यवस्था हुई नहीं थी उसकी आड़ ली गई थी ।

श्री अध्यक्ष : उसकी आड ली जा रही थी या क्या इसके विश्लेषण में न जाता हुआ मैंने किसी कारण कल सदन को स्थगित किया था । स्थगित किये जाने के पश्चात यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था कि मैंने स्थगन की जो अभिव्यक्ति दी थी उसमें पुनः सदन के मिलने का कोई समय नहीं दिया था । इसलिए कल की सदन की बैठक अनकांस्टीट्यूशनल है, ऐसी आपत्ति कल उठाई गई थी । मैं उक्त व्यवस्था के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था कभी भी दे सकता था लेकिन अभी चूंकि माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने जो पॉइंट आफ ऑर्डर उठाया है इसलिए मेरे लिये यह आवश्यक है कि पहले मैं उस प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दे दूं ताकि दूसरा प्रश्न जिस पर मैं अपनी आज व्यवस्था दूं यह वेलिड हो सके । इसलिये पहले वह व्यवस्था माननीय सदस्यों के सम्मुख उपस्थित कर देता हूं ?

कल माननीय श्री मुकट बिहारीलाल गोयल ने एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करते हुए कहा था कि समय का निर्धारण किये बिना आसन द्वारा जो सदन की बैठक का स्थगन किया गया था उसको पुनः बुलाने के लिए नियमानुसार दूसरा नोटिस जारी करना चाहिए था और तभी सदन की बैठक विधिवत् गठित की हुई मानी जायेगी ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कल इस प्रश्न के पक्ष और विपक्ष में अपनी राय दी है. मैंने इस प्रश्न पर अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझ कर इस पर अपना निर्णय स्थगित रखा था ताकि इस प्रश्न के समस्त पहलुओं पर अध्ययन करने के पश्चात् व्यवस्था दी जा सके ।

सदन की बैठकों को स्थगित करने के लिये अध्यक्ष का अधिकार नियमों, सुनिश्चित प्रथाओं और पूर्व उदाहरणों से सीमावद्ध है । जहां तक सामान्य दैनिक स्थगन प्रश्न है, उनकी व्यवस्था हमारे नियमों के नियम 12 में की गई है जिसके अनुसार अध्यक्ष को नियत समय पर सदन को स्थगित करना पड़ता है । यदि सदन को नियत समय से पहले या बाद में स्थगित करना हो तो, सदन

(श्री अध्यक्ष)

की भावनाओं को जान कर, सदन की सहमति से, ऐसा किया जाता रहा है । सदन को अनिश्चित काल के लिये या किसी और दिन तक के लिए या उसी दिन के किसी समय या भाग तक के लिए स्थगित करने का अधिकार अध्यक्ष को नियम 13 के अन्तर्गत प्राप्त है । अध्यक्ष यदि उचित समझे तो सदन की बैठक अनिश्चित काल अथवा समय से पूर्व अथवा यदि सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई हो तो स्थगित किये जाने के बाद किसी भी समय बुला सकता है । इस विधान सभा में प्रत्येक बार सदन की बैठक स्थगित करने के लिए प्रस्ताव रखने की आवश्यकता नहीं होती जैसी कि ब्रिटेन में प्रक्रिया है । यह प्रश्न अध्यक्ष के स्वविवेक तथा स्वस्थ परम्पराओं के विकास पर छोड़ दिया गया है और यह परम्परायें इतनी सबल एवं विकसित हो चुकी हैं कि इनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

सदन के स्थगन की एक और स्थिति है और वह यह है कि जब सदन में गंभीर रूप से अव्यवस्था हो जाये तो अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक पर, नियम 293 के अन्तर्गत, बैठक कुछ देर के लिये स्थगित या निलम्बित की जा सकती है । कल इस सदन में जिस प्रकार की अव्यवस्था थी उससे माननीय सदस्य भली प्रकार अवगत हैं । मैंने काफी कोशिश की कि माननीय सदस्य सदन के कार्य–संचालन में आसन को सहयोग प्रदान करें परन्तु मेरी निरन्तर अपील के उपरान्त भी स्थिति जैसी थी वैसी ही रही । अतः विवश होकर मुझे सदन की कार्यवाही इन शब्दों के साथ स्थगित करनी पड़ी कि,

"सदन की कार्यवाही इस डिसऑर्डर के संदर्भ में स्थगित करता हूं और स्थगित करने के बाद चिंतन करूंगा कि किस तरह से ऑर्डर रेस्टोर किया जाये तब तक सदन की कार्यवाही स्थगित समझी जाये।"

प्रक्रिया नियमावली के नियम 12 (2) में सामान्यतः सदन की बैठकों का समय प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक रखा गया है । सदन की बैठक जब स्थगित की जाती है तो उसके पूर्व आसन की ओर से बैठक को बुलाने की निश्चित तिथि एवं समय की घोषणा की जाती है । यदि सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करना होता है तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है :

"सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है ।"

सदन की कल की कार्यवाही को स्थगित की जाने की घोषणा की अभिव्यक्ति में कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है जिससे यह आभास अथवा संकेत हो कि सदन की कार्यवाही दूसरे दिन अथवा अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई है । जब स्थगन का सामान्य समय 5 बजे तक का है और सदन की कार्य-वाही मध्यान्ह 12. 45 बजे उपरोक्त शब्दों के साथ स्थगित की गई थी तो इससे यह समझना कि सदन की कार्यवाही दूसरे दिन या अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई है, ठीक नहीं होगा ।

नियम 293 में महत्वपूर्ण शब्द Adjourn the House or suspend any sitting for a time to be named है । इन शब्दों को यदि नियम 13 के साथ पढा जाये तो स्पष्ट होगा कि नियम 13 में शब्द 'अवर' का प्रयोग किया गया है और नियम 293 में 'टाइम' का

(श्री अध्यक्ष)

प्रयोग किया गया है । 'अवर' से निश्चय ही दिन का कोई समय जैसे. 1, 2।। या 4 बजे माना जाना चाहिए परन्तु टाइम से यह मतलब नहीं निकलता है । टाइम से तात्पर्य दिन के किसी भी भाग से ही होगा । इस संदर्भ में जब मैंने स्पष्टतया यह कहा कि "किस तरह से आर्डर रेस्टोर किया जाय तब तक सदन की कार्यवाही स्थगित समझी जाय" उस से यही मतलब निकलता है कि डिस-आर्डर की स्थिति में उसी दिन 5 बजे के पूर्व 5 बजे तक की सीमा में ही सदन की बैठक बुलाने की मान्यता थी । सदन के सामान्य स्थगन अर्थात् 5 बजने के पूर्व किसी भी समय तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई थी और अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । इस संदर्भ में मैं कौल एण्ड शकधर की प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट पुस्तक के पृष्ठ 761 से निम्न उद्धरण देना चाहूंगा :—

"If grave disorder arises in the House, the Speaker has the power to adjourn the House or suspend the sitting for such a duration as he may deem fit."

यदि माननीय सदस्य मेरे इस कथन की स्पिरिट को सदन में उत्पन्न वातावरण की पृष्ठभूमि में देखें तो मेरा विश्वास है कि स्थिति स्पष्ट हो जायगी । मैं माननीय सदस्यों को स्मरण करा दूं कि पूर्व में भी कई अवसरों पर इसी विधान सभा और कुछ अन्य विधान सभाओं में सदन की बैठक, समय का निर्धारण किये बिना अर्थात् कुछ समय के लिए स्थगित की गई है और उसी दिन पुनः प्रारम्भ हुई है । ऐसे भी अवसर आये हैं कि किसी असाधारण घटना के कारण कोई समय निश्चित किये बिना ही सदन को स्थगित करना पड़ा है और बादमें पुनः सदन की कार्यवाही आरम्भ हुई है । ऐसे अवसरों पर कोई नोटिस जारी नहीं किये गये । सदन के स्थगन से मेरी मंशा कदापि यह नहीं थी कि सदन की कार्यवाही को संदिग्ध स्थिति अथवा सस्पेन्स में डाल दिया जाये और माननीय सदस्यों को यह आभास होने लगे कि यह स्थगन अनिश्चित काल के लिये किया गया है । जैसा कि कल मैंने अपनी प्रारम्भिक समीक्षा में उल्लेख किया था, समय का संकेत मेरे स्थगन आदेश में निहित था और आज के इस विश्लेषण के संदर्भ में भी यदि पूरी स्थिति को देखा जाये तो निश्चय ही यह बात सामने आती है कि स्थगन की घोषणा से मेरा इरादा सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का कतई नहीं था और न ही उसको ऐसा समझा जाना चाहिए और क्योंकि माननीय सदस्य सभी दूसरी बैठक की प्रतीक्षा में रहे और घंटी बजते ही सदन में उपस्थित हुए अतः इसकी पुष्टि उनके व्यवहार से भी होती है ।

इस संबंध में प्रक्रिया तथा नियमों के नियम 308 का उल्लेख करना भी आवश्यक प्रतीत होता है जिसके अनुसार नियमों के उपबन्धों में से किसी की व्याख्या के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो तो उस पर अध्यक्ष का विनिश्चिय अंतिम होगा । इस स्पष्टीकरण के बाद मैं समझता हूं कि कल स्थगन के पश्चात जो भी बैठक हुई है वह विधिवत् गठित मानी जानी चाहिए और उसके बुलाने के लिए कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं थी । अतः जो व्यवस्था

(श्री अध्यक्ष)

का प्रश्न उठाया गया, उसको मैं अस्वीकार करता हूं ।

इसके उपरांत जो आज माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने व्यवस्था का प्रश्न इस टिनेन्सी बिल के संबंध में उठाया है, उसमें मुख्य मुद्दे यह हैं ।

पहला जो प्रश्न उठाया गया है उसमें दो प्रश्न हैं पहला पब्लिक ओपीनियन को इलीसिट करने के संबंध में प्रस्ताव और दूसरा सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के संबंध में । ऐसे कई सदस्यों के प्रस्ताव हैं किन्तु उन सभी को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, दूसरा प्रश्न जो उठाया गया है कि सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों को सदन ही अपोइन्ट कर सकता है और इसके पावर अध्यक्ष को डेलीगेट नहीं किये जा सकते, तीसरा मुद्दा है कि सात तारीख को ही सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी। अब 11, 12 या 13 को कोई रिपोर्ट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं प्रस्तुत की जा सकती ।

अन्य जो प्रश्न उठाया गया है वह यह है कि प्रस्ताव सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर इन्चार्ज ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है । इसके लिये रूल 68 का उल्लेख भी किया गया है ।

मैं पहले के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा निश्चय ही दो प्रकार के प्रस्ताव सदन के सामने थे । एक तो जनमत जानने का और दूसरा सिलेक्ट कमेटी में भजे जाने का ।

इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रवर समिति को सुपुर्द करने का था उसको मुख्य मन्त्रीजी ने स्वीकार कर लिया । सिलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के दो आधार होते हैं । या तो उसे सदन के मत के लिये रख दिया जावे और मत के आधार पर वह गिर जावे या स्वीकार किया जावे या उसको सरकार की ओर से स्वीकार कर लिया जावे । यदि उसे सरकार की ओर से स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर आपत्ति का प्रश्न नहीं रहता । चूंकि मुख्य मन्त्री ने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया और इसके बाद प्रोसीडिंग्स ऑफ दी हाउस इस बात की पुष्टि करती है कि इस प्रश्न को सदन के सम्मुख इस प्रकार रखा गया कि प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी विधेयक, 70 को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे; इसके अनुसार यह प्रस्ताव मत के लिये रख दिया गया और स्वीकार किया गया । अतः अब आपत्ति जो उठाई गई कि यह प्रस्ताव के रूप में नहीं था और यह संशोधन के रूप में था जिसको राज्य सरकार ने स्वीकार किया । तो वह आपत्ति मेरी निगाह से ठीक प्रतीत नहीं होती ।

इसके अतिरिक्त जो दूसरा प्रश्न कि प्रस्ताव जनमत जानने का जो प्रस्ताव माननीय सदस्या का था वह मत के लिये नहीं रखा गया ऐसी ध्वनि माननीय सदस्य के पॅाइन्ट ऑफ ऑर्डर से निकलती थी । चूंकि पहला प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और दूसरे प्रस्ताव पर कोई आग्रह नहीं किया गया इसलिये वह प्रस्ताव गिरा हुआ माना जाना चाहिये । फिर भी यदि मान लिया जावे कि गिरा नहीं, तब भी दुवारा सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जब प्रस्तुत हो उसे उठाया जा सकता है। पर मेरी मान्यता

(श्री अध्यक्ष)

में क्योंकि उस पर आग्रह नहीं किया गया और संशोधन का प्रस्ताव मान लिया गया इसलिये वह वहीं निरस्त समझा जाना चाहिये।

दूसरा प्रश्न है सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों को सदन अपोइन्ट करे न कि अध्यक्ष। इसमें नियम 219 का रेफेरेन्स दिया है। निश्चय ही उक्त नियम में 'Shall' शब्द का प्रयोग है जिसका आशय अनिवार्यतः है। राजस्व मंत्री ने इस संबंध में यहां की परम्पराओं का भी जिक्र किया है इसके अतिरिक्त भी यह सदन सुप्रीम है और जब सदन सुप्रीम है तो वह अपने पावर्स किसी व्यक्ति विशेष को भी दे सकता है। क्योंकि इस हाउस की शक्तियां अपरिमित हैं, असीम हैं, सुप्रीम हैं, ऐसी स्थिति में इस सदन ने अध्यक्ष को वह शक्ति प्रदान की है जो उसमें सन्निहित है अतः उसको यही समझा जाना चाहिये कि ये पावर अध्यक्ष के नहीं हैं, सदन के ही हैं, जो सदन द्वारा अध्यक्ष को दी गई हैं। इस सन्दर्भ में इस प्रश्न को भी मैं अधिक वजनदार नहीं समझता।

तीसरा प्रश्न रिपोर्ट का समय रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं बढाया जा सकता। इस संबंध में माननीय सदस्य ने रूल 224 का उल्लेख किया है। इस संबंध में परम्पराओं का हवाला दिया गया है और इन्हीं परम्पराओं के आधार पर समय का बढाया जाना, रिट्रोस्पैक्टिव इफेक्ट से मान्य होना बतलाया गया है। इस दलील में वजन है। व्यवहारिक रूप से मान्यता के आधार पर यदा कदा जब सदन किसी प्रश्न पर एक सम्मति का होता है तब 'एज' 'नोज' की प्रक्रिया के बिना ही किसी एक सदस्य के द्वारा स्वीकृति देने पर भी एकमत मान लिया जाता है और अध्यक्ष की तरफ से उस प्रश्न पर बिना स्वीकृति की विवेचना किये भी माननीय सदस्यों की एकमत की मान्यताओं को लक्ष्य में रखते हुए प्रश्न को स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे आज ही ऐसा उदाहरण सामने आया जबकि यहां चार पांच प्रश्न उठाये जाने वाले थे तब एक सदस्य ने कहा कि स्वीकृति मानली जावे जैसा कि सदन के सम्मुख मत के लिये रख दिया गया हो—वैसा ही कर लिया गया। लेकिन मैं उस सन्दर्भ में नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ रूल 224 जो रखा गया है उसके सन्दर्भ में ही इस प्रश्नका निराकरण करना चाहूंगा। रूल 224 में यह उल्लेख है :—

"224. (1) As soon as may be, after a Bill has been referred to a Select Committee, the Select Committee shall meet from time to time in accordance with rule 189 to consider the Bill and shall make a report thereon within the time fixed by the House."

वह तीन महीने का हो या सात तारीख का हो, उस विवेचन में भी मैं नहीं जाना चाहता। तीन महीने का है तो भी सुविधाजनक है, और सात दिन का है तो भी कुछ असुविधाजनक नहीं है। इस सन्दर्भ में मैं रूल को पढ़ना चाहूंगा :-

"Provided further that the House may at any time, on a motion being made, direct that the time for the presentation of the report by the Select Committee be extended to a date specified in the motion."

(श्री अध्यक्ष)

इसमें जो इन्टरप्रिटेशन के लिए शब्द 'At any Time' महत्वपूर्ण है इसकी व्याख्या या इन्टरप्रिटेशन करना हो तो आवश्यक नहीं है क्योंकि वह व्याख्या इस सन्दर्भ में स्वयं में स्पष्ट है। 'एट एनी टाइम बिफोर दी टाइम आफ्टर दी टाइम, इस 'एनी टाइम' के शब्द की व्याख्या में रिट्रोस्पेक्टिव का आशय सम्मिलित है। इसलिये मैं इसका इन्टरप्रिटेशन 'एट एनी टाइम' का यह करता हूं कि जो समय इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का तारीख 7 का था और फिर तारीख 7 से तारीख 12 का हो गया कि वह पिछला एवं अगला समय 'एनी टाइम' की व्यापक व्याख्या में सन्निहित हो जाता है और मैं यह क्यों कहता हूं। यों तो 'एनी टाइम' की व्याख्या को व्यापकता से स्पष्ट है; फिर भी कोई एम्बीग्युटी हे तो नियमों की अस्पष्टता को इन्टरप्रेट करने का अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है कि यदि कोई एम्बीग्यूटी कहीं रह जावे तो कैसे उसकी रेमिडि की जा सकती है अतः उन अधिकारों के अन्तर्गत यदि इसमें कोई एम्बीग्यूटी है तो मैं उसे इस प्रकार स्पष्ट करता हूं और इस 'एनी टाइम' की व्याख्या में उपरोक्त आशय समझा जावे। ये दोनों इन्टरप्रिटेशन एक दूसरे से लिंक्ड हैं और उपयक्त हैं।

तीसरा प्रश्न माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी ने रखा है कि सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का मोशन रखने का दायित्व मेम्बर इन्चार्ज का है। नियम में शब्द है 'मेम्बर इन्चार्ज'। प्रथम तो मैं यह निवेदन कर दूं कि सुपुर्द करने का प्रश्न इस मोशन म नहीं है। मोशन जो सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का था वह संशोधन के रूप में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। ऐसी स्थिति में उस सन्दर्भ में हमें इस व्याख्या को देखना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त भी मैं निवेदन करूं कि मेम्बर इन्चार्ज की व्याख्या बहुत विषद् है। मेम्बर इन्चार्ज की व्याख्या हम करते रहे हैं जिसकी परम्परा बन गई है और मैं अभी उसकी व्याख्या करना चाहता हूं कि–

"Member in-charge" would mean any Minister of the Cabinet"

इस सन्दर्भ में मेम्बर इन्चार्ज की परिभाषा में कोई भी मिनिस्टर उसमें मुख्य मंत्री भी आते हैं शामिल हो जाते हैं। इसलिए जो सतीशचन्द्रजी अग्रवाल द्वारा उठाई गई आपत्ति है, इस बिल में भी अधिक वजन मुझे प्रतीत नहीं होता है ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य को एक और निवेदन मैं कर दूं, मैंने रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट के लिए कानून के आधार पर रखा है, इसके लिए मैं सिविल कोड को रखना चाहता हूं। जिससे कि अभिप्राय लॉ की क्या इण्टेंसन है। कानून की मान्यता को उसकी मदद मिलती है।

"**148.** Whre any period is fixed or granted by the Court for doing of any act prescribed or allowed by this Code, the Court may, in its discretion, from time to time, enlarge such period even though the period originally fixed or granted may have expired."

मैंने तो कानून का इण्टेंशन, सुविधाजनक स्थिति के लिए आपके सामने रखा है। इसलिए यह....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह क्या...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सतीशचन्द्र अग्रवाल ने बड़े अध्ययन और मनन के बाद जो तथ्य उठाये हैं, मैं उनमें अधिक वजन न समझते हुए, उनको अस्वीकार करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने क्वालिफिकेशन की अपनी व्यवस्था में कहा है कि सदन ने पावर दी हैं। सदन की पावर ऐसे डेलीगेट हो सकती हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैंने इस प्रश्न की व्याख्या बहुत कुछ करदी है। मैंने यह कहा है कि कभी कभी प्रस्ताव जुबानी, कभी कभी मौन रूप से भी, यहां तो मौन रूप से नहीं, शब्दों में, और सदन भी मौन नहीं, सजग होकर देता है, तो वह साधारण इर्रेगुलेरिटी है, उसकी रेमेडी हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : यह सदन की अपने आप में पावर्स रेज करने की परम्परा न हो जाये। कहीं ऐसी स्थिति पैदा न हो जाये। इसलिए यह पावर्स अपने में लेकर सदन को परिचय दो, इस प्रकार का उदाहरण न बना लें।

श्री अध्यक्ष : आप मेरी व्यवस्थाओं से सदैव सजग रहे हैं। मैंने एक समिति का निर्माण किया है माननीय सदस्य भी उसके एक सदस्य हैं। और आपको भी नहीं मिलेगा। जितना काटना है, उतना काट लें। जितना रखना है, उतना रख लें।

श्री भैरोंसिंह : वाह।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर व्यास, रेवेन्यू मिनिस्टर।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेंसी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को 13 मई, 1970 तक बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

राजवी श्री रूपसिंह : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था हो गई है।

राजवी श्री रूपसिंह : You are a creation of the House,

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। I do say I am a creation of the House.

राजवी श्री रूपसिंह : You are not above the House.

श्री अध्यक्ष : I am a creation of the House, but when the House invests a person who is created by the House with some powers, it is something for the House to be proud of.

प्रवर समिति के प्रतिवेदन उपस्थापन हेतु नियत समय म वृद्धि

प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेंसी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को 13 मई, 1970 तक बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री भीखा भाई।

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज थिन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1970 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1970 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थान

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टेनेंसी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन को, असहमति सहित, उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : उपस्थापन प्रस्तुत किया गया।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जिन स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इस प्रकार हैं:—

(1) अजमेर में पीने के पानी की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० अम्बालाल, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों के हड़ताल के नोटिस से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है।

(3) श्री केशरीसिंह हाड़ा, सदस्य विधान सभा ने जिला बूंदी की केशोराय-पाटन सहकारी शुगर मिल्स की स्थिति, उत्पादन क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व ही दिनों दिन बिगड़ जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री राम-प्रसाद बोहरा, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री लक्ष्मण तानीवाल, श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा, श्री जुझारसिंह व श्री ब्रजवल्लभ बोहरा, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 14 फरवरी, 1970 को झालावाड़ में हुए लाठी चार्ज के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा जांच की परिसीमा सीमित कर दिये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह जांच आयोग से सम्बन्धित विषय है। आयोग किस तरह जांच करे इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

(5) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री भैरोंसिंह, सदस्य विधान सभा ने जयपुर शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव कल दि० 12 मई, 1970 को अस्वीकार किया जा चुका है तथा इस विषय का सीधा संबंध जयपुर नगर परिषद से है।

(6) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य विधान सभा ने अजमेर की रजिस्टर्ड विस्थापित सोसाइटी द्वारा खरीदी गई नगरीय सिंचाई

(श्री अध्यक्ष)

भूमि को भवन निर्माण के लिए बिना मूल्य लिए बदलने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(7) डा० गंगासहाय, सदस्य विधान सभा ने खेरली मण्डी की जलप्रदाय योजना पूर्ण हो जान पर भी नल योजना चालू न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(8) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने वल्लभनगर तहसील भवन में हुए विस्फोट की घटना के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह विस्फोट कब हुआ इसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया है और न यह बतलाया गया है कि पुलिस द्वारा इस संबंध में क्या कोई कार्यवाही की गई है या नहीं।

(9) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना इन्हीं माननीय सदस्य द्वारा दी गई है जिसमें जिला गंगानगर के अकाल घोषित क्षेत्र की जनता को कोई सहायता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

(10) एक दूसरा प्रस्ताव भी इन्हीं माननीय सदस्य द्वारा दिया गया है जिसमें कस्बा नोहर से फेफाना व रावतसर जाने वाली सड़कों की समय पर मरम्मत न होने से यातायात में रुकावट हो जाने का उल्लेख किया गया है।

(11) श्री दुर्गालाल वाढ़दार, सदस्य विधान सभा ने जयपुर नगर में पेयजल अभाव की समस्या के अलावा जल जो उपलब्ध होता है वह दूषित कीटाणुयुक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(12) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने जयपुर शहर में पीने के पानी की किल्लत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी मामले अविलम्बनीय लोक-महत्व के भी नहीं हैं। अत: मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त कुछ स्थगन प्रस्ताव और भी प्राप्त हुए हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है:–

(1) श्री विजयसिंह मकराना, सदस्य विधान सभा, ने डा० सूरजमल दुगड़ तत्कालीन मेडिकल ज्यूरिस्ट, एस० एम० एस० अस्पताल, जयपुर को बिना न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लेक्चरार पद पर नियुक्त करने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान के प्रमुख दैनिक पत्र 'राष्ट्रदूत' कार्यालय में दिनांक 11 मई को कुछ गुण्डों द्वारा सम्पादक विभाग के प्रमुख व्यक्तियों को व सम्पादक को फोन पर धमकी दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री भैरोंसिह शेखावत व श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें बोर्डर रोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जिन सड़कों का निर्माण ठेकेदारों द्वारा करवाया गया है उन ठेकेदारों को नियम एवं ठेकों की शर्तों के विपरीत फर्जी बिलों पर एक करोड़ रुपये

(श्री अध्यक्ष)

का भुगतान कर दिये जाने आदि का उल्लेख किया गया है ।

(4) श्री बार्लसिंह सोढा, श्री केसरीसिंह हाड़ा व श्री पृथ्वीसिंह सदस्य, विधान सभा ने पश्चिमी पाकिस्तान से रेगिस्तानी क्षेत्र में आने वाले विस्थापितों को कोई सुविधा न दिये जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(5) श्री आईदानसिंह श्री पृथ्वीसिंह व श्री बार्लसिंह सोढा सदस्य, विधान सभा ने जैसलमेर जिला में फील्ड फाइरिंग क्षेत्र की स्थापना से कुछ गांवों में हाल ही में भूमि अवाप्त अधिकारी द्वारा गांव खाली करने के नोटिस देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(6) श्री बार्लसिंह सोढा व श्री पृथ्वीसिंह, सदस्य, विधान सभा ने जैसलमेर जिले में राजस्थान भू-जल मण्डल विभाग की अकर्मण्यता के कारण हजारों रुपयों की खड़ी फसल नष्ट हो जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर उन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): एक भयंकर विस्फोट हुआ है। एक आदमी मर गया है। तोड़ फोड़ करने वाले सक्रिय होते जा रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय यह व्यवस्था देते हैं कि अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं । केवल राजस्थान के लिए यह....

श्री अध्यक्ष: कहां के लिए कहा है आपने ?

श्री रामचन्द्र आर्य: क्या कारण है कि किसी के द्वारा तहसील भवन को उड़ाया गया और उस कारण अकाउन्टेन्ट मर गया। आज राजस्थान में इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं...

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, माननीय सदस्य ! आसन ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य: इस प्रकार राजस्थान में लोगों की हत्यायें होती हैं...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री रामचन्द्र आर्य: × × ×

श्री अध्यक्ष: मैंने अस्वीकार किया है स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य: × × ×

(1.45 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: आॅर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य: × × ×

श्री उपाध्यक्ष: आॅर्डर प्लीज ! इस पर भाषण नहीं होगा। आॅर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य: × × ×

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य: × × ×

××× अध्यक्षीयपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो । आॅर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, आॅर्डर प्लीज !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी गई है उस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं एक मिनिट में निवेदन कर देता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं इस प्रकार की व्यवस्था को दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपकी ओर से कल व्यवस्था दी गई थी कि पीने के पानी की समस्या है, यह साधारण समस्या है, जयपुर में पीने के पानी की कमी है--यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न रखा था, उसके संबंध में मैं सदन और माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि मैं माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री के लिए यह शीशी लाया हूं इसमें उन कीड़ों के नमूने हैं जो कि जयपुर में नल के पानी में निकल रहे हैं। यह जयपुर की स्थिति है कि लोगों को पीने के लिये पानी भी नहीं मिलता है, घंटा भर सुबह और घंटा भर शाम को नल में पानी आता है, और उसमें जो भी पानी लोगों को मिल पाय उसमें इस प्रकार के कीड़े आयें, जो कि इस शीशी में मौजूद हैं। इससे यह स्थिति पैदा हो गई है कि जयपुर नगर के अन्दर लोगों को कीटाणुमय पानी पीना पड़ता है, जिससे उनको डिसेन्ट्री हो जाती है और कई प्रकार की बीमारियां फैलती है। इस प्रकार की स्थिति हो गई है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सिविल लाइन्स की जो पानी की टंकियां हैं उनमें इस प्रकार के कीड़े डाल दिये जायें क्योंकि जो पानी की टंकियां बना रखी हैं उनकी स्थिति को आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिये मैं आपको दिखाऊंगा उनमें हजारों कीड़े किस प्रकार कुलबुलाते रहते हैं। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। कई बार मैंने इस प्रश्न को उठाया था तो यह जवाब दिया गया था कि इन कीड़ों को मारने के लिये दवा डालते हैं और यह कीड़े नकसान करने वाले नहीं हैं। अगर यह पानी जनता के पेट को नुकसान करने वाला नहीं है तो मंत्री महोदय इस शीशी के पानी को क्यों नहीं पीकर देखें। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जन स्वास्थ्य मंत्री को यह शीशी प्रजेन्ट करता हूं। वह इस पानी को पीकर देखें कि यह नुकसान करता है या नहीं, वरना राज्य सरकार को चाहिए कि जयपुर नगर की जनता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करे।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

× × × अध्यक्षी पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री देवीदत्त गाडि़या : चर्चा नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आसन से जो व्यवस्था है उसको तो मैं शिरोधार्य करता हूं, लेकिन यह सदन अल्पकालीन चल रहा है, यह कहीं कल ही खत्म न हो जाय। और मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है वह इतना महत्वपूर्ण है, लोकतांत्रिक परम्पराओं को सुरक्षित रखने का सवाल है...

श्री उपाध्यक्ष: इसमें जानकारी चाही गई है, माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, आज समाचार पत्रों के सम्पादक को इस प्रकार से धमकी दी जाय कि तुमने हमारे खिलाफ समाचार दिया तो मौत के घाट उतार दिया जायगा यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का सबसे बड़ा दैनिक पत्र राष्ट्रदूत है, उसमें एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि पी० सी० सी० के अध्यक्ष नाथूरामजी के लड़के की कार का एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें शराब की बोतलें थीं। उसका समाचार इस समाचार पत्र में आने के बाद नाथूरामजी और नाथूरामजी के लड़के ने धमकी दी है कि तुमको मौत के घाट उतार दिया जायगा..

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : इस पर व्यवस्था दे दी गई है। माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। विधायी कार्य।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के आयुक्त के प्रतिवेदन को विचारार्थ लेने का आग्रह

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज से दो तीन दिन पूर्व कार्यक्रम हमें दिया गया था उसमें यह था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर बहस होगी और उसके लिये ग्यारह बारह तारीख रखी गई थीं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय. उसके बाद में तेरह तारीख को राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) विधेयक को लेना था मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह दो दिन तो दूसरे विषयों पर चर्चा में निकल गये और एक दिन भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर बहस करने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि उस पर बहस का पहला नम्बर था इसलिये उसके ऊपर पहले विचार करने के पक्ष में मैं हूं। इससे पहले भी विधान सभा का अधिवेशन

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

जब हुआ था तब हमें इस बात का आश्वासन दिया गया था कि जो भी अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग हैं, उनको इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आगे दो दिन का समय मिल जायगा। इसलिये इसको पहले समय दिया जाय......

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी बात समझ गया।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। शायद आप यह कहेंगे आसन के द्वारा यह भी कहा जाय कि जो अधूरा कार्य रह जाता है उसको आगे लिया जाता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि यह अनुसूचित जाति और जन जाति के आयुक्त की रिपोर्ट जैसे कार्यों में से नहीं है जो अधूरी रह जाय। जिस प्रकार से इस सदन के अन्दर राजस्थान के राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण देते हैं, उसी प्रकार से यह सेन्ट्रल बोर्ड से रिपोर्ट आती है, यह जो कार्य सूची में ली जाती है तो सबसे पहले उस पर विचार होना चाहिए। राज्य सरकार की नीति है, उन जातियों के साथ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। चर्चा नहीं होगी। आपने अपनी बात कह दी।

श्री डूंगाराम : लंबी चर्चा राज्य सरकार करना चाहती है। इसलिए लंबी चर्चा नहीं करूंगा। थोड़े में कहता हूं और राज्य सरकार व आसन से निवेदन करना चाहूंगा कि बिजनेस में जो शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स को हमेशा से उपेक्षा की नजर से राज्य सरकार देखती है। उसको न देखकर हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर विचार आज ही और अभी हो। टेनेन्सी बिल से पहले इस पर विचार हो वरना इस प्रोसीडिंग्स को हम चलाने नहीं देंगे, ऐसी प्रार्थना है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बात सही है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : जिस समय गत अधिवेशन चल रहा था उस समय एक दिन के लिए इस रिपोर्ट पर बहस रखी थी और तब आश्वासन दिया गया था कि इसमें अमुक तारीख को जब विधान सभा मीट करेगी पहले दिन ही इस रिपोर्ट लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : और रखा भी गया था।

श्री श्रवणलाल : रखने के बाद आज इसको इस प्रकार से निग्लेक्ट कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : 11-12 तारीख रखी हुई थी।

श्री श्रवणलाल : उस पर बहस नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : मजबूरी थी।

श्री श्रवणलाल : आज उस पर बहस की जाय और टेनेन्सी बिल उसके बाद में लिया जाय। गांधी शताब्दी में भी इस प्रकार की पक्षपात की नीति दिखाई गई तो किस प्रकार से सरकार जो उनको ऊंचा लाने के लिए प्रयत्न कर रही है, ऐसा कर सकेगी। यह ढकोसला है, दुर्व्यवहार है। मैं आपके द्वारा मांग करता हूं कि जब तक शिड्यूल्ड कास्ट की रिपोर्ट पर बहस नहीं होगी तब तक हम सदन की कार्यवाही को आगे नहीं चलने देंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं भी इस भावना का समर्थन करता हूं कि.....

श्री उपाध्यक्ष : कार्यवाही नहीं चलने देंगे ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कार्यवाही चलने देंगे । शिड्यूल्ड कास्ट की रिपोर्ट पर बहस टेनेन्सी बिल पारित होने के पश्चात् होनी चाहिए ।

श्री लादूराम सुलानियां (फागी-सु०): प्रश्न इतना सा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने कार्यसूची में इस रिपोर्ट को 11-12 तारीख के लिए निश्चय किया था लेकिन विशेष स्थिति आने पर सदन के दो दिन दूसरे कामों में लग गए । तो मुद्दा है कि इस रिपोर्ट पर आज विचार होगा या नहीं । हम पहले यह जानना चाहते हैं उसके बाद जो निवेदन करना होगा, वह आपके सामने और सदन के सामने करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : जैसे माननीय सदस्य जानते हैं, स रिपोर्ट को 11 और 12 तारीख को विचारार्थ लिया जाना था लेकिन कुछ सदन में परिस्थितियां ऐसी रहीं कि इस पर चर्चा नहीं हो सकी । अब आज को बिजनेस जो रात को सर्क्युलेट हुआ उसमें टिनन्सी बिल को रखा हुआ है, इसलिए बहुत से माननीय सदस्य इस तैयारी के साथ आज नहीं आए हैं कि एकदम कार्यसूची को बदल दिया जाय और उस रिपोर्ट को पहले ले लिया जाय ।

कई विपक्षी माननीय सदस्य : बिल्कुल तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ तैयार हो सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी तैयारी न हो ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : गलत । कल बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : नियम ऐसे हैं कि पूर्व सूचना नियमानुसार माननीय सदस्यों को होनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, इस पर विचार कर रहे हैं कि इसको किस समय कैसे लिया जाय । इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इसका क्या महत्व है रिपोर्ट का, इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायगा । जो आज पूर्व निश्चित कार्यवाही रखी गई है, सदन उसके साथ आगे बढ़ेगा।

श्री नाथूराम (बागीडोरा): आज जो कमीशन की रिपोर्ट 11 व 12 तारीख को रखी थी, वह कुछ परिस्थितियों के कारण इस पर चर्चा नहीं हुई और आज जो सीलिंग कानून है वह भी बहुत जरूरी है और सेशन 14 को समाप्त होना मालूम होता है, इसलिए इस कमीशन की रिपोर्ट के लिए भले माननीय सदस्य मूव कर दें और आगामी अधिवेशन के लिए दो तीन दिन के लिए इस पर बहस रखी जाय ताकि अच्छी तरह से हम विचार दे सकें ।

श्री लादूराम सुलानियां : यह प्रश्न नहीं है । कार्य सलाहकार समिति ने जो प्रोग्राम दिया था 11 व 12 का वह कार्यान्वित नहीं हो सका है । आज तक सदन की परंपरा रही है कि जो कार्य सलाहकार समिति ने निश्चय किया है, उस बीच में कोई समस्या यदि आती है तो उससे निपटने के बाद सबसे पहले वही समस्या ली जाती है ....

श्री उपाध्यक्ष: परम्परा इसके विपरीत रही है ।

श्री लादूराम सुलानियां : पिछले सेशन म जब यह बात आई तो उस समय भी इस बात पर विवाद हुआ था कि एक दिन का कार्यक्रम रख दिया था लेकिन...

श्री नाथूराम : एक दिन में क्या होगा ?

(शोरगुल)

श्री लादूराम सुलानियां : आसन की तरफ से और समाज कल्याण मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया था कि दो दिन के लिए बहस रखेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आश्वासन पूरा नहीं करने दिया । बहस करना माननीय सदस्यों के हाथ में था । परसों आपको फरमाना चाहिए था ।

श्री लादूराम सुलानियां : आसन और सदन का यह मिलजुल कर काम है, दो राय नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा और बहस माननीय सदस्य करते हैं । परसों इस बात को जोर से कहते तो आसन को मदद मिलती । आसन बराबर कहता था कि जो विचारणीय विषय है उस पर चर्चा हो लेकिन चर्चा नहीं हो सकी । तो आज का दिन और चला जायगा, यह काम भी पूरा नहीं होगा इस पर अध्यक्ष महोदय विचार कर रहे हैं,...

श्री लादूराम सुलानियां: 13 और 14 भी चले जायेंगे । हम अपने अधिकार के प्रति जागरूक हैं । आधे घंटे में कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग बुलाकर इस रिपोर्ट पर बहस कराई जा सकती है । आप विचार करें और भी माननीय सदस्य इसमें सहमत हैं । दो दिन के लिए रिपोर्ट पर बहस हो ।

श्री उपाध्यक्ष : आज संभव नहीं होगा..

(शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह आश्वासन दिया जाय कि इस अधिवेशन में चर्चा होगी।

(2 म० प०)

फरवरी में जब सत्र आरम्भ हुआ था तो जो भी कार्यक्रम में परिवर्तन लाया जाता वह बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की सलाह लेकर लाया जाता था । इस बार दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की मीटिंग तक नहीं बुलायी गई । उससे परामर्श नहीं किया गया । हम आपसे यह आश्वासन चाहते हैं कि इसी सत्र में शिडयूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट पर बहस की जायगी हम आपसे यह आश्वासन चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में अध्यक्ष महोदय विचार कर रहे हैं और वे ही इस बारे में निश्चित तौर से बतायेंगे ।

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था का प्रश्न है । बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की मीटिंग बुलाकर इसको तय किया जाना चाहिये तब तक के लिये हाउस को स्थगित किया जाना चाहिये । नहीं तो पहले जो कार्यक्रम लिया गया था उसी के अनुसार चलना चाहिये। पहले शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्ज आयुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आज जो बिजनेस सर्क्यूलेट हुआ है उसी के अनुसार हम चल रहे हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आज की कार्य सूची कार्य सलाहकार समिति ने एप्रूव नहीं की है। पहले शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट पर विचार होना चाहिये। इस बिल पर विचार स्थगित रखा जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता: मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना है....

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे) (शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मनोहरसिंह मेहता (मलडागढ): मेरा यह निवेदन है पहले इस सीलिंग बिल पर बहस होने दें इससे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का ही ज्यादा भला होने वाला है। कृपा करके इस पर बहस होने दें उसके बाद आप और हम सब शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज की रिपोर्ट पर बहस के लिये जोर डालेंगे।

(शोरगुल) (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): पहले सीलिंग बिल पर बहस की जाय। यह बिल जो लाया गया है इसमें शिडयूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को ही ज्यादा फ़ायदा है उन्हीं को जमीन देना चाहते हैं इसलिये इसको पहले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : पहले इस बिल को विचारार्थ ले लिया जाय।

श्री विट्ठलभाई (पीपलखूट): उपाध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि यह बिल पास हो लेकिन इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहते हैं शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट पर बहस का समय भी निर्धारित किया जाय।

श्री देवेन्द्रकुमार (गोगुन्दा सु): उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूरी है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट पर बहस हो लेकिन उससे पहले यह सीलिंग बिल का पास होना बहुत आवश्यक है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो विचारार्थ लिये जाने को रखा गया है आज रखा गया है और सिलेक्ट कमिटी रिपोर्ट की हमें पहले सरक्यूलेट हो गई थी लेकिन उसके ऊपर 'गोपनीय' लिखा हुआ होने से हम उस पर कोई अमेण्डमेण्ट नहीं दे सके वैसी स्थिति में आज इस बिल को न लिया जाकर पहले शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट पर बहस आरम्भ की जाय।

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: गोपनीय लिखा हुआ होने से आप पर कोई असर नहीं पड़ता यह इसलिये लिखा जाता है कि अखबारों आदि में प्रकाशनार्थ नहीं दिया जाय। आप उस समय अमेण्डमेण्ट भेज सकते थे दो दिन का समय दिया गया।

श्री लादूराम सूलानियां: आप जब तक शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट के बारे में समय निर्धारित नहीं कर देते तब तक सदन की कार्यवाही हम नहीं चलने देंगे।

श्री दिग्विजयसिंह: हमारा राइट है इस पर अमेण्डमेण्ट रखने का वह समय हमें नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष दो दिन पहले इसको सर्क्यूलेट कर दिया गया था संशोधन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

(शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री दिग्विजयसिंह : 'गोपनीय' लिखा हुआ था हम कैसे दे सकते थे ।

श्री उपाध्यक्ष : इस ओब्जेक्शन में कोई वजन नहीं है 'गोपनीय' दूसरों के लिये है आप संशोधन दे सकते थे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस बिल पर बहस प्रारम्भ हो उससे पहले हम आपसे आश्वासन चाहते हैं कि इसी सत्र में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट पर बहस होगी ।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): सीलिंग कानून पास होना चाहिये लेकिन इसके साथ साथ शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट के लिये भी समय निर्धारित किया जाना चाहिये ।

श्री विट्ठलभाई : हम सीलिंग कानून को सपोर्ट करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, मैं समझता हूं हाउस के कार्य में बाधा पहुंचाई जा रही है । ऐसी ही बाधा पहुंचाते रहेंगे तो हाउस को स्थगित करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : मैं केवल दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है कृपया नियमों का ध्यान रखें । आज टिनेन्सी बिल ले लिया जाय । शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट पर विचार कब होगा इस बारे में अध्यक्ष महोदय विचार कर रहे हैं उनके निर्णय से मैं आपको कुछ समय बाद अवगत करा दूंगा । इसके साथ-साथ माननीय सदस्यों ने जो राय व्यक्त की है उससे भी मैं माननीय अध्यक्ष को अवगत करा दूंगा इसलिये पहले इस टिनेन्सी बिल को ले लिया जाय ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपकी तरफ से व्यवस्था नहीं होती है तो फिर अध्यक्ष महोदय को बुलाया जाय और उनसे कहलाया जाय कि कब इस रिपोर्ट पर बहस होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें आसन पैरों पर है आप बैठिये ।

पहले मुझे सुन लीजिये । जो बात आप आज इतनी जोर से फरमा रहे हैं कल जब इस रिपोर्ट पर ही बहस करने का था उस समय भी आपने इतनी जोर से अपनी भावनायें व्यक्त नहीं कीं । यदि आप उस समय करते तो आसन के हाथ मजबूत होते दो दिन तक माननीय सदस्यों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा । इसलिये आज जो बिजनेस है उसे लिया जायगा ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आप जैसी भी आज्ञा दें उसका पालन करने के लिये हम तैयार हैं । मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं यह जो टिनेन्सी एक्ट लाया जा रहा है हम इसके पक्ष में हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बिल के विपक्ष में नहीं हैं मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो सूचना मुझे मिली है वह यह कि यह सैशन दुबारा कल नहीं होने वाला है और जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट है वह इस सेशन में नहीं डिस्कस हो सकेगी इसलिये इस पर पहले विचार किया जाना

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

चाहिये । ऐसा आश्वासन आसन की ओर से आना चाहिये । आप इसके लिये दो दिन तय कर दें और फिर इस बिल को ले लीजिये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है । यह आश्वासन नहीं देंगे तो हमें आप को बार बार निवेदन करना पड़ेगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जो लोग यह कहते हैं कि हम टिनेन्सी बिल को नहीं चाहते हैं यह गलत है । हम यह नहीं चाहते हैं यह कहना गलत है । शिड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स की जो रिपोर्ट है उस पर भी विचार किया जाना चाहिये । इसके लिये हमको आश्वासन दिया जाना चाहिये ।

श्री रामचन्द्र आर्य : हरिजनों को कितनी जमीन दी गई है ? कोई जमीन नहीं दी गई है । जमीन सरकार के पास पड़ी है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : 22 साल हो गये और कुछ नहीं हुआ । पहले आप इसको तय कर दीजिये । फिर करिये । कौन मना करता है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन अपने पैरों पर है । कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने नियम नहीं पढ़े हैं । साढ़े तीन साल गुजर गये और यह नहीं मालूम कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस तरह से उठाया जाता है। जब आसन अपने पैरों पर हो तो माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। बैठ जाइये आप । इस तरह से जो कार्यवाही चल रही है उसमें सदन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ रही है और आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थितियों में सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन कर देना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : हम नहीं करेंगे । (शोरगुल) कार्यवाही तीन दिन से ऐसी ही चल रही है और सरकार भी इसको इसी तरह से चलवाना चाहती है...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकार दबाने की चेष्टा कर रही है । इस तरह से हाऊस की कार्यवाही नहीं चलेगी । आज भी नहीं चलेगी इस तरह से ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चलेगी, चलेगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जरूर चलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपस में बात न करें ।

श्री लादूराम सुलानियां : हमें कोई आपति नहीं है । प्रवर समिति की रिपोर्ट के ऊपर मुहर लगा दें हमें कोई ऐतराज नहीं है । इस बिल से परिगणित जाति के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है । उनको कोई जमीन मिल जायेगी, यह गलत है । उनको कोई फायदा नहीं है । आज तक क्या कोई फायदा हुआ है ? और न भविष्य में होने वाला है । (शोरगुल) (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य......

कार्य इसी तरह से चलता रहा तो...

... (शोरगुल)

श्री रामचन्द्र आर्य : इसी तरह से चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

इस बिल के पास होने के बाद अध्यक्ष महोदय ने मुझे यह सूचना भेजी है कि इस रिपोर्ट को विचारार्थ लिया जायेगा।

श्री लादूराम सुलानियां : इसके मुहर लगने के बाद आप भागने वाले हैं, यह हमें पूरा विश्वास हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको विचारार्थ लिया जायेगा, यह मैंने निवेदन किया है।

श्री लादूराम सुलानियां : क्या इस बिल के पास होने के बाद इसी सैशन में इसको लिया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : इस सैशन में नहीं तो कब ? इसके पास होने के बाद अगले सैशन में लिया जायगा, क्या यह आप समझते हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : हरिजनों के साथ अन्याय किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। आपस में बात न करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : हरिजनों को बर्बाद कर दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। सदन की कार्य वाही में बाधा डाल रहे हैं।

श्री श्रवण लाल : मैं यह जानना चाहूंगा कि आपके द्वारा जो आश्वासन दिया गया है क्या वह इसी सैशन के लिए है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसी सैशन में, यही तो निवेदन किया है। विधायी कार्य।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री केशरीसिंह हाड़ा : पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर। जैसा मैंने 14-4-70 को निवेदन किया था कि जो संशोधन टिनेंसी बिल में लाये गये हैं और जो ओरिजनल बिल है और जिसको हम पास करने जा रहे हैं, वे संशोधन हमें वितरित नहीं किये गये हैं। पहले भी मैंने इसके बारे में कहा था और आज भी फिर खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि इस बिल को जो प्रवर समिति ने संशोधन रूप से पेश किया है उसमें उनका कोई उल्लेख नहीं है कि किस किस खण्ड में गवर्नमेंट संशोधन ला रही है। इसका हमें ज्ञान नहीं है। इसकी पूर्ती होना आवश्यक है।

श्री रामकिशोर व्यास : पहले इसको विचारार्थ ले लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मंत्री महोदय

श्री लादूराम सुलानियां : आपने जो आशवासन दिया है उस पर हमें कोई विशेष आपत्ति नहीं है। सरकार इसके लिये दो दिन नियत करे। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हमारी तरफ से हम इस टिनेन्सी एक्ट को कल 12 बजे के बाद सहयोग देकर पास करवायेंगे। परन्तु पहले रिपोर्ट पर बहस होना चाहिये। इस पर हम सहमत होंगे।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है। उसको स्पष्ट कर देना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान, टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन विधेयक 1970 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित) को विचारार्थ लिया जावे।

श्री केशरीसिंह हाड़ा: मेरे पॉइंट ऑफ आर्डर का क्या हो रहा है?

श्री लादूराम सुलानियां: मैं उपाध्यक्ष महोदय यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक नियमों और परम्पराओं का सवाल है यह शुरू से ही हो रहा है कि जो कार्य सूची में पहले आ गया उसको पहले लिया जाता है और उसके बाद में दूसरा कार्य लिया जाता है। इसलिये इसके नियम हैं, परम्पराएं हैं और उनको तोड़ा जा रहा है। यह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: बार बार आप बाधा उपस्थित कर रहे हैं, यह अफसोस की बात है। माननीय सदस्यों का सहयोग पूरा नहीं मिल पा रहा है। सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित हो रही है। मैंने निवेदन कर दिया है कि टिनेन्सी बिल के पास होने के बाद रिपोर्ट को इसी सत्र में विचारार्थ ले लिया जायेगा। इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाती है और कार्य सूची के अनुसार कार्य को आगे बढ़ाना चाहिये।

श्री लादूराम सुलानियां: कार्य सूची में..

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज! कृपया नियमों का ध्यान रखिये। माननीय केशरीसिह हाड़ा ने जो पाइंट उठाया है. खण्डशः जब बिल पर विचार होगा उस वक्त यह वाजिब होगा और उस वक्त राज्य सरकार या तो इसका इन्तजाम कर देगी। अभी तो विचारार्थ लेने का प्रस्ताव आ रहा है।

श्री रामकिशोर व्यास: 14-4 को इसके पहले ही इन संशोधनो को सरक्यूलेट कर दिया गया है हाउस में।

श्री कशरीसिंह हाड़ा: नहीं किया गया है।

श्री रामकिशोर व्यास: सबको बांट दिये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय।

(शोरगुल: अश्रव्य)

श्री लादूराम सुलानियां: इसे बाद में लिया जावे।

(शोरगुल: कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे: अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्री लादूराम सुलानियां: सबसे पहले इसको लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष: इससे मैं यह समझूं कि सदन की कार्यवाही अब नहीं चल सकती?

श्री लादूराम सुलानियां: आपके सहयोग के लिये बराबर तैयार हैं। पर आसन सरकार के दबाब में आकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को बदले नहीं।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: इस प्रकार के आक्षेप सदन में न लाएं।

श्री लादूराम सुलानिया: सबसे पहले इस बिल को नहीं लेकर इस रिपोर्ट को लिया जावे, ऐसा मेरा आपसे नम्र निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजस्व मंत्रीजी।

विधायी कार्य-रा० टि० (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970

श्री रामकिशोर व्यास: मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे विचारर्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों के साथ यह ज्यादती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की रिपोर्ट पर बहस करने का अवसर मिलना चाहिये इनको।

श्री लादूराम सुलानियां : हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आप शुरू कर दीजिये माननीय सदस्य (श्री रामकिशोर व्यास की तरफ देखकर)।

श्री लादूराम सुलानियां : राजस्थान में पचास लाख हरिजन और जन-जाति के लोग रहते हैं। उनके साथ आज भी अत्याचार और अन्याय हो रहा है बीस साल की आजादी के बाद भी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। अंकित न हो।

विपक्ष के नेता महोदय का नाम पुकार रहा हूं। कृपया स्थान ग्रहण करें। विपक्ष के नेता महोदय अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे बोलने के लिये कहा है। आपने टिनेन्सी बिल पर। वह पेश ही नहीं हुआ।

श्री लादूराम सुलानियां : पेश ही नहीं हुआ। सुनाई ही नहीं दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पेश हो गया है और हम इस पर बोलना चाहते हैं। आपको हल्ले में सुनाई नहीं दिया।

श्री लादूराम सुलानियां : इस प्रकार लोगों को दबाया नहीं जा सकता अब।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

[राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 पर निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए]

निम्नांकित सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये :–

(1) श्री रामचन्द्र आर्य : (वि० सं - 130)

(2) श्री केशरीसिंह हाड़ा : (वि०सं 21)
(3) महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (वि० सं 143)
(4) श्री रामकिशन (वि० सं 126)
} ने क्रमशः प्रस्ताव किया कि:–

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1970 के एक माह/छ माह/एक माह/सात दिन के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

(1) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (वि० सं 164)
(2) श्री दुर्गालाल बाढदार : (वि० सं 50)
} ने क्रमशः प्रस्ताव किया कि:–

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को पुनः एक नई प्रवर समिति को रिपोर्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताहान्त तक तीन दिन में प्रस्तुत

(श्री उपाध्यक्ष)

करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(1) श्री दिग्विजयसिंह (वि०सं० 48)
(2) राजवी श्री रूपसिंह (वि०सं० 140)
} ने क्रमशः प्रस्ताव किया कि:–

3 "प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को पुनः एक नई प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दल के माननीय सदस्यों को मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जब आसन के द्वारा आश्वासन दिया जा चुका है कि शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर टिनेन्सी एक्ट के पास होने के बाद विचार होगा तो यह पर्याप्त है। और इसलिये नम्रता के साथ मेरे आदिवासी हरिजन भाइयों के प्रतिनिधि सदस्यों को यही निवेदन करूंगा कि इस टिनेन्सी बिल पर चर्चा हो जाने दीजिये, इसको पारित हो जाने दीजिये। आखिरकार जनतन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं को मद्दे नजर रखते हुए भी यह आवश्यक है कि हम इस सदन की कार्यवाही में अनुचित रूप से रुकावट न डालें और यह अच्छा ही होगा अगर यह दो दिन में पारित हो जाता है तो। फिर इस रिपोर्ट पर विचार होगा और अवश्य होगा इसका आश्वासन आसन के द्वारा दे दिया गया है। यह मेरे ख्याल से पर्याप्त माना जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान टिनेन्सी द्वितीय संशोधन विधेयक, 1970 पर मेरे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि यह विधेयक गत सत्र में अन्तिम दिन विचारार्थ आया था। किन्तु चूंकि यह विधेयक महत्वपूर्ण था उस समय सदन ने यह निर्णय लिया कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जावे। तत्पश्चात प्रवर समिति के प्रतिवेदन के साथ आज यह विधेयक सदन के अन्दर विचारार्थ पुनः प्रस्तुत हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि बहुत सारे माननीय सदस्य इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे और खास करके मेरे दल के माननीय सदस्य जो प्रवर समिति के सदस्य रह चुके हैं और जिन्होंने नोट ऑफ डिस्सेन्ट दिये हैं वे भी उस संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे इसलिये मैं जो प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक इस सदन के समक्ष रखा गया है उसी के खास खास बातों पर अपने विचार आपके द्वारा सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के सेक्शन 5 के सब-क्लॉज 3 के अन्दर जो 'कृषक' की परिभाषा थी उसमें "वैतनिक कर्मचारियों" का तथा "सर्विस यानि सर्वेन्ट्स" का भी उल्लेख था। इस प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक में यह नहीं रखा गया है और एग्रीकल्चरिस्ट की जो संशोधित व्याख्या की गई है उसमें 'सर्वेन्ट्स' की पाबन्दी को हटा लिया गया है।

इसमें 'सर्वेन्ट' शब्द को हटा लिया गया है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कितनी भी दिलचस्पी किसान ले, यह अनिवार्य है कि 30 या 15 एकड़ पर भी सीलिंग लागू की जाय, तब भी किसान को यह आवश्यकता होती है कि वह वैतनिक कर्मचारियों को रखे

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

और खेती को संभाले । खुद किसान रात दिन खेती नहीं संभाल सकता है । अगर 'सर्वेन्ट' इस परिभाषा में इन्क्ल्यूड कर लिया जाये तो ठीक है । यह 1955 के एक्ट की सब-क्लॉज 5 में 'कृषकों' की परिभाषा है । टेनेन्सी एक्ट के संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । जमाना बदल चुका है । और आज के समय के अनुसार में इतना ही कहना चाहूंगा कि वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए इस परिभाषा को निकालना अन्याय है । इसलिए मैं अपना संशोधन सदन के समक्ष उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा । मेरा संशोधन इस डेफीनेशन के संबंध में होगा ।

The expression 'agriculturist' shall mean a person who earns his livelihood......

श्री उपाध्यक्ष : नेता महोदय, अभी जो विचार हो रहा है, यह कि इसे विचारार्थ लिया जाये ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं जनरल डिस्कशन में, उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला और आखरी मौका ही लेने के लक्ष्य से सरकार के समक्ष आपके द्वारा डेफीनेशन के संबंध में यह रखना चाहूंगा:-

"The expression 'agriculturist' shall mean a person who earns his livelihood wholly or mainly from agriculture and cultivates land personally or by servants and shall include an agricultural labourer and a village artisan."

केवल मेरा संशोधन 'और बाई सर्वेन्ट' यही तीन शब्दों में है । सरकार को आपत्ति हो तो सरकार जाने । मैं समझता हूं, यह किसानों के लिए हितकर है । आवश्यकता के अनुसार है । मेरा ख्याल है, समय की उपयोगिता के अनुसार यह प्रतिकूल नहीं है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, 'ट्रांसफर' के संबंध में जो प्रावधान डोमीसाइल के संबंध में लाया गया है उसके विपरीत मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन 'फैमिली मेम्बर्स' में केवल पुत्र या भाई का उल्लेख अपर्याप्त है । अगर आप हिन्दू अनडिवाइडड फैमिली के सिद्धान्त को लेकर चलते हैं, आज के युग का समान अधिकार लेकर चलते तो मेरे ख्याल में महिलाओं को भी समानाधिकार देना अनिवार्य होगा । आखिरकार समानाधिकार का बिल केन्द्र के द्वारा पारित हुआ है । एक वोट महिला का भी है । एक वोट पुरुष का भी है । और आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार तो डाइवोर्स व्यवस्था प्रचलित है । आज भी 1970 के अन्दर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, खासतौर से हमारे समाज में प्रचलित है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए परम्परागत स्त्रियों की बंटवारे में व्यवस्था है । यह हिन्दू अन्-डिवाइडेड फैमिली में चला आ रहा है । इसके लिए में सरकार से पुर जोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि वह ज्यों का त्यों रहने दे । हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली को अव्यवस्थित न करे । जो प्रवर समिति का संशोधन लाया गया है उससे ऐसी अव्यवस्थाएं पैदा होंगी । इसलिए- disparity in the law and equity इसको मद्दे नजर रखते हुए मैं इस खामी को सरकार के विचारार्थ लाना चाहूंगा । अतः परिवार में माता, खास कर विधवा माता, बहन, पुत्री और पत्नी को भी बटवारे में समान

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अधिकार होना चाहिए । यह हमारा सरकार से पुर जोर शब्दों में निवेदन है ।

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली' के अन्दर 'माइनर्स' की भी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए । आखिरकार जिस परिवार के अन्दर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, उस परिवार में उसका अधिकार है । तो मेरी यह सरकार के विचारार्थ पुर ज़ोर शब्दों में निवेदन है जो व्यवस्था हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली में चली आ रही है उसको ज्यों का त्यों रखते हुए कोई बाधा या विकल्प न लायें । मूल अधिनियम अथवा मूल अधिनियम, 1955 में पारिवारिक विभाजन के संबंध में जो धारा 30(डी)(1) है उसको इस संशोधन से मुक्त रखना चाहिए यानि कि पहले की व्यवस्था कायम रखनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, कैटल, शीप, शुगर, मैकेनाइज्ड फार्म के संबंध में मैं विरोध नहीं करता हूं । यह जो व्यवस्था सरकार के द्वारा एग्जेम्प्शन में से इनको निकालने के संबंध में हुई है उस संबंध में मुझे कोई विशेष निवेदन नहीं करना है । मुझे केवल मात्र यह निवेदन करना है कि मयाद के संबंध में मैंने यह सुझाव रखा था, मयाद के संबंध में उस सुझाव का औचित्य सरकार ने माना है और मयाद दी है, लेकिन 31 मई, 1970 की मयाद देना या नहीं देना बराबर सा है । केवल मात्र कांग्रेस-जन या प्रदेश समिति के सम्माननीय सदस्य हैं, वे इस प्रावधान या छूट के संबंध में जानकारी रखते हैं, लेकिन कानून में यदि कोई मयाद दी जाती है तो सामान्य बुद्धि के अनुसार आम जनता को जो मयाद मिले उसकी मालूमात होनी चाहिए, उसकी मालूमात नहीं हुई, आज 13 मई हो गई है और 31 मई तक मयाद दी है तो इसके अन्दर कोई जाकर क्या कर सकता है– यह आप विचार करें । सरकार से मेरा यह निवेदन है कि जब खास करके बेईमान लोगों को प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया गया है, लगातार दस वर्षों तक जिन लोगों ने कब्जे किये हैं उनको रेगुलेराइज करते हुए आये हैं तो कम से कम ईमानदार व्यक्तियों को, मैंने जैसा पहले निवेदन किया था, 31-12-70 तक की मयाद तो दी जाय किन्तु सरकार 31-12-70 तक की मयाद नहीं देना चाहती है । सरकार कम से कम 31-10-70 तक यानि दीवाली तक मयाद दे तब तो मयाद का अर्थ होता है । इस मयाद में कम से कम व्यवस्था भूमि को बेचने की, की जा सकती है, अन्यथा नहीं । आम तौर से जमीन और फसलों के लेन देन के संबंध में दीवाली पर जो कुछ भी हिसाबात होते हैं वह तकमील और पूरें किये जाते हैं । इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि दीवाली तक या 31-10-70 तक यह मयाद बढ़ा दी जाय ।

ग्रोव्स के संबंध में मैं अवश्य निवेदन करूंगा । ग्रोव्स को एग्जेम्प्शन के बाहर निकालना सर्वथा अनुचित है । ग्रोव्स को कम से कम बीस से तीस साल तक बनाने में लग जाते हैं और बहुत खर्चा उठाना पड़ता है । यह कैटल ब्रीडिंग, शीप ब्रीडिंग, शुगर और मैकेनाइज्ड फार्म हैं इनको जो एग्जेम्प्शन से निकाला है, इनको दो से तीन साल तक के समय में बनाया जा सकता है तैयार किया जा सकता है, लेकिन ग्रोव्स और कैटल, शीप, शुगर और मैकेनाइज्ड फार्म को एक ही कैटेगरी म रखना मेरे खयाल में सर्वथा

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अनुचित और अन्यायपूर्ण है । उपाध्यक्ष महोदय, ग्रोव्स के महत्व को स्वयं मंत्री महोदय मानेंगे । इस संबंध में विशेष सदन का समय मैं नहीं लेना चाहूंगा लेकिन मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता, जब आपने बोगस कोऑपरेटिव फार्म्स को अपने आदमियों को प्रश्रय देने के लिए एक्जेम्प्शन की श्रेणी में लिया तो है, फिजूलखर्ची को भी आपने बिल्कुल आंख बन्द करके मितव्ययिता को बलायें ताक रख दिया है । खैर, इस संबंध में, मैं कोई विशेष क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब आपने बोगस कोऑपरेटि फार्म्स को प्रश्रय दिया है तो ग्रोव्स को नहीं देना चाहते हैं–यह समझ में नहीं आता है । सरकार को ग्रोव्स को एग्जम्प्शन में लेने के संबंध में विचार करना चाहिए–यह कहे बिना मैं नहीं रह सकता हूं । ग्रोव्स को एग्जेम्प्शन में लेने का एक जेनुआइन और जस्टिफायेबिल केस है । सरकार इस संबंध में, मैं आशा करता हूं, विचार करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, कम्पेन्सेशन के संबंध में, मैं यह जानते हुए भी निवेदन करूंगा कि आप कम्पेन्सेशन देना नहीं चाहते, उदारता के साथ वाजिब तरीके से आप दे भी नहीं सकते हैं–यह मुझे अच्छी तरह से मालूम है और सर्वविदित है, लेकिन आप एक तरफ तो समय नहीं बढाते, मयाद नहीं देते और दूसरी तरफ मुआवजे को भी आप नहीं देते तो यह तो मेरे खयाल में बिल्कुल अनुचित और अत्याचारी व्यवस्था ह । अगर आप बीस गुना लगान का नहीं देते हैं, तो कम से कम मुआवजा तो दीजिये, जिन लोगों ने खर्च किया है, कम से कम उनको मयाद तो दीजिये, जिन लोगों ने खर्च किया है, आखिरकार उनके पास भेड़ वगैरह हैं, मवेशी हैं, उनको बेचना है, जमीन को बेचना है । सरकार वास्तविकता को देख कर भी केवल बदले की भावना, बदले की संकीर्णता को लेकर तात्कालिक रूप से प्रगतिशील बनने की बात को लेकर यह निर्णय करती है तो मैं इसका विरोध किये बिना नहीं रह सकता । मैं इसको अन्याय की व्यवस्था कहे बिना नहीं रह सकता । मेरा निवेदन है कि मुआवजा नहीं बढा सकते है तो मयाद तो दीवाली तक बढायें, खास तौर से जब 1970 में संशोधन इस सम्बन्ध में कर रह है और यह केन्द्रीय सरकार के द्वारा भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी की सम्पत्ति ली जाय, तो उसको मार्केट वेल्यू के अनुसार मुआवजा दिया जाय । मार्केट वेल्यू के अनसार आप मुआवजा नहीं देते है और एक हद तक जनहित को मद्दे नजर रखते हुए यह व्यवस्था करते हैं और वेल्थ टैक्स के लिए आप यह करते है, इफ आई लूज हैड आई विल विन दा टेल–इस सिद्धान्त के अनुसार आप वेल्थ टैक्स लेते हैं और मार्केट वेल्यू की आशा करते है और जो जमीन लें, किसानों की जमीन लें, उसके लिए बीस गुना लगान मुआवजे के रूप में देते हैं तो, मेरे खयाल में तो, इसमें 90 पर्सेन्ट का अन्तर है । 100 आप वेल्थ टैक्स लेते हैं और दस पर्सेन्ट आप मूआवजा देते है मेरा निवेदन हैं, मैंने जो मयाद बढ़ाने के कारण दिए हैं उस संबंध में, मैं आशा करता हूं, सहानुभूतिपूर्वक सरकार इस पर विचार करेगी । मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसरी सिंह हाड़ा !

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि जनमत जानने के लिए टैनेन्सी एक्ट (संशोधित) विधेयक सन् 1970 को परिचालित किया

(श्री केसरीसिंह हाडा)

जाय। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने सीलिंग कानून को पारित किया, उसे आज काफी समय हो गया और उसको अब तक लागू नहीं किया। इस दरमियान में अनेकों जमीन बेची गई, लोगों ने खरीदीं और इसके अतिरिक्त खास गलती जो सरकार ने की है वह यह है कि जब सरकार को जमीन का बंटवारा करना था, इसका प्रोग्राम इनके सामने था तो फिर क्या कारण था कि जो जमीन सरकार के खाते में सरकारी, शिकमी सरकारी और बिना नाम सरकार की थी, उसको कोलोनाइजेशन के द्वारा हजारों में बेचान किया गया है। अगर राज्य सरकार की नीयत साफ थी और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को और भूमिहीनों को भूमि देने की इनकी इच्छा थी तो फिर उस सब जमीनों को रिजर्व रखना चाहिए था, मगर इन्होंने पैसे के लालच में, अपने अंट शंट खर्चे को करने के लिए, और पानी की तरह खर्च करने के लिए उस भूमि का बेचान किया। मैं सारे राजस्थान के आंकड़े नहीं दे सकता, लेकिन पाटन तहसील के आंकड़े अवश्य दे सकता हूं, वहां कोलोनाइजेशन के द्वारा 7,775 बीघा 5 बिस्वा जमीन बेची गई और उसकी कीमत 8 लाख 23 हजार 487 रुपया प्राप्त की गई, और अधिक से अधिक जमीन की कीमत जो वसूल की गई वह आठ सौ रुपये बीघा है। सरकार एक तरफ तो काश्तकारों से, भूमिहारों से, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों से आठ आठ सौ रुपया एक बीघा की कीमत वसूल कर, दूसरी तरफ जब जमीन अवाप्त की जाय, जमीन एक्वायर की जाय तो उसका मुआवजा 30 टाइम्स आफ लैंड रेवेन्यू सेंक्शन्ड हो, तीस गुना मालगुजारी आप इस तरीके से देना चाहते हैं–प्रथम 25 एकड़ पर तीस गुना और दूसरे पच्चीस एकड़ पर पच्चीस गुना और बाद में पच्चीस गुना दिया जायगा। इसके लिए मुझे सरकार से निवेदन करना है आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो रूल्स के अन्दर मुआवजा इन्होंने निर्धारित किया है वह सरकार अन्याय-पूर्वक है और काश्तकारों से जमीन

(2.25 म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

ली है उनको पर्याप्त मुआवजा नहीं देना चाहती है–यह सरासर धोखेबाजी है। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन करना है कि सरकार इस पर गौर से ध्यान दे कि मुआवजा पर्याप्त होना चाहिए, और खास तौर से यह विचार करें कि जिन लोगों की इन्होंने जमीन बेची है, उनसे तो आठ आठ सौ रुपये एक बीघा के लिए हैं, एक एकड़ के एक हजार तक लिये हैं और दूसरी तरफ मुआवजा देंगे वह तीन सौ रुपया देंगे। एक तरफ एक हजार लेकर दूसरी तरफ तीन सौ रुपया मुआवजा देंगे–यह कहां तक न्यायपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सरकार ने जो जो रियायत काश्तकारों को, जो पहले कानून पास किया था, उसमें दी थीं, उनको इस कानून के द्वारा वापिस लेना मैं धोखादेही समझता हूं और इस प्रकार धोखा देना सरकार के लिए अनुचित है। क्या सरकार नहीं समझती कि बागात लगाने से, कैटिल व शीप ब्रीडिंग फार्म्स को बनाने में कितना पैसा जाया जाता है; मिकैनाइज्ड फार्म्स में कितना पैसा जाया होता है। आपके प्रथम आश्वासन के अनुसार जो छूटें आपने दी उनके आधार पर लोगों ने हजारों रुपये लगा कर काफी तादाद में बागात लगाए और उससे

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

राज्य में फलों की आमदनी भी हुई, काफी तादाद में जो फल बाहर से आते थे, अब राजस्थान में उत्पन्न होने लगे हैं, यहां तक कि मंत्रीगणों के फार्मों में भी अंगूर की पैदावार होने लगी जिससे उन्होंने काफी पैसा एकत्रित किया है तो आप सोचें कि फार्म बनाने में लोगों ने मवेशी खरीदे बकरियां व भेड़ें खरीदीं और पशुपालन विभाग द्वारा फार्मों को रजिस्टर कराया। उसके बाद भी सरकार आज सब छूटों को वापस ले रही है! केवल सहकारी समितियों के द्वारा जो फार्म्स चलाए जा रहे हैं उनकी छूट रख रहे हैं।

प्रश्नों के जरिए विधान सभा में कई बार इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि सहकारी समितियों के नाम से हजारों लाखों रुपयों के गबन हुए हैं, बोगस सोसाइटीज के नाम हुआ है, अपने परिवार के अन्दर ही सोसाइटी बनवा ली है और आज सरकार उन्हीं बोगस सोसाइटीज को फिर से कायम करना चाहती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय ताकि जनता को इस बात का आभास मिले कि सरकार क्या करने जा रही है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने जमीन बेचने की जो घोषणा की है कि 31-12-69 तक जो ट्रांसफर्स हुए हैं उनको वैलिड माना जाय। राज्य सरकार की गलत कानून बनाने की प्रणाली इनके शासन की अकर्मण्यता के कारण कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोगों ने हजारों बीघा जमीन बेच दी और आज जहां जहां सैटिलमेंट भी हो गया है, वहां पर जमीन किसके कब्जे में है, पर्चे में नाम किसका है, अगर सरकार कोशिश करे कि पुराने कानून के तहत ही खाते बंधे और उनके अधिकार में रही तो यह सरकार कभी भी पूरा नहीं कर सकती। आपने गलतियों पर पर्दा डालने के लिए और खुद मंत्रीमंडल के सदस्यों ने जो जमीनें खरीदी हैं उन पर एक तरह से मोहर लगाने के लिए 31-12-69 की तारीख नियत की है। अगर राज्य सरकार की ऐसी धारणा होती कि जिनको सीलिंग से अधिक भूमि है वह अगर चाहें तो अपनी जमीन को बेच सकते हैं तो सरकार को चाहिए था कि 2-4 महीने की छूट देती और 2-4 महीने का अवसर देना चाहिए था तो जो लोग जमीन को ट्रान्सफर करना चाहते थे किसी को देना चाहते थे, गिफ्ट करना चाहते थे तो करतें, मगर सरकार ने अपना उल्लू सीधा कर लिया और जनता पर ध्यान नहीं दिया जिनको हानि होने वाली है।

सरकार ने कई कानून बनाए हैं यहां तक कि ऐसे महत्वपूर्ण कानून जिस प्रकार जागीर उन्मूलन कानून, उसमें तो केवल चंद जागीरदार थे लेकिन आज के कानून से कई काश्तकार प्रभावित होने वाले हैं और वह काश्तकार उस श्रेणी के नहीं हैं कि उनके पास 30 स्टेंडर्ड एकड़ ही हो या इससे कम हो। काश्तकारों के पास हाड़ोती क्षेत्र में और हो सकती है, गंगानगर और दूसरे जिलों में हजारों बीघा जमीन लोगों के पास होगी लेकिन जिनके पास अपनी खातेदारी राइट की जमीन है, उनकी यदि जमीन जायगी जब उनको मालूम पड़ेगा कि जो सरकार अब तक रक्षक थी वह भक्षक बन गई है, पहले राजाओं को समाप्त किया, फिर जागीरदारों को समाप्त किया, जमींदारों को समाप्त किया, अब काश्तकारों को समाप्त करने के लिए खड्ग लेकर चंडी का रूप धारण कर रखा है तो हो सकता है कि 1972

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

के चुनाव में काश्तकार भी समझ जायगा कि यह सरकार किसी की सगी नहीं है सिवाय अपने खुद के । इसलिए इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करना अनिवार्य है और किया जाना चाहिए ।

श्री सभापति : श्री रामकिशन (अनुपस्थित) श्री जुझारसिंह ।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : सभापति महोदय, राजस्थान टैनेन्सी (सेकंड अमेंडमेंट) बिल पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मुझे इस बिल के बारे में बहुत कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैं इस बारे में कई बार पहले भी अपने विचार बता चुका हूं । मेरे खयाल से राज्य सरकार की भूमि सुधार नीति स्पष्ट नहीं है जिस तरह से समय समय पर बिना किसी नीति के आधार पर पोलीटिकल प्रेशर्स या किसी प्रेशर पर बराबर जिस तरह से अपनी नीति को बदलती रही है, यह हमारे कृषि विकास के हित में नहीं है । राष्ट्र के जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब सारा राष्ट्र भावनाओं और नारों में बहकर विवेक छोड़ कर काम करने लगता है । आज वही परिस्थिति हमारे यहां है । अमरीका में एक बार मैकार्थिजिम और जैकोबियनिज्म चला था लोगों ने फैशन बना लिया था कम्युनिज्म के विरुद्ध बातचीत करने का, इसी तरह से हमारे राष्ट्र में भी समाजवाद की थोथी बात करना फैशन बन गया है बिना किसी नीति में विश्वास किए बात बोली जाय, इस प्रकार कांग्रेस पार्टी कर रही है ।

राज्य सरकार ने 1960 में सीलिंग कानून बनाया और विथ रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से उसको 1959 से इम्पलीमेंट करने की घोषणा की । दिसम्बर, 1959 के बाद होने वाले जो ट्रांसफरेबल असेट्स थे उनको कानूनन इल्लीगल बनाया गया लेकिन उसके बावजूद कानून की पाबन्दी नहीं हुई व सभी तरह से लोग या तो सरकार की शह से या राज्य के नेताओं के आश्वासन पर बराबर ट्रांसफर्स करते रहे, जमीनें बेचते रहे और कानूनी पाबन्दी नहीं की ।

(3 म० प०)

यह कार्यक्रम बराबर दस साल तक चलता रहा । इस दस साल के पीरियड में बहुत से ऐसे आदमी जो सत्ता में आये जो राज्य के मंत्रिमंडल में आये जिनके हाथ में सत्ता रही, जिनके जिम्मे कानून की पाबन्दी करना है ऐसे व्यक्तियों ने ही पिछले दस वर्षों में जयपुर के आसपास हजारों लाखों की कीमत की जमीन लेकर के अपने अपने फार्म एस्टेब्लिश कर लिए हैं । अगर उस समय से कानूनी पाबन्दी होगई होती तो इतने बड़े बड़े फार्म नहीं बनते और यह इस प्रकार से इर्रेगुलेरिटी नहीं होती । मेरी जानकारी के अनुसार इन पिछले दस वर्षों में 17 करोड़ की रजिस्ट्रियां हुई हैं । इस तरह से इन दस सालों में कितनी लाख एकड़ भूमि को बदल दिया गया । इन दस साल के अरसे में किन किन राजनेताओं ने कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जमीन नहीं ली हो यह बतलाइये ? यानि करीब करीब बड़े सभी नेताओं ने जमीनें लेकर बड़े बड़े फार्म्स का निर्माण कर लिया है । मैं राज्य सरकार से इतना ही पूछना चाहता हूं कि अगर वह ईमानदार है और वास्तव में सीलिंग के कानून में विश्वास करती है तो क्या इन दस वर्षों में जिन लोगों ने राजनैतिक प्रभाव से जमीन खरीदी है या अलोट करवायी है उसको छुड़वाने के लिए

(श्री जुझारसिंह)

तैयार है ? एग्रीकल्चरिस्ट की जो डेफीनिशन दी गई वह यह है कि जो आदमी होल्ली या मेनली खेती पर निर्भर करता हो ऐसे आदमी ने जमीन खरीदी हो तो उसकी जमीन मान ली जायगी । जो आज राज्य के मंत्री हैं कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने अपने फार्म बना लिए हैं इनका मुख्य धन्धा क्या एग्रीकल्चर का है ? ये तो सरकार से पैसा लेते हैं इनको एग्रीकल्चरिस्ट की डेफीनीशन में माना जायगा या नहीं ? बावजूद इसके कि आपने इस कानून से काश्तकारों को फायदा दिये जाने का बहाना किया है । वास्तव में सच तो यह है कि मंत्री लोग जिनकी रोजी रोटी खेती नहीं क्या वे लोग फार्म नहीं छोड़ेंगे ?

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कानून के माफिक आपने 1959 से लेकर आज तक के ट्रांसफर्स रेगुलर कर दिये तो जो लोग कानून के माफिक अण्डर एग्जेम्प्शन सीलिंग से अधिक जमीन रखने के अधिकारी थे उनसे इस कानून के पास हो जाने के बाद सीलिंग से अधिक जमीन आप लेना चाहते हैं उसका क्या औचित्य है ? जिस दिन यह कानून पास होगा उस दिन से उनकी जमीन सरप्लस होगी । मेरा यह निवेदन है कि जो फार्म्स कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त थे आज से आप उनकी मान्यता समाप्त करने जा रहे हैं और जो उनके पास एक्सेस लेण्ड रहेगी उसको सरकार एक्वायर करने जा रही है । वह जमीन केवल भाई और बेटों में जो एडल्ट्स हैं उनमें ट्रान्सफर हो सकती है । और काश्तकारों में नहीं ऐसा क्यों ?

सभापति महोदय, इस कानून में एक संशोधन लाया गया है उसमें भाई बेटों के अलावा एग्रीकल्चरिस्ट को भी जमीन बेच दी जाय तो उसको भी मान्यता दी जाय । लेकिन इसको सरकार मान्य नहीं कर रही है । इसके लिये जो टाइम दिया गया 1 जून का वह भी बहुत कम दिया गया है आज से केवल 17 दिन का समय शेष रहा है । हमने जो एग्रीकलचरिस्ट का प्रावधान रखा है बेचने का मेरी जानकारी के माफिक सरकार ने उस पर फैसला ले लिया है कि एग्रीकल्चरिस्ट के क्लाज को वापिस लेना चाहती है । जिनके पास एक्सेस लेण्ड है वह अब केवल एडल्टस भाई और बेटों में ही बांट सकते हैं उसी को मान्यता मिलेगी यह प्रावधान जब कि मेन बोडी में था उसको सरकार हटा रही है यह राज्य सरकार न्याय नहीं कर रही है यह तो बोडी आफ दी बिल में प्रोवाइडेड है ।

इसके अलावा जिन लोगों ने कानून के माफिक अपने खेत को डेवलप किया अपनी लेण्ड पर इन्वेस्टमेन्ट किया लाखों रुपया उसको इम्प्रूव करने के लिये लगाया । आज आप उससे दस बारह वर्ष बाद में उस एग्जेम्प्शन को वापिस लेते हैं और उसको मार्केट वेल्यू भी देना नहीं चाहते इस तरह से आप एक ही राज्य काश्तकारों को डबल स्टेण्डर्ड से डील चाहते हैं । इस तरह से यह कानून लीगली डिसक्रीमिनेटरी हो जायगा क्योंकि जो ट्रान्सफर्स दिसम्बर 1959 से पहले हो गये हैं उन ट्रान्सफर्स में तो आपने एग्रीकलचरिस्ट को मान्यता दी है लेकिन जो ट्रान्सफर्स स्पेशेलाइज्ड फार्म के लिये मान्य कर रहे हैं उनमें केवल भाई बेटों को ही मान्यता दे रहे हैं एग्रीकलचरिस्ट को नहीं । इस कानून से कल्टीवेटर टू कल्टीवेटर डिसक्रीमिनेशन होगा जो ठीक नहीं लग रहा है । इसलिये मेरा निवेदन है कि परिवार के सदस्यों में ही ट्रान्सफर भी सन् 1969 के पहले वालों पर भी एप्लीकेब

(श्री जुझारसिंह)

होना चाहिये। और आपको एग्रीकलचरिस्ट को इसके साथ शामिल नहीं करना चाहिये। जिसने पैसा लगाकर अपनी जमीन को इम्प्रूव किया है आज तक उस पर पैसा लगाता रहा और आज उससे हम यह कहें कि तुम तुम्हारी एक्सेस जमीन केवल भाई और बेटों को ही दे सकते हो यह कानूनी दृष्टि से गलत होगा। इससे आप कानून की आड़ में उसको सबोटेज करना चाहते हो। या तो आप सीलिंग कानून को लगायें ही नहीं अगर लगाते हैं आपने जो रियायतें गलत तरीके से वेचने वाले को 1969 तक दी हैं इसी तरह की छूट एग्जेम्प्टेड फार्मस के लिये भी दी जानी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं जानता हूं आज जिस वातावरण से हमारी राज करने वाली पार्टी निकल रही है इसके कानून के लिए कोई आस्था नहीं है। अगर वास्तव में किसी सिद्धान्त के आधार पर यह कानून लागू करना चाहती है तो मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं पिछले दस वर्षों में, पन्द्रह वर्षों में करीव ढाई सौ लाख एकड़ जमीन गवर्नमेंट जमीन रिलीज करके वेरियस टाइप ऑफ आदमियों में अलोट की है। आपने ढाई सौ लाख एकड़ जमीन को अपने पजेशन से निकाल दिया है और केवल 37 लाख एकड़ जमीन लैण्डलेस को दी गई है वाकी 213 लाख एकड़ जमीन इन पन्द्रह वर्षों में ज्यादातर पोलिटीकल नेताओं और कांग्रेस सपोर्टेड आदमियों को अलोट की है। मैं पूछना चाहता हूं अगर आपको कानून के प्रति सिन्सियेरिटी है तो क्या आप इस 217 लाख एकड़ जमीन को लैण्डलेस आदमियों के नाम देने को तैयार हैं? ग्रो मोर फूड केम्पेन के अन्तर्गत और कारणों के तहत ऐसे आदमियों को जमीन एग्रीकलचरिस्ट के नाम पर दे दी है, जो न तो काश्तकारी का पेशा करते हैं न उसे जानते ही हैं। काश्तकारी तो उनका साइड पेशा है क्या आप उनसे जमीन एक्वायर करने की कोशिश करेंगे? अगर उनसे नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि आप केवल लॉ अवाएडिंग सिटीजन्स को जो अपनी खेती को डेवलप करने में विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपनी जमीन पर धन का इन्वेस्टमेन्ट किया है उनसे आप जमीन लेना चाहते हैं यह चीज वाजिब नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सीलिंग कानून को वास्तव में इम्पलीमेन्ट करना चाहते हैं तो जिस तरह का कानून 59 में बना था उसी को लागू कर दें और उसके बाद ट्रेसपास हुए हैं उन्हें रेगुलेराइज नहीं करें। आप केवल 59 तक के ही ट्रेसपास को रेगुलर करें। तो हमें इतनी तो तसल्ली रहेगी कि यह कानून सबके ऊपर एप्लीकेवल हो रहा है इससे जिन्होंने जमीन पर इनवेस्टमेन्ट किया है उनको भी नुकसान होगा तो कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप तो नुकसान ला अवाएडिंग सिटीजन का कर रहे हैं, अच्छे कल्टीवेटर्स का कर रहे हैं। और कानून की अवहेलना करने वालों को फायदा दे रहे हैं तो इस तरह से जो सीलिंग कानून वनाया जाये उससे मैं अपनी असहमति प्रकट करता हूं और इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बादृदार।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय,

श्री सभापति : आपका नाम पुकारा गया था उस समय आप उपस्थित नहीं थे।

श्री रामचन्द्र आर्य ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): सभापति महोदय, राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 पर मेरा भी एक प्रस्ताव है कि इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। यह टिनेन्सी संशोधन विधेयक जो आज राजस्थान सरकार पास करने जा रही है, इस विधेयक के अन्दर पूर्णतया बेईमानी से फैसला किया गया है और उन लोगों को फायदा पहुंचाया है जिन्होंने दस सालों में बेईमानी की है। इस कानून को अमल में लाना ही था तो सन् 60 में ही निर्णय ले लिया जाता। अब इस तरीके से इस सीलिंग कानून को लागू करना चाहते हैं लेकिन पहले इस सरकार ने जान बूझ कर लोगों को छूट दी और जो लोग चालाक और इनके नजदीक रहने वाले थे, बेईमानी से जिन लोगों ने जमीनें हड़पी थीं उन लोगों को अब फायदा पहुंच रहा है और जो लोग खुद ही खतीहर और काश्तकार हैं, उन आदमियों से इस प्रकार का कानून बना कर जमीन हड़पने की यह साजिश है और जिन लोगों ने ईमानदारी से बाग लगाये, जिन लोगों ने अपनी जमीनों को जोता और उस पर प्रगति की है, जो लोग प्रगतिशील काश्तकार हैं, उन्होंने अपनी जमीनों पर पैसा खर्च किया और अब उन लोगों से जमीन छीनने के लिये यह सरकार की साजिश है और जो सहकारी समितियां आज भ्रष्टाचार का अड्डा हैं, जो सही मायने में फार्मिंग सोसाइटीज नहीं हैं, फर्जी सोसाइटीज है, जिन लोगों ने जमीनें बेईमानी से हड़पी हैं, उन लोगों को छूट दी जा रही है और जिन लोगों ने बाग लगाये और देश को फल और सब्जियां मिल रही हैं उनको समाप्त करने की अब साजिश की जा रही है। इस प्रकार की गलत नीति के कारण आज काश्तकार को बड़ा नुकसान हो रहा है। आज क्यों नहीं शहरों के अंदर सीलिंग लागू की जाती है। एक एक के पास पांच पांच सौ दुकानें हैं और सैकड़ों की तादाद में कारखाने हैं। इन लोगों के ऊपर सीलिंग लागू नहीं की जाती है। लेकिन काश्तकार कानून को नहीं जानता है इसलिये आज सब की उंगलियां काश्तकार की तरफ उठती हैं और ऊपर से यह कहते हैं कि हम गरीबों को जमीनें देंगे। सही मायने में जमीन इन गरीबों को आप नहीं देना चाहते हैं। यदि यही नीयत सरकार की है तो सरकार के पास लाखों एकड़ जमीन पड़त पड़ी है। वह चाहे तो हरिजनों को मुफ्त में जमीन दे सकती है और देनी चाहिये लेकिन सरकार कहती है पहले किश्त जमा कराओ। 1955 से पहले की रिपोर्ट देखते हैं तब जाकर के इसमें मिलती है और ऊपर से अलग रिश्वत देनी पड़ती है। इसलिये गरीबों को जमीन देने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह केवल राजनैतिक तौर-तरीके का है और काश्तकारों को बर्बाद करने का है और जो इनके सामने रोड़ा बन कर आता है उन को साफ करने की इनकी नीयत है। सरकार कैसे काश्तकारों की पैरवी कर सकती है। इसमें तो माथुर, व्यास और लड्ढाजी जैसे आदमी बैठे हैं और इनको काश्तकारों से कोई हमदर्दी नहीं है और इन्होंने काश्तकारों के विरोधी कानून ही आज तक बनाये हैं और दूसरे कानून तो शायद ही बनाये हैं। ये लोग आराम से रहते हैं और जब चुनाव

(श्री रामचन्द्र आर्य)

आते हैं और काले धन का दुरुपयोग करके वोट खरीदने जाते हैं। सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और विधायकों की खरीद फरोख्त कर के फिर से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ऐसी सरकार द्वारा जो भी कानून बनाया जाये वह गरीबों के पक्ष में नहीं हो सकता। नारा समाजवाद का और काम समाजवाद से कोसों दूर का। एक एक मंत्री के टेलीफोन का खर्चा लाखों रुपयों का होता है। यह एक फिजूल खर्च होता है और जब काश्तकारों का सवाल आता है, उनको कर्जा नहीं दिया जाता है और दिया जाता है तो ऐसे फार्म बनाये हैं कि कोई भी काश्तकार उनको पूरा नहीं कर सकता है और बेईमान लोग लाखों रुपया एडवान्स लेकर अपना कारोबार करते हैं। उनसे किश्त और व्याज तक वसूल नहीं किया जाता है और सहूलियत दी जाती है। काश्तकारों की दो किश्तें चढ़ने पर उनको उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता है और इस तरह का कानून बनता है इस विधान सभा में और हमारे साथी यहां पर कहते हैं कि हम पैरवी करने आये हैं काश्तकारों की। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस कानून को पास करने के लिये यह निर्णय किया जाये कि इस पर वोटिंग गुप्त हो, गुप्त ढंग से इस पर वोटिंग होना चाहिये। एक तरफ आत्मा की आवाज की बात कहते हैं और दूसरी तरफ लोगों को धोखा देकर वोट लिये जाते हैं। इसलिये पहले इस पर विचार करें। हरिजन सदस्यों को इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको कुछ नहीं मिलेगा। अनूपगढ़ तहसील के अन्दर 19 हजार बीघा जमीन है और कमेटी ने कुर्क की और सारी जमीन इन बेईमान आदमियों ने हड़प ली है और ये लोग हरिजनों का शोषण करते हैं और उन हरिजनों को बांध कर नालियों पर डाल देते हैं। इस प्रकार का वहां पर वातावरण है। अगर आप यह कहते हैं कि हम सीलिंग कानून लागू कर के गरीबों को जमीन देंगे तो आज तक आपने उनको जमीनें नहीं दी हैं। जिन लोगों को किसी तरह से मिल गई हैं उनकी जमीनें आप कुर्क कर रहे हैं। भाखरा क्षेत्र में सैकड़ों किसान हैं, जहां पर पानी नहीं लगने की वजह से उनको कोई आमदनी नहीं हुई। अकाल की वजह से आमदनी नहीं हुई और वे किश्त अदा नहीं कर पाये, अब उनकी जमीनें कुर्क की जा रही हैं। अभी पिछले दिनों मुख्य मंत्री महोदय ने 25/26 तारीख को यह ऐलान किया है कि दो से ज्यादा किश्त होने पर 9% व्याज लिया जायेगा और दो साल से ज्यादा रह जायेगी तो बेदखल कर दिया जायेगा। इस तरह से गरीबों को वर्बाद करने के लिये उनका गला काटा जाता है और यह कानून सामने आता है और आप कहते हैं कि इसको पास कर दो। रामानन्दजी कहते हैं कि इसको पास कर दो। लेकिन वे इस बात को नहीं जानते, उनको यह नहीं मालूम है उनके तो पैट्रोल पम्प लगा है इससे उनका गुजारा चलता है। परन्तु मैं उनको कहता हूँ कि खेती करने वाले के बच्चे नहीं पढ़ सकते। उसकी हालत बुरी है। इस कानून के अंदर जो आज पास होने जा रहा है औरत को कोई हक नहीं रखा है जबकि काफी महिलाओं को बाप दादों की तरफ से जमीनें दी गई हैं और अब वे जमीनें उनसे छीन जायेंगी इस प्रकार के कानून से महिलाओं को वर्बाद किया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आधा घंटा और बोलूंगा। दूसरी तरफ महिलाओं का हक मारा जा रहा है। यह कौनसा

(श्री रामचन्द्र आर्य)

आप न्याय कर रहे है। इस प्रकार की आपकी यह व्यवस्था काश्तकारों को बर्बाद करने वाली है। हमारे राजस्थान में पशुधन है और इसके लिए जिन लोगों ने फार्म रजिस्टर्ड करवाये हैं उनके फार्म कैंसिल कर रहे हैं। राजस्थान में ऐसे इलाके जहां पर हैं कि पशुधन पर ही लोग अपना गुजारा करते हैं। कोई नहरी इलाकों में फार्म नहीं बनाये गये हैं। रेगिस्तानी इलाके में फार्म बनाये गये हैं और उनको कैंसिल कर रहे हैं इस तरह का कार्य क्या उचित है, यह बतायेंगे इस तरह से आपने राजस्थान को बर्बाद करने के लिये कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी है। आज भी राजस्थान सरकार में जितने अधिकारी बैठे हैं वे कोई खेती का काम नहीं करते और अधिकतर बेईमान लोग हैं, जमीनें हड़प कर रक्खी हैं। ईमानदार मारा मारा फिरता है। ठेकेदारों के पास जमीनें हैं उनके हजारों बीघा पर खेती करवाते हैं दूसरे धन्धे कर रहे हैं। उनकी जमीनें कैंसिल होनी चाहिये। और उनसे वापिस लेकर गरीबों में बांटनी चाहिये तब तो समाजवाद यह सरकार लाना चाहती है यह समझूंगा नहीं तो समझूंगा कि लोगों को भ्रम में डालने के लिये, उनको धोखा देने के लिये और बेवकूफ बनाने के लिये कांग्रेसियों ने यह नारा लगाया है। इन्दिराजी ने नारा लगाया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। पर इन बैंकों से आज भी गरीब व्यापारी को, काम करने वाले को कर्जा नहीं मिल सकता। जिनको मिलता भी है थोड़ा बहुत तो रिश्वत में डेढ़ सौ दो सौ रुपया क्लर्कों को देना पड़ता है यह व्यवस्था है इनकी आज। तो किसी भी गरीब को कोई फायदा इनसे मिल जावेगा इसकी आशा नहीं करनी चाहिये।

काश्तकार के परिवार की परिभाषा में भी संशोधन नहीं किया। अपने लड़के को, लड़की को देने का अधिकार किसान को मिलना चाहिये। भाई को देने का अधिकार मिलना चाहिये। पर ये परिवार की परिभाषा में परिवर्तन नहीं करना चाहते इसलिये कि सरकार बेईमानों को ही लाभ देना चाहती है, जो ईमानदार रहे उनको नहीं। मैं कहता हूं आप कान खोल कर सुनलें। राजस्थान के काश्तकारों ने ही आपको इन कुर्सियों पर बिठा रखा है। जिस दिन काश्तकार की समझ में यह आ जायगा कि ये हमारा हित नहीं कर सकनें, हमारा शोषण करने पर तुले हुए हैं और इनका असली रूप जिस दिन किसान समझ जावेगा उसी दिन से भागते नजर आवेंगे इन कुर्सियों से। फिर व्यासजी इस कुर्सी पर नहीं बैठे रह सकेंगे, माथुरजी नहीं बैठे रह सकेंगे। सुखाड़ियाभी नजर नहीं आवेंगे। किसानों को राहत पहुंचाने वाला यहां आकर बैठेगा।

पर अभी राजस्थान का किसान भोला है। समझ नहीं पा रहा है। जयपुर रियासत में पहले 21) बीघोड़ी लगती थी राजाओं के वक्त में जो लगती थी, वही आज लगी हुई है। क्या कारण है कि राजाओं के समय लगाई गई लगान आज माफ नहीं हो सकती? गंगानगर के लोगों ने लड़ाई लड़ी। इससे राजस्थान भर का किसान जगा है। उसमें चेतना आई है। आन्दोलन के लिये वे भी विचार करने लगे हैं। तो उनको भी आपको उनके हक देने पड़ेंगे। मानेंगे नहीं। इसलिए सीलिंग कानून पास करने जा रहे हैं, तो कर दें, पर सही माने में लागू नहीं करेंगे तो यह पड़ा रहेगा।

कान्ता कथूरिया और रामनारायणजी की ओर से संशोधन पेश हुए हैं मैं उनका समर्थन करता हूं।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

धारा 42 इतनी खतरनाक है कि वह लागू नहीं हो सकती। इसलिये इसे लोप कर दिया जावे। मैं व्यासजी से कहता हूं आप पंडों की तरह बैठकर गलत कानून मत बनाओ। गरीबों के पक्ष में बनाओ, चोर बेईमानों का समर्थन मत करो ताकि आनेवाला जमाना आपका नाम लेकर यह न कहे कि यह खतरनाक कानून व्यासजी ने बनाया था। पर आपके वश की बात नहीं है, आपके मास्टरजी आपसे ऊपर बैठे करा रहे हैं आप मजबूर हैं। आपको तो अपनी नौकरी रखनी है। आपको सोचना चाहिये कि जिन लोगों ने ईमानदारी से आपके कानून को माना और जमीनें नहीं बेची उनको फेसीलिटी मिलनी चाहिये। ताकि जिन्होंने बेईमानी करके बेची और फायदा उठाया उनसे आधा तो उनको भी लाभ मिल सके। बेईमानों को प्रोत्साहन मत दो नहीं तो वे ही लोग आपको समाप्त कर देंगे। इसलिये कभी भी बेईमानी करने वाले लोगों को शह नहीं देनी चाहिये। आप ईमानदार लोगों की कदर करना सीखें। जिन्होंने ईमानदारी से अपनी जमीनें रखीं बेची नहीं, उनको भी सहूलियत दें।

मैं तो यह चाहता हूं कि इस कानून को पास ही नहीं किया जाय बल्कि जनमत जानने के लिये भेजा जाय ताकि लोगों को पता लग जावे कि कितना गलत कानून आप पास कराने जा रहे हैं और उसमें क्या क्या संशोधन होना चाहिये। आपको कौनसी जल्दी है। 10 साल नहीं लागू कर सके तो एक साल छः महीने और सही। पर आपको तो जनता की राय नहीं चाहिये। आपको तो लोगों को बेवकूफ बनाना है। और बना रहे हैं इसलिये जल्दी में आज पास कराना चाहते हैं। मैंने इसीलिये इसका विरोध किया था।

जन-जाति के कमीशन की रिपोर्ट पर आप विचार पहले करें। मैं समझता हूं कि आपने जो जो अन्याय उनके खिलाफ किये हैं वे यहां रखना चाहेंगे। आप इसलिये जान बूझकर इस रिपोर्ट पर होने वाली बहस को टालना चाहते हैं। आप आज ही इसको पास करके चले जाना चाहते हैं। रामानन्दजी को आपने पटाया है। न मालूम किस तरह से सुखाड़ियाजी की वे चिलम भरते हैं। ये अपने आपको समाजवाद का हिमायती कहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इस तरह से आप किसका हुक्का भर रहे हैं?

श्री रामचन्द्र आर्य: इससे तो बदमाशों को फायदा मिलेगा। जिन्होंने बेईमानी की है उनको फायदा मिलेगा। आप इसकी कैसे हिमायत कर रहे हैं? या तो जान बूझकर करते हैं या आप काश्तकारों की तकलीफों को समझे नहीं है। एक तरफ कहते हैं कम्यूनिस्टों का राज आवेगा तो समाजवाद आ जावेगा दूसरी तरफ इस गलत कानून का समर्थन करते हैं आप शहर वालों पर भी सीलिंग की बात क्यों नहीं कहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह भी करूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य: मैं सैद्धान्तिक तौर पर सबका विरोध करता हूं। व्यक्तिगत तौर पर किसी का नहीं करता। ईर्ष्या नहीं करता। आप राजाओं की खिलाफत करते हैं, क्यों नहीं पूंजीपतियों की करते हैं? क्यों नहीं शहरी सम्पत्ति वालों की करते हैं। इसलिये कि ऐसा आप करेंगे तो आपको लोग शहरों में चलने नहीं देंगे। आप शहर से ही तो आये हैं।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

आपने समाज के लोगों का आप कल्याण करते हैं। काश्तकारों के दुश्मन हैं यह कहूंगा। जो बार बार सीलिंग कानून के लिये कहता है। उसने शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लागू करने का प्रस्ताव नहीं रखा। यदि रखा हो तो सदन की कार्यवाही में से मुझे बता दो कौनसी मीटिंग में रखा।

तो मैं अधिक न कह कर यह कहूंगा। इसको लोगों की राय जानने के लिए प्रचारित किया जाये। यदि वोटिंग करवाते हैं तो ईमानदारी से गुप्त करवायें। तो मालूम पड़ेगा कि कितने आदमी इसके हक में हैं। लेकिन लोग दबे हुए हैं। किसी ने जमीन को एलाट करा रखा है। उनको कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकद्दमा चलाऐंगे। कांग्रेस सदस्य दबे हुए हैं। पिछली दफा विरोध किया था तो सुखाड़िया जी की हवा निकल गई थी। वह जानते हैं कि उनकी सरकार उल्टी हो जाएगी।

एक माननीय सदस्य: कभी नहीं होगी उल्टी।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं गरीबों और काश्तकारों की बात करता हूं। जो अपनी मेहनत से काम करके खाते हैं उनकी बात करता हूं। बाद में इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि इसको पास न किया जाए, यदि पास किया गया तो मैं फिर झगड़ा करूंगा मेरा इसी बात पर झगड़ा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। आज इतना महत्वपूर्ण विषय चल रहा है कोई केबीनेट का मेम्बर नहीं है? सब अपने अपने घरों पर चले गये हैं। आते तो सब हैं। वह हमारी आवाज क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? जिसके लिए सैशन बुलाया गया है। जैसे यहां चेम्बर में अलग अलग लाउड स्पीकर लगा रखे हैं, उसी तरह उनके घरों में लगा दिये जायें।

श्री सभापति: मैं समझता हूं इसका संबंध रेवेन्यू मिनिस्टर से है। इसलिये वह काफी है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: मैं बार बार कहती हूं लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है।

श्री आईदानसिंह : सभापति महोदय,

श्री सभापति: आप तो सिलेक्ट कमेटी में थे।

श्री आईदानसिंह: वकालत तो मैंने की है।

श्री मनोहरसिंह मेहता: सभापति महोदय, मुझे एक शादी में जाना है।

श्री सभापति: श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति महोदय, सन्त विनोबा कौन रीति से 14 वर्ष तक घूमे है। विनोबाजी क्या थे? जब वह गान्धीजी के आश्रम में गये थे तो उन्होंने यह कहा था कि एक आदमी ऐसा आया है जो लेने के लिए नहीं आया है। देने के लिए आया है। हजारों बीघा जमीन का एलॉटमेंट किया गया है। हमने यह ख्याल किया होता कि जो आदमी हाथ से खेती करता है। जिसके बच्चे भूखे मरते हैं। विनोबाजी ने नारा दिया था कि खेती किसकी-जोते जिसकी

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

मकान किसका रहे जिसका। कितना प्रगतिशील कानून आपने बनाया सन् 60 में। लेकिन 69 तक आपने अमल नहीं किया है। जिन लोगों ने नाजायज जमीन बेची है, आप उनको जायज करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह होगा कि भविष्य में जो नाजायज काम करेंगे, उनको आप जायज बना देंगे। आप 69 तक के कब्जों को जायज करने जा रहे हैं। हमारे गांव में जब कोई मरता है, तो पूछते हैं कि सब लोगों ने जीम लिया है? जब सब लोग जीम लेते हैं रात के वक्त तो ढोल का 3 डांके लगाये जाते हैं। अगर कोई आदमी रह जाता है तो डांके लगाये जाते हैं। उसके बाद सब इकट्ठे होकर रोते हैं। इसी तरह से अब आप के इस कानून से भूमिहीन रोने वाला है। आपने एग्जम्पशन दिया है, सहकारी खेती को। जो सहकारी फार्म बनाते हैं वह अपनी जमीन अलग रख देते हैं। बैंकों से धन मिलेगा तो उनको मिलेगा। इसलिये सीलिंग कानून के लिये यह वज्रपात है। अगर एग्जम्पशन देते हैं तो भूमिहीन पर प्रहार है। देश पर प्रहार है। जैसे रात में रोने वाले रोते हैं उसी प्रकार यह रोयेंगे। व्यक्तिगत खेती करने वालों को उत्पादन का मौका नहीं होगा। वह लोग गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे। मेरा सन्देह है कि भूमिहीन को कुछ नहीं मिलने वाला है। थोड़ा बहुत हो सकता है। आपने कोऑपरेटिव को एग्जम्पशन दिया है। वह न दो। आपने कहा है कि बोगस सोसाइटीज को नहीं देंगे। बोगस आप किसको कहते हैं? कोई ऐसा नहीं मिलेगा? गांव में कूट कूट कर सहकारिता भरी हुई है। गांव में कोई मर जाता है तो गांव के सब लोग एक एक लकड़ी लेकर उसके लिए जाते हैं और उसे उठा कर ले जाते हैं। 12 दिन तक उसको चूल्हा नहीं जलाना पड़ता है। लोग अपने घरों से उस घर के लिए रोटियां लेकर जाते हैं। गांव में हर चीज में सहकारिता है। हमारे पुरखों की सहकारिता क्या थी?

पुरखों की सहकारता कितनी सुन्दर आज।

खूब उछाल्यो द्रव्य पण थांसू चलो न राज।

वह मिट्टी में मिल गये हैं। राजस्व मंत्री से प्रार्थना है, कृपा कर जो यह एग्जम्पशन दिया है सच्चे माने में चाहते हैं कि उनको कुछ मिले तो कृपा करके इस एग्जम्पशन को हटादें। नहीं तो भूमिहीन को कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ छाती पीटकर रोना है। अब राज्य की जमीन एलॉट हुई तब नहीं मिली और अब सीलिंग आया तब भी नहीं मिले तो सीलिंग का हाका तो पिछले दस साल से हो रहा है, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। सारा पहाड़ खोद डाला, अब चुहिया निकलने वाली है, लेकिन खैर जीवित चुहिया निकल जाय तो अच्छा है। आप जीवित चुहिया निकालना चाहते है तो जो एजम्पशन दिये हैं वह न दिये जायें।

कुछ साथियों ने कहा है कि 1970 के एक जून तक जो भी जमीन परिवर्तन करना चाहें उनको भी मौका दिया जाय। पहले आपने 1959 के बाद से 1969 तक सब नाजायाज, सब बेईमानी के काम करने वालों को मौका दिया है तो ईमानदारी से बैठे रहे, उनको भी सन् 1970 तक की छूट दी जाय। लेकिन इसके साथ मेरी एक टिप्पणी है वह बेच किसको सकते हैं, अपने पुत्र और भाई के सिवाय किनको बेचें, जो पिछड़े हुए आदिवासी और हरिजन बैठे हैं, जिनके पास में जमीन नहीं है, उन आदिवासियों को बेच सकते हैं, जो आज

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

भी दूसरों की खेती कर रहे हैं। यह छूट दे देते हैं तो जिनके पास में जमीन है वह जल्दी ही बेचने की चेष्टा करेंगे, इसलिए जो हरिजन हैं और आदिवासी हैं, और साझेदारी में खेती करते हैं उनको भी जमीन मिल जाय। इसलिए आप कृपा करके जब ईमानदारी से दूर रहने वालों को, राज्य के कानून की अवहेलना करने वालों को बेची भूमि जायज मान रहे हैं तो जो ईमानदारी से बैठे रहे हैं, उनको भी आप जरूर मौका दीजिये। हालांकि मैं इस पक्ष में नहीं हूं, मैं तो आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहां पर कलकत्ता वाली स्थिति बहुत जल्दी होने वाली है क्योंकि आखिर स्वतंत्रता के इतने वर्ष के बाद में भी लोग बेकार बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, जो धन्धा करना चाहते हैं गांवों में उनको आपने चौपट कर दिया है, आज पढ़े लिखे लोग बेकार बैठे हैं। इससे जो लाल झण्डे को लोग लेंगे और लाल झण्डा लेकर हिंसक कार्यवाही करेंगे। आखिर भूखा मरता क्या नहीं करता। अगर आपको इस स्थिति से प्रदेश को बचाना है तो कृपा करके ऐसी स्थिति लायें जिससे भूमिहीनों को किसी तरह से जमीन मिल सके। आपने कहा है, तीस एकड़ जमीन हो। आपने क्या सुन्दर नारा दिया है ? सहकारी फार्म बनाने के लिए जिसने अपनी व्यक्तिगत जमीन अलग रखी, अगर वह कुल मिला कर तीस एकड़ से ज्यादा होगी तो उसको आप ले लेंगे ? क्या सुन्दर नारा है, तीस एकड़ का। लेकिन आप एलॉट-मेंट करने वाले हैं तो दो दो बीघा भूमि आप भूमिहीनों को दे दें तो उससे वह लोग अपना गुजारा कर सकेंगे। इसलिए कृपा करके जो एग्जेम्प्शन आपने सहकारी फार्म के लिए दे रखा है उसको वापिस लीजिये, और 1 जून, 1970 तक, जिन लोगों ने ईमानदारी से जमीन नहीं बेची है, जिन्होंने जमीन नहीं ली है, उनको कोई हर्ज नहीं, आप एक दफा मौका दीजिये, बेचने का। लेकिन किसको ? हरिजनों को, आदिवासी को और जो साझेदारी में खेती करता है-केवल इनको ही बेच सकता है। आप यह करेंगे तो गई बीती हालत में भी मुमकिन है, थोड़ी बहुत जमीन मिल जाय, वरना....

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार गिर जायगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप फर्मा रहे हैं कि सरकार गिर जायगी। अरे गिर तो आप सब लोग जाने वाले हैं। आप किस कल्पना में हैं। समाजवाद.....

श्री रामानन्द अग्रवाल : समाजवाद नहीं आयेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : समाजवाद तो आपसे नहीं आयेगा लेकिन सर्वनाश आयेगा। जो जुए की आमदनी पर, और शराब की आमदनी पर देश का राज्य चलाता है, वह देश में समाजवाद कभी भी नहीं ला सकता। अलबत्ता सर्वनाश आयेगा। इसमें आप इन्दिरा गांधी को दोष मत दीजिये। क्या दुर्योधन पागल था कि कृष्ण की इतनी बात भी नहीं मानी ? लेकिन विधि को यह मंजूर था कि सर्वनाश हो। इसलिए दुर्योधन बदनाम हुआ और उसके कारण सर्वनाश हुआ। यही बात इन्दिरा गांधी के साथ होने वाली है। गली गली में लाटरी का नारा लगाया जाता है। एक राज्य के टिकट लेने के लिए मुझे भी मजबूर किया। मैंने कहा, भई मेरे भाग्य पर मुझ भरोसा नहीं। मैंने टिकट लिया नहीं कि इनाम आ जायगा.....

श्री सभापति : आप विषय पर बोलें ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो मेरी नींद हराम हो जायगी । मैं उसे बचा बचा कर कहां रख पाऊंगा ? तो समाजवाद के लिए मैंने कहा कि इन्द्रा गांधी के शासन में समाजवाद की कल्पना मत कीजिये, इससे तो सर्वनाश आयेगा । समाजवाद आयेगा तो तब ही आयेगा जब आप गांधीजी की और विनोबा की बात मानेंगे । लेकिन हालत आज यह है कि गांधी और विनोबा के रास्ते को भूल गये हैं । गांधी और विनोबा के रास्ते से उल्टा चलने से कभी समाजवाद नहीं आयेगा । आप लोग तो गोड्से का काम कर रहे हैं, गांधी और विनोबा के रास्ते से हट रहे हैं और गांधी का नाम लेते हैं :

गांधी के मन भावना, कर न सके थूं काम ।
कां लेवें हर बात में, जद गांधी को नाम।।

श्री सभापति : श्री शीशराम ।

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी) : सभापति महोदय, सीलिंग के लागू होने के मसले पर विचार विमर्श हो रहा है । इस संबंध में मैं भी अपने विचार आपके द्वारा सदन के सामने रखना चाहता हूं । राज्य में सीलिंग लागू होने जा रहा है उसके विषय में मुझसे पहले कई दोस्तों ने, कम्युनिस्ट दोस्तों ने, मेहताजी ने और दूसरे दोस्तों ने कहा . . .

श्री विजयसिंह : एक ही है कम्युनिस्ट !

श्री शीशराम ओला : आपके पक्ष में ही बोल रहा हूं, बैठो ।

कि लाल झण्डा आ जायगा । इस लाल झण्डे से न तो काश्तकार आज डरता है और न भविष्य में डरेगा । काश्तकार के तो कुए पर ही हनुमानजी का लाल ध्वज होता है, इसलिए उसको लाल झण्डे का डर नहीं है । लाल झण्डे का डर उनको है जो कूलर की ठण्डक में काम करते हैं और दुकानों पर गद्दी पर बैठते हैं । किसान तो आज भी सर्दी, गर्मी, बरसात खेत के अन्दर काम करता है । उसको लाल झण्डे का डर नहीं है ।

सभापतिजी, अब मैं आपके द्वारा इस संशोधन के संबंध में अपने विचार रेवेन्यू मिनिस्टर के सामने रखना चाहूंगा । सभापति जी, आज सीलिंग लागू करने जा रहे हैं, उसके अन्दर हमने अधिकतम सीमा के सिद्धान्त को माना है । लेकिन जो पिछले दिनों बागात लगाये गये है, उन बागात को लगाने वालों के लिए अलग से सीलिंग निर्धारित होनी चाहिए । जो सीलिंग निर्धारित की गई है, वही सीलिंग बागात के लिए भी लागू करना चाहते है तो बागात में कोई अनाज पैदा नहीं किया जाता है, बागात में फ्रूट पैदा किये जाते है । आज गंगानगर का वह जिला है जो आपको माल्टा और दूसरे फ्रूट देता है, और हिन्दुस्तान को अलग अलग किस्म के फ्रूट देता है । वह बड़े महत्वपूर्ण हैं । ऐसे बागात को किसानों ने लगाया है, जो उन्होंने पहले अपने खेतों में अनाज पैदा किया, उसकी सारी कमाई को लगा कर इन बागात को बनाया है, उसके लिए ट्यूब वैल बनाये है, उन बागात को सीलिंग में लाने की दृष्टि से यह आदेश दे दें कि यह सारे बागात कटवा दिये जायं तो इससे राष्ट्र की सम्पत्ति नष्ट होगी । इस प्रकार सीलिंग से न गरीब को लाभ होगा और न राष्ट्र को । इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन किसानों ने बागात लगाये हुए है, उनके लिए अलग से सीलिंग रखी जाय वह एक मुरब्बा रख सकते हैं, या सत्तर

(श्री शीशराम ओला)

एकड़ रख सकते हैं। जिनके पास बागात हैं उनका इस सीलिंग से संबंध नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता, इस प्रश्न पर सिलेक्ट कमेटी में विचार क्यों नहीं किया गया ? सिलेक्ट कमेटी ने यदि इस पर विचार किया तो इस संबंध में उसका कोई नतीजा क्यों नहीं आया ? मेरा निवेदन है कि सिलेक्ट कमेटी ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया कि इतनी बड़ी सम्पत्ति को वह नष्ट कराने जा रही है। एक तरफ आप वनों को नहीं कटवाना चाहते हैं, फोरेस्ट को कटवाने में एतराज करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बागात, जो कि किसान ने अपनी सारी कमाई से लगाये हैं, को कटवाने बैठ गये, मैं समझता हूं, यह देश के लिए और प्रान्त के लिए लाभ-दायक नहीं होगा....

श्री शंकरलाल : कटवाने की बात नहीं है।

श्री शीशराम ओला : आप बात सुनिये। आपको दर्द नहीं होना चाहिए। आप सुनिये।

श्री शंकरलाल : मैं कह रहा था कि कटवाने की बात नहीं है। आप गलत बात कह रहे हैं।

श्री शीशराम ओला : आपको दर्द नहीं होना चाहिए....

श्री जगन्नाथ : माननीय सभापतिजी, बागात को कैसे कटवाते हैं, हम यह देखेंगे।

श्री शंकरलाल : आपका बाग है।

श्री जगन्नाथ : मेरा बाग हो, दूसरे का बाग हो, उसको कटवाने के लिए मिनिस्टर भी सफल नहीं होगा।

श्री शीशराम ओला : मुझे कहने दीजिये, काम की बात।

मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात पर फिर से विचार किया जाय और विचार करके उन सब किसानों को, उन सब काश्तकारों को, उन सब लोगों को, जिन्होंने बागात लगाये हैं, छूट मिलनी चाहिए कि वह एक मुरब्बे में बाग लगा सकते हैं, बाकी लोगों से आप लें, बिकवायें या शिक्षण संस्थाओं को दिलवायें--इस प्रकार की व्यवस्था है, मैं समझता हूं कि इससे सबके दिलों में असंतोष है। मेरा सुझाव मंजूर करने से लोगों का असंतोष संतोष में परिवर्तित होगा और राष्ट्र की सम्पत्ति के कटने से जो असर पड़ने वाला है वह नहीं पड़ेगा। लेकिन बागात की सम्पत्ति को नष्ट कर दिया और अधिक भूमि उससे ले ली तो कोई काश्तकार अच्छी तरह से नहीं रह सकेगा, वह अपने बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकेगा, उसका मकान अच्छा नहीं बन सकेगा। मैं नहीं समझता कि मेहता साहब की भाषा में लाल झण्डा आयेगा या नहीं, क्योंकि वह तो हनुमानजी के लाल झण्डे के नीचे बैठे है, लेकिन मैं मानता हूं कि बागों को काट देंगे और इस प्रकार का कानून आप बनायेंगे तो इसके जरिए असंतोष बढ़ेगा, आन्दोलन होगा और उस आन्दोलन को रोकने के लिए सरकार के लाखों रुपये खर्च होंगे, और बाद में फिर इन्क्वायरी करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा कानून लाने का विचार करना चाहिए जिससे लोगों को संतोष हो। ऐसा गलत कानून आप पास नहीं करें जिससे किसान, जनता और सरकार को नुकसान हो। मेरा निवेदन है कि इस पॉइन्ट पर विचार करें, क्योंकि बागों का मसला एक साधारण मसला नहीं है, इसलिए इस पर

(श्री शीशराम ओला)

विचार करके कोई रास्ता निकालें । बस इतना ही मेरा निवेदन है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : बड़े बड़े सेठों की एलॉटमेंट कैंसिल करें । बड़े बड़े जमीदारों का एलॉटमेंट कैंसिल होना चाहिए ।

श्री आईदानसिंह (मीनगाल) : सभापति महोदय, आज दिन पर दिन जमीन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और हरेक का डाइवर्शन जमीन की तरफ हो रहा है और जमीन का डाइवर्शन करके उसके टुकड़े 2 किए जा रहे हैं । इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है । सीलिंग कानून हो या और कोई कानून हो । आप इसकी जगह जो जमीन की प्राडक्ट हो इसके साथ पशुपालन हो उसके साथ कारखाने का हिसाब-किताब क्यों नहीं लगाते ? आपने एग्जम्प्शन्स रिमूव की हैं इस आधार पर कि मिसयूज होता है, कोआप-रेटिव्ज म नहीं होता है, बाकी सबमें होता है । आप जो पशुपालन के लिए खात्मा कर रहे हैं उसके बजाय अगर इन एग्जम्प्शन्स को रखें और दूध का प्रोडक्ट हो उसकी छोटी मोटी फैक्टरी लगाएं या उद्योग शुरू करें तो राष्ट्र का फायदा ही होगा और पशुधन जो तहस नहस हो रहा है, वह बच जायगा या नहीं ? जो भेड़ बकरी हैं उनसे जो आना है उनके लिए अगर कारखाना लगायें तो उससे आपको मुनाफा होगा । राज्य सरकार क्या सोच रही है ? इसको भी खत्म करें उसको भी खत्म करें । मेरी मान्यता है कि तोड़ने के बजाय कम से कम इसको बढ़ावा देकर और जमीन पर दबाव को कम करने की नीयत से उद्योग या कारखाना खोलें तो लोगों को रोजगार मिलेगा और जमीन पर दबाव कम हो जायगा । आज जमीन की फर्टिलिटी आप देखें तो दिन पर दिन गिरती जा रही है क्योंकि जमीन के टुकड़े काफी हो गए हैं । पहले हमारे यहां एक जमीन के दो टुकड़े थे । एक टुकड़े को छोड़ दिया जाता था क्योंकि न नहर है न सिंचाई है और दूसरे में खेती करते थे । आज हालत यह है कि मवेशियों को चरने के लिए एक इंच जमीन मिलेगी नहीं, हर साल खेती होती है, खाद मिलती नहीं । आपके फर्टीलाइजर्स भी जमीन का शोषण करते जायेंगे और आने वाले सालों में जमीन की शक्ति को जरूर कम करेंगे ।

आपने सीलिंग फिक्स की । लिमिट होनी चाहिए और बंटवारा भी करो मुझे एतराज नहीं है लेकिन कम से कम इतना करो कि फैक्टरी वगैरह लगाओ इस तरह से सोचो । 1959 में जब आपने कानून बनाया था उस समय छूटें दीं उस समय एक शब्द लिखा हुआ था ताकि यदि कम्पैक्ट फार्म्स को तोड़ा जायगा तो उत्पादन कम होगा इसलिए फार्म्स को सीलिंग की लिमिट से छूट दी जायगी । दुनिया में एसा कोई देश नहीं है जहां छोटी छोटी अन्इकॉनॉमिक होल्डिंग्स पर जा रहे हो । मैं मानता हूं आगे चल कर कोऑपरेटिव्ज में परिवर्तन करना चाहते हैं लेकिन आज खाद्य स्थिति एसी नहीं है कि सबको मिलाकर कोऑपरेटिव बनायें और कोऑपरेटिव बनाने से उत्पादन में गिरावट होगी तो उस बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि पी० एल० 480 पर कितने दिन डिपेंड करेगी तो कम से कम उन फार्म्स को न तोड़ें जो लोगों ने बनाए हैं, 10 साल से इन्वेस्टमेंट किया है और उसके बाद में राज्य सरकार कहती है कि उनको हम खत्म कर रहे हैं । अगर आप खत्म भी करना

(श्री आईदानसिंह)

चाहते हैं तो कम से कम उनको इतना समय तो दें क्योंकि राज्य सरकार पूरा मुआवजा देगी नहीं, किसी पर बैंक का लोन है किसी पर पंचायत समिति का लोन है, उसको अगर रीपेमेंट भी नहीं कर सकते, आपने तारीख दी है कि 1 जून। 1 जून तक कितने लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कह सकता लेकिन यह तारीख आपको बढ़ानी चाहिए और लोगों को समय देना चाहिए। आप इन एक्जम्प्शन्स को खत्म न करें। अगर करते हैं तो लोगों को समय देना चाहिए। सदन में आने के बाद एक संशोधन आया है, उसमें है कि भाई और लड़के को दे सकते हैं लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं दे सकते जो जेनियुन है भूमिहीन है, यह मेरी समझ में नहीं आता। मेरी मान्यता है कि एग्रीकल्चरिस्ट लैंडलेस को देने के लिए छूट देनी चाहिए और उन लोगों के लिए जो अभी तक नहीं बेच सकते हैं या आपके नियम के अनुसार बैठे रहते हैं, उनके साथ धोखा होगा। इसलिए मेरा विश्वास है कि राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, राजस्थान टिनेन्सी (सैकिंड अमेंडमेंट) बिल आया है उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं आभास करता हूं कि एक फैशन हो गया है और यही सोचते हैं कि हम पड़ोसी देश से पीछे क्यों जा रहे हैं। राज्य सरकार इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने 1960-62 में जो मूल एक्ट में एक्जम्प्शन्स दी थी उनको वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। उस उद्देश्य से प्रवर समिति से रिपोर्ट जो सदन में पेश है, उस पर बोलने से पहले मैं एक बात पर निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप राजस्थान के क्षेत्रफल को देखें तो आपको स्वयं को जानकारी होगी कि राजस्थान का कुल भूमि क्षेत्रफल 8.40 करोड़ है उसमें से काबिले काश्त 6.60 करोड़ है और एक्चुअल खेती जो हो रही है वह है 3.75 करोड़ और 2.85 करोड़ भूमि अभी भी ऐसी है कि जो कल्चरेबल है और जिस पर खेती नहीं हो पा रही है। इसके साथ साथ अगर राजस्थान के श्रमिक काश्तकारों की संख्या लें तो दोनों मिलाकर 74.49 लाख है। उस अनुपात में देखें आज जो भूमि आपके पास सरप्लस हैं इस तरीके से आपने जो एलॉटमेंट गलत किए हैं सबको और जोड़ दिया जाय तो करीब करीब हमारे पास 3 करोड़ भूमि उपलब्ध हो जाती है और सही ढंग से अगर एग्रीकल्चरिस्ट और लैंडलेस को देना चाहें तो मैं नहीं समझता कि जो इस समय जरूरी समझते हैं कि एक्जम्प्शन्स वापस लेकर और भूमि मिल जायगी और लैंडलेस और श्रमिकों को और देनी पड़ेगी। इन एक्जम्प्शन्स को लाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर में है क्या जो आदमी इधर और उधर बैठने वाला सदस्य क्यों न हो, आखिर में जबरदस्ती इस बात की हवा बनाकर चल रहे हैं कि हम समाजवाद ला रहे हैं। समाजवाद लायें तो केवल एग्रीकल्चर ही उसका एक फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर्स हैं जो साइमल्टेनियसली मूव करेंगे नहीं तो महज हवा पर बहाना लेकर समाजवाद लाना चाहते हैं, तो समाजवाद नहीं आ पाएगा। यह सारा ऐक्ट ऐसा कन्फ्यूज्ड है और दिन पर दिन इस तरह के संशोधन करते चले जा रहे हैं उनको और कन्फ्यूजन के अन्दर डाल रहे हैं।

(4 म० प०)

एक तरफ, सभापति महोदय, निवेदन करूं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 55

(श्री दिग्विजयसिंह)

में और 101 में कहा गया है जहां सैटलमेण्ट नहीं हुआ है सैटलमेण्ट से असेस नहीं हुआ हो वहां पर भूमि रेण्ट भी नहीं लिया जा सकता तो फिर यह बात समझमें नहीं आयी . . .

श्री मूलचन्द डागा : तो आज कैसे समझ में आ गई ?

श्री दिग्विजयसिंह : यह डागाजी साहब ने कल बताया था । एक तरफ तो सरकार सैटलमेण्ट के ड्यूरेशन के वक्त रेण्ट फ्री करती है कोई रेण्ट नहीं लगाती है और आज एग्जेम्प्शन्स विथड्रा करने जा रही है । मैं आपसे, मिनिस्टर महोदय से जानकारी लेना चाहूंगा आप इसका क्वान्टम ऑफ कम्पनसेशन किस आधार पर करेंगे जबकि सैटलमेण्ट रेकार्ड के और लैण्ड रेकार्ड्स में कोई रेण्ट निर्धारित नहीं है । तो फिर कम्पनसेशन किन आंकड़ों को बेसिस मानकर देंगे । जिस भूमि को ठेके पर लगा रखा है या जिसका पट्टा नहीं हो रहा है जिस पर बरसों तक वह इंप्रूवमेण्ट करता चला आ रहा है क्या उनका वापिस असेसमेण्ट करेंगे अथवा कम्पनसेशन का क्या आधार होगा ? यह मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है । रेवेन्यू रेकार्ड्स में जिसका असेसमेण्ट नहीं हुआ है उसको आप कैसे करेंगे ? इसमें आपका डिसक्रीशन ही रहेगा । ऐसा रहा तो फिर डागाजी की शरण लेनी पड़ेगी, वकीलों की शरण लेनी पड़ेगी । हमारे प्लाण्टेशन हैं, ओर्चार्डस हैं फ्रूट का वेल्यूएशन है, ट्रीज का वेल्यूएशन आपने लगाया है उसने इम्प्रूवमेण्ट किया है वह कहां जायगा ? इस तरह की भूमि का कम्पनसेशन देने के समय प्रोब्लेम आजायगी ।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं केरल जिसको समाजवादी क्षेत्र में अग्रणी माना जा रहा है वहां साम्यवादियों की सरकार है वहां पर भी एग्जेम्प्शन्स हैं प्लाण्टेशन को एग्जेम्प्ट किया गया है जहां साम्यवादी सरकार है वहां पर एग्जेम्प्शन है । और यहां पर ऑर्चार्डस को एग्जेम्प्ट किया जाता है तो उसको न्यायसंगत नहीं समझते ।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में ट्रैसपासर्स को रिकगनाइज नहीं किया जायगा । राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के सेक्शन 15 ए में लिखा हुआ है किसी भी खातेदार के राइट्स एक नहीं होंगे । इसमें शब्द है "डीम्ड टू हेव" ऐसी सूरत के अन्दर सीलिंग लागू करने जायेंगे । एस० डी० ओ० के सामने किस प्रकार का डिक्लेरेशन देंगे, यह कन्फ्यूजन है । इधर तो वाई लॉ उसको खातेदार नहीं माना उधर आप सीलिंग के अन्दर लाना चाहते हैं, इस तरह से आप कैसे जस्टिफाई कर सकेंगे ?

सभापति महोदय, एग्जेम्शन के संबंध में भी निवेदन करना चाहूंगा करीब-करीब सारे एग्जम्प्शन्स विथड्रा कर लिए गये हैं सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए रखा है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कोआपरेटिव्ज को जो एग्जम्प्शन दिया है उसको भी आप विथड्रा करें । आज राजस्थान के अन्दर हजारों बोगस कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं । इस तरह से इनको संरक्षण देकर जिन्होंने लॉफुल काम किया है, जिन्होंने केटल ब्रीडिंग फार्म आदि लिए हैं उनको 59 तक रजिस्टर्ड करवा लिया है उनको तो आप एग्जेम्प्शन से आउट कर रहे हैं यह अच्छी चीज नहीं है । यह आपके लिए डिसक्रिमिनेटरी व्यवहार होगा । जो कम्पनसेशन देने जायेंगे उसको रेण्ट का बीस गुना या 30 टाइम देंगे ।

(श्री दिग्विजयसिंह)

आपके कानून के अनुसार जिसने एग्जम्प्शन ले लिया है, गवर्नमेण्ट ने केटल ब्रीडिंग को रिकगनाइज कर लिया है और उसमें अपना काफी इनवेस्टमेण्ट कर दिया, उसमें आप उसको सिर्फ कम्पनसेशन देंगे जमीन का । मशीनरी के लिए इनवेस्टमेण्ट किया केटल ब्रीडिंग के इम्प्रूवमेण्ट के लिए किया आप उसका हर्जाना क्या देंगे ? एक व्यक्ति ने कानून का पालन करते हुए एग्जम्प्शन सीक किया है आप उसको किसी तरह का फायदा नहीं देना चाहते यह उचित नहीं है । इस बारे में एक अमेण्डमेण्ट माननीय सदस्य ने रखा है एग्रीकल्चरिस्ट के संबंध में उनसे मैं निवेदन करूंगा कि काश्तकारों के हित को सोचते हुए—वे स्वयं काश्तकार हैं इस नाते उसके हित को समझते हैं—वे इसको विथड्रा करेंगे । इसके लिए ऑलरेडी प्रोवीजन दिया हुआ है । जिन्होंने एग्जम्प्शन सीक किया है लॉफुली काम किया है उसका बेनीफिट मिलना चाहिए। उसके लिये उनको और समय दें। 1 जून, 70 तक का समय जो दिया है वह कम है। कम से कम 1 जुलाई तक तो कर देना चाहिए ताकि उस वक्त तक लोग-बाग जमीन बेच सकें ।

श्री मूलचन्द डागा : आप कहें तो 1980 तक का समय दे दें ।

श्री दिग्विजयसिंह : इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि आपने जो एग्जेम्प्शन का क्लॉज रखा है उस पर तो पुर्नविचार करें आर्चाडं के बारे में अवश्य देखें। मेरा यह आप से फिर से निवेदन है कि आप एग्जेम्प्शन के क्लॉज पर दुबारा विचार करें ।

इसके अतिरिक्त जो एग्जेम्प्शन दिया है वह अब भी प्रोटेक्टेड लेजिस्लेशन के अन्दर है । यह प्रोटेक्टेड लेजिस्लेशन लॉ हो चुका सुप्रिम कोर्ट ने संविधान के 17वें अमेण्डमेण्ट के संबंध में फण्डामेण्टल राइट्स के संबंध में प्रोपर्टी राइट्स के संबंध में निर्णय देते हुए इसका प्रोटेक्शन दिया है गोरखनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट के मामले में अपने निर्णय में इसका प्रोटेक्शन दिया है । यहां जो कानून बनाया जा रहा है उसमें इसको इनकार्पोरेट नहीं कर रहे हैं । इस तरह से इसमें लेकुना रह जायगा । इसलिए मेरी राय में जो एग्जेम्प्शन दिये गये हैं उनमें हेरफेर नहीं करना चाहिए ।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसमें महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है । जब हिन्दू लॉ के अनुसार प्रोपर्टी में सबका समान अधिकार है तो फिर उसमें महिला को क्यों नहीं रखा गया । मान लीजिए पूरे घर में डिवीजन होता है तो डॉटर को भी वही अधिकार होता है जो लड़के को होता है । मेरी समझ में नहीं आता इसमें आपने उसको अधिकार क्यों नहीं दिया है इस तरह से भी आप डिसक्रीमिनेटरी लॉ बनाने जा रहे हैं । एक प्रापर्टी जो बाप दादों के नाम से चली आ रही है वह सारे फैमिली में वेस्टेड है । उसमें फैमिली के तमाम मेम्बर्स का समान हक है । कोई स्त्री डाइवोर्स सीक करती है तो वह अदालतों में जाकर कम्पनसेशन मांग सकती है । सम्पूर्ण फैमिली को काम्पेक्ट मानकर के सबको समान हक मिलने चाहिए । अब आप खुद कल्पना कीजिए । 30 स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन है और वह अपना शेयर ले लेता है । उसके 5 परिवार के बच्चे हैं दो अन्ततोगत्वा सैकेन्ड जेनेरेशन में यह परिवार खुद ही लैण्डलेस बन जायेगा । अब आप एक दम से इन सबको

(श्री दिग्विजयसिंह)

जमीन बांट देंगे और भूमिहीनों की समस्या हल हो जायेगी । लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आता है । आप इस पर विचार करेंगे । आज के दस साल बाद जो आज समर्थन कर रहे हैं वे ही आपको गालियां देंगे और कहेंगे कि अच्छा काला कानून लेकर आये थे । इसका उदाहरण आप स्वयं जानते हैं । जिनके पास 200 बीघा खेती थी आज उनके पास 10.15 बीघा जमीन रह गई है और उन्होंने जमीन दुबारा अलॉट करवायी है इस आधार पर कि उनके पास में जमीन सीलिंग की सीमा से कम है और आज वे लैंडलेस हो गये हैं । इसलिए आप खुद इस बात को मानेंगे कि एक परिवार के बढ़ने के बाद वह परिवार आगे जाकर के लैंडलेस हो जायेगा । इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मसला है और इस पर बाद में विचार करना चाहिए और जो एक्जम्प्शन वाला क्लॉज है उसको भी आप दुबारा देखें ।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं–वह है कम्पेनसेशन के ऊपर । आपने 20 टाइम रेन्ट रखा है । जैसा हमारे देश के नेताओं ने फर्माया है एग्रीकल्चर प्रोपर्टी के ऊपर इनकम टैक्स लागू कर रहे हैं । उसका वेल्यूएशन कर रहे हैं । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि आपका जो लेजिस्लेशन है–एग्रीकल्चर प्रोपर्टी है उसको आप असेस करेंगे फार दी परपज ऑफ इनकम टैक्स एण्ड वैल्थ टैक्स ऑन दी प्रैजेन्ट मार्केट वेल्यू । 10 हजार का वेल्यू करते हैं तो टैक्स लग जायेगा और मार्केट वेल्यू से कम्पेनसेशन का सवाल नही आयेगा । आप 20 टाइम, 30 टाइम रेन्ट देंगे तो यह गलत है । यह गलत बात है । सभापति महोदय, इस एक्ट के संबंध में बराबर यह कहा जाता है कि स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ वाले मिल कर इसको नहीं होने देना चाहते हैं । 20 साल से आप राज्य कर रहे हैं । फिर आपकी कलम किसने पकड़ रखी थी, किसी ने नहीं पकड़ रखी थी । यह आपके हाथ में था । आप अपनी सुविधा के अनुसार आगे चलते । आप सही मायने में ईमानदार व्यक्ति होते . . .

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । दर्शक दीर्घा में बैठे हुओं से बातचीत न करें माननीय सदस्य ।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को कम से कम इस बात पर तो उदारता दिखानी चाहिए और लॉ एबाइडिंग पीपुल्स को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिन लोगों ने लॉ को अबाइड किया है और सीलिंग कानून के एग्जम्प्शन्स का एडवान्टेज नहीं लिया है उनको इससे आप वंचित रखना चाहते हैं तो यह उनके लिए डिस्क्रीमिनेटरी होगा, ऐसा मैं समझता हूं । आप माननीय सदस्यों से और वित्त मंत्रीजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इस बात पर पुनर्विचार करें और राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह भी इस पर पुनः विचार करे और जो पहले नियम लागू था उसको ही बदस्तूर रखा जाये और जो अवधि आपने रखी है वह 1 जुलाई तक रख दी जाये तो वाकई सही मायने में आप इसको इम्पलीमेण्ट करना चाहते हैं, यह मैं समझूंगा । इसलिए इसको गुड सेन्स में लिया जाये । हम भी यह चाहते हैं कि भूमिहीनों को भूमि मिले सम्पत्ति का बंटवारा हो जाये । परन्तु आप मेहरबानी करके इसको काश्तकारों से शुरू न करें ।

(श्री दिग्विजयसिंह)

अरबन सीलिंग भी लागू करें परन्तु आप पहले काश्तकारों पर ही हमला करना चाहते हैं क्योंकि अधिकतर लोग इस सदन में शहरों से ही आये हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि सीलिंग गांव और शहरों में दोनों पर एक साथ लागू किया जाना चाहिए और समाजवादी दृष्टिकोण से इस को लागू करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदय, टिनेंसी एक्ट के दूसरे संशोधन के संबंध में जो बिल लाया गया है प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद उसकी फर्स्ट रीडिंग पर यहां पर विचार हो रहा है। मैं इस संबंध में केवल ट्रेजरी बैंचेज के महानुभावों से यह कहना चाहूंगा कि वे इस बिल के बारे में, सीलिंग के बारे में बड़ी आतुरता दिखा रहे हैं और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि मानों कांग्रेस दल के सदस्यों को ही राजस्थान के भूमिहीन किसानों के साथ इतना दर्द है और सीलिंग के बाद राजस्थान में जो सरप्लस भूमि प्राप्त होगी उसको वे भूमिहीन किसानों में वितरित कर देना चाहते हैं। हम आपसे सवाल पूछते हैं, आजादी के बाद सरकार कांग्रेस दल की रही है। और आज तक कांग्रेस की ही सरकार है। सीलिंग के लिए पहले भी संशोधन और एक्ट पास हुए हैं परन्तु उनको आज तक किसी प्रकार इस सरकार ने ताक में रख रखा है और आज तक उनको इम्पलीमेंट नहीं किया है। इसके लिए आपको किसने रोका था ? स्वतंत्र पार्टी ने अपनी तरफ से और जनसंघ ने अपनी तरफ से बैंक राष्ट्रीयकरण पर अपने विचार रख थे लेकिन उसके बाद भी आपके दल ने अपना निर्णय लेकर इसको लागू किया ? हमारा दल कहीं रोड़े में नहीं आया फिर राजस्थान में भी कौन सरकार को रोक रहा था ? आप भूमिहीनों को भूमि का वितरण करते। परन्तु आपने ऐसा नहीं किया। अब एक माहौल तैयार किया गया है। आप लोगों को यह कह रहे हैं कि इसके लागू होते ही भूमिहीनों को भूमि आप देना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं इस सरकार को कह देना चाहता हूं कि यह जो कानून बनाया जा रहा है, जिस प्रकार का भी यह कानून है यह एक लूला लंगड़ा कानून है। यह अपनी जगह रखा रह जायेगा और 72 के चुनाव भी निकल जायेंगे और उसके बाद भी यह सरकार जमीनों पर कब्जा नहीं कर पायेगी और भूमिहीनों को भूमि नहीं बांट पायेगी। मैं माननीय सदस्यों से, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर सीलिंग के पीछे आपका कन्सेप्ट क्या है ? क्या आपके सिद्धान्त हैं जिन को अपनाकर आप सीलिंग को रूरल एरियाज में लागू करना चाहते हैं ? क्या आपकी मंशा यह है कि राजस्थान के अन्दर जितनी भूमि है और उस भूमि पर निर्भर रहने वाले कितने किसान हैं और जितने किसान हैं उनको चाहे एक एकड़ जमीन उनके हिस्से में आवे आप उन सबके अन्दर भूमि का बंटवारा करना चाहते हैं ? चाहे इससे उत्पादन हो या न हो उसको छोड़ कर पहले भूमिहीनों को भूमि बांटना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो भूमि पर निर्भर हैं फिर चाहे उनका उससे गुजारा हो या न हो ?

श्री मूलचन्द डागा : आप सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर हैं आप इसके विपक्ष में नहीं बोल सकते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा नोट ऑफ डिसेन्ट है ।

श्री मूलचन्द डागा : आप इसके खिलाफ बोल रहे हैं ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मेरा उस पर नोट ऑफ डिसेन्ट है।

तो मैं कह रहा हूं कि जो यह सीलिंग है इसका कन्सेप्शन किस आधार पर है? क्या केवल यही आधार है कि जितने भूमिहीन किसान हैं जिनको अपनी आजीविका चलानी है उनमें उपलब्ध सारी भूमि वितरित कर दी जावे ? यही सिद्धान्त है केवल इसके पीछे ? या यह भी है कि अन्न का उत्पादन हो सके, राजस्थान अन्न के मामले में आत्म निर्भर बन सके इस दृष्टि से भूमि का उपयोग हो ? या यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक किसान परिवार की अमुक सीमा तक आमदनी हो जाय ? क्या स्थिति है ? क्या सिद्धान्त है आपका इसके पीछे ? जरा यह तो स्पष्ट कर दें। जिस प्रकार से वामपन्थी विचार-धारा के सदस्य हैं, उनकी विचारधारा स्पष्ट है । भूमि का वितरण भूमिहीनों में करना चाहिये। जितना सीलिंग तै किया है जरूरत हो इसके लिये तो उसे भी कम कर देना चाहिये उत्पादन से संबंध उनका नहीं । उनका संबंध सीधा एक है कि भूमिहीनों में भूमि वितरित कर दी जानी चाहिये । क्या कांग्रेस भी इस को मानकर चलने वाली है ?

अनेकों विद्वानों ने कहा है कि किसी भी देश की तरक्की की निशानी यह है कि कितनी भूमि पर से भार कम होता है और कितना कौन देश औद्योगीकरण की तरफ आगे बढ़ता है । जिस अनुपात में जो देश भूमि पर भार से मुक्त है और औद्योगीकरण में आगे है उसी अनुपात में वह प्रगतिशील है और समृद्ध है। तो आप देश को विकास और समृद्धि की ओर ले जाना चाहते हैं या अधिक से अधिक गरीबी की ओर, यह आप सोच लें ।

आप जो आज करने जा रहे हैं क्या इससे गांव के गरीब किसान को शहर वालों की दया पर छोड़ देना चाहते हैं ? क्या इसलिये हमने आजादी ली है कि समृद्धि को केवल आप शहरों तक ही सीमित कर देना चहते हैं ? मैं पूछना चाहता हूं डागाजी आपसे ।

श्री मूलचन्द डागा : 30 स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि कम नहीं होगी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं पूछना चाहता हूं आप चुनाव लड़ते हैं चुनाव के खर्चे की आपकी एक सीमा है पर हम सब जानते हैं कि एक विधान सभा के चुनाव में हमें कितना खर्चा करना पड़ता है, लोक सभा के लिये कितना करना पड़ता है। पंच, सरपंच, प्रधान के चुनाव के लिये कितना करना पड़ता है । क्या आप आशा करते हैं कि एक किसान परिवार तीस स्टैण्डर्ड एकड़ जमीन अपने पास रख कर इतनी आमदनी उससे कर लेगा कि अपना पेट भी भर लेगा, तन भी ढक लेगा, बच्चों को भी पढ़ा लिखा लेगा, शादी विवाह भी बच्चों की कर लेगा और स्वाभिमान से जीने के लिये अगर इच्छा हो चुनाव लड़ कर यहां आने की तो चुनाव का खर्चा बर्दाश्त करके यहां भी आ जावेगा ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : हजार बीघा वाले कितने हैं और तीस स्टैन्डर्ड एकड़ वाले कितने हैं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : लोक सभा और विधान सभाओं में फरजी काश्तकारों का बहुमत है जो वास्तव में काश्तकार नहीं हैं । काश्तकार का दर्द उनके दिलों में नहीं हो सकता । आज किसान के नाम पर

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

बोलने वाले जो माननीय सदस्य यहां चल कर आते हैं वे शहरों में काम करते हैं, शहरों में बोरगत करते हैं, व्यापार करते हैं। किसान के पास इतने साधन नहीं आज की हालत में कि वह चुनाव का खर्चा बर्दाश्त करके यहां आ सके और अपना यहां दर्द बता सके। कुछ चन्द सालों में खुशहाली बड़े बड़े किसानों में थोड़ी आई है जिनके पास तीस बीघा से कहीं अधिक जमीन है उनके पास आई है। फिर चन्द दिनों की और चन्द किसानों की चाहे उनको बड़े किसान ही कह लो, उनकी खुशहाली पर भी इतनी जलन है आपको कि अब आप उनसे वह जमीन भी छीन लेना चाहते हैं और उनको 30 एकड़ जमीन का टुकड़ा देकर हमेशा के लिये दलित और कमजोर बनाये रखना चाहते हैं। इनकी चन्द दिनों की खुशहाली पर भी आपको इतनी जलन। और उधर शहरी लोगों ने अनाप शनाप कमाया है। अपनी सम्पत्ति को कई गुना बढ़ा लिया है, वहां अरबन एरिया में–शहरी एरिया में आप सीलिंग की बात नहीं करते। आप इस तीस एकड़ जमीन की क्या सीलिंग की बात करते हैं ? मैं तो आपको दाद देता, पूरा समर्थन देता अगर साइमल्टेनियसली अरबन एरिया में भी सीलिंग लागू करते आप। समाजवाद के जोश जोश में अरबन सीलिंग की बात चलती है, नारे लगते हैं, पर वहां जाकर फिर बस्ता ए खामोशी में चुप हो जाते हैं। पार्लियामेंट में सरगरमी हुई, राष्ट्रपति के चुनावों में सरगरमी हुई। क्या हुआ उस शहरी सीलिंग का ? शहरों पर आप सीलिंग नहीं ला सकते क्यों कि थैली शाही की थैलियां चुनाव के लिये वहां से ही आती हैं। और जो पढ़ा लिखा तबका संगठित गिरोह के रूप में है, वह शहरों में मौजूद है। लेकिन गांव का किसान आज मजबूर है, उसके पास आमदनी नहीं, इतना पैसा नहीं कि वह चुनाव लड़ सके, चुनाव का खर्चा सहन कर सके और गरीब हैं, गरीबी के कारण संगठित भी नहीं हैं। उनका स्वाभिमान मिट चुका है। वे आज कि कर्त्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आज किसान का प्रतिनिधित्व यहां है। शहरी सीलिंग भी आवेगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां असली किसानों का प्रतिनिधित्व आज विधान सभा में नहीं है।

श्री जगन्नाथ पटेल : कोटा से आने वाले कृष्ण कुमार जी का तो गांव के किसानों से आज सम्पर्क है, कांग्रेसी लोगों का उतना नहीं है। उनका तो कुछ भी नहीं है।

(हीयर हीयर की ध्वनि)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सभापतिजी, मैं निवेदन कर रहा था। जो मेनिमम इन्कम एक किसान की होनी चाहिये, एक गांव में रहने वाले नागरिक की होनी चाहिये वह 1,500) माहवार होनी चाहिये। तो आप पन्द्रह सौ रुपया माहावार की दृष्टि से इस प्रष्ठभूमि में सीलिंग की बात सोचें। पन्द्रह सौ माहवार से सालाना का हिसाब लगावें तो 18 हजार सालाना होता है। देट इज नोट इन्कम। 18 हजार सालाना प्राप्त करने के लिये किसान को 36 हजार की पैदावार करनी पड़ेगी। अगर 36 हजार की पैदावार नहीं करता है तो वह 18 हजार प्राप्त नहीं कर सकता। और 36 हजार

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सालाना पैदा करने के लिये किसान को कितनी जमीन का रकबा चाहिये । आप अन्दाज लगाइये । क्या तीस स्टैण्डर्ड एकड़ में आप इतनी पैदावार की कल्पना करते हैं ? जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं । चम्बल कमाण्ड एरिया है । चम्बल की नहरें खेतों को पानी देती है, पर आज वहां भी ठीक पैदावार करने के लिये उसे खाद चाहिये, फर्टीलाइजर चाहिये, इम्प्रूव्ड सीड चाहिये और इस तरह से यह खर्चा जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है इसको भी सामने रखेंगे तो 30 स्टेण्डर्ड एकड़ में तो वह स्वयं जिन्दा भी नहीं रह सकता आप समझते हैं कि आपकी एक तीस एकड़ की सीलिंग से वहां खुशहाली आवेगी और वे अपने हकों की रक्षा कर सकेंगे और अपने प्रतिनिधि सही रूप में यहां भेज सकेंगे ।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप नारों के पीछे न दौड़ें । समाजवाद का खूब हव्वा दिखाइये । पर भगवान के लिये समाजवाद का नारा देकर किसानों की गरदन पर छुरी चलाने की कोशिश मत करिये और इस दृष्टि से कहना चाहता हूं, सभापतिजी, जो यह संशोधन लाया गया है इस पर गम्भीरता से विचार करिये । नारा अपनी जगह पर जा चुका है । आज जिन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं मैंने जैसा प्रारम्भ में कहा सरकार एक तरफ कहती है ट्रान्सफर इल्लीगल होंगे 1958-59 के बाद । इधर तो इल्लीगल की बात कहते हैं और उधर इस तरह के ट्रान्सफर होते गये तो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को कहते हैं कि कमाये जाओ पैसा । एक और इस तरह के ट्रान्सफरों को इल्लीगल कहते रहें, दूसरी और उनकी रजिस्ट्रियां भी धड़ाधड़ होती गईं । सब रजिस्ट्रार के खजाने में पैसा जमा होता रहा । ये दो तरीके सरकार के कसे चले ? यह राजस्थान की सरकार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है गरीबों की सीलिंग के कानून के साथ आंख मिचौनी करती रही है । हिम्मत नहीं थी कि दृढ़ता से कदम उठाए । अगर आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हिम्मत से किया था तो इस कानून को भी हिम्मत के साथ करते । मैं फिर कह रहा हूं यह 72 तक नहीं होगा ।

इधर एक ओर रजिस्ट्रियां होती रहीं । दूसरी ओर ट्रांस्फर रोकते रहे । नतीजा यह हुआ, आज जाकर राजस्थान सरकार को होश आया है, कि कोई भी किसान जमीन को नहीं छोड़ेगा । परिवार को छोड़ सकता है, सब कुछ छोड़ सकता है । अब राजस्थान सरकार 70 में मजबूर होने पर इसके अन्दर संशोधन लाकर आज गम्भीरता से विचार कर रही है । ऐसा विचार कर रहे हैं जैसे कि आज हमारे पास जमीन आ गई । ऐसा विचार कर रहे हैं । मैं कहना चाहूंगा माननीय सदस्यों से जो जमीन ट्रांस्फर हो चुकी है, जमीन का बेचान हो चुका है और किसान का कब्जा हो चुका है तो सरकार यह मानकर चलती है कि उनका कब्जा होना आसान नहीं है । आप यह कहना चाहते हैं—Nowithstanding anything contained in section.... transfers made in favour of landless tenants......
वह 'लैंडलैस परसन' को डिफाइण्ड कर रहे हैं । जो जमीन का मालिक सीलिंग के समय तक हो गया उसको जमीन का मालिक मान लिया जाए । इस प्रकार उस परिभाषा को संकुचित करना चाहते हैं । सीमित करना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार का तन्त्र उस काबिज आदमी को बेदखल कर सकेगा ? इस प्रकार नहीं कर सकेगा । इसलिए मैं कहूंगा प्रैक्टिकल

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

एप्रोच लायें। जो काबिज हो गये हैं, उनको हम रेगूलराइज करने जा रहे हैं। 31 दिसम्बर 1969 तक मान्यता दी है। जमीन ट्रांसफर न हो, क्या सरकारी तन्त्र आसानी से यह जोखिम ले सकता है? इसीलिये सरकार यह चाहती है कि वह इस अमेंडमेंट के द्वारा 31 दिसम्बर तक जो जमीन का बेचान किया है, उसको लीगेलाइज करके खातेदार बना लें। जो कानून का पालन करता आया है उसको दो महीने की सीमा नहीं देना चाहते हैं। जिस समय सीलिंग कानून आया था, मैं उस समय सदस्य नहीं था लेकिन मुझे याद है, यह विचार रखा गया था कि सीलिंग की सीमा कम रखी गई है। यह कहा गया था कि जिसके पास सीमा से अधिक है वह स्वयम् अपनी जमीन को अपने आप ट्रांसफर कर दें। पंजाब सरकार ने वह सीमा दी। पंजाब सरकार ने निश्चित अवधि खातेदारों को छोड़ दी थी। उसने यह कह दिया था कि उस सीमा में स्वयं बेचान कर दें। वर्ना आप पर सीलिंग कानून लागू होगा। राजस्थान सरकार प्रारम्भ में जब संशोधन लेकर आयी, अगर 5 साल की सीमा निर्धारित कर देती तो आज यह स्थिति नहीं बनती। न अधिकारी भ्रष्टाचार करते। न पटवारी और तहसीलदार भ्रष्टाचार करते। आपको पता है यह बन्धन आपने लगाये हैं।

एक माननीय सदस्य : मूलचन्दजी डागा की प्रैक्टिस ही यही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस खातेदार ने कानून की इज्जत की है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उसको दण्ड न दीजिए। 31 दिसम्बर, 1969 तक लीगेलाइज करना चाहते हैं। तो उसकी ओर भी ध्यान दीजिए। आप नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे। आपकी इच्छा है। नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल करेंगे। कल नहीं तो चुनाव के समय करेंगे। आपको करना होगा। प्रोजेक्ट एरिया के जो किसान हैं उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। चम्बल-भाखडा प्रोजेक्ट और राजस्थान केनाल के किसान सन् 58 तक नहीं कर सके हैं। इस एरिया के किसान आज तक खातेदार नहीं बन सके हैं। जिन पर आप ने पाबन्दी लगाई हुई थी। जो दो संशोधन बिल ला रहे हैं, उसमें 31 दिसम्बर, 69 तक की सीमा करने जा रहे हैं। मगर इस इलाके में नहीं किया है। तो क्या आप उन किसानों को सजा देना चाहते हैं। इसलिये मैं सरकार को कहूंगा कि जल्दबाजी न करें। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 12 है, जिसमें नाजायज माना गया है, उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करें, नहीं तो 30 सी के अन्दर जो संशोधन लागू हुआ उस लाभ से वह महरूम रहेंगे। सभापति महोदय, जो लागू हुआ, मैं पाली से आने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा, मैं यही कहूंगा कि यह देश में जो हरी क्रान्ति आई है, हम जो घोषणा करते जा रहे हैं कि देश अन्न के मामले में आत्म-निर्भर होता चला जा रहा है। देश आत्म-निर्भर हो जाएगा। यह आंकड़े किन खेतों से प्राप्त कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा यह उत्पादन इन फार्मों में बढ़ा है। जो अपना हजारों का खर्चा करके हर कीमत पर पानी पहुंचा रहे हैं। ऐसे बड़े किसान जो जोखिम ले रहे हैं, रुपयों का खर्च करके जोखिम ले रहे हैं, उसके कारण यह उत्पादन बढ़ा है। यह उत्पादन उस किसान ने नहीं बढ़ाया है जिसके पास 10 बीघा हैं, या 20 बीघा जमीन है। वह जोखिम नहीं ले सकता है। वह खाद डालकर जोखिम नहीं ले सकता है। उसके लिए साल भर को ही अन्न हो जाए उतना ही काफी है। हम जो एक्जम्पशन

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

विथड्रा कर रहे हैं उस पर विचार करें। कहीं वैसा न हो कि देश को वापस अमेरिका के सामने भीख का कटोरा लेकर खड़ा करें।

एक माननीय सदस्य : यह तो आदत है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सरकार ने अधिकार दिये हैं जिस समय सीलिंग कानून लगाया था, मैंने उस समय भी कहा था कि मैं विरोध करता हूं। आज एक्जजम्पशन के आधार पर लाखों का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। आज कानून के होते हुए जो राइट्स सरकार ने दिये हैं, वह वापिस ले सकेंगे ? अगर कोई कोर्ट में चला गया तो एक ही झटके में नल एण्ड वाइड होगा। क्या आप चाहेंगे कि ऐसा हो और फिर आप कह कि हम क्या करें हाई कोर्ट ने यह किया है। यह कह कर आप दूर हो जायेंगे......

एक माननीय सदस्य : आपकी बात को मान लें, लेकिन आप दूसरे उसूल से चल रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा निवेदन है कि आप एक्जेम्प्शन को विथड्रा कर रहे हैं, वह इस तरह विथड्रा कर रहे हैं कि आप किसान से आगे कार्यवाही करवाना चाहते हैं कि किसान अदालत के दरवाजे खटखटायें। इसके साथ ही जो मुआवजा देना चाहते हैं वह लगान का तीस गुना मुआवजा देना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल नावाजिब है। आपको मार्केट वेल्यू के अनुसार कम्पन्सेट करना पड़ेगा। जिन्होंने ट्रेक्टर खरीदा है, खेत के अन्दर इन्वेस्टमेंट किया है, इम्प्रूवमेंट जो फार्म में किया है, उसके लिए आपको मार्केट वेल्यू के आधार पर कम्पन्सेट करना पड़ेगा। यह आप विचार कर लीजिये। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि आप केवल भावनाओं में न पड़ें, आपने कोऑपरेटिव फार्मिंग का एक तोता पाल रखा है। इसके पीछे आपका बहाना है, उद्देश्य है। कोऑपरेटिव फार्मिंग हम भी चाहते हैं, सहकारी कृषि पर हमने विश्वास किया है, लेकिन आज कोऑपरेटिव फार्मिंग की हालत क्या है ? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। बूंदी जिले के अन्दर एक मामूली कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है। देश के विभाजन के साथ साथ जो पंजाबी परिवार भारत में आये, उनमें से चालीस पचास परिवारों को वहां बसाने के लिए सात सौ, आठ सौ बीघा का एक फार्म उन्हें एलॉट किया गया। यह 1957 में किया गया था, लेकिन एलॉटमेंट के बाद में वह 58 तक भी नहीं चला। उस सोसाइटी को लिक्वीडेशन में ले लिया गया और उस पर सरकार ने अपना रिसीवर बैठा दिया, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, वह जो चालीस पचास परिवारों की सात सौ, आठ सौ बीघा के फार्म में सहकारी खेत था वह आज न रिसीवर के कब्जे में है और न आज एड-मिनिस्ट्रेटर के कब्जे में है। वह चालीस पचास परिवार आखिर कहां गये ? आज केवल पांच छः व्यक्ति उस सात सौ, आठ सौ बीघा की उपज को खा रहे हैं। न उन्होंने सरकार का कर्ज चुकाया है, न सरकारी कर्जे का हिसाब हुआ है, न दूसरे कर्जों का हिसाब हुआ है। रिसीवर अपने घर में चैन की बंशी बजा रहा है। जो कोऑपरेटिव फार्म चल रहा था उसका केवल कागज में लिक्वीडेशन है, और पांच छः व्यक्ति, जिनका उससे संबंध नहीं है, चम्बल एरिया के उस सात सौ, आठ सौ बीघा के फार्म की आमदनी को खा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव फार्म से ज्यादा प्रेम न करें। कोऑपरेटिव फार्मिंग इस तरह हो सकती है, चाहे मेरी

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

जमीन हो सीलिंग के अनुसार और आपकी जमीन है सीलिंग के अनुसार और हम मिल कर कोऑपरेटिव बेसिस पर खेती करें तो समझ में बात आती है। लेकिन आप कोऑपरेटिव फार्मिंग को एक्जेम्प्शन में लेकर आयें और उसको छूट दें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में किसानों की जो हालत उसके पास जो भूमि है उसको देखते हुए अन्याय होगा कि सहकारी खेती के नाम पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेठ और जागीरदार हैं वह सहकारी खेती के नाम पर अपना पेट भर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, यह संशोधन लेकर आये हैं इसको आप जल्दबाजी में पास न कर, इस पर गम्भीरता से विचार करें और गम्भीरता से विचार करने के बाद, सारे संवैधानिक पहलुओं को देखकर, कानूनी पहलुओं को देखकर जो वास्तविक कठिनाइयां हैं सरकार की, और सरकार के सामने जो कठिनाइयां हैं उन पर विचार करके बिल को लाकर सारे राजस्थान के किसानों को फायदा पहुंचायें, चाहे वह सलेक्ट कमेटी में हो, चाहे बाहर हो सलेक्ट कमेटी के लेकिन इन सब बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके नया कानून लायें। यही मेरा इस संबंध में कहना है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सभापति महोदय.......

श्री सभापति : माननीय श्री रेवेन्यू मिनिस्टर साहब।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : और बोलना है।

श्री माधोसिंह (उप-मंत्री) : बोल लिये काफी।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : ऐसा कौनसा पत्थर पड़ रहा है जो इतनी जल्दी कर रहे हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा भी प्रस्ताव दिया हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, टेनेन्सी सैकिण्ड (अमेंडमेंट) बिल को लाये हैं, इसको नई सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का मेरा प्रस्ताव था। मेरी मान्यता है, यह सलेक्ट कमेटी कान्स्टीट्यूट की गई, वह इल्लिगली कान्स्टीट्यूट की गई, इसलिये मैं अपना यह प्रस्ताव पेश नहीं करना चाहता, और आपके माध्यम से रेवेन्यू मिनिस्टर से यह जानकारी चाहता हूं, जिसमें इस सदन के माननीय सदस्यों की भी दिलचस्पी होगी कि सीलिंग के संबंध में जो रिट्स हाई कोर्ट में पेश की गई थीं, क्या यह सही है कि कुछ रिट्स का फैसला राजस्थान हाई कोर्ट ने दो तीन दिन पहले दिया है ? अब क्या दिया है, क्या नहीं दिया है इसकी जानकारी के लिए एक कापी माननीय सदस्य को माननीय राजस्व मंत्रीजी डिबेट के दौरान अवेलेबल करा सकें तो उससे जानकारी मिल सकती है कि हाई कोर्ट ने सीलिंग के संबंध में प्रोसीडिंग्स को चेलेन्ज किया है, क्या डिसीजन दिया है और क्या राय दी है।

श्री रामकिशोर व्यास : सभापति महोदय, कुछ रिट्स का फैसला हुआ है दो तीन दिन पहले यह बात सही है। उसकी कापी हमें नहीं मिली है क्योंकि अभी तैयार नहीं है। उसमें जहां तक इस सीलिंग एक्ट का ताल्लुक है, जो सुना है वह आपसे कह रहा हूं, उसमें सीलिंग एक्ट के प्रोविजन्स को किसी को नहीं हटाया गया है। डिटेल्ड रूल्स के संबंध में तो उसके आने पर पता लगेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि कुछ रूल्स को स्पिलिट डाउन कर किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे मालूम नहीं है। थोड़ी देर पहले मुझे मालूम हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह ताज्जुब की बात है, आप सरकार चलाते हैं....

श्री रामकिशोर व्यास : जोधपुर से आज ही इत्तिला मिली है।

श्री दुर्गालाल बाड़वार : इस जजमेंट की प्रतिलिपि आपको प्राप्त नहीं हुई यह आपका कहना है, तो क्या आप यह उचित नहीं समझते कि जजमेंट की कापी का अवलोकन कर लें इसको पास करने से पहले ?

श्री रामकिशोर व्यास : हम चाहते हैं। मंगाने के लिए कहा है।

श्री दुर्गालाल बाड़वार : और इस पर चर्चा आज समाप्त करें... ।

श्री रामकिशोर व्यास : इससे ताल्लुक नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, यह मामला इसलिये महत्वपूर्ण है कि राजस्थान हाई कोर्ट में सीलिंग ला को चैलेंज किया गया, रूल्स को चैलेन्ज किया गया, मेकेनाइज्ड फार्म क्लासिफिकेशन डिटरमिनेशन ओफ क्राइटेरिया-जो ले डाउन किया गया था, उसको चैलेंज किया गया है। मुझे जानकारी मिली है, मुझे खुशी है, राजस्व मंत्रीजी ने इस हद तक तो माना है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने अभी दो तीन दिन पहले फैसला दिया है, जब दो तीन दिन पहले फैसला हुआ है, उसमें मेकेनाइज्ड फार्म, क्लासिफिकेशन, डिटरमिनेशन ओर क्राइटेरिया जो कानून में ले डाउन किया है उसको राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पिलिट डाउन किया है। जब हम सीलिंग पर विचार कर रहे हैं तो वह जजमेंट सदन के माननीय सदस्यों को उपलब्ध होना चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास : जजमट की कापी नहीं आये तब तक कुछ नहीं कह सकता।

श्री दुर्गालाल बाड़वार : आप जजमेंट का अवलोकन इस पर विचार करने से पहले कर लीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : इससे ताल्लुक नहीं है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह उचित नहीं होगा कि जब कानून म अमेंडमेंट पर विचार कर रहे हैं तो जो हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ है उसको उपयोग में नहीं लाया जाय ?

श्री सभापति : जजमेंट क्या है ?

श्री दुर्गालाल बाड़वार : जजमेंट मंगवा लिया जाय तो क्या हर्ज है। गवर्नमेंट कह रही है, हम लोग भी कह रहे हैं तो गवर्नमेंट भी देख ले और हम भी देख लेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : जहां तक सीलिंग एक्ट का ताल्लुक है, उसमें यह चैलेंज नहीं हुआ है। फिर मतलब नहीं रहता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह जानकारी दे दें हाउस में कि जो रूल्स बने हुए हैं उनमें से कौन कौन से रूल्स को राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पिलिट डाउन किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब तक जजमेंट की कापी आ नहीं जाय तब तक कैसे कह सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: फिर डिबेट करने से फायदा क्या है?

श्री सभापति: जजमेंट हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जजमेंट हुआ है दो तीन दिन पहले, और उसमें कुछ रूल्स को स्पिलिट डाउन किया गया है। अगर डिबेट के मौके पर उस जजमेंट को अवेलेबल नहीं करा सकें तो फिर इस डिबेट का फायदा नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास: कोर्ट से मिले नहीं तो अवेलेबल कर सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह: मैंने मालूम किया था तो जानकारी मिली कि यह केबीनेट में डिस्कस किया गया है जजमेंट।

श्री रामकिशोर व्यास: यह गलत है कि केबिनेट ने इस जजमेंट को डिस्कस किया। केबिनेट की मीटिंग आठ दस दिन पहले हुई।

श्री मूलचन्द डागा: हाई कोर्ट के जजमट से क्या फर्क पड़ता है ?

श्री रामकिशोर व्यास यह इम्पार्टेन्ट बिल है और इस पर कन्सीडर कर रहे ह, इसको पोस्टपोन करने की नियत हो और इस कारण कोई बहाना ढूंढें तो बात दूसरी है। लेकिन पास करना है तो जिस तरह विचार करना है उस पर विचार करें। पोस्टपोन करने से कोई मतलब नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हाई कोर्ट का निर्णय क्या है यह देखना चाहिए, क्योंकि फण्डामेंटल राइट्स का इन्फ्रिन्जमेंट करने के सम्बन्ध में भी हो सकता है। जहां तक यह कहते हैं, जो राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि जजमेंट नहीं देखा है, सुने हुए आधार पर बतलाना चाहते हैं कि सीलिंग कानून को ले सकते हैं, तो जब यह सही है, तो किस एक्सटेंट तक ले सकते हैं क्योंकि सीलिंग कानून में नियम बना कर चलते हैं कि किस प्रकार का फार्म रिजर्वेशन का होगा, रिजर्वेशन कितना दिया जायगा, डवलपमेंट और कम्पेन्सेशन की क्या पोजीशन होगी, इन सारे प्रश्नों पर नियम बना कर चलते हैं उसमें हाई कोर्ट की दूसरी व्यूज हैं, तो वह व्यूज आती हैं सदन के सामने तो, सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं राजस्व मंत्री को बताना चाहता हूं कि जिस कानून को पास करने जा रहे हैं, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक होगा, नियमों का सहारा लेना पड़ेगा नियम बनाने पड़ेंगें।

श्री रामकिशोर व्यास: सभापति महोदय मैंने अदब से अर्ज किया, सीलिंग का ताल्लुक है वहां तक न तो रिट थी, न कोई बात है। तो रूल्स के माफिक जो बात कही है, उसके माफिक एडजस्ट करेंगे। लेकिन इस एक्ट से उसका ताल्लुक नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: एक्ट में प्रावधान रखे हैं, उनके सम्बन्ध में आगे कठिनाई नहीं हो, इसलिये उस पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। राज्य सरकार कल तक उसे उपलब्ध कर सकती है, प्रतिलिपि प्राप्त कर सकती है।

श्री रामकिशोर व्यास: मुझे खुद को जल्दी है, मैं खुद देखना चाहता हूं लेकिन वह दो तीन दिन में मिलेगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा : आज से तीन दिन पहले हाई कोर्ट का फैसला हो जाता

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

है, चौबीस घंटे में अर्जेन्ट फीस से कॉपी प्राप्त की जा सकती है। तो क्या वजह है कि नहीं की जा सकी ?

श्री भगवानदास शास्त्री: (अजमेर प०) अजमेंट की नकल लेने के लिये एप्लाई किया या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास: एडवोकेट जनरल से कहा गया है कि जल्दी से जल्दी वह ले।

श्री भगवानदास शास्त्री : तो जिस कानून पर वाद-विवाद हो रहा है, संशोधन पर बोल रहे हैं, अगर उसको भी चैलेन्ज की पाइंट आ जाय तो क्या तीसरी बार संशोधन लायेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास: इस कानून पर उसका कोई असर नहीं पड़ता।

श्री दिग्विजय सिंह : 4 दिन पहले ही हाई कोर्ट से नियमों के कुछ पार्ट्स स्ट्राइक डाउन हुए हैं और सरकार जानती है तो आवश्यक है कि जजमेंट की नकल उपलब्ध कराई जाय।

श्री सभापति जजमेंट अवेलबल नहीं है।

(शोरगुल : व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह यह महत्वपूर्ण विधेयक है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जब एक साधारण पार्टी डबल फीस देकर कॉपी 24 घंटे में हासिल कर लेती है और राज्य सरकार कहती है कि 4 दिन हो गए कॉपी अवेलेबल नहीं हुई।

श्री सभापति : उस जजमेंट का इस कानून से ताल्लुक नहीं।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या राज्य ने उस जजमेंट की कॉपी को प्राप्त करने के लिए एप्लाई किया है ? अगर हां, तो कब ? उस एप्लीकेशन पर हाई कोर्ट की तरफ से क्या रिपोर्ट हुई है ? जजमेंट क्यों नहीं टाइप हुआ ? जवाब दिलवाया जाय।

श्री सभापति : श्री देवीदत्त गाड़िया ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री केसरीसिंह हाडा : किस मुद्दे पर रिट पिटीशन किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास। जजमेंट डिलीवर नहीं हुआ है उसके बाद में...

श्री केसरीसिंह हाडा : आपको मालूम होगा कि कौन कौन से नियमों के खिलाफ रिट पिटिशन किया है ।

श्री रामकिशोर व्यास : जब तक जजमेंट की कॉपी मिलेगी नहीं तब तक क्या करें ? मैंने निवेदन किया...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जजमेंट न डिलीवर होना एक बात है..

श्री रामकिशोर व्यास : जजमेंट हो गया हो या नहीं, यह जो बिल आपके सामने है उसका इस पर असर नहीं पड़ता है । रिट के अन्दर इसको चैलेन्ज नहीं किया है वहां नियमों के बारे में चैलेन्ज किया गया है । हाई कोर्ट यदि डिसीजन देता है तो हम नियमों में संशोधन करेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी राजस्व मंत्रीजी ने कहा कि जजमेंट हुआ है और अभी अभी कहा कि जजमेंट डिलीवर नहीं हुआ है. . . .

श्री रामकिशोर व्यास : सुनी सुनाई की बात होती है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने सुना है कि ऐसी बात हुई है, परसनल नॉलेज है, मैंने जजमेंट देखा नहीं। आज सुना कि ऐसा फैसला हुआ है। फिर सुनता हूं कि फाइनली डिलीवर नहीं हुई है। जब तक जजमेंट न आ जाय. . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको मालूम नहीं तो फोन किस लिए किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जितनी बात थी मैं छिपाना नहीं चाहता . . .

(4.46 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भगवानदास शास्त्री : लास्ट पेज जजमेंट का आपको मालूम नहीं ? कहने पर मंत्री विश्वास करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर कोई बोलना चाहे तो फरमायें नहीं तो बंद करें।

(शोरगुल : व्यवधान)

श्री बालसिंह सोढ़ा : यह कौनसा तरीका है ? कोई जानकारी दी नहीं और खत्म करना चाहते है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : केवल इतनी सी जानकारी चाहता हूं दोनों बातों की। अगर सुनी सुनवाई के आधार पर कहते हैं तो हम मानते है। जो रिट्स हुई हैं, दलील हो गई और उस पर जजमेंट हो गया या नहीं ? एक बार कहते हैं कि दो दिन पहले हुई है दुबारा कहते हैं कि डिलीवर नहीं हुई है। अब सत्यता के आधार पर विभाग से पूछ कर इतनी जानकारी दें कि जजमेंट हुई या नहीं ताकि उस आधार पर माननीय सदस्य उस पर विचार विमर्श कर सकें। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तरफ समाजवाद के नाम पर सीलिंग कानून को लाकर राज्य सरकार जल्दी में पास कराना चाहती है। इस सरकार से पूछिये कि लाखों बीघा जमीन आवंटन के लिए आपके हाथ में आई, कौनसा उत्पादन बढ़ाया, कौनसे आधार पर इस कानून को लाकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ? हाई कोर्ट में क्या निर्णय हुआ है, राजस्व विभाग को मालूम है या नहीं ? अगर विभाग जानकारी नहीं दे सकता तो हम किसके पास जायेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : आप तो खुद एडवोकेट हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लोगों की लाखों बीघा जमीन लेना चाहते हैं और मंत्री को मालूम नहीं कि जजमेंट हुआ या नहीं, यह ऐसी बात हुई कि धोती बांधने का शहूर नहीं और मेरी शादी करा दो।

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां। मैंने कहा जजमट की कापी नहीं आई है। अभी मालूम हुआ कि जजमेंट हुआ है, बाकी अभी नहीं कह सकता कि. . . .

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : फैसला हो गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : सुनी सुनाई बात कह रहा हूं, जो रिट पेटीशन्स चल रहे हैं उसमें इस कानून को चैलेंज नहीं किया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सदन का समय बढ़ाया जाय।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : नहीं बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय बढ़ाया जाय?

(सरकारी पक्ष की ओर से हां और विपक्ष की ओर से नो की आवाज) (शोरगुल) (व्यवधान)

बहुमत की राय है कि समय बढ़ाया जाय।

विपक्ष के माननीय सदस्य : नो।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या बहुमत के आधार पर समय बढ़ाने के लिए जोर दिखाना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष (ट्रेजरी बेंचेज से) : क्या समय बढ़ाना जरूरी है? सदन की अनुमति से 5 मिनट के लिए....

विपक्ष के मा० सदस्य : नो नो।

(शोरगुल : व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाय।

(सरकारी पक्ष की ओर से हां व विपक्ष की ओर से ना की आवाज)

हां पक्ष जीता, सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया....

(शोरगुल : व्यवधान)

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं आपत्ति के तौर पर वाक आउट करता हूं।

(5 म० प०)

श्री विजयसिंह : अगर आपने बहुमत के आधार पर समय बढ़ाया तो हम भी काम नहीं चलने देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया: आप उस महत्वपूर्ण कानून को बहुमत के आधार पर थोपना चाहते हैं तो मैं आसन से निवेदन करना चाहता हूं आप इसमें हस्तक्षेप करें। आज की बैठक आगे न चलाई जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने पहले भी निवेदन किया है इस विधेयक का कन्सीडरेशन स्टेज तो आज खत्म कर लें....

श्री देवीदत्त गाड़िया: आप इस महत्वपूर्ण बिल पर केवल एक ही दिन का समय देना चाहते हैं? महत्वपूर्ण कानून को बहुमत के आधार पर थोपना चाहते हैं मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका प्रोटेक्शन सीक करता हूं हमें अपने विचार व्यक्त करने का लेजीटीमेट राइट है आप हमें यह भी अधिकार देना नहीं चाहते।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा आपसे यही निवेदन है कि आज कन्सीडरेशन स्टेज तो पार कर ली जाय फिर उसके बाद कल ले सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इतनी जल्दी, उतावली क्या है?

एक माननीय सदस्य : आज ही कौन सी जल्दी है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : कन्सीडरेशन स्टेज समाप्त हो जाय तो उसके बाद कल ले लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करवाने के लिए आतुर है कि उसको मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा किजिन लोगों की प्रोपर्टी आप लेने जा रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। यह विरोधी दल की तरफ से पास नही हो ऐसी हमारी मन्शा नहीं है । मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं आप कितनी ही दौड़ लगाना चाहें दौड़ लगाइये लेकिन पूरा समय तो दीजिये ताकि हम इस पर अपने विचार रख सकें ।

अब सवाल यह नहीं रहा कि इसको आप बहुमत से पास कर देंगे । यह प्रोपर्टी लिये जाने का संबंध है जहां तक इस पर समय लेने का सवाल है आप पूरा समय दीजिये । हम इसका हर कदम पर मुकाबला करेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : पहले प्रोग्राम निकला था उसके अनुसार आज इसको पास किया जाना चाहिए . . . .

(शोरगुल व्यवधान-अश्रव्य)

श्री मूलचन्द डागा : एक प्रोग्राम रखा गया है उसके अनुसार सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ गई, वहां पर काफी बहस हो गई अब क्या आवश्यकता है और समय देने की ?

श्री रामकिशोर व्यास : हाउस के मेम्बरान की इच्छा है कि इस पर डिसकशन के लिये और समय दिया जाय । आज तो यह पास नहीं हो सकता । कल इसको पारित करना है इसको ध्यान में रखते हुए कल तक इसको चलाया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : यह आप आशा करके न चलें कि कल पास होजाना चाहिए इस पर आपको पूरा समय देना पड़ेगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कल भी पास करने को तैयार नहीं, आज भी ज्यादा बैठना नहीं चाहते, यह तो उचित नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : कल पास करने की कोई गारन्टी नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कल आप पास करने का विश्वास दिला दें ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : आपको सदन बुलाने की ही क्या जरूरत थी ? आप आर्डिनेन्स लाकर ही इसको लागू कर सकते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बान्सूर) : इस बारे में बिजीनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई ? हमेशा आप बिजीनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाकर समय का निर्धारण करते हैं । इस समय क्यों नहीं किया गया । यह तो बहुत ही इम्पोर्टेन्ट इश्यु है। इस बारे में बिजीनेस एडवाइजरी कमेटी को जरूर बुलाया जाना चाहिए ।

श्री रामनारायण चौधरी : फर्स्ट रीडिंग तो आज कर दिया जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5.05 म०प० पर दिनांक 13 मई, 1970 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

[तारांकित प्रश्न संख्या 43 के भाग (2), (3) व (4) में निर्दिष्ट सूची]

APPENDIX 'A'

District Sawai Madhopur

S. No.	Name of the village	Tehsil	Total cost in lacs of Rs.
1.	Jatwara Khurd	Sawai Madhopur	0.282
2.	Thingla	—do—	0.358
3.	Kherda	—do—	0.127
4.	Khandroli	Hindaun	0.174
5.	Chandangaon	..	0.325
6.	Sikroda Meena	....	0.325
7.	Pachhipla	Sawai Madhopur	0.262
8.	Bharoti	Malarana Chowk	0.287
9.	Mahukalan	Gangapur	1.03
10.	Garhi Bhandwa	Hindaun	0.250
11.	Jamalpur	—do—	0.322
12.	Reejholi	—do—	0.326
13.	Chandan Holi	Malana	0.206
14.	Pahadi		
15.	Nagal Sherpur		
16.	Balghat		
17.	Bhadari-Androoni		
18.	Aidalpur		13,14,900
19.	Razor		
20.	Khorra		
21.	Padampur		
22.	Goraz		
23.	Beroj		
24.	Nand		

APPENDIX 'B'

List of localities electrified Work in progress in district Sawai Madhopur during the year 1969-70.

S. No.	Name of the locality	Tehsil	Date of Electrification	Remarks
1.	Jatwara Khurd	Sawai Madhopur	26-1-70	
2.	Thingla	—do—	26-1-70	
3.	Kherda	—do—	26-1-70	
4.	Khandroli	Hindaun	1-11-69	
5.	Chandangaon	—do—	27-3-70	
6.	Sikroda Meena	—do—	6-3-70	
7.	Pachhipla	Sawai Madhopur	28-2-70	
8.	Bharoti	Malarana Chowk	20-3-70	
9.	Garhi Bandwa	Hindon	26-1-70	
10.	Jamalpur	—do—	—do—	
11.	Reetholi	—do—	—do—	
12.	Chandanholi	Malanana Chowk	25-3-70	
13.	Mahu Kalan	Gangapur		Work held-up for want of railway crossing sanctions from the Railway authorities. Other work already completed.

APPENDIX 'C'

List of Localities Electrified During 1969-70 in Sawai Madhopur Revenue Sub-Division.

S.No.	Name of the village	Panchayat Samiti	Sub-Division
1.	Jatwara Khurd ..	Sawai Madhopur	Sawai Madhopur
2.	Thingla ..	—do—	—do—
3.	Kherda	—do—	—do—
4.	Pachhipala ..	—do—	—do—
5.	Bhadoti	Makrana Chowk	—do—
6.	Chandan Koli ..	—do—	—do—

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 46 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

क्रम सं०	कैदी रजिस्टर नम्बर	नाम बन्दी पिता के नाम सहित	कारागृह में प्रवेश की तिथि	जुर्म	सजा	तिथि जिस पर रिहा हुआ	विशेष विवरण जेल में रहने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10905	मनसुखराम पुत्र मिजाराम	14-3-70	113 रेलवे एक्ट	रेल किराया व चार्ज रु० 33.20 जमा न करने पर एक माह	3-4-70	81 दिन
2	10906	उदाराम पुत्र मुखराम	,,	,,	,,	,,	,,
3	10907	प्रताप पुत्र बिहारी	,,	,,	,,	31-3-70 (जुर्माना जमा किया)	18 दिन
4	10908	हंसराज पुत्र गणपतराम	,,	,,	,,	3-4-70	21 दिन
5	10909	सन्तलाल पुत्र रावतराम	,,	,,	,,	,,	,,
6	10910	हरीसिंह पुत्र गुनाराम	,,	,,	,,	,,	,,
7	10911	जयसिंह पुत्र लालचन्द	,,	,,	,,	,,	,,
8	10912	अर्जुन पुत्र तुलसीराम	,,	,,	,,	31-3-70 (जुर्माना जमा किया)	18 दिन
9	10913	कनीराम पुत्र रामचन्द्र	,,	,,	,,	3-4-70	21 दिन
10	10914	लालचन्द पुत्र धौलूराम	,,	,,	,,	,,	,,
11	10915	मनीराम पुत्र ईसर	,,	,,	,,	31-3-70 (जुर्माना जमा किया)	18 दिन

12	10916	लादूराम पुत्र मोबराराम	,,	,,	,,	3-4-70	21 दिन
13	10917	इन्द्रराज पुत्र हुरपाल	,,	,,	,,	,, ,,	,,
14	10918	मनीराम पुत्र शिवलाल	,,	,,	,,	31-3-70 (जुर्माना जमा किया)	18 दिन
15	10919	तुलसीराम पुत्र नन्दराम उर्फ नाथूराम	,,	,,	,,	3-4-70	21 दिन
16	10920	सोना पुत्र गणपत	14-3-70	,,	,,	31-3-70 (जुर्माना जमा किया)	18 दिन
17	10921	चन्दनराम पुत्र रामचन	,,	,,	,,	3-4-70	21 दिन
18	10922	ऊंटाराम पुत्र धोरोराम	,,	,,	,,	3-4-70	21 दिन
19	10923	अल्लाबक्ष पुत्र शेख मोहम्मद	,,	,,	,,	31-3-70 (जुर्माना जमा किया)	8 दिन
20	10924	मरूराम पुत्र हनुमान	,,	,,	,,	3-4-70	21 दिन
21	10925	बनवारीलाल पुत्र खिलाईराम	,,	,,	,,	25-3-70 (जुर्माना जमा किया)	12 दिन
22	10926	घेरूजी पुत्र रामलाल	,,	,,	,,	3-4-70	21 दिन
23	10927	दीनचन्द पुत्र फत्ता	,,	,,	,,	,,	,,
24	10928	रणछोड़दास पुत्र रेवासिंह	,,	,,	,,	,,	,,
25	6443	ओमप्रकाश पुत्र सीताराम	,,	,,	हवालाती	17-3-70	बरी हुआ
26	6444	हेरलाल सिंह पुत्र भाईराम	,,	,,	,,	,, ,,	,,

परिशिष्ट 3

[तारांकित प्रश्न संख्या 50 के भाग (1) व (3) में निर्दिष्ट सूची]

तारांकित प्रश्न सं० 23 (रा० मं०) श्री रामानन्द अग्रवाल

सूची – प्रश्न 1

निम्नलिखित भूतपूर्व नरेशों की कृषि योग्य भूमि का लगान एसेस किया जा चुका है:–

क्रम संख्या	नाम नरेश	लगान जो एसेस किया गया	
1	भूतपूर्व डूंगरपुर नरेश	सालाना लगान रु०	407.65
2	" कोटा "	सालाना लगान रु०	7,044.87
3	" प्रतापगढ़ "	सालाना लगान रु०	532.94
4	" बीकानेर " (जिला गंगानगर)	सालाना लगान रु०	2,573.45
5	" बीकानेर " (जिला बीकानेर)	सालाना लगान रु०	1018.03
6	" टोंक "	सालाना लगान रु०	1.506.72
7	" जयपुर "	सालाना लगान रु०	6,371.59
8	" किशनगढ़ "	सालाना लगान रु०	5,481.20
9	" झालावाड़ "	सालाना लगान रु०	658.53
10	" शाहपुरा नरेश	सालाना लगान रु०	2,630.88
11	" जोधपुर (जिला जालोर) "	सालाना लगान रु०	300.54
12	" उदयपुर "	सालाना लगान रु०	3,580.00
13	" अलवर "	सालाना लगान रु०	880.00
14	" नीमराना "	सालाना लगान रु०	189.00
15	" भरतपुर "	सालाना लगान रु०	1,191.25
16	" धौलपुर "	सालाना लगान ०	1,579.20
17	" जैसलमेर "	सालाना लगान रु०	1,770.02
18	" कुशलगढ़ "	सालाना लगान रु०	229.33

नोट :— बूंदी से सूचना प्राप्त नहीं हो सकी।

तारांकित प्रश्न सं० 23 रा० मं० द्वारा श्री रामानन्द अग्रवाल

सूची प्रश्न –3

निम्नलिखित भूतपूर्व नरेशों की कृषि योग्य भूमि के लगान की बकाया की स्थिति निम्नलिखित है:—

क्रमांक	नाम नरेश	बकाया लगान
1	भूतपूर्व डूँगरपुर नरेश	2,445.90
2	„ कोटा „	कोई बकाया नहीं
3	„ प्रतापगढ़ „	कोई बकाया नही
4	„ टोंक „	7,778.22
5	„ जयपुर „	85,292.37
6	„ किशनगढ़ „	56,810.00
7	„ झालावाड़ „	कोई बकाया नहीं
8	„ बीकानेर „	5,965.77
9	„ भीलवाड़ा „	9,404.22
10	„ जोधपुर „	4,465.33
11	„ उदयपुर „	88,059.23
12	„ करोली „	15,148.23
13	„ नीमराना „	1,200.80
14	„ भरतपुर „	2,042.08
15	„ धौलपुर „	204.30
16	„ जैसलमेर „	85,060.38
17	„ बांसवाड़ा „	राशि ज्ञात नहीं क्योंकि एसेसमेन्ट नहीं हुआ

नोट :— बूंदी से सूचना प्राप्त नहीं हो सकी ।

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न 52 के भाग (1) में निर्दिष्ट आदेश की प्रति)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FINANCE (ACCOUNTS AND INVESTMENT) DEPARTMENT

No. F (6) (37) FD/A&I/GFAR/64 *Dated the 26th February, 1969:*

ORDER

Sub: Amendment in Appendix XVI of General Financial and Accounts Rules, Vol. I.

The Governor has been pleased to order that following be added as note number 12 below rule 2 of Appendix XVI of the General Financial and Accounts Rules, Vol. I viz:—

NOTE: 12:—The following types of purchases may be made from the Rajasthan Small Industries Corporation without inviting tenders of quotations:—

(a) The value of purchases not exceeding Rs. 1,000/- in one transaction and Rs. 5,000/- in a year in the case of the articles noted at (i) to (iii) below:—

(i) Wooden Furniture made by Rajasthan Small Industries Corporation other than common types of office chairs, racks, office tables and almirahs.

(ii) Brass Wares.

(iii) Hand printed or hand woven furnishing fabrics, tables cloth and bedding materials.

(b) All articles required to be presented to the V. I. Ps.

By Order,

Sd/-

Dy. Secretary to Govt.

Page No. 137

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 53 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

सूची ग्राम कुमास (तहसील लक्ष्मणगढ़) के उन व्यक्तियों की जिन पर 1967-68 से धारा 91 के तहत केस चल रहे थे

क्रम संख्या	नाम व्यक्ति जिन पर केस चल रहे थे
1.	श्री रामदेवा पुत्र खडगाराम जाट
2.	श्री लादु, टीकू, मेवा पि० खुमाना जाट
3.	श्री सोहन, नकसाल सिंह, प्रतापसिंह पि० बागसिंह जाट
4.	श्री रिमल पुत्र मानाराम जाट
5.	श्री हनुमाना पुत्र पना जाट
6.	श्री लूण, मेवा पि० लुमाना जाट
7.	श्री नारायण पुत्र हंगूली जाट
8.	श्री हणुमाना त्रिलोक पि० इशरा जाट
9.	श्री गोमा हेमी पि० सोना जाट
10.	श्री केशा पुत्र गोमा जाट
11.	श्री मोजा पुत्र नोला जाट
12.	श्री जोरा पुत्र चन्द्रा जाट
13.	श्री हीरा पुत्र इश्वरा जाट
14.	श्री चूना पुत्र फता जाट
15.	श्री झाबर पुत्र नारायण जाट
16.	श्री लूण लोठा पि० इशर जाट
17.	श्री लादू पुत्र खुमाना जाट
18.	श्री त्रिलोकी पुत्र इशरा जाट
19.	श्री जीवना पुत्र चिमना जाट
20.	श्री झाबर घीसा पि० माना जाट
21.	श्री गीगा, हेमा चिमना पि० गोमा जाट
22.	श्री नल्ला पुत्र मूना जाट
23.	श्री मुकन्दा पुत्र खेता जाट
24.	श्री परमा पुत्र भींवा जाट

परिशिष्ट

(तारांकित प्रश्न संख्या

तालिका अकाल राहत

क्र० सं०	मु०नं० व	दिनांक	अपराध	ना० था० व जिला	मुलजिम का नाम
1	2	3	3	4	5
1	33	2-9-69	409 I.P.C.	निगल (अजमेर)	घनश्याम, ओवरसियर
2	24	4-9-69	,,	अराई (अजमेर)	एस० पी० मायुर, ओवरसियर
3	49	16-9-69	,,	मिनाय (अजमेर)	लक्ष्मीनारायण, पटवारी
4	28	4-7-69	,,	सरवाड़ (अजमेर)	जीवनराम, सरपंच
5	39	27-9-69	,,	अराई (अजमेर)	घनश्याम, ओवरसियर
6	3	10-1-70	,,	ब्यावर (अजमेर)	नरसिंहदास, गिरदावर
7	21	10-8-68	,,	मण्डावा (झुन्झुनू)	शंकरलाल, ओवरसियर

Page No. 139

6

58, की सूची)

कार्य में गबन मुकदमातकी

गबन राशि	चालान	फाइनल रिपोर्ट	जेर तफतीस	विशेष विवरण
6	7	8	9	10
27,639.25	—	—	गवाहान से तफतीश की जा रही है।	—
2020.75	—	—	कागजात एक्सपर्ट की जांच हेतु भिजवाये गये हैं।	—
300.00	जेर तजवीज अदालत	—	—	आगामी पेशी दि० 20-5-70 को नियुक्त।
678.50	—	पुख्ता में मुकामी मु० द्वारा इकजई अदम सबूत में दी गई लेकिन राज्य अपराध शाखा द्वारा तफतीश पुनः कनेर के आदेश दिये हैं।	जेर तफतीश है।	—
—	—	—	कागजात एक्सपर्ट की राय हेतु भिजवाये गये हैं।	—
1400.00	—	—	गवाहान से तफतीश हो रही है।	—
127.92	—	—	ए० ई० एन० से तफतीश करनी है।	—

1		2	3	4	5
8	19	3-9-69	409 I.P.C.	मौजासर (जोधपुर)	1 मंगलचन्द, मेट 2 सरदाराम, सुपरवाईजर 3 खेताराम 4 हीराराम
9	28	18-6-69	408 I.P.C.	सदर (सीकर)	—
10	27	16-11-69	„	मौजासर (जोधपुर)	1 गोपीलाल 2 विरदाराम 3 मोहनलाल
11	49	4-7-69	„	सांचोर (जालोर)	डी० पी० रावत, P.W.D.En. 2 राधेश्याम, ओवरसियर 3 लक्ष्मीकान्त
12	44	8-7-69	409 I.P.C.	नागौर (नागौर)	श्री मदनलाल, ओवरसियर
13	43	29-4-69	„	„	हरिशचन्द्र, ओवरसियर
14	49	29-5-69	„	„	ओम प्रकाश जैन, ओवरसियर
15	35	20-11-69	„	मावडा (नागौर)	अहमदअली, ओवरसियर
16	13	8-8-69	„	पाचौड़ी (नागौर)	1. सलीम अहमद, ओवरसियर
17	11	25-4-69	„	गिराव (बाड़मेर)	1. सुरेन्द्रसिंह ओवरसियर ए० ई० एन 2. सोहनलाल ओझा, ओवरसियर 3. सज्जनसिंह, मिस्त्री
18	20	4-7-69	„	समदड़ी (बाड़मेर)	एस० एल०, ओवरसियर
19	17	30-7-69	„	सियाना (बाड़मेर)	ओम प्रकाश, जूनि० इन्जि०

Page No. 141

6	7	8	9	10
4,130.00	—	—	गवाहान से तफतीश हो रही है ।	—
—	जेर तजवीज अदालत	—	—	—
—	—	—	असल मस्टर रोल प्राप्त किये जा रहे हैं ।	—
—	—	एफ०आर० अदम सबूत में दी गई। सबूत न होने के कारण।	—	—
—	—	—	तफतीश जारी है ।	—
6,116.19	—	—	श्री एम० एस० गिल से तफतीश करनी है ।	—
2,172.42	—	—	तफतीश जारी है । गवाहान से तफतीश करनी है।	—
6,372.65	—	—	मुलजिमान को गिरफ्तार करना है ।	—
—	—	—	कागजात एक्सपर्ट की राय हेतु भेजे गये ।	—
—	—	—	तफतीश जारी है । गवाहान से तफतीश हो रही है ।	—
888.00	—	—	तफतीश तकमील है । शीघ्र नतीजा दिया जायगा ।	—
1,09,014.70	—	—	गवाहान से तफतीश जारी है ।	—

Page No. 142

1		2	3	4	6
20	29	18-8-69	409 (I.P.C.)	अमेर (उदयपुर)	1. मोहनलाल ओवरसियर, पी० डब्लू० डी० 2. फतेहसिंह, मिस्त्री
21	56	7-9-69	,,	देई (बूंदी)	सुमेरसिंह, सुपरवाईजर
22	57	7-9-69	,,	,,	1. प्रेमशंकर, मोहरीद 2. बंजरंगलाल, सुपरवाईजर
23	27	22-8-69	,,	मण्डोली (बूंदी)	ओमप्रकाश, ओवरसियर
24	27	69	,,	आसपुर (डूंगरपुर)	लक्ष्मीलाल, मोगरा
25	63	22-11-69	,,	डम्बोला (डूंगरपुर)	1. लेखराज, ओवरसियर 2. वृजगोपाल, सुपरवाईजर
26	17	18-5-69	,,	लूणकरणसर (बीकानेर)	रामचन्द्र, ओवरसियर, पी० डब्ल्यू० डी०
27	13	11-4-69	,,	नोखा (बीकानेर)	जेठाराम, सरपंच
28	22	25-6-69	,,	लूनकरणसर (बीकावेर)	मुखराम नाई
29	57	27-६-69	,,	नोखा ,,	हरिकिशन ब्यास, ओवरसियर
30	74	12-4-69	,,	कोट ,,	मंजूरअली, ओवरसियर (हरिजव)
31	6	2-11-69	,,	साकड़ा (जेसलमेर)	उनेखां, ओवरसियर
32	1	18-1-69	,,	हमीरवास (चूरू)	1. हुश्याराम, 2-डासूराम 3-मलाराम

	6	7	8	9	10
19	—	—	—	गवाहान से तफतीश जारी है।	—
20	—		एफ० आर० अदम सबूत दि० 31-12-69 को दी। मु० साबित नहीं हुआ।	—	—
21	—	—	,,	—	—
22	6-50	जैरतजवीज अदालत है।	—	—	—
23	—	—	—	तफतीश जारी है।	—
24	—	—	—	तफतीश जारी है।	—
25	—	—	एफ० आर० अदम वकुआ दि० 25-9-69 को।	पुनः तफतीश के लिये लिखा है।	—
	—	—	—	तफतीश जारी है। गवाहान से तफतीश हो रही है।	—
	—	—	—	ओवरसियर से तफतीश करनी है।	—
	—	—	—	,,	—
	—	—	एफ०आर० अदम वकुआ दि० 31-8-69	—	—
	802.00	—	—	गवाहान से तफतीश हो रही है।	—
	—	जैर तजवीज अदालत है।	—	—	—

1		2	3	4		5
33	10	18-1-69	409 I. P. C.	राजगढ़	(चूरू)	1. कैलाशचन्द्र, ओवरसियर 2. बनवारीलाल, सुपरवाईजर 3. सुलताना, मेट 4. मेहरचन्द्र, मेट
34	12	12-1-69	,,	राजगढ़	,,	1. महताबसिंह 2. सबीर खां, ओवरसियर 3. कैलाश माथुर, ओवरसियर
35	9	31-5-69	,,	दूदवारगरा	,,	1. श्री शंकरलाल, वर्कचार्ज
36	80	30-7-69	,,	राजगढ़	,,	विजयभारत, ओवसियर
37	81	3-8-69	,,	राजगढ़	,,	श्यामलाल गुप्ता
38	92	23-8-69	,,	,,	,,	विजयसिंह, ओवरसियर
39	58	21-9-69	,,	डूंगरगढ़	(चूरू)	1. जयसिंह, ओवसियर 2. भंवरलाल, मूलचन्द, जगन्नाथ, लिखनराम
40	59	26-1-69	,,	,,	,,	सुधीर कुमार, ओवरसियर
41	101	12-9-69	,,	चूरू	,,	1. माल खां, सरपंच 2. अल्लास, एल० आई० 3. हरिप्रसाद, ओवरसियर
42	111	15-10-69	,,	राजगढ़	(चूरू)	1. जयकरण, सरपंच 2. ओम प्रकाशसिंह, ओवरसियर
43	54	20-12-69	,,	तारानगर	,,	ओवरसियर, फेमिन केम्प, हडिपाल ।
44	75	22-12-69	,,	डूंगरगढ़	,,	1. श्री जगदीश प्रसाद 2. ओंकारमल, ए० इ० एन०
45	76	,,	,,	,,	,,	3. जयमल, ओवरसियर

6	7	8	9	10
—	—	एफ०आर० अदमवकू दि० 18-2-69	—	—
—	—	—	गवाहान से तफतीश जारी है।	—
58.00	चालान 6-11-69 जेर तजवीज अदालत	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	तफतीश जारी है।	—
70.00	—	एफ०आर० अदमवकू दि० 30-12-69	—	—
—	—	—	गवाहान से तफतीश हो रही है।	—
—	—	—	,,	—
1100.00	—	—	एक्सपर्ट से राय ली जा रही है।	—
—	—		रिकार्ड प्राप्त करना है। गवाहान से तफतीश करनी है जो मिल नहीं रही है।	—
—	—	—	,,	—
900.00	—	—	,,	—

1	2	3	4	5
46 77	22-12-69	409 I. P. C.	डूंगरगढ़ (चुरू)	1. जगदीश प्रसाद, ओवरसियर
47 11	7-6-69	„	मानीपुरा (चूरू)	1. श्री मेमनराम, मेट 2. श्री खेतसिंह, सुपरवाईजर
48 12	„	„	„	खेतसिंह „
49 13	„	„	„	प्रभूराम, मेट
50 14	„	„	„	„ जगवाराम, मेट
51 15	„	„	„	„ सेवाराम „
52 16	„	„	„	„ रामेश्वर „
53 17	„	„	„	„ गोपाल „

6	7	8	9	10
—	—	—	—	—
—	चालान अदालत पेश किया जा चुका है जो जेर तजवीज अदालत है।	अनुसंधान से एफ० आर० केस नहीं रहे। इनमें धारा 467, 468, 120 तकमील की गई है।	—	—
—	"	—	—	—
—	"	—	—	—
—	"	—	—	—
—	"	—	—	—
—	"	—	—	—
—	"	—	—	—

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राजस्थान, जयपुर (अपराध-शाखा)

(सूची मुकद्दमात अकाल राहत कार्यों में गबन करने बाबत)

क्रमांक	केस सं०	दिनांक पंजीयन	स्थान वारदात	अभियुक्त का नाम	तादाद भवन	स्थिति	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	36167	26-7-67	सारणेश्वर, मण्डल सिरोही	श्री रघुवीरसिंह, जिला भूसंरक्षण अधिकारी, सिरोही व अन्य	अनुसंधान पूर्ण होने पर मालूम हो सकेगा ।	अनुसंधान शीघ्र पूर्ण होने का है ।	
2.	36168	17-5-68	ग्राम सुण्डसर, मण्डल बीकानेर	श्री ओमप्रकाश, ओवरसियर व अन्य	"	अनुसंधान पूर्ण है। अग्रिम कार्य ही जारी है ।	
3.	36169	7-7-69	तहसील डेगाना, मण्डल नागौर	श्री दर्शनसिंह, ओवरसियर, पंचायत समिति, डेगाना	"	अनुसंधान चल रहा है ।	
4.	43169	11-8-69	आसपुर, मण्डल डूंगरपुर	अधिकारीगण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, डूंगरपुर ।	"	अनुसंधान प्रगति पर है ।	

ह०
अपर अधीक्षक आरक्षी, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर ।

परिशिष्ट 7

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

चूरू जिले में सिंचाई के कुओं पर बिजली

59. **श्री दौलतराम सारण** : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में ऐसे कितने सिंचाई के कुए हैं जिन तक खम्भे गाड़ दिये गये हैं, वायरिंग करदी गई हैं परन्तु जिन्हें बिजली नहीं दी गई ? उनकी सूची दी जाय और यह भी बतलाया जाय कि उक्त कार्य खम्भे गाड़ने, वायरिंग करने का कब किया गया और उस पर कितना व्यय हुआ ?

(2) ऐसे कितने कुए हैं जिनमें सिक्योरिटी, लेबर चार्जेज, कोस्ट ऑफ मेटेरियल जमा करा लिये गये हैं फिर भी बिजली नहीं दी गई है ? उक्त प्रकार से धनराशि जमा कराने की तारीख सहित उनकी सूची दी जाय ?

(3) विभागीय आवश्यक खाना पूर्ति किए हुए और "एल फार्म" भरे हुए कितने कुए हैं जिन्हें बिजली नहीं दी जा सकी है और क्यों ? सूची दी जाय जिसमें विभागीय चाही गई खाना पूर्ति करने और एल फार्म भरने का दिनांक भी अंकित किया जाय।

(4) चूरू जिले के एकफसली निरन्तर अकालग्रस्त रेगिस्तानी क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार कुए की सिंचाई हेतु विद्युत् देने में विशेष तौर से प्राथमिकता देगी ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में ऐसे 20 सिंचाई के कुए हैं जहां तक लाइन खेंच दी गई है लेकिन कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें कार्य खत्म करने की तारीख एवं एस्टीमेटेड खर्चे का व्यौरा भी दिया गया है। लाइन वाइज खर्चे का हिसाब अलग से नहीं रखा जाता।

(2) चूरू जिले में ऐसे 24 काश्तकार हैं जिनके सर्विस कनेक्शन चार्जेज व सिक्योरिटी जमा हो गई है। सूची 'बी' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) चूरू जिले में ऐसे केवल दो काश्तकार हैं जिन्होने "एल फार्म" जमा कर रखे हैं, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये है। सूची 'सी' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये विद्युत मण्डल द्वारा कोई विशेष प्राथमिकता देने की नीति नहीं अपनाई गई है।

APPENDIX 'A'

Statement showing the Agriculture connection where poles have been ejected and line work completed but connections have not been released in Churu District

S. No.	Name of the consumers	Village	Estimated cost	Date of completion of the work	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Shri Sheo Karan	Chandgothi	21000/-	14-3-70	L.T. line work completed.
2.	Shri Kalu Ram	-do-			
3.	Shri Harmana Ram	-do-			
4.	Shri Jas Ram	Chandgothi	25,000/-	29-3-70	L. T, Wires have been laid out but sagging could not done due to non-availability of stay rods. Now they have been received and work will be done shortly.
5.	Snri Mohar Singh	-do-			
6.	Shri Neki Ram	Chandgothi	25,000/-	24-3-70	-do-
7.	Shri Shera Ram	-do-	,,		
8.	Shri Ranjeet Singh	-do-	,,		-do-
9.	Shri Om Prakash	-do-	16,500/-	14-4-70	Only L. T. Poles have been erected.
10.	Shri Prahlad Rai	-do-	17,010/-	22-4-70	
11.	Shri Karni Samuhik Sahakari Farm	Sadulpur	8,000/-	30-4-70	L. T. Wires have been laid but sagging could not be done due to non-availability of stay rods. Now they have been recd. Work will be done shortly.
12.	Shri Mahadev Singh		,,		

1	2	3	4	5	6
13.	Shri B. D. O., Agriculture Farm	Khansoli	6,668/-	Oct. 68	'L' Form not received.
14.	Shri Mohanlal	Churu	19,81/-	March 70	'L' Form recd. on 4-5-70 and the connection will be released shortly.
15.	Shri Babu Shosha Chand, Jhanwar	Ramnagnbas Sardarshar	16,743/-	31-12-69	'L' Form not recd.
16.	Shri Tara Chand Govind Dass	-do-		-do-	-do-
17.	Shri Uma Ram Meghwal	Sarsas	968/-	12-12-69	-do-
18.	Shri Mangej Singh	Udsas	4,667/-	10-8-67	Locality not sanctioned so far.
19.	Shri Boxa Ram Mali	-do-	6,211/-	1-12-69	-do-
20.	Shri Jhanwar Ram Mali	Dungarobas	..	..	-do-

APPENDIX 'B'

Statement of intending Agriculture consumers who have deposited security labour charges and cost of material in Churu District

S. No.	Name of the consumer	Village	Date of deposited the amount	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Shri Sheo Karan	Chandgothi	13-12-69	Line work Completed
2.	Shri Kalu Ram	-do-	12-12-69	
3.	Shri Harmana Ram	-do-	12-12-69	
4.	Shri Jas Ram	-do-	2-1-70	Sagging has not been done as stay rods were not available now they have been received and work is to be completed.
5.	Shri Mohar Singh	-do-	2-1-70	
6.	Shri Neki Ram	-do-	2-1-70	
7.	Shri Shera Ram	-do-	2-1-70	
8.	Shri Ranjeet Singh	-do-	2-1-70	
9.	Shri Om Prakash	-do-	6-1-70	
10.	Shri Budha Ram	-do-	13-3-70	
11.	Shri Karni Samuhik Krishi	Sadulpur	3-2-70 3-2-70	
12.	Shri Mahadev Singh	-do-		
13.	Shri Prahlad Rai	Chandgothi	13-3-70	L. T. Poles only erected
14.	Shri B. D. O. Agriculture Farm	Khansoli	21-5-68	'L' Form no received.
15.	Shri Trilok Bal Bihar	Churu	17-9-68	-do-
16.	Shri Mohan Lal	-do-	27-2-70	'L' Form received on 4-5-70 work will be done shortly.
17.	Shri Jamalu Din	-do-	30-4-70	Agreement not executed hence work not done.
18.	Shri Babu Shoba Chande Janwar	Sardar shahar. Ramnagar Bas	30-4-69	'L' Form not deposited

1	2	3	4	5
19.	Shri Tara Chand Govind Ram	Ram Nagar, Bas (SRDR)	30-4-69	-do-
20.	Shri Uma Ram Chimna Ram Meghwal	Sarsar	6-8-69	-do-
21.	Shri Mangej Singh Rajput, Gandhi Vidhya Mandir	Udsar Sardar-shahar	18-3-69	Unsanctioned locality.
22.	Shri Baxa Ram Mali, Gandhi Vidhya Mandir	-do-	31-10-69	-do-
23.	Shri Janwar Ram, Dungara Bas	Dungara Bas near Norang-sar	..	-do-
24.	Shri Tulsi Ram Poddar	Ratangarh	29-4-70	Work is in progress.

APPENDIX 'C'

Statement showing the consumers who have completed the departmental formalities, and 'L' Forms have also been furnished, but connections have not been released.

S. No.	Name of consumer.	Village	Date of deposited the security etc.	Date of submitting the 'L' Form.	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Shri Sheo Karan	Chandgothi	23-12-69	18-2-70	All formalities have been completed. The connection could not be released owing to non-commissioning the 250 KVA 33/11 KV Transformers installed at Chandgothi.
2.	Shri Mohan Lal	Churu	27-2-70	4-5-70	The connection shall be released shortly.

Page No. 155

माउन्ट आबू की नगरपालिका क्षेत्र के भू-खण्ड

60. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) माउन्ट-आबू में गत 6 वर्षों में नगरपालिका के किस किस अध्यक्ष व प्रशासक द्वारा कितने कितने क्षेत्रफल के प्लाट्स किस किस तारीख को कितने कितने रुपयों में किस किस व्यक्ति को बेचे व आवंटित किए गए? सूची उक्त व्यक्तियों के पते सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) नगरपालिका क्षेत्र में भू-खण्डों के बेचने व आवंटित करने के नियम क्या क्या है ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) गत 6 वर्षों में अर्थात्-सन् 1964 से 1969 तक नगरपालिका ने जो भू-खण्ड आम नीलाम एवं आवंटन द्वारा विक्रय किये हैं उनकी विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) भू-खण्ड आम निलाम से तथा आवंटन से विक्रय किये जाते हैं। नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है ।

जायल तहसील की सोनेली कपेडिया सड़क

61. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले की जायल तहसील की सोनेली कपेडिया सड़क कब अकाल राहत कार्य के तौर पर शुरू की गई एवं किस किस पखवाड़े में इस सड़क पर किस किस केम्प पर कितने कितने मजदूर लगे एवं उन मजदूरों ने क्या क्या कार्य ऐसे कैम्पों पर किया ?

(2) नागौर जिले की जायल तहसील की सोनेरी कपेडिया सड़क का अर्थ वर्क व मुरड की खुदाई कर मुरड का पूरा स्टोक जमा करने का काम कब खत्म हो गया एवं सबसे पहले कब इस सड़क पर मुरड बिछाने का टेण्डर किस तारीख के लिये मांगा ? क्या किसी ने उस दिन इस काम का टेण्डर दिया ? यदि हां, तो किसने व किस रेट से एवं उस ठेकेदार ने काम कब शुरू किया ? यदि नहीं किया तो क्यों एवं क्या इस गलती के लिये उस ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या नागौर जिले की सोनेली कपेडिया सड़क पर सरकार अब भी मुरड बिछाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या इस सड़क का पूरा इलाका रेतीला है एवं अर्थ वर्क अब 15-20 दिन में आंधियां चलने से समाप्त हो जायेगा एवं मुरड भी उड़ जावेगी ? यदि हां, तो इस नुकसान से सरकार को बचाने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर

दिनांक 28-10-69

(1) सूची (क) संलग्न है ।

(2) 15-1-70 को मिट्टी का कार्य व मुरड का कार्य इकट्ठा हो गया था। मुरड की ढुलाई के निविदा दिनांक 15-12-69 को मांगे गए थे । जिन ठेकेदारों ने निविदा दिए थे उनकी सूची (ख) संलग्न है। रेट 19-76 बिलो जो शिड्युल था उस ठेकेदार ने कार्य शुरू नहीं किया और उसके खिलाफ 2 प्रतिशत पेनल्टी अर्नेस्ट मनी के बराबर लगा कर उससे वसूल करली है ।

(3) जी हां। इसी साल के फैमिन में।

(4) जी हां । किए हुए मिट्टी के कार्य का उड़ने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि इस सड़क पर मुरड इस फैमिन के अंत तक बिछा दिया जावेगा ।

Page No. 156

STATEMENT क

Statement showing the labour strength on each camp and the work done by them on the famine road from Sconeli to Kamedia.

Name of road	Name of camp	Period	Average No. of labour	Particulars of work done by labour		
G/R from Soneli to Kamedia	Deh.	1-11-69 to 15-11-69	118	Gravel Collection	8764	C.ft.
	-do-	16-11-69 to 30-11-69	297	Earth work	2000	,,
				Gravel Coll	5790	,,
	-do-	1-12-69 to 15-12-69	354	Gravel Coll	80439	,,
	Soneli	1-11-69 to 15-11-69	120	Earth work	2000	,,
				Gravel Coll	10682	,,
	-do-	15-11-69 to 30-11-69	300	Gravel Coll	36363	,,
	-do-	1-12-69 to 15-12-69	413	-do- -do-	40578	,,
	Kamedia	16-11-69 to 30-11-69	720	Earth work	75000	,,
				Dagbaling	16000	,,
	Chapra	1-12-69 to 15-12-69	1600	Soft Earth work	5,53,500	,,
				Hard Earth work	72000	,,
	Soneli.	1-1-70 to 15-1-70	360	Earth work	1,85,590	,,

STATEMENT 'ख'

List of the contractors who tendered for transportation of Gravel on the famine road from Soneli to Kamedia.

S. No.	Name of contractor	Rate
1.	M/s. Mani Lal Co., Jaisalmer ..	15% below Schedule 'G'
2.	M/s. Hanuman Singh Lal Singh, P. W. D. Contractor, Jodhpur ..	15% -do-
3.	M/s. Poona Ram Mohan Singh, P. W. D. Contractor, Jodhpur ..	15% -do-
4.	Shri Khem Chand Joshi, P. W. D. Contractor, Jodhpur ..	7% above -do-
5.	M/s. Mohan Singh Kachawaha, P. W. D. Contractor, Jodhpur ..	17.25% below -do-
6.	M/s. Gumani Ram Agarwal, P.W.D. Contractor, Jodhpur	2.25% above -do-
7.	M/s. Om Prakash Gehlot, P. W. D. Contractor, Jodhpur	7.31% below -do-
8.	M/s. Bhola Ram Sohan Lal, P. W. D. Contractor, Jodhpur ..	11.25% below -do-
9.	M/s. Chiranji Lal Agarwal, P.W.D. Contractor, Jodhpur	18% below -do-
10.	M/s. Pokar Ram Bhoma Ram, P. W. D. Contractor, Jodhpur ..	19.76% below -do-

Executive Engineer,
P.W.D.. B, R, West Dn., Jodhpur.

तहसील पचपदरा की नल योजनायें

62. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील पचपदरा (जिला बाड़मेर) में कितनी नल योजनायें प्रस्तावित हैं और उन में से कौन कौनसी स्वीकृत हैं ?

(2) क्या स्वीकृत नल योजनाओं पर काम आरम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो क्या क्या काम पूरे कर दिये गये हैं ?

(3) इन योजनाओं से संबंधित स्थानों को किस तिथि तक पानी मिलना प्रारम्भ हो जावेगा ?

उत्तर

(1) कुल 7 योजनाएं जो संलग्न सूची में दी गई हैं, प्रस्तावित हैं उनमें से 3 योजनायें कनाना पचपदरा साल्ट एवं बिठूजा के लिये जल स्त्रोत का परिवर्द्धन जल योजनाएं स्वीकृत हैं ।

(2) स्वीकृत योजनाओं में से पचपदरा साल्ट एवं कनाना में लगभग सभी कार्य पूर्व किये जा चुके हैं बिठूजा के लिए योजना अभी हाल ही में स्वीकृत की है और कार्य हाथ में लिया जा चुका है। गोपरी गाड़ियावास, जानियाना ग्राम की क्षेत्रीय योजना का कार्य इस साल में लिया जाना स्वीकृत हो चुका है व योजना बनाई जा रही है ।

(3) कनाना जलप्रदाय योजना से वित्तीय वर्ष 70-71 में पानी वितरण किया जा सकेगा। पंचपदरा साल्ट से पानी वितरण 5 मई, 70 से देना शुरू किया जा चुका है। बिठूजा का कार्य प्रगति में है तथा वर्ष के अन्त तक पूर्ण किया जा कर पानी वितरण शुरू किया जा सकेगा ।

सूची प्रश्न संख्या 1 के लिए

(1) पचपदरा जल योजना से गोपरी व माण्डीयावास के लिए विस्तार ।

(2) जानियाना ग्राम के लिए योजना का विस्तार ।

(3) समदड़ी से कल्याणपुरा ग्राम के लिए क्षेत्रीय जल योजना ।

(4) पारलू से उमरलाई ग्राम के लिए क्षेत्रीय जल योजना ।

(5) कनाना जलदाय योजना ।

(6) पचपदरा साल्ट जल योजना ।

(7) बिठूजा के लिए जल स्त्रोत का परिवर्द्धन करना ।

आदेशों की अनुपालना

63. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भू-प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर ने भू-प्रबन्ध कार्य के निरीक्षण के समय रतनगढ़ क्षेत्र में खातेदारों से सम्बन्धित अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में जो आदेश जारी किये उनमें से कितने आदेशों की अनुपालना की जा चुकी है ? शेष अनुपालना कब तक होगी ?

(2) उक्त अधिकारी के सुजानगढ़, चूरू, राजगढ़ एवं तारानगर के तहसीलों के भू-प्रबन्ध कार्य के निरीक्षण के पश्चात दिये गये उपरोक्त प्रकार के आदेशों की कहां तक अनुपालना की गई है ?

(श्री राजस्व मन्त्री)

उत्तर

(1) तहसील रतनगढ़, जिला चूरू के भू-प्रबन्ध कार्य निरीक्षण के समय जनरल आदेश भू-प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर द्वारा जारी किये हुये थे, उनकी अनुपालना सम्बन्धित सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा उसी समय करदी गई थी ।

(2) तहसील चूरू, राजगढ़ एवं तारानगर के भू-प्रबन्ध कार्य के समय निरीक्षण में दिये गये जनरल आदेशों की अनुपालना उसी समय सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा करदी गई थी ।

लाडनूं से सुजानगढ़ की पाइप लाइन

64. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि लाडनूं सुजानगढ़ जाने वाली पाइप लाइन का टेस्ट करके पानी चालू किया गया था ? यदि हां, तो कब और टेस्ट के समय लाइन में क्या खराबियां पाई गई ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि टेस्ट के समय लाइन में पानी नहीं रुका इसलिए इस लाइन को दुबारा ठीक किया गया ? यदि हां, तो किसके द्वारा और इसमें क्या क्या सामान कितने कितने मूल्य का लगा तथा इसमें कुल कितना व्यय हुआ ?

(3) ठेकेदार के साथ क्या एग्रीमेंट था और एग्रीमेंट के अनुसार ठेकेदार ने कार्य किया था या नहीं ? यदि नहीं तो ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या इसी लाइन के कुओं से लेकर लाडनूं की टंकी तक के भाग में भी कोई खराबी पाई गई थी ? यदि हां, तो क्या और उसको ठीक करवाने में कितना व्यय हुआ ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि ठेके की शर्तों के अनुसार पाइपों के जोडों में शीशा नहीं लगाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सत्य है कि उक्त लाइन के पाइप ठेके की शर्तों के अनुसार जमीन में गहरे नहीं पाये गये हैं ?

(7) इस सम्बन्ध में ठेकेदार द्वारा क्या क्या अनियमितताएं की गई और उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

आरक्षित भू-खण्डों में रिहायशी प्लॉट

65. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर विकास ने जयपुर की विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत आरक्षित भू-खण्डों में रिहायशी प्लॉट काटे हैं ?

(2) यदि हां, तो आरक्षित भू-खण्डों में काटे गये प्लाट्स जिन व्यक्तियों को आवंटित किये गये हैं उनकी सूची व पते सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि आरक्षित भू-खण्डों में प्लाट्स न काटने के लिए लोगों ने न्यास व राज्य सरकार को अनुरोध किया है ? यदि हां, तो किन किन मामलों में राज्य सरकार अथवा न्यायालय की ओर से स्थगन आदेश प्रदान किया गया है ?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(4) क्या यह सही है कि जयपुर नगर विकास न्यास के अध्यक्ष श्री सरदारमल सांघी स्वयं अपने कार्यकाल की समाप्ति से कुछ दिन पूर्व ही राजकीय खेल के मैदान को अनधिकृत रूप से न्यास की सम्पति घोषित कर, अपने लिये लगभग एक हजार गज से भी ज्यादा भू-खण्ड का खुद के नाम पर आवंटन किया है ? यदि हां, तो उस मैदान में काटे गये अन्य रिहायशी प्लॉटों का आवंटन किस किस व्यक्ति को किया गया है ? आवंटन प्राप्तकर्ताओं की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें ।

(5) जयपुर नगर विकास ने पिछले 6 माह में कितने आवेदनकर्ताओं को भू-खण्ड आवंटित किया हैं ? कृपया आवंटन प्राप्तकर्ताओं की सूची उनके आवेदन की तिथि, भू-खण्ड का एरिया, उनके वसूल की गई धनराशि तथा योजना जिसमें प्लॉट्स दिये हैं, का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) तालिका 'अ' संलग्न है । मोती डूंगरी विस्तार, मोती डूंगरी पार्क, सिन्धी कॉलोनी, डी० पी० कॉलोनी एवं बापूनगर योजनाओं में काटे गये हैं ।

(3) जी हां, मोती डूंगरी विस्तार, तिलक पार्क में न्यायालय से सिन्धी कॉलोनी में राज्य सरकार से एवं डी० पी० कॉलोनी में जिलाधीश से रोक आई है ।

(4) प्रश्नोत्तर 2 में दर्शित तालिका 'अ' में स्पष्ट है ।

(5) तालिका 'ब' संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है ।)

परिशिष्ट 8

[अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के भाग (2) व (3) में निर्दिष्ट सूची]

लिस्ट ठेकेदारान लाइमस्टोन, तह० रामगंजमण्डी, जिला कोटा।

क्रम सं० 1	नाम ठेकेदार 2	क्षेत्र एवं स्थान 3	अवधि 4	मूल्यांक 5	विवरण 6
1.	श्री मोतीलाल	6000 × 1500 पीपल्दा	1-3-69 28-2-74	11623/-	
2.	मैं० ए० एस० आई०	4810-16	1-10-69 30-9-79	200000/-	खनन पट्टे का नवीनीकरण 100000/- पर हुआ है 10 वर्ष से 1-10-69 से
3.	सुल्तान अख्तर	4500 × 2000 सांतल खेडी	25-6-68 24-6-73	22690/-	
4.	गुलाबचन्द	9000 × 1000 हिरियाखेडी	30-12-69 29-12-74	11623/-	
5.	गंगाराम	206 × 827 एकड़ सांतलखेडी	20-1-67 19-1-72	11623/-	
6.	मैं० राज फ्लोरिंग स्टोन कम्पनी	सांतलखेडी	3-7-67 2-7-72	22689/-	
7.	श्री मो० शौकत	6000 × 1500 अडत खेडी	26-8-67 25-8-72	11623/-	
8.	श्री महमूदखां	6000 × 1500 मानपुरा	22-11-68 21-11-73	11623/-	
9.	श्री शानसिंह	2500 × 4000 हिरियाखेडी	29-11-68 28-11-73	11939/-	
10.	मैं० ईस्ट सुकेत सोसा०	6000 × 1500 मानपुरा तेलिया खेडी	25-5-65 24-5-70	19922/-	
11.	श्री महमूदअली खां	4500 × 2000 असकली	25-2-66 24-2-71	11623/-	
12.	मैं० वेस्ट सुकेत	6000 × 1500 कूकडा	1-3-65 28-2-70	29985/-	
13.	श्री रामजीदास	4500 × 2000 पीपा खेडी	11-4-66 10-4-71	22689/-	
14.	म० कूकडा खुर्द सोसा०	वीर मन्डी 20 एकड़	23-8-66 22-8-71	11434/-	
15.	श्री इरान मोह०	6000 × 1500 सुरेब	25-8-66 24-8-71	5100/-	
16.	श्री अब्दुल करीम	6000 × 1500 कूकडा	23-8-66 22-8-71	22688/-	

लिस्ट ठेकेजात सेण्डस्टोन, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

क्रम सं० 1	नाम ठेकेदार 2	क्षेत्र एवं स्थान 3	अवधि 4	मूल्यांक 5	विवरण 6
1	श्री रघुनाथ	400 × 200 जामुनिया	24-12-67 23-11-72	3270/-	
2	श्री ज्ञानसिंह	1500 × 1000	9-4-69	5000/-	
3	श्री चुन्नीलाल	400 × 200 खीमद	19-11-69 18-11-74	2400/-	
4	श्री कन्हीराम	120 × 60 मीकोला	20-11-69 19-11-74	3168/-	
5	श्री रामचन्द्र	400 × 200 बेतमूतनी	11-5-67 10-5-72	505/-	
6	श्री न्यामतअली	200 × 200	29-6-67 28-6-72	370/-	
7	श्री जसवन्त सिंह	1000 × 500 खिरनी तलाई	21-2-68 20-2-73	1511/-	
8	श्री नाथूलाल	200 × 200 मोखागाविया	14-2-68 13-2-73	400/-	
9	श्री चुन्नीलाल	400 × 200 समिप	27-12-67 26-12-72	3270/-	
10	श्री मदनलाल	400 × 200 नीमच	1-7-68 30-6-73	2700/-	
11	श्री मीर खां	400 × 200	7-4-65 6-4-79	9000/-	
12	श्री नारायन	400 × 400 गोला गारिया	1-3-66 31-3-71	1055/-	
13	श्री पीरखां	1000 × 1000 खीमज	1-4-66 31-3-71	3300/-	
14	श्री मदनलाल	400 × 200	4-4-66 3-4-71	31-10-70	
15	श्री मुजफ्फरहुसेन	400 × 400 असरालिया	27-8-66 26-8-71	300/-	
16	श्री पीरखां	1000 × 1000 तकवाली	15-9-66 14-9-71	1200/-	

लिस्ट ठेकेदार लाइमस्टोन बिल्डिंग स्टोन, तहसील रामगंजमंडी

क्रम सं०	नाम पटाधारी	जगह का नाम	स्वीकृति गड्डा क्षेत्र	क्षेत्र जिसमें काम चल रहा है
1.	ए० एस० आई कं०, रामगंजमंडी	कृष्ण कोटा स्नतल खेडी यूकेत पायली मुकत अतरालिया हिरया खेडी ढावादेह तेलिया खेती	4810'-16 एकड़ 6 ब्लोक	(1) 1900X5 (2) 800X200 (3) 8000X500 (4) 800X200 (5) क्लोज (6) 3000X500
2.	ए० एस० आई कं०, रामगंजमंडी	गेप अतरालिया यामा खेडी	35149-23 व० मी०	बन्द है
3.	,,	गेप हिरया खेडी	29530-75	,,
4.	श्री रामजी दास पुत्र रामरी छपाल, नि० मोडक	पीपाखेडी	4500X2000	1500X500
5.	श्री गंगाराम पुत्र कालु राम, सातल खेडी	,,	,,	600X400
6.	राज फ्लोरिंग टोन कं०, रामगंजमंडी	सातल खेडी	6000X1500	2000X400
7.	श्री सुल्तान नगर	नयागांव	4509X200	2000X400
8.	श्री रूकड़ा खुर्द श्रमिक ठेका स० स० लि०	,,	201 एकड़	700X300
9.	श्री मोहम्मद सोकत पुत्र न्याज मोहम्मद लि०, सुकेत	अमृतखेडी	6000X1500	800X500
10.	श्री मोहम्मद एहसान पुत्र मोहम्मद मुस्ताक मु० सुकेत	सुरेडा	6000X1500	1000X300
11.	श्री मेहमूद अली खां, मोडक	अतरालियां	4000X2500	1000X400
12.	श्री कानसिंह पुत्र फासिल, मोडक	हिरीयाखेडी	,,	600X300
13.	अहमद अली खां मोडक	असकली	,,	800X400
14.	श्री पुर्वा सकेत सह०स० स० लि०. सुकेत	कोलिया खेडी मानपुरा	6000X1500	1500X500
15.	श्री वेस्त को० जो० सो०, सुकेत	कूकड़ा	,,	3000X5000
16.	श्री अब्दुल रहीम पुत्र पीरू खां	,,	,,	1000X300
17.	श्री महमूद खां पुत्र अहमद खां सुकेत	भानपुरा	,,	1000X200
18.	श्री गुरुचरनसिंह, नि० कोटा	कूपड़ा कमलपुरा	,,	200X100
19.	श्री मोती लाल पुत्र छेदीलाल, नि० मोडक	पीपल्दा	,,	800X200

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 43 की सूची)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

Statement of outstanding electricity dues up to 31-12-69 (Information as per revenue returns Form No. 15 & 16)

(Figures in Lacs)

Name of Division	General consumers including Industrial/ H. T. consumers etc.*	Central/ State Government Department	Municipalities, Panchayat Samities	Railways	Total
1	2	3	4	5	6
Jaipur Circle:					
City Dn., Jaipur ..	26.35	6.87	7.63	0.19	41.04
Addl. City Dn., Jaipur.	1.74	0.40	0.16	0.11	2.41
Alwar Dn. ..	2.70	0.42	2.28	0.03	5.43
Bharatpur Dn. ..	6.91	0.25	5.07	1.77	14.00
TOTAL ..	37.70	7.94	15.14	2.10	62.88
Kota Circle:					
Kota Dn.	20.43	14.51	4.48	1.51	40.93
Kota DSD., Kota ..	5.08	0.46	3.08	..	8.62
Sawaimadhopur Dn. ..	20.11	0.08	1.39	0.49	22.07
TOTAL ..	45.62	15.05	8.95	2.00	71.62
Udaipur Circle					
D. S. D., Udaipur ..	4.39	0.38	0.62	0.02	5.91
Bhilwara Dn. ..	1.06	0.23	0.28	..	1.57
Banswara Dn. ..	0.54	0.15	0.72	..	1.41
Falna Dn.	0.60	0.75	1.08	..	3.33
TOTAL ..	7.09	1.51	3.60	0.02	12.22

1		2	3	4	5	6
Bikaner Circle:						
Bikaner Dn.	..	8.00	5.24	6.36	11.08	30.68
Ratangarh Dn.	..	2.65	1.21	4.19	0.12	8.17
Churu Dn.	..	0.61	0.14	1.41	..	2.16
Sikar Dn.	..	4.55	0.26	2.50	0.05	7.36
Ganganagar Dn.	..	2.98	1.28	1.61	0.27	6.14
TOTAL	..	18.79	8.13	16.07	11.52	54.51
Jodhpur Circle:						
Jodhpur Dn.	..	31.11	28.22	13.54	6.14	79.01
Distt. Dn., Jodhpur	..	0.93	0.56	1.88	0.02	3.39
Ajmer Dn.	..	14.34	0.21	1.90	0.01	16.46
TOTAL	..	46.38	28.99	17.32	6.17	98.86
GRAND TOTAL	..	155.58	61.62	61.08	21.81	300.09

* Seggregation is not available.

NOTE:-The foregoing figures are subject to reconciliation/final adjustments.

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के भाग (1) में निर्दिष्ट पैटर्न की सूची)

APPENDIX 'A'

O & M Pattern No. 18:— Composition of O & M & Construction Offices

Code No.	Category	Staffing Pattern	
		Designation	No. of Post
1	2	3	
OMP 18.1	O & M Sub-Offices, Sub-Divisions and Divisions existing at present should not be disturbed.	Staff will be provided as per OMP-18.2 and 18.3.	
OMP 18.2	O & M New Sub-Office will be created only when following conditions are fulfilled.	Junior Engineer	1,
	(a) Diesel Power House with a installed capacity up to 600 KW and Local Distribution at the Headquarters provided the No. of consumers does not exceed 300.		
	(b) Sub-Office having 600 to 1200 consumers in a load density up to 30 consumers per transformer centre. or Sub-Office having 800 to 1600 consumers in a load density between 31 to 75 consumers per transformer centre. or Sub-Office having 1200 to 2500 consumers in a load density of above 75 consumers per transformers.		
	(c) Sub-Office having 2501 to 5000 consumers in a locality.	Junior Engineer	2

1	2	3	
OMP 18.3	New Sub-Division will be created when the following conditions are fulfilled:—		
	(a) Sub-Division having 5001 to 8000 consumers in a locality.	Assistant Engineer Junior Engineer	1. 1.
	(b) Sub-Division having 8001 to 12000 consumers in a locality.	Assistant Engineer Junior Engineer	1. 2.
	(c) Sub-Division having 4 Sub-Offices (Junior Engineer) as per OMP-18.2(b).	Assistant Engineer	1.
	(d) —do—having 3 to 5 Sub-Offices of 18. 2 (a), (b), (c).	Assistant Engineer	1.
OMP 18.4	O & M Division (a) having 4 O & M Sub-Divisions of 18.3 (a), (b), (c). or 3 to 5 Composits Sub-Divisions of 18.3 (d).	Executive Engineer	1.

परिशिष्ट 11

[अतारांकित प्रश्न संख्या 47 के भाग (1), (2) व (3) में निर्दिष्ट सूचियां]

सूची (क)

Districtwise road length maintained by P.W.D., Rajasthan as on 31st March, 1969.

S. No.	District	N.H.W. B./T.	C.C.	B/T	W.B.M.	G.R.	F.W.	Grand Total
1.	Jaipur Circle I, Jaipur.	..	..	..	..	..	..	..
2.	Jaipur Circle II, Jaipur.	309	14	2074	1147	52	487	4083
3.	Jaipur Circle III, Jaipur.	462	2	1702	436	147	264	3013
4.	Kota Circle, Kota	..	20	1784	1473	31	1680	4988
5.	Udaipur Circle, Udaipur.	335	..	1608	1473	1507	1866	6789
6.	Jodhpur Circle, Jodhpur.	...	4	2440	636	4990	1002	9072
7.	Bikaner Circle, Bikaner.	150	2	1802	499	247	731	3431

सूची (ख)

BASIS OF ALLOTMENT

1968-69

A.	B. T. Roads	Rs. 1,000/- per mile.
	W. B. M. Roads	Rs. 1,000/- per mile.
	Gravel Roads	Rs. 300/- per mile.
		Rs. 50/- per mile.
B.	**Weightage:**	
	State Highways	50% of the normal allotment for Jaipur, Kota and Udaipur.
		35% of the normal allotment for Bikaner and Jodhpur.
	Major Distt. Roads	20% of the normal allotment for Jaipur, Kota and Udaipur.
		15% of the normal allotment for Bikaner and Jodhpur.
	Heavy Rainfall areas	30% for the normal allotment for Bharatpur, Udaipur, Kota, Jhalawar, Sawai Madhopur, Bundi and Alwar.
	For heavy traffic exceeding 1000 tons a day.	50% of the normal allotment on State Highways and Major Distt. Roads—Jaipur, Ajmer, Bharatpur, Alwar, Ganganagar, Udaipur, Bhilwara, Kota and Tonk.
	Heavy cost of repairs	30% of the normal allotment Jaipur, Ajmer, Kota, Bhilwara, Bundi and Ganganagar.
C.	Further ad hoc allocation for special repairs against specific proposals.	

———

सूची (ग)

CIRCLEWISE ALLOTMENT OF ROAD REPAIRS GRANT

for

1966-67 to 1969-70

(Amount in lacs)

Name of Circle		Repairs Roads			
		1966-67	1967-68	1968-69	1969-70
Jaipur Circle I	..	26·70	31·04	38·99	8·65
Jaipur Circle II	..	28·50	33·54	47·04	46·64
Jaipur Circle III	..	..	..	..	24·80
Bikaner Circle	..	18·00	21·47	27·42	45·47
Kota Circle	..	37 80	35·64	45·64	39 64
Udaipur Circle	..	35·00	36·55	56·14	47·54
Jodhpur Circle	..	32·00	31·76	39·77	48·26
TOTAL	..	178·00	190·00	255·00	255·00

सूची (घ)

ALLOTMENT BY GOVERNMENT OF INDIA

FOR

SPECIAL REPAIRS (RAIN DAMAGES)

(Rupees in lacs)

S. No.	Name of Division	1967-68	1968-69	1969-70
1.	Alwar	9·25	0·30	17·39
2.	Bharatpur	6·25	2·50	11·28
3.	Jhunjhunu	..	6·00	..
4.	Distt. Dn., Jaipur	..	1·50	1·70
5.	N. H. W. Dn., Jaipur	0·50	..	0·30
6.	Ajmer	..	3·00	..
7.	East Dn., Jodhpur	2·00	2·50	..
8.	West Dn., Jodhpur	..	10·00	..
9.	Ganganagar	0·35	5·70	1·50
10.	Hanumangarh	1·15	0·30	10·15
11.	Kota	..	9·20	..
12.	Tonk	..	..	3·00
13.	Sawaimadhopur	..	..	8·00
14.	Jhalawar	..	..	23·00
15.	Udaipur	..	3.00	2·50
16.	N. H. W. Dn., Udaipur	..	0·90	..
17.	Bhilwara	..	2·00	1·24
18.	Dungarpur	—	1·25	..
19.	Chittore	..	1·85	4·94
20.	Bikaner	0·10	..	..
21.	Churu	0·40	..	..
	TOTAL ..	20·00	50·00	86·50

परिशिष्ट 12

[अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के भाग (2) में निर्दिष्ट सूची]

List of Works in Progress for S/R to existing C. D. Works on Fair Weather Road in P. W. D. (B & R), Jhalawar Division.

Serial No.	Category of Road and communication	Namo of work sanctioned	Details of repairs ronewal improvement desired	Sanctioncd cost of work	Year of allotment	Expenditure incurred during 1968-69	Expenditure incurred during 1969-70 to 2/70
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fair Weather Road.	S/R to Kalisindh Causoway on Durrah Gagron road..	Repairs to Kharnja and its approaches.	10,000/-	1968	10,249/-	6,659/-
2.	—do—	S/R to Ujhar River on Kanwas Dhulet road	—do—	1,104/-	1968	939/-	165/-
3.	—do—	S/R to existing C. D. Works on Kanwas Dhulet road mile No. 1 to 8 ..	—do—	5,089/-	1968	3,316/-	4,434/-
4.	—do—	S/R to Kaithoon Ghanehera road C. D. Works in mile 18 to 30	—do— and masonary works and its approaches	15,000/-	1959	1,343/-	2,282/-
5.	—do—	S/R to C. D. Works on Anta-Sangod road via Sorsan	—do—	11,800/-	1968	1,821/-	594/.

6.	—do—	S/R to Kalisindh Causeway on Durrah-Sangod-Bapawar road in mile No. 43, 44 ..	—do—	10,000/-	1968	832/-	932/-
7.	—do—	S/R to existing C. D. Works on Chipabarod-Manoharthana road in mile No. 27/8 near Hataikhera	—do—	6,335/-	1968	503/-	5,700/-
8.	—do—	—do— on Harnavada Chipabarod road in mile No. 1/5 & 2/2	—do—	12,063/-	1968	3,829/-	4,739/-
9.	—do—	—do— in mile No. 3/1, 2, 5 & 8 ..	—do—	10,329/-	1968	2,049/-	8,088/-
10.	—do—	—do— in mile No. 10/3, 13/6 7 & 8 and road dam	—do—	8,585/-	1968	..	6,785/- 898/-
11.	—do—	—do— in mile No. 25/4, 13/5, 17/3 & 266	—do—	6,690/-	1968	..	4,349/-
12.	—do—	Drop wall in mile No. 1/2 on Chipabarod-Harnavda road	—do—	2,793/-	1968	1,909/-	265/-
	—do—	S/R to Amjhar River Causeway on Suket-Handiwara road	—do—	8,000/-	1968	4,068/-	5,263/-
14.	—do—	S/R to Kalisindh Causeway on Kanwas-Dhulet road mile No. 7/8	—do—	5,000/-	1968	..	1,634/-
15.	—do—	S/R to existing C. D. Work in various miles on Baran-Nahargarh road in mile No. 8/4, 9/2, 11/8 and 21/1	Repairs to masonary work & earth work of approaches.	18,306/-	1968	2,175/-	2,640/-
16.	—do—	—do— in mile No. 4, 3/4, 6/7 on Devri-Sanri road	—do—	3,358/-	1968	2,076/-	759/-
17.	—do—	—do— in mile No. 2 on Bhabuka River on Relevan-Sitebari road ..	—do—	21,821/-	1968	4,981/-	2,797/-

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	—do—	—do— on Kishanganj to Mangrol via Chinod-Ramgarh road in mile No. 9, 14 & 27	—do—	11,155/-	1968	14,639/-	4,300/-
19.	—do—	—do— on Mangrol-Ganeshganj via Byana road .. — ..	—do—	6,772/-	1968	1,509/-	..
20.	—do—	—do— on Anta-Sangod road ..	—do—	2,380/-	1968	1,321/-	1,972/-
21.	—do—	S/R to Causeway Bhopsi River in mile No. 14 on Atru-Gaughat-Salpura road ..	—do—	27,853/-	1968	..	..
22.	—do—	Comston of approach road C. D. Work on Raren-Bapawar road mile No. 6/8 to 12/6	—do—	27,184/-	1968	..	2,32,26/-
23.	—do—	S/R to C. D. Works on Kota-Baran-Shahabad road mile No. 95	—do—	10,795/-	1968	..	9,646/-
						58,058/-	1,22,557/-

परिशिष्ट 13

[अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के भाग (3) में निर्दिष्ट सूची]

दयानन्द बाल सदन, अजमेर को गत 5 वर्षों में विभाग द्वारा दी गई धनराशि की तालिका

क्रम संख्या	वर्ष	धनराशि
1.	1965–66	8312.00
2.	1966–67	7394.00
3.	1967–68	20000.00
4.	1968–69	25482.00
5.	1969–70	67335.00

यह सहायता समाज कल्याण योजनाओं से दी जाती है न कि पिछड़ी जाति कल्याण मद से।

परिशिष्ट 14

[अतारांकित प्रश्न संख्या 61 के भाग (3) में निर्दिष्ट सूची)]

राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर को, गत 5 वर्षों में दी गई सहायता की सूची (स्कूल पुनर्वास व्यवस्था, छात्रावास भवन निर्माण हेतु) :–

क्रमांक	वर्ष	रकम अनुदान की
1	2	3
1.	1965–66	63775.00 रु०
2.	1966–67	130367.00 रु०
3.	1967–68	84054.00 रु०
4.	1968–69	73482.00 रु०
5.	1969–70	73739.00 रु०

राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर को गत 3 वर्षों में दी गई सहायता की सूची:—
(छात्रावास)

नाम छात्रावास	अनुदान		
	1966-67	1967-68	1968-69
1. नूतन बापा छात्रावास	15995.00	17765.55	22637.50
2. बापा छात्रालय	16055.00	17791.25	21425.00
3. कस्तूरबा कन्या छात्रालय	4495.50	12090.12	11050.00
4. बनवासी छात्रालय	7080.50	..	26305.00
5. बापा भील आश्रम	11375.00	14095.00	12660.00
6. आदिवासी छात्रालय, कनवा	8335.00	8368.50	10205.58
7. आदिवासी छात्रालय, बीछीवाड़ा	15945.00	20958.74	23624.50
8. आदिवासी छात्रालय, गलियाकोट	10238.75	10699.98	9860.00
9. आदिवासी छात्रालय, पीठ	6263.73	12101.39	9064.23
10. आदिवासी कन्या छात्रालय, सीमलवाड़ा	7965.00	14550.00	11816.50

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 62 की सूची)

आदिम जाति शोध संस्थान, समाज कल्याण विभाग, उदयपुर
पर. वित्तीय वर्ष 1960-61 से 1969-70 तक
व्यय की गई राशि का विवरण

वर्ष	आयोजना व्यय	आयोजना भिन्न व्यय	योग
1959-60 } 1960-61 }	37209	—	37209
1961-62	21892	—	21892
1962-63	6017	—	6017
1963-64	22719	—	22719
1964-65	43397	—	43397
1965-66	92758	—	92758
1966-67	114204	—	114204
1967-68	101956	—	101956
1968-69	116655	—	116655
1969-70 (अनुमानित व्यय)	75000	122700	197700
योग ..	631807	122700	754507

आदिम जाति शोध संस्थान, उदयपुर की प्राप्तियां

1. आवश्यकता, सुविधाऐ एवं लोग :—
   सीमलवाडा आदिवासी विकास खन्ड प्रथम का आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण
2. सीमलवाडा आदिवासी विकास खन्ड द्वितीय का आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण
3. राजस्थान में सागडी व्यवस्था और उसका उन्मूलन
4. आदिवासी = मूल और वर्तमान
   आदिवासी विकास कार्यों पर एक दृष्टि
5. राजस्थान के आदिवासी = एक स्मारिका
6. वनजारा = हिन्दी -
7. वनजारा एक घुमक्कड़ व्यवसायी जाति
8. जवाहर नगर परियोजना = एक अध्ययन
9. राजस्थान के सेहरिया = एक अध्ययन
10. कयोडिया = एक अध्ययन
11. डामोर = एक अध्ययन
12. मीणों की आर्थिक दशा = एक अध्ययन
13. छात्रावासियों के आपसी सम्बन्ध = एक अध्ययन
14. अनसूचित क्षेत्रों में कस्बे = एक अध्ययन
15. खरवाड़ा = एक अध्ययन
16. भील गोरी = एक अध्ययन
17. भील मोपा आदि = एक अध्ययन

परिशिष्ट 16

[अतारांकित प्रश्न संख्या 63 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची]

औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में सिखाए जाने वाले ट्रेड एवं स्थान दर्शक सूची

क्रमांक	नाम ट्रेड	नाम स्थान जहां केन्द्र चलता है	जिला	स्कीम का नाम
1.	सिलाई उद्योग केन्द्र	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	अनुसूचित जनजाति
2.	,, ,,	सागवाड़ा	डूंगरपुर	अनुसूचित जनजाति
3.	,, ,,	आबू रोड	सिरोही	अनुसूचित जनजाति
4.	,, ,,	कोटा	कोटा	विमुक्त जाति
5.	,, ,,	जयपुर	जयपुर	अनुसूचित जाति
6.	,, ,,	सीकर	सीकर	अनुसूचित जाति
7.	,, ,,	टोंक	टोंक	अनुसूचित जाति
8.	,, ,,	डीग	भरतपुर	अनुसूचित जाति
9.	,, ,,	बाड़मेर	बाडमेर	अनुसूचित जाति
10.	,, ,,	जालोर	जालोर	अनुसूचित जाति
11.	,, ,,	पाली	पाली	अनुसूचित जाति
12.	,, ,,	किशनगढ़	अजमेर	अनुसूचित जाति
13.	,, ,,	उदयपुर	उदयपुर	अनुसूचित जाति
14.	,, ,,	नागौर	नागौर	अनुसूचित जाति
15.	काष्ट कला उद्योग केन्द्र	सुजानगढ़	चुरू	अनुसूचित जाति
16.	चर्मोद्योग (जूता बनाना)	बीकानेर	बीकानेर	अनुसूचित जाति

परिशिष्ट 17

[अतारांकित प्रश्न संख्या 72 के भाग (1) व (3) में निर्दिष्ट सूची]

सूची नं० 1

क्रमांक	नाम व्यक्ति मय पूरा पता जिसे नल-कूप हेतु भूमि दी गई	आवंटन की तारीख	भूमि कुल दी
1.	श्री शम्भूनाथ वल्द सुखदेव चौबे, ग्राम चकमोरी, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर (उत्तर प्रदेश)।	1. 26-12-69 2. 16-12-69	50 एकड़ 25 एकड़
		योग ..	75 एकड़
2.	श्री जोगेश्वर वल्द सुखदेव चौबे, ग्राम चकबरी, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर (उत्तर प्रदेश)।	1. 26-11-69 2. 26-12-69	50 एकड़ 25 एकड़
		योग ..	75 एकड़

सूची नं० 2

सूची प्रार्थना-पत्र बाबत नलकूप भूमि आवंटन

क्रम संख्या 1	नाम प्रार्थी 2
1.	श्री महावीर प्रसाद गुप्ता, सादुल कालोनी, बीकानेर।
2.	श्री बालमुकुन्द, मालिक ब्लाक 13, हिसार सिटी।
3.	श्री आनन्द कुमार पुत्र मालती प्रसाद गुप्ता, ग्राम नांगल, उत्तर प्रदेश।
4.	श्री एस० जी० दत्ता, छावनी मुहल्ला, लुधियाना।
5.	श्री सुदर्शन कुमार, छावनी मोहल्ला, लुधियाना।
6.	श्री ओमप्रकाश, छावनी मोहल्ला, लुधियाना।
7.	श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह, भागलपुर।
8.	श्री जगतसिंह, ग्राम मानेवाड, जिला लुधियाना।
9.	श्री कपूरसिंह, पुरानी सब्जी मण्डी, लुधियाना।
10.	श्री जोगेन्द्र सिंह, पुरानी सब्जी मण्डी, लुधियाना।

Page No. 180

1	2

11. श्री तलवसिंह पुरानी सब्जी मण्डी, लुधियाना।
12. श्री हरसिंह, पुरानी सब्जी मण्डी, लुधियाना।
13. श्री मुख्तायार सिंह, पुरानी सब्जी मण्डी, लुधियाना।
14. श्री जगतसिंह, पुरानी सब्जी मण्डी, लुधियाना।
15. श्री रूपाराम, ग्राम सुरसर।
16. श्री हजारी राम, ग्राम गुवार, आयूनी।
17. श्री देवराम, खानोजा डबरा (ग्वालियर)।
18. श्री सुरजाराम कुम्हार, ग्राम जोरावरपुरा, जिला गंगानगर, त० हनुमानगढ़।
19. श्री रणजीतसिंह, जवाहरनगर, सब्जी मण्डी, देहली।
20. श्री चतकराम कुम्हार, जोरावरपुरा, हनुमानगढ़।
21. श्री भोमाराम कुम्हार, ग्राम जोरावरपुरा।
22. श्री तिलोकाराम कुम्हार, ग्राम जोरावरपुरा।
23. श्री सुभाष प्रकाश कुम्हार, ग्राम जोरावरपुरा।
24. श्री भोजूराम कुम्हार, ग्राम जोरावरपुरा।

सूची नं० 3

1. जगदीशप्रसाद केड़िया, जयपुर।
2. राधेश्याम अग्रवाल, जयपुर।
3. सोहनलाल रामरख विश्नोई, गांव सांगोद, तह० सांगोद, जि० कोटा
4. स्वरूप चन्द मेहता, जयपुर।
5. सत्यराराम कुम्हार, त० हनुमानगढ़, श्री गंगानगर।
6. भीमाराम कुम्हार, जोरावरपुरा, त० हनुमानगढ़, श्री गंगानगर।
7. खीयाराम कुम्हार, मोन मगरिया, त० हनुमानगढ़, श्री गंगानगर।
8. तिलोराम कुम्हार, जोरावरपुरा, त० हनुमानगढ़, श्री गंगानगर।
9. मोजाराम कुम्हार, त० हनुमानगढ़, श्री गंगानगर।
10. सुरजाराम कुम्हार, जोरावरपुरा, त० हनुमानगढ़, श्री गंगानगर।
11. श्री गंगानगर
12. बृजलाल कुम्हार, जोरावरपुर, त० हनुमानगढ़, श्री गंगानगर।
13. हरीराम कुम्हार, सरदारगढ़, सूरजगढ़, श्री गंगानगर।
14. गोपीलाल कुम्हार, जोरावरपुर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर।
15. मुगनाराम कुम्हार पदमपुरा वेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर।
16. चुन्नीलाल कुम्हार, केसर वाला, सिरसा, हिसार (हरियाणा)।
17. बनवारीलाल, जोरावरपुरा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर।
18. सुभाष प्रकाश कुम्हार, जोरावरपुरा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर।
19. मानाराम कुम्हार, जोरावरपुरा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर।

परिशिष्ट 18

[अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के भाग (2) व (4) में निर्दिष्ट सूची]

सूची (क)

क्रमांक	नाम ग्राम	नाम व्यक्ति जिन्हें भूमि आवंटित की गई	भूमि का क्षेत्र-फल जो आवंटन किया गया	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	कालवाड़	कर्नल जेठू सिंह	15)	
2.	,,	हवलदार एन० के० भार्गवा नं० 1208967	1011)2	
3.	,,	स्क्वेड्रन लीडर चतरसिंह पूनिया, भूतपूर्व सैनिक	15)	
4.	,,	खेमा पुत्र श्योबक्स रेगर, सा० देह	5)	
5.	,,	चांदू पुत्र भूरा रेगर, सा० देह	5)	
6.	,,	मोग्या पुत्र भूरा रेगर, सा० देह	5)	
7.	,,	दीपा पुत्र मोती रेगर, सा० देह	5)	
8.	,,	रिद्धनारायण पुत्र रामनिवास, सा० जयपुर	611)	
9.	,,	मीठूराम पुत्र रामप्रताप राय, नि० जयपुर	611)	
10.	,,	नन्दविहारी पुत्र जगन्नाथ चौधरी, नि० जयपुर	10)	
11.	,,	ब्रजमोहन शर्मा पुत्र बद्री नारायण, नि० जयपुर	15)	
12.	,,	रघुवीरशरण पुत्र भगवान दास, नि० जयपुर	15)	
13.	,,	बन्ना पुत्र मांगू हरिजन, सा० देह	5)	
14.	,,	गोपी पुत्र दीवा खटीक, सा० देह	4)	
15.	,,	हरनाथ पुत्र दीपा खटीक, सा० देह	4)	
16.	,,	कैलाश पुत्र मांगू रेगर, सा० देह	9)	
17.	,,	मांग्या पुत्र उदा रेगर, सा० देह	9)	
18.	,,	महादेव पुत्र भीवा रेगर, सा० देह	9)	
19.	,,	भूना पुत्र प्रधाना रेगर, सा० देह	9)	
20.	,,	नोला पुत्र भूरा रेगर, सा० देह	9)	
21.	,,	खेमा पुत्र भैरू रेगर, सा० देह	9)	
22.	,,	महादेवा पुत्र भूरा रेगर, सा० देह	9)	
23.	,,	लक्ष्मीनारायण पुत्र घासीराम, नि० जयपुर	8)	

सूची (ख)

1.	धर्मपुरा	श्री हरिकृष्ण पान्डेय, पुत्र श्री रामभरोसे पान्डेय नि० जयपुर	711)	
2.	,,	श्रीमती शान्ति देवी पत्नि श्री मायादास, दीवान सा० जयपुर	711)	
3.	,,	कैप्टेन रामकुमार खन्ना, पुत्र श्री सरदारीलाल खन्ना, नि० जयपुर	15)	
4.	,,	श्री ए०एम० डेविड पुत्र स्वर्गीय श्री ए० एन० डेविड, नि० जयपुर	5)	
5.	,,	श्री उमादत्त पुत्र श्री गुलजारीलाल, सा० जयपुर	15)	
6.	,,	मेजर प्रेमकुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय कमला प्रसाद गुप्ता, नि० जयपुर	15)	
7.	,,	श्रीमती सुमित्रा पंडित पत्नि श्री सी०पी० पंडित, नि० जयपुर	10)	

परिशिष्ट 19

[अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के भाग (2) व (3) में निर्दिष्ट सूची]

सूची (क)

क्रम	माह जिसमें आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ	तारीख आवेदन-पत्र	नाम ग्राम	नाम आवेदनकर्ता	वि० विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	मई, 1968	20-5-68	कालवाड़	चतरसिंह पूनियां पुत्र जयलाल पूनियां	541 542 544
2.	,,	,,	,,	नन्दबिहारी पुत्र जगन्नाथ चौधरी	542
3.	,,	21-5-68	,,	कर्नल जेठू सिंह	541
4.	जून 1968	1-6-68	,,	कैलाश पुत्र मं[illegible] रेगर	1030
5.	,,	1-6-68	,,	माग्या पुत्र उधा रेगर	1030
6.	,,	1-6-68	,,	महादेवा पुत्र भूरा रेगर	1030
7.	,,	1-6-68	,,	भूना पुत्र प्रयागा रेगर	1030
8.	,,	1-6-68	,,	नोला पुत्र भूरा रेगर	1030
9.	,,	1-6-68	,,	खेमा पुत्र भैरू रेगर	1030
10.	,,	1-6-68	,,	महादेवा पुत्र मोवा रेगर	1030
11.	,,	1-6-68	,,	लक्ष्मीनारायण पुत्र घासीराम	1030
12.	,,	3-6-68	,,	वन्ना पुत्र मांगू महतर	542
13.	,,	3-6-68	,,	गोपी पुत्र घीसा	542
14.	,,	3-6-68	,,	खेमा पुत्र श्योबक्स रेगर	542
15.	,,	3-6-68	,,	चांदू पुत्र भूरा रेगर	542
16.	,,	3-6-68	,,	मांग्या पुत्र भूरा रेगर	542
17.	,,	3-6-68	,,	दीपा पुत्र मोहन रेगर	542
18.	,,	3-6-68	,,	रिद्धनारायण पुत्र रामनिवास	542
19.	,,	3-6-68	,,	मीठाराम पुत्र रामप्रताप राय	542
20.	,,	3-6-68	,,	बृजमोहन पुत्र बद्रीनारायण	544
21.	,,	3-6-68	,,	रघुवीर सरण पुत्र भगवानदास	544
22.	,,	3-6-68	,,	हरनाथ पुत्र बीजा खटीक	542
23.	,,	13-6-68	,,	हवलदार एन० के० भार्गवा	542
24.	मई, 1968	14-5-68	धर्मपुरा	श्री हरिकृष्ण पुत्र राममरोसे पान्डेय	1
25.	,,	14-5-68	,,	श्रीमती शान्ति देवी पत्नि श्री मायादास दीवान	1
26.	,,	14-5-68	,,	कैप्टेन राजकुमार खन्ना पुत्र सरदारीलाल खन्ना	1
27.	,,	14-5-68	,,	उमादत्त पुत्र श्री गुलजारीलाल	1
28.	,,	,,	,,	सुमित्रा पंडित पत्नि सी० पी० पंडित	1

नोट :—ग्राम धर्मपुरा की उद्घोषणा से पूर्व श्री ए० एम० डेविड तथा श्री प्रेमकुमार गुप्ता के प्रार्थना-पत्रों पर कमेटी द्वारा विचार किया जाकर भूमि आवंटन की गई है ।

परिशिष्ट 20

[अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के भाग (2) में निर्दिष्ट सूची]

तालिका (ख)

क्र० सं०	नाम खातेदार	विवरण जो भूमि आबादी में परिवर्तन की गई सन् 67	अनुमति मिलने की तारीख	अनुमति मिलने का कारण
1	2	3	4	5
1.	देवीलाल सास-चांदमल सोनी, श्रीमती रतन देवी धर्मपत्नि चैनसुख अजमेरा	॥) 3	22-1-68	नगरपालिका द्वारा बाहमी/समझौते से आपसी।
2.	श्री महालक्ष्मी ट्रेडर्स के पार्टनर्स, भीलवाड़ा	12।)	5-8-68	नगर विकास न्यास द्वारा आपसी समझौते से।
3.	श्री फतहलाल पुत्र रामरतनजी देपुरा	॥) 2	22-8-68	नगरपालिका भीलवाड़ा के आपसी समझौते द्वारा।
4.	श्री रामपाल पुत्र रामसुख कावरा	1) 4	"	"
5.	श्री मांगीलाल पिकासीराम महाजन	1) 4	11-9-67	"
6.	श्री मेहताब हसन नसीरुद्दीन पि० समसू शेख	3॥)	7-9-67	"
7.	श्री छीतरलाल पि० कालूराम ब्राह्मण	2)	16-9-67	"
8.	श्री तख्तसिंह पि० रामसिंह राजपूत	2)	"	"
9.	श्री रतनलाल पि० सरवणलाल ब्राह्मण, नि० विन्या हाल, भीलवाड़ा	8)	"	"
	योग	31॥) 3		

शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक 13 मई, 1970

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
—	शीर्षक	ा क	का
2	अन्तिम से 4	लिगली	लीगली
3	,, 1	फमिन	फेमिन
4	,, 3	ुरड़क	व्रुरड़क
7	9	लम्ब	लम्बा
7	अन्तिम से 12	—	हो
7	,, 1	होन	होनी
12	1	है	हैं
12	2	वाह	वह
19	11	सतग्रही	सत्याग्रही
21	अन्तिम से 11	परिष	परिषद्
24	15	आय	आर्य
24	अन्तिम से 1	रोजनामचे	रंजनामचे में
26	,, 16	कितने	—
27	7	बसवाड़ा	बांसवाड़ा
34	अन्तिम से 9	ह	हैं
35	3	इत्याली	इत्यादि
48	19	कहा	कहा है
49	1	जायों	जातियों
49	2	लंट	एलर्ट
50	अन्तिम से 6	स बन्धित	सम्बन्धित
50	4	थ	थे
53	8	अनमव	अनुभव
53	12	दवपुरा	देवपुरा
54	अन्तिम से 3	कमले	कमेले
55	17	पाड़	पाड़े

1	2		3	4
58	अन्तिम से	1	सं॰	संख्या
81	,,	2	मदावृत	मदावर्त
82	,,	11	स्वरूपनार –	स्वरूप–
87		11	कड़ो	कुड़ो
88		8	म-	भू-
83		14	करत	करते
103	अन्तिम से	6	क्षत्र	क्षेत्र
108		5	उसक	उसके
119	,,	12	considerational	consideration
120		17	शिवनाथजी	शिवनाथसिंहजी
123	,,	26	बढ़ान	बढ़ाने
124	,,	4	alid-	valid
126		7	सुरीम	सुप्रीम
130		2	दनों	दोनों
133		6	सता	सात
133		22	को	का
134		2	मामेलों	मामलों
135		4	तो	—
135	अन्तिम से	11	The......made.	"The......made."
136	,,	15	की	को
136	,,	5	कीं हैं	किये हैं
137	,,	1	—	हूं
139		6	हुई-	हुई है
140		17	कमिटी	कमेटी
141		5	कमिटी	कमेटी
141		5	ुत्तालिलक	मुत्तालिक
141		15	Sellect	Select
141	अन्तिम से	11	ou	on
142		19	क	को
143		14	श्री अध्यक्ष	—
146	अन्तिम से	2	'अवर'	'आवर'
147		1	'अवर'	'आवर'
149	अन्तिम से	1	भजे	भेजे
153	,,	9	उपयक्त	उपयुक्त

1	2		3	4
153	अन्तिम से	2	म	में
154	,,	12	whre	where
156	,,	9	म	में
157	,,	16	टेनेंसी	टिनेंसी
157	,,	12	उपस्थापन	प्रतिवेदन
159	,,	6	जान	जाने
163	,,	2	अध्यक्षो	अध्यक्ष
188	,,	4	खते	रखते
193		8	बंवारा	वंटवारा
197		9	समाति	समापति
200	अन्तिम से	1	एप्लीकेव	एप्लीकेबल
201		3	सिन्शियटी	सिन्सीरियेटी
225–226		शीर्षक	विघयक	विधेयक
236	अन्तिम से	8	प्रष्ठभूमि	पृष्ठभूमि
238	,,	12	No withstanding	Not withstanding
241	,,	14	श्र	श्री
249	,,	17	रामाकिशोर	रामकिशोर
256	,,	5	प्राप्तः	प्रातः
291	,,	18	लॉट	प्लॉट

———